(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम विधान सभा के पंचम सत्र का 14वां दिवस [संख्या 10

शुक्रवार,

दिनांक 15 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू० 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, जन-स्वास्थ्य, कृषि, खनिज, विकास, सहकारिता, खाद्य, उपनिवेशन, वित्त, देवस्थान, खनिज, राजस्व, पंचायत, जलप्रदाय एवं स्वायत्त शासन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रावतराम !

तहसीलदार, राजगढ़ द्वारा अवैधानिक तरीके से दिया गया पट्टा

212. **श्री रावतराम आर्य (छापर) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा सिद्धमुख, जिला चूरू के रेल्वे स्टेशन पर श्री कुरड़ाराम पुत्र श्री दयोदत्त ब्राह्मण, निवासी सिद्धमुख की चाय बनाने की दुकान है, जिसका पट्टा तहसीलदार, राजगढ़, जिला चूरू ने अवैधानिक तरीके से दे दिया है ? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि जितनी जमीन पर नाजायज चाय की दुकान थी, उसके पीछे सफेद पड़ी सरकारी जमीन पर श्री कुरड़ाराम का कब्जा मान कर तहसीलदार ने पट्टे में शामिल कर दिया है जबकि आज भी वह मौके पर खाली पड़ी है ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, सिद्धमुख ने कलेक्टर, चूरू को लिखित में शिकायत की है कि व्यापारिक कार्यों के लिये कब्जा मान कर पट्टा नहीं दिया जा सकता और सफेद पड़ी जमीन तो पट्टे में बिल्कुल शामिल नहीं की जा सकती? यदि हां, तो यह शिकायत कब की गई और इसकी जांच किसके द्वारा की गई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें, तथा अब तक इस बारे में कलेक्टर, चूरू द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां, तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पुराना कब्जा नियमन किया गया है।

(2) चाय की दुकान के साथ पड़ी हुई जमीन भी पुराने कब्जे की जमीन मानकर नियमन की कार्यवाही की गई है।

Page No. 2

(2)

(श्री मूलचन्द)

(3) सरपंच, सिद्धमुख द्वारा जिलाधीश कार्यालय में अपील प्रस्तुत की गई थी परन्तु अपील में अपीलांट को अपील करने का हक नहीं होना मान कर खारिज कर दी गई तथापि भूमि के नियमन के सम्बन्ध में अनियमितता के सन्देह से मामले की जांच हेतु, उप-खण्ड अधिकारी, राजगढ़ को जिलाधीश, चूरू द्वारा आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रावतराम : आपने बताया कि उसका पुराना कब्जा मान कर, चाय की दुकान थी वहां पर यह मानकर नियमन किया गया है। मेरा सवाल यह है कि यह मान भी लें कि चाय की दुकान का कब्जा मानकर रेल्वे स्टेशन जैसी इम्पोर्टेन्ट जगह पर भी कब्जे को रेगुलेराइज कर भी दें तो भी वैसी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी जमीन है, तहसीलदार उससे मिल कर उसका पुराना कब्जा मानकर रेगुलेराइज करे, इसके बारे में आपको जांच करवा लेनी चाहिये। अगर ऐसा हुआ है तो दुकानदार का कब्जा नहीं मानना चाहिए और अगर पुराना कब्जा है तो फिर बात दूसरी है।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में निवेदन किया यह जब शक हुआ राज्य सरकार को तो इसकी जांच के लिये वापिस आदेश दे दिये गये, 21-2-74 को आदेश दिये गये और एस. डी. ओ., राजगढ़ जांच कर रहे हैं।

श्री रावतराम : जांच अभी बाकी है ?

श्री मूलचन्द : जी हां।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : नियमन कैसे हुआ जब जांच की जा रही है ?

श्री मूलचन्द : तत्कालीन तहसीलदार ने किया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : तहसीलदार से मिलकर करा लिया तो इसमें आप स्टे कर दें जब तक कि जांच हो।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : इस प्रकार का प्रावधान नियमों में या एक्ट में नहीं है स्टे आॅर्डर देने का। तहसीलदार ने रेगुलेराइज किया है यह राज्य सरकार के एक्जीक्यूटिव आॅर्डर्स के तहत किया है। जो तहसीलदार आॅर्डर पास करे यह खातेदारी या मौरूसी जमीन के सम्बन्ध में नहीं है, उसके लिये रूल्स बने हुए हैं, गैर मुमकिन जमीन, गोचर, चरागाह जमीन पर बाड़ा बनाने के लिये, कन्स्ट्रक्शन के लिए इस प्रकार के रेगुलेराइजेशन के आदेश थे कि एक पर्टीक्यूलर स्पेसिफाइड पीरियड आॅफ टाइम जो दिया गया था उसमें मामले नहीं निपटाये गये, तो जुलाई, 71 में दुबारा आदेश दिया गया है कि उन्हें पर्टीक्यूलर पीरियड में निपटाना है। यह मामला उस सरक्यूलर के तहत, तहसीलदार के आदेश के तहत, उसका कब्जा 30 साल पुराना है, इसलिए रेगुलेराइज किया। माननीय सदस्य, जो आ रहे हैं उधर से, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि इतनी बड़ी जमीन कैसे ले ली, यह विचार करने का है, विचार का मुद्दा यह भी है कि राज्य सरकार ने आदेश दिये थे कि पांच सौ गज का रेगुलेराइजेशन बिना कुछ प्रीमियम लिये हुए होगा, उससे ज्यादा हो तो पच्चीस पैसे प्रति गज के हिसाब से लेकर 1 हजार गज तक का नियमन किया जा सकता है। यह जमीन एक हजार

(राजस्व मंत्री)

गज से ज्यादा है तो तहसीलदार राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत इस प्रकार रेगुलेराइजेशन नहीं कर सकता। एक पाइन्ट यह है। दूसरा पाइन्ट है, रेल्वे स्टेशन के कितनी नजदीक है। यह आदेश है कि रेल्वे स्टेशन से सौ गज के अन्दर रेगुलेराइजेशन नहीं होना चाहिए। यह फेक्ट भी सामने आया है कि सौ गज के भीतर दुकान आ रही है तो वह नियमन आदेश के तहत नियमन नहीं हो सकता। इसलिए जांच कराई जा रही है। इसमें एग्रीव्ड पार्टी ग्राम पंचायत थी. वह अपील में गई. जिलाधीश के पास अपील की। यह एक सेमी-जुडिशियल मेटर है। कलेक्टर ने अपील इस बिना पर खारिज कर दी कि पंचायत नेसेसरी पार्टी नहीं है। यह ध्यान में आया कि एवहनीशियो आदेश पास नहीं कर दिये हैं, इसलिए आदेश दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरमल मोर !

सीकर जिले की जलप्रदाय योजना

213. **श्री सांवरमल मोर** (श्री माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में किन-किन ग्रामों की जलप्रदाय योजनाओं का कार्य चल रहा है ? राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि इन योजनाओं पर खर्च की जा चुकी है तथा अब कितनी राशि किस-किस योजना में खर्च करनी बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले में मुंडरू व झाड़ली ग्राम की जलप्रदाय योजनाओं का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इस कार्य को सम्पन्न करने में कितना समय और लगेगा तथा ग्राम वालों को सरकार कब इस योजना से पानी देना शुरू कर देगी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) सीकर जिले में निर्माणाधीन जल प्रदाय योजनाओं की सूची मय अब तक किये गये खर्च व अब अतिरिक्त आवश्यक खर्च के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। ग्राम मुंडरू में पम्प द्वारा सीधा जल सवा साल से दिया जा रहा है। ग्राम झाड़ली में अगस्त, 74 तक कार्य पूरा करने की आशा है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री सांवरमल मोर : अध्यक्ष महोदय, मुंडरू में 92 हजार रुपया खर्च करना बाकी है, यह काम कब तक पूरा हो जायगा ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं अर्ज कर दूं कि मुंडरू में सीधा जल सप्लाई किया जा रहा है। टंकी बन रही है, टंकी बन जाने पर इस टंकी के मार्फत जल सप्लाई करना शुरू कर दिया जायगा। झाड़ली के लिए स्थिति यह है कि सारा काम समाप्त हो गया है लेकिन कुओं में पानी नहीं होने के कारण पानी नहीं दे पा रहे हैं। कुओं में ब्लास्टिंग से गहरा करने का कार्य हो रहा है। ब्लास्टिंग और बोरिंग का काम, उम्मीद है, इस साल 1974 के अंत तक पूरा हो जायगा।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : बिना पानी के योजना कैसे हाथ में ले ली गई ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बताने का कष्ट करें कि सीकर में लोसल पंचायत जल-प्रदाय योजना एक साल पहले स्वीकृत हो चुकी है। एक लाख का सामान वहां पड़ा हुआ है, उसको सम्भालने के लिए एक चौकीदार वहां पर बैठा हुआ है। आपने आज तक जलप्रदाय योजना वहां पर प्रारम्भ नहीं की है।

श्री चन्दनमल बैद : लोसल की स्थिति यह है कि 1 लाख 30 हजार खर्च हुआ है. इस वास्ते 1 लाख 30 हजार में से 2 लाख खर्च नहीं हो सकता....

श्री भानुकुमार शास्त्री : दो लाख नहीं एक लाख कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं माफी चाहता हूं, अगर 1 लाख कहा है। इस पर पांच लाख और खर्च करना है। इसकी प्रोग्रेस के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, इसलिए प्रोग्रेस के बारे में स्पेसिफिक अर्ज नहीं कर सकता, जांच करके, व्यक्तिगत रूप से जानकारी करके लिख कर आपको प्रोग्रेस बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सवाल ही नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सवाल है, सीकर जिले में किन-किन ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य चल रहा है। आगे का दूसरा पार्ट है, यह फर्स्ट पार्ट है। इसके अन्तर्गत 1 लाख 30 हजार रुपये खर्च कर दिये, चौकीदार वहां सम्भालने के लिए बैठा है। यह राज्य सरकार की योजना है लेकिन एक गोपालसिंह पूंजीपति जल-सप्लाई के काम को चला रहा है, वह हरिजनों को पानी देता नहीं है और मनमाना चार्ज करता है और राज्य सरकार ने उसको छूट दे रखी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सेठ से सम्बन्ध के कारण दो वर्ष से सामान वहां पड़ा हुआ है लेकिन प्रगति नहीं हो रही है। वह हरिजनों को पानी नहीं देता है।

श्री सांवरमल मोर : गोपालसिंह तो जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : किसी से लड़े हों....

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : फिर भी वह हरिजनों को पानी नहीं देता है।

श्री सांवरमल मोर : हरिजनों को पानी दे रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : व्यवस्था क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई !

कृषि-उपज मंडी समिति, बिलाड़ा के चुनाव

214. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि-उपज मंडी समिति, बिलाड़ा, जिला जोधपुर के नए सदस्यों का निर्वाचन हो चुका है ? यदि हां, तो नए सदस्यों का निर्वाचन एवं नवगठित कृषि उपज मंडी समिति, बिलाड़ा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कराया गया ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) उपरोक्त चुनाव के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और नहीं की है तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। मंडी समिति, बिलाड़ा के निर्वाचन परिणाम सरकार द्वारा राज-पत्र के नियम 27 के अनुसार प्रकाशित कराने हेतु गवर्नमेंट प्रेस में भेजे जा चुके हैं। राज-पत्र में प्रकाशित होने पर जिलाधीश द्वारा नियम 32 के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु कार्यवाही की जायगी।

(2) सरकार द्वारा राज-पत्र में प्रकाशन कराने हेतु दिनांक 27-12-73 को विज्ञप्ति भेजी जा चुकी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कृषि-उपज मंडी, बिलाड़ा के चुनाव 12-6-73 को हुए थे, 9 महीने पहले चुनाव हुए थे और इसकी मियाद तीन साल होती है। अगर तीन साल तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए तो जो सदस्य चुने गए हैं उनकी तीन साल के बाद क्या स्थिति होगी ?

श्री खेतसिंह : मैं लूनी से आने वाले माननीय सदस्य की वेदना को समझता हूं। हमने खास तौर से यह प्रश्न आने के बाद में मुद्रण विभाग को आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इसका प्रकाशन कर दे क्योंकि नियमानुसार प्रकाशन होने पर ही चुनाव किए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि 15 दिन के अन्दर प्रकाशन हो जायगा और उसके बाद चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): ऐसे भी स्थान हैं जहां चुनाव हो चुके सदस्यों का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह : आप स्पेसीफिक उदाहरण दें।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (पदमपुर) : 1972 में चुनाव हुआ था, जून, 1973 में प्रकाशन हुआ था; आज तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया जा रहा है, क्या कारण है ?

श्री सांवरमल मोर : श्री माधोपुर भी है सीकर में।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो कृषि उपज मंडी है उसके अन्दर 7 आदमियों का चुनाव होता है, पंच, सरपंच इत्यादि। क्या एक व्यक्ति 7 वोट दे सकता है ? क्या आप उसको न्यायोचित समझते हैं ? नहीं तो क्या आप कानून में संशोधन करना आवश्यक समझते हैं ?

श्री खेतसिंह : जो नियम बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर चुनाव होते हैं। आपकी दृष्टि से यदि कोई नियम ठीक नहीं है तो उसको सुधारने के लिए आप कृषि विभाग से सम्पर्क स्थापित करें, विभाग उस पर विचार करके कार्यवाही करेगा।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मेरा प्रश्न था।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या आप टाइम लिमिट फिक्स करेंगे कि इतने समय में गजट में प्रकाशन हो जायगा क्योंकि दौसा में सदस्यों का चुनाव हो गया लेकिन

Page No. 6

6

(श्री मूलचन्द सामरिया)

गजट में प्रकाशन न होने की वजह से काम नहीं कर सके तो एक तरह से जनतांत्रिक प्रणाली के लिए आघात है और सरकार के लिए इतना बड़ा गैप रखना ठीक नहीं है, तो टाइम लिमिट के बारे में क्या सोचते हैं ?

श्री **रामसिंह विश्नोई** : संबंधित मंत्री महोदय के न होने से आपने माकूल जवाब नहीं दिया क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं है। इसलिए कृपया इस प्रश्न को स्थगित किया जाए और भविष्य में जवाब दिया जाए।

श्री खेतसिंह : मैंने इतना माकूल जवाब दिया है कि 15 दिन के अन्दर राज-पत्र में प्रकाशन के बाद चुनाव करा देंगे। दूसरा आपने नियमों के बारे में कहा है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मेरा प्रश्न यह है कि 8-9 महीने पहले जो सदस्यों के चुनाव प्रकाशित हो चुके हैं उस मंडी का अभी तक क्यों नहीं कारोबार संभाला जा सका जैसे पदमपुर ?

श्री खेतसिंह : अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य नियमों का अध्ययन करें और अलग से सवाल पूछें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : देख लें जहां चुनाव हो चुके हैं वहां कारोबार क्यों नहीं संभालते ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री प्रतापसिंह !

जलप्रदाय विभाग, किशनगढ़ में कर्मचारियों के रिक्त पद

215. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ जलप्रदाय विभाग में कर्मचारियों के अनेक स्थान दीर्घकाल से रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने स्थान कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कर्मचारियों की कमी के कारण जलप्रदाय विभाग का कार्य संतोषजनक नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक की जायगी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चंदनमल बैद) :

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यक्ति मिलने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली जाती है।

(कृपया परिशिष्ट—2 देखिये)

श्री प्रतापसिंह : आपकी जो सूची है, उनमें 9 कर्मचारियों के नाम हैं, उसके अनुपात में 50 प्रतिशत अगर स्थान रिक्त हों और कहा जाय कि वहां कार्य सुचारु-रूप से चल रहा है, तो कहां तक ठीक है ? आपकी व्यवस्था बिल्कुल असंतोषजनक है और अब तक वहां जल उपलब्धि होते हुए भी जल वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप स्टाफ की ओर जो तकनीकी कमियां हैं उनको सुधार कर जल व्यवस्था को ठीक करें तो जनता लाभान्वित होगी और मैं आभारी होऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : वहां 29 पोस्ट्स हैं उनमें से 9 खाली हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं....

श्री प्रतापसिंह : गलत सूचना है कि सुचारु रूप से काम चल रहा है।

Page No. 7

(7)

श्री चन्दनमल बैद : आप 50 प्रतिशत कह रहे हैं। 9 पद खाली होने का कारण यह है कि 5 पद प्रोमोशन के हैं और डिविजन टू डिविजन प्रोमोशन होता है, छोटे कर्मचारी हैं जैसे मिस्त्री, सैकन्ड ग्रेड पम्प चालक; थर्ड ग्रेड फिटर उनके प्रोमोशन्स वहां के लोगों में से ही किए जाते हैं; चूंकि वहां प्रोमोशन की पद्धति के अनुसार 5 साल का अनुभव होना चाहिए, वह नहीं हुआ है, होने वाला है, किसी में 4 महीने कम हैं, किसी में 3 महीने। उनको डिसएडवांटेज न हो इसलिए थोड़ा सा हम लेट कर रहे हैं और 29 आदमियों में से 20 आदमी काम सुचारु रूप से चला रहे हैं, अगर नहीं चला रहे हैं तो दुबारा जांच करा लूंगा और दिक्कत होगी तो बाहर से आदमी भेजेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर; जयपुर): 9 कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई और 20 कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। वाकई किशनगढ़ की जलप्रदाय योजना इतनी गंभीर है इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, वहां की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, वहां नागरिकों के लिए जल समस्या बन गई है, उसको सुधारना चाहिए।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : मन्त्री महोदय का जवाब ठीक नहीं है। जब 29 में से 9 आदमी न हों तो काम कैसे संतोषजनक होगा ? काम को बिगाड़ा जाता है, प्रोमोशन का सवाल है मन्त्री महोदय वहां समय आने पर प्रमोशन कर देंगे लेकिन भर्ती तो करनी चाहिए; 9 जगहों के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : 9 स्थान यदि खाली हैं तो आपके नियमों के अंतर्गत जो व्यवस्था हो उसके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी चाहिए। अगर 29 में से 9 स्थान रिक्त हैं तो अधिक हैं। यह प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न है और मेरे खयाल से मेरे दल के जो माननीय सदस्य हैं–प्रश्नकर्त्ता हैं, उनकी यह आपत्ति कि यदि रिक्त स्थानों को रिक्त रहने दिया जाएगा तो जल वितरण व्यवस्था सुचारु ढंग से नहीं हो सकेगी, उसके साथ मेरी सहानुभूति है। क्या मन्त्री महोदय तत्काल नियमों के अन्तर्गत रिक्त स्थानों को भरेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : नियमानुसार रिक्त स्थानों को भरने की तुरंत कार्यवाही की जायगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : नियमानुसार लोकल लोगों को ही भर्ती करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

राज्य में खाद की खपत

216. श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में खाद की कुल कितनी खपत है ? जिलावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) खपत के अनुसार राज्य सरकार के पास खाद प्राप्त करने के कौन २ से स्रोत हैं ? और केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1970 से चालू वर्ष में कितना खाद मंगाया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No. 8

(8)

(श्री केदारनाथ)

(3) राज्य में खाद बनाने के कुल कितने कारखाने हैं ? और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ? विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) राज्य में वर्ष 1973-74 में 85950 नत्रजनीय मैट्रिक टन, 18000 फास्फेटिक व 6500 मैट्रिक टन पोटाशिक खाद की अनुमानित खपत निर्धारित की गयी थी। जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) खाद प्राप्त करने के निम्नलिखित स्रोत हैं:—

(क) केन्द्रीय पूल से,

(ख) श्रीराम केमिकल्स इन्डस्ट्रीज, कोटा,

(ग) फर्टीलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नांगल,

(घ) गुजरात स्टेट फर्टीलाईजर कं०; बड़ोदा;

(ङ) इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड; कानपुर,

(च) हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड; उदयपुर,

(छ) धर्मसी मोरारजी केमिकल्स, बम्बई।

केन्द्रीय सरकार (पूल) से वर्ष 1970 से जो खाद प्राप्त हुई उसकी वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) राज्य में खाद बनाने के कुल दो कारखाने हैं उनकी क्षमता सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट—3 देखिये)

श्री केदारनाथ : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से कितने फर्टीलाईजर की 73-74 में डिमाण्ड की थी और उसको कितना मिला ?

श्री खेतसिंह : आपने क्या पूछा केन्द्रीय पूल से कितनी डिमाण्ड की या कितनी खाद पूल मिली। जो मिली है वह तो आपको बता दी गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : आप कह दीजिये कि अलग से प्रश्न है।

श्री केदारनाथ : अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से पूछ लूं ?

श्री खेतसिंह : इसमें रॉकफास्फेट 17550 टन, फास्फेट 4000 टन और पोटाश 2000 टन और 73-74 में रॉकफास्फेट 68400 टन व फास्फेट 14000 टन तथा पोटाश 4500 टन।

श्री केदारनाथ : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो इन चीजों की डिमाण्ड भेजी, वह समय पर केन्द्रीय सरकार के पास नहीं पहुँच सकी इस कारण राजस्थान सरकार को यह फर्टीलाईजर पूरी मात्रा में नहीं मिल सका ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। मेरे पास में विभाग से

Page No. 9

9

(श्री खेतसिंह)

जो सूचना आयी है उसके अनुसार तत्कालीन मन्त्री, कृषि विभाग ने और भूतपूर्व कृषि मन्त्री, जो कि अभी राजस्व मन्त्री हैं इस बारे में हर साल कोशिश की थी और इसके लिए अभी जो कृषि मन्त्री हैं, उन्होंने श्री फखरूद्दीन अली अहमद जो कि केन्द्रीय कृषि मन्त्री हैं उनको कई पत्र भी लिखे तथा उनसे जाकर पर्सनली मिले भी थे और सेन्टर से ज्यादा से ज्यादा फर्टीलाईजर लाने की कोशिश की गयी।

श्री केदारनाथ : क्या जो टारगेट हमारे लिये सेंटर से खाद मिलने के लिये तय हुआ, वह हमें मिल गया ?

श्री खेतसिंह : नहीं मिला। टारगेट पूरा नहीं हुआ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय मैं भी मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जितना टारगेट केन्द्रीय पूल से हमें खाद मिलने का था वह हमें क्यों नहीं मिला ? इसका कारण भी बताने का कष्ट करें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में हिन्दुस्तान जिन्क में जो रॉक फास्फेट बनता है उसमें सुपरफास्फेट मिक्स करने से उसकी मार्केट में क्या उपयोगिता है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो चक्कर में डालने वाली बात कर रहे हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order please One at a time.

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा ही है कि आपने केन्द्रीय सरकार से जितना फर्टीलाईजर मांगा उसमें आपको कितना मिला ? और वह कम क्यों मिला ?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मन्त्री महोदय से मेरा यह है कि राजस्थान में फर्टीलाईजर के लिये दो कारखाने हैं उसकी प्रोडक्ट को कौन कन्ट्रोल करता है आपने जो मुझे सूची दी उसके अनुसार श्री श्रीराम फर्टीलाईजर, कोटा से जो खाद बनती है, उसमें हरियाना को प्रोडक्शन का एक-तिहाई मिलता है, एक-तिहाई पन्जाब को मिलता है और एक-तिहाई राजस्थान को मिलता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन किसके आदेश से होता है, कौन कन्ट्रोल करता है ?

श्री खेतसिंह : इसका कन्ट्रोल तो केन्द्रीय सरकार करती है और केन्द्रीय पूल से खाद जितनी मात्रा में तय होती है, उतनी सभी स्टेट्स को मिलती है। इसका कन्ट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। और वही वितरण करती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है वह यह है कि जो खाद हमें केन्द्रीय पूल से मिलती है वह श्री श्रीराम फर्टीलाईजर्स के एजैन्ट्स से मिलती है और जो एजैन्ट्स हैं वह इसमें काफी धान्धली करते हैं इसलिये इसको ऐसा क्यों नहीं कर लिया जाय कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले जो प्राईवेट एजैन्ट्स उनके हैं उनके थ्रू इस खाद का नहीं हो तो ठीक रहे। वरना तो उनके प्राइवेट एजैन्ट्स हैं उनके नाम के परमिट वगैरह बी० डी० ओ० पंचायत

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

समितियों के द्वारा काटे जाते हैं परन्तु इसके बावजूद भी एजेन्ट्स लोग कृत्रिम कमी बना कर उसका ब्लैक करते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि वह जो भी कोटा हमें एलॉट होता है उसको लेकर अपने एरिया में अपने एजेन्ट्स मुकर्रर करके उन्हीं के थ्रू अगर डिस्ट्रिब्यूशन उस फर्टीलाईजर का करावें तो ठीक रहेगा, क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वितरण सारा भारत सरकार द्वारा किया जाता है उसके अनुसार नियमों में हमें कितना मिलना चाहिये उतना ही मिलता है। नियमों में ऐसा प्रावधान है कि 60 पर्सेन्ट तो वह अपने प्राईवेट एजेन्ट्स के थ्रू हमारे यहां बिकवायेगी, 40 पर्सेन्ट सहकारी समितियों के मार्फत डिस्ट्रिब्यूशन मार्केट में करावेगी।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा कहना है कि उस 60 पर्सेन्ट को राज्य सरकार अपने एजेन्ट्स द्वारा डिस्ट्रिब्यूशन करा रही है क्या ?

एक माननीय सदस्य : उस 60 पर्सेन्ट को कौन कन्ट्रोल करता है ?

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि क्या कारण है कि हम जो फर्टीलाईजर प्रोड्यूस करते हैं वह दूसरे प्रान्तों को बांट दिया जाता है और जो हमें मिलना चाहिये वह कोटा हमें नहीं मिलता ? यह डिस्ट्रिब्यूशन दूसरे स्टेट्स में करके हमें बहुत कम मिलता है, इस गेप को मीट करने के लिये इस डिसक्रिपेन्सी को मीट करने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? और अगर नहीं कर रही है तो क्यों ? इसके लिये आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन सभी के प्रश्न पूछने से मेरे प्रश्न की कड़ी हो जायेगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा रहेगा कि इस प्रश्न का जवाब भूतपूर्व कृषि मन्त्रीजी दें तो ठीक रहेगा नहीं तो इन मन्त्री महोदय की शैक्षणिक शक्ति क्षीण हो जायेगी।

श्री जीथिग : अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आज जो फर्टीलाईजर प्राईवेट एजेन्ट्स के मार्फत वितरण हो रहा है उसमें काश्तकारों को बहुत दिक्कत हो रही है। प्राइवेट एजेन्ट्स लोग इसका बाजार में ब्लैक मार्केट कर रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि आज जो खाद बाजार में ब्लैक मे प्राइवेट एजेन्ट्स के द्वारा बेचा जा रहा है उसके लिये आपने क्या कार्यवाही की ? क्या आपके नॉलेज में ऐसा कोई केस आया ? नॉलेज में आने पर आपने उसको क्या दन्ड दिया यह बताने की कृपा करें ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अगर इस तरह सवाल पर सवाल करते गये तो यह गड्ढे में पड़ जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए मन्त्री महोदय मूड में नहीं हैं क्या ?

श्री जोरिंग : अध्यक्ष महोदय, सारी की सारी खाद आज सरेआम बाजार में ब्लैक बिक रही है और काश्तकार ऊंची कीमत देकर ब्लैक में खरीद कर ले जा रहा है या खाद दूसरों को मिल रही है, बाहर जा रही है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था।

श्री हरिसिंह (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि वह पोलिसी मेटर है उसका जवाब दिया जाना चाहिये। आज राजस्थान के अन्दर उदयपुर में रॉक फास्फेट बनाया जाता है उसमें सुपरफास्फेट को मिक्स करने से उसकी क्या उपयोगिता है। इसका जो बाई प्रोडक्ट रह जाता है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और वह बेकार जाता है। करीब 16 पर्सेन्ट रहता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आबेसीलीट रॉकफास्फेट से डबल एमोनिया पैदा किया जा सकता है और वह ज्यादा काम आ सकता है और उसकी डिमान्ड भी बहुत होगी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा प्रश्न हो गये हैं। क्या मुझे एक-एक का जवाब देना पड़ेगा क्या ?

श्री हरिसिंह (बेगूं) : यह तो मेरा जो सवाल है, वह नीति का प्रश्न है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह जांच करेंगे कि खाद यूरिया काश्तकारों को मिल सके और ब्लेक में न जाय उसके लिये कदम उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : हमारे यहां पैदा हुआ खाद बाहर दूसरी स्टेट्स को जाता है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : सेन्ट्रल पूल से नाइट्रोजन मिलता है वह कितना कम रहा पिछले वर्ष और उसको पूरा करने के लिये जो टारगेट बना रहे हैं उसको पूरा करने की क्या गारंटी देंगे ?

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो एक सप्लीमेन्ट्री मैं पूछ लूं। यह प्रश्न आज की खपत के सिलसिले में है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि राजस्थान भर में खाद की खपत क्या है ? यदि मंत्री महोदय इस ओर प्रकाश डालेंगे तो आभारी होऊंगा। खाद की खपत जो कुछ है उसको आप पर्याप्त रूप से प्राप्त करते हैं या अपर्याप्त रूप से ? जो कुछ भी माननीय मंत्री महोदय के पास आंकड़े हों वे रख दें तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री जगमोहन सिंह : खाद की बड़ी हमारे यहां समस्या है तो क्या सरकार डी. सी. एम. के खाद कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्राइवेट फैक्ट्रियों का आधार क्या है उसके लिये निवेदन करना यह है

(श्री खेतसिंह)

कि केन्द्र के द्वारा सारी नीति निर्धारित है। प्राइवेट फैक्टरियों से कोटा लेकर जितनी जहां डिमाण्ड होती है उनके पास, जितना खाद होता है उसको वे वितरित करते हैं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट फैक्ट्रीज लगाते हैं तो लाइसेन्स में क्लाज होता है कि 60 पर्सेन्ट खाद अपने डीलर्स के मार्फत मार्केट में उनको देने का अधिकार होता है। श्रीराम खाद कारखाने के लिये भी यही बात है कि 60 पर्सेन्ट वह अपने एजेन्ट्स के जरिये से सप्लाई करते हैं। यदि कहीं इसमें कोई गड़बड़ है तो फर्टीलाइजर कन्ट्रोल आॅर्डर के नीचे कार्यवाही की जा सकती है। कोई उदाहरण आप पेश करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सेन्ट पर्सेन्ट फ्री सेल की इजाजत देते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठिये। उनको सुन लीजिये।

श्री खेतसिंह : पदमपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कमी क्यों है इम्पोर्ट कम हुआ इसलिये कमी हुई। जब चीज कम होती है तो जैसा आपने कहा ब्लेक मार्केट की गुन्जाइश बन जाती है।

तीसरा मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं बोला ही नहीं हूं, प्रश्न ही नहीं पूछा है।

मैंने तो यह कहा था कि भूतपूर्व कृषि मंत्रीजी इसका उत्तर दे दें। प्रश्न तो पूछा ही नहीं मैंने।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शैक्षणिक योग्यता का पूछा था आपने।

श्री खेतसिंह : शैक्षणिक योग्यता एम. ए., एल. एल. बी. हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा मतलब शिक्षा विभाग से था। कृषि विभाग से नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला !

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 217।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : No Supplementary please.

श्री हरिसिंह (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Please sit down. I have closed it.

श्री श्रीराम गोटेवाला ?

जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर पर रायल्टी एवं डेडरेन्ट की बकाया राशि

217. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार) **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) :

क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर पर लाइम स्टोन की रायल्टी एवं डेड रेन्ट की कितनी राशि कब से बकाया है ?

Page No. 13

(13)

(श्री श्रीराम गोटेवाला एवं श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) उक्त बकाया रकम को वसूल करने के लिये राज्य सरकार ने उक्त उद्योग को कब नोटिस दिये ?

(3) बकाया राशि समय पर जमा न कराने के लिये नियमों में क्या दण्ड है ?

(4) उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) सर्वश्री जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर पर लाइम स्टोन के ठेके की प्रोविजनल माह जनवरी, 1974 व फरवरी, 74 की बकाया राशि रुपया 1,43,627.25 है। इसके पूर्व की बकाया पर अभी रॉयल्टी निर्धारित अधिकारी ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(2) बकाया रॉयल्टी जमा कराने की बाबत पार्टी को दिनांक 16-2-74 को नोटिस दिया गया।

(3) बकाया राशि समय पर जमा न कराने पर 60 दिवसीय लीगल नोटिस दिया जाकर पालना न करने पर शास्ती आरोपित करने का प्रावधान प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 27 (5) तथा संविदा के भाग 9 के अनुभाग 2 में है।

(4) बकाया की वसूली अन्डर लैंड रेवेन्यू एक्ट करने की कार्यवाही की जाने वाली है मगर पार्टी ने बकाया रकम मार्च, 74 के अन्त तक जमा कराने के लिये पत्र संख्या 19213, दिनांक 21-2-74 को सूचना दी है। इसलिये रकम जमा न होने पर अन्डर लैंड रेवेन्यू एक्ट कार्यवाही वसूली की जावेगी।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है उसमें मैंने जनवरी, 1974 की बकाया के लिये नहीं पूछा है परन्तु मैंने यह पूछा है कि जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर में रॉयल्टी और डेडरेन्ट की राशि कितनी और कब से बकाया है। पहले की बकाया के लिये पूछ रहा हूँ कि कितना असेसमेन्ट हुआ ?

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : कांग्रेस के चन्दे में कितना एडजस्ट हो गया है यह भी बता दें ?

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : मैं जनसंघ के माननीय नेता से कहूंगा कि प्रश्न को प्रश्न ही रहने दें। सेठों से चन्दा आपको मिलता है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इसको डाइवर्ट न होने दें।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : आप अपने स्वार्थ में मत घसोटिये....

श्री **दीपंकर** (लाडनूं) : एक प्रश्न इसके साथ ही मैं भी पूछ लूं। यह बकाया क्यों रही ? पुरानी बकाया का असेसमेन्ट क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री **जुझारसिंह** : यह प्रश्न कई बार विधान सभा में आया है।

श्री **अध्यक्ष** : (कुछ माननीय सदस्यों के आपसी वार्त्तालाप पर) ऑर्डर प्लीज !

श्री **जुझारसिंह** : इस प्रश्न का बेक, ग्राउन्ड देना चाहूंगा; अध्यक्ष महोदय।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : पूरा बेक-ग्राउन्ड दे दीजियेगा।

श्री जुझारसिंह : सन् 1968 तक जो रॉयल्टी की रेट थी लो ग्रेड और हाइ ग्रेड स्टोन की वह 45 पैसे और 75 पैसे थी। 1968 के बाद यह रिवाइज होकर लो ग्रेड की जो रेट 45 पैसे थी उसको 75 पैसे कर दिया और हाईग्रेड की 75 पैसे थी उसको 1.25 पैसे कर दिया। 1970 में दो वर्ष के बाद भारत सरकार ने इसको और बढाया और लो और हाई ग्रेड की एक ही रेट 1.25 पैसे कर दिया। इसको लेकर पार्टीज ने हाई कोर्ट में रिट की और इस बात पर की कि एक बार रेट बढाने के बाद चार वर्ष तक रिवाइज करने का प्रश्न नहीं उठता। डिसिजन पार्टी के फेवर में हो गया। सरकार को रेट बढ़ाने का अधिकार है इस लिये बढ़ी हुई रेट से असेसमेन्ट हुआ। हाई ग्रेड का 1.25 पैसे और लो ग्रेड का 75 पैसे। यह प्रश्न बार-बार आता है कि गवर्नमेन्ट की कितनी बकाया है। इस पार्टी ने 75 पैसे पर टन के हिसाब से सारी बकाया जमा करा दी। पिछले साल हमने जानकारी की कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी माल प्रोड्यूस कर रहा है वह लो ग्रेड का ही हो। कितना हाई ग्रेड का और कितना लो ग्रेड का है इसको असेस करके हाई ग्रेड पर जो रेट बनती है उसके अनुसार असेस किया जाय। जो रिकार्ड उपलब्ध हुआ है उससे टोटल प्रोड्यूस का 9 पर्सेन्ट हाई ग्रेड का निकला है। लच्छीपुरा और एक तीसरी माइन और है उसमें जो सुपीरियर ग्रेड थी वह 80 प्रतिशत थी इसलिये दोनों के अनुपात में उस रेट को रिवाइज करके नोटिस दिया। प्रोविजनल असेसमेन्ट किया है उसके ऊपर पार्टी को जवाब देना है। जो उनका रिकार्ड है उसको देखने के बाद में कितनी बकाया बनती है यह देखा जायगा। जो प्रोविजनल असेसमेन्ट हमने किया है उसके अनुसार चार लाख से अधिक की बकाया बनती है। यह फार्मूला हमारे विभाग के माइनिंग इन्जीनियर ने जाकर किया है। 1972 के बाद में इससे ज्यादा परसेन्टेज हाई ग्रेड का नहीं आ रहा है। जितना आ रहा है उतना ही एस्टीमेट किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पार्टीज का जवाब कौनसी तारीख का है? आपने फरमाया 70 में स्टे आया। पर 68 वाले के बारे में आपने फरमाया कि कोई बात नहीं थी। उसका एम. ई. लो ग्रेड मानकर असेसमेन्ट करते थे। अब जब आपने उनको फाइनल असेसमेन्ट भेज दिया तो उसमें देर क्यों हो रही है। उसको डिले क्यों किया जा रहा है। आपने फाइनल असेसमेन्ट कौनसी तारीख को किया?

श्री जुझारसिंह : 1968 के बाद में जब से दो दरें लागू की गईं उसके बाद का ही मामला है। जब तक एक दर थी तब-तक कोई झगड़ा नहीं था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 14 लाख का था वहाँ, चार लाख का कैसे हुआ?

श्री जुझारसिंह : 14 लाख का सभी को हाई ग्रेड का मान कर करने से हुआ पर जब हमारे जिओलोजिस्टों ने सेम्पल ड्रा किये और उस आधार पर रेशो निकाला तो 8/9 पर्सेन्ट ही हाई ग्रेड का आता है ऐसा मालूम हुआ। और उसी के आधार पर 14 लाख की डिमांड को रिवाइज जब किया गया तो चार लाख 65 हजार तै किया?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह चार लाख 65 हजार कौनसी तारीख को असेस किया गया ?

श्री जुझारसिंह 1973 में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 1973 में कौनसा महीना कौनसी तारीख ? 1973 तो जनवरी भी हो सकता है, दिसम्बर भी हो सकता है।

श्री जुझारसिंह : 18-1-67 से 72 तक का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो असेसमेन्ट है उसमें पेनल्टी भी लगाई या नहीं ? 1968 से 1970 तक कोई दर का झगड़ा नहीं था और उसी के आधार पर असेसमेन्ट किया गया और वह भी उस पार्टी ने जब नहीं चुकाया तो फिर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई गई, नियमों के अन्तर्गत ? या लगाई तो क्या वह इसमें शामिल है और शामिल है तो कितनी है ?

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : इस चार लाख 65 हजार में 1/43 हजार शामिल है या अलग है ?

श्री जुझारसिंह : यह अलग है। चार लाख 65 हजार तो डिफरेन्स ऑफ रेट का है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी तारीख बताने में क्या परेशानी है ? किस तारीख को हुआ, नहीं तारीख हो तो वैसा बता दीजिये।

श्री जुझारसिंह : जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, वह 28-8-73 को भेजी है !

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसके बाद में यह रकम पार्टी को कितने दिनों में जमा करा देनी चाहिये थी ? फिर रामानन्दजी ने जैसा पूछा पेनल्टी भी इसमें इम्प्लाइड है। वह आपने लगाई ?

श्री जुझारसिंह : पेनल्टी शामिल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1968 तक जब रेट में कोई डिस्प्यूट नहीं था और बाद में हाई क्वालिटी को भी लो क्वालिटी में दर्ज कराया। इसका मतलब यह हुआ कि उसने रॉयल्टी की चोरी की और चोरी जब पकड़ी गई तो पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिये थी ? वह क्यों नहीं की गई ?

श्री जुझारसिंह : इस बात का तो डिस्प्यूट है। वे यह कह रहे हैं कि हमने लो ग्रेड ही यूज किया है, वह निकाला ही नहीं इसके लिये वे फैक्ट्री से जो रिफ्यूज निकलता है वह पेश किया। हमारा कहना यह है कि पिट्स माउथ पर जो माल निकला है उसमें 9 पर्सेन्ट हाई ग्रेड भी आपने निकाला है यह साबित होता है। अब हमारे पास डे टु डे का रिकार्ड तो उपलब्ध नहीं है। दो चार बार सेम्पल टेस्ट किये गये उसके आधार पर हमने 9 पर्सेन्ट का रेशो निकाला। और उसी के आधार पर डिमाण्ड बनाई है। इस पर उनका जवाब क्या आता है वह हम देख रहे हैं। इसके बाद में मेटर फाइनल हो जावेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वे जवाब ही क्यों देंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आपने एस्टेब्लिश कर लिया तो फिर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई। सामान्य रेट ही क्यों क्लेम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर रहे हैं। उसने चोरी की है और दो वर्ष तक हाई रेट देनी थी, वह नहीं दी। आप उसके साथ रियायत क्यों बरत रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : रियायत का प्रश्न नहीं है। गवर्नमेन्ट के लेवल से ही यह प्रश्न उठाया गया है। मैंने मूव किया था। अब केवल उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : और भी प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : मैं कोशिश करूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने अपील सुप्रीम कोर्ट में की ? 14 लाख की जगह 10 लाख की छूट उसे मिल गई। इससे सरकार को काफी नुकसान हुआ है। इसके खिलाफ क्या आपने अपील की ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि ये रेटें हम फिक्स नहीं करते। भारत सरकार करती है मेजर मिनरल में। रेट्स को रिवाइज करना चार साल से पहले गलत था यह तर्क पार्टी ने लिया। तो इस सूरत में रिडक्शन का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब तो वह चार साल भी हो गया। रेट्स रिवाइज होंगी ?

श्री जुझारसिंह : इस पर भारत सरकार निर्णय देती है। हमने हाफ ए डजन टाइम्स रिमाइण्डर कर दिया है कि रेट्स रिवाइज करने की कृपा करें।

अब जैसा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सुपीरियर ग्रेड की रायल्टी 1.25 पैसा रखी थी। उसमें हमारे टैस्ट रिपोर्ट के अनुसार 9 पर्सेन्ट सुपीरीयर ग्रेड निकलना ही सिद्ध हुआ इसलिये रकम घट गई। रेमिसन का सवाल नहीं है। 14 लाख जो था वह सारे उत्पादन को हाई ग्रेड का समझ कर केलकुलेट की गई रायल्टी की रकम थी जिसे 9 पर्सेन्ट से करने पर चार लाख 65 हजार ही बना।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह !

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के निर्णय पर अपील क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत तहसील, पदमपुर में पक्के खालों के बनाने में हुई अनियमितताओं की जांच

218. **श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर)**: क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत तहसील पदमपुर में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर की देखरेख में पक्के खाले वर्ष 1972-73 व 1973-74 में बनाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खालों पर प्रति मुरब्बा (275 फुट) पर 3843 रुपये का खर्चा हुआ बतलाया गया है ?

(3) क्या यह सच है कि प्रति मुरब्बा 15 हजार ईंट जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति हजार है, जिस पर कैरिज आदि का खर्चा डालकर 100 रु. प्रति हजार साइट पर

Page No. 17

(17)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

चक्के के रूप में लगा दी जाती है और जिसकी कीमत 1500 रुपये होती है, 50 थैले सीमेन्ट जिसकी कीमत मय कैरिज कुल 675 रुपये होती है, तीन मिस्त्री जो कुल तीस रुपये रोज लेते हैं, 12 मजदूर जो कुल 48 रुपये रोज लेते हैं, एक मुरब्बे का खाला तीन दिन में पूरा कर देते हैं, इस प्रकार कुल खर्चा 2409 रुपये होता है ? क्या खाले की कुटाई और सीमेन्ट के लिए रेता किसान स्वयं लाते हैं और मौके की रसीदें विकास अधिकारी अपने स्टाफ से गलत बनवा रहे हैं ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

विकास मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) प्रति मुरब्बा (225 फुट) पर औसत व्यय 3810 रुपया हुआ है।

(3) जी नहीं, प्रति मुरब्बा पर निम्न प्रकार व्यय बताया गया है :—

15600 ईंट की कीमत (80 रु० प्रति हजार)	1248 रु०
52 थैले सीमेन्ट मय ढुलाई पर व्यय	754 रु०
मिस्त्री व मजदूरों पर व्यय	1326 रु०

खाले की चिनाई से पूर्व घुटाई का कार्य काश्तकार नहीं करते हैं। काश्तकार खाले की चिनाई के बाद मिट्टी स्वयं चढ़ाते हैं तथा सीमेन्ट के लिए रेत की ढुलाई काश्तकार करते हैं। लेकिन रेत की ढुलाई गाड़े व ट्रैक्टर में लदाई आदि का कार्य मजदूरों द्वारा करवाया गया है। काश्तकारों द्वारा किये गये कार्य की कोई रसीद पंचायत समिति के स्टाफ द्वारा नहीं बनाई गई है।

(4) कोई अनियमित कार्यवाही न होने से जांच करवाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैंने जो फिगर्स दिये हैं उनके लिए मैं आज भी चैलेन्ज करता हूं। फिगर्स में कोई गलती नहीं आ सकती। क्या सरकार किसी भी विकास अधिकारी द्वारा कराये कार्य को लेकर जांच करायेगी और उसमें पहले उस विकास अधिकारी को किसी दूसरे स्थान पर भेज देगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य को मेरे खयाल से मुगालता हो सकता है, उन्होंने प्रति मुरब्बा 275 फुट का माना है जबकि विभाग ने 225 फुट का मानकर खर्च का हिसाब दिया है। आपने अपने हिसाब से जो आंकड़े इसमें जोड़े हैं विभाग ने टेक्निकल दृष्टी से आंकड़े जोड़कर दिये हैं। उसके आधार पर जो सूचना दी है उससे मुझे महसूस होता है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है इसलिए जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : जितनी मुरब्बे की जानकारी मुझे है उतनी कोई नहीं रखता होगा इसलिए मैंने जो आंकड़े दिये हैं वह ठीक दिये हैं। अगर प्रकाशन में गलती हुई है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 275 फुट का मुरब्बा होता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस समय 40 रुपये हजार ईंट कहीं नहीं मिल रही हैं।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : गलत प्रिन्ट हुआ है। इसमें 40 लिखा है जबकि मैंने 8 रुपया लिखकर भेजा है। गलत प्रिन्ट हुआ है। मैं अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैंने लिखा है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी जाच करायें। विकास अधिकारी की निगरानी में सारे कार्य हुए हैं। आप जांच करा लीजिए किसी भी एक गांव के कार्य को ले लें। वहां पर मौके पर किसी अधिकारी को भेज दें यदि इसमें एक लाख रुपये का गबन नहीं पाया जाये तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं रिजाइन कर दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह कुछ आधार पर निर्भर करता है। उन्होंने 40 रुपया प्रति हजार के भाव से ईंटों की कीमत आंकी है जबकि विभाग ने कहा है कि 80 रुपये प्रति हजार है। तो मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य स्वयं इस बात को सोचें कि गंगानगर जैसे क्षेत्र में जहां इतनी महंगाई है। यह भाव कैसे हो सकता है।

श्री रामकिशन : 80 रुपये की तो खुद ही कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि प्रश्न में 80 ही लिख कर भेजा था।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं 40 लिखे हैं।

श्री रामकिशन : वह तो कह रहे हैं कि मिसप्रिन्ट है। 80 ही लिखा था ओरीजिनल क्वेश्चन में।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : मेरा प्रश्न है कि 15 हजार ईंटें जब मुरब्बे में लगाई हैं और मैंने लिखा है कि 80 रुपये और 20 रुपये कैरिज के इस तरह से 100 रु० और 1500 रुपया आगे जोड़ा हुआ है। और 1500 लिखा है तो इससे समझ लें कि वह 80 रुपया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दें, मिसप्रिन्ट हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने काफी विस्तृत जानकारी दी है और जो जानकारी मैंने दी है और जो मुझे उपलब्ध हुई है उसके आधार पर कहा गया है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है इसलिए जांच की आवश्यकता नहीं है लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने बड़े दावे के साथ कहा है और कहा है कि मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा तो मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि माननीय सदस्य की उपस्थिति में सारे प्रकरण की जांच टैक्निकल विभाग से कराई जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वैरी रीजनेबल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह शिक्षा, वित्त मन्त्रीजी को भी दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा !

ग्राम दांतील की जलप्रदाय योजना

219. श्री **सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपुतली) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपुतली तहसील के दांतील ग्राम की जलप्रदाय

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

योजना के लिए जन सहयोग की राशि जमा हो चुकी है तथा इस योजना का सर्वे भी हो चुका है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना खर्चा होगा।

(2) क्या सरकार उपरोक्त योजना का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू करने का विचार रखती है ?

जन स्वास्थ्य-मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां, ग्राम दांतील के जन-सहयोग के 2500 रु० जमा हो चुके हैं। इस ग्राम की जलप्रदाय योजना का सर्वेक्षण किया जा चुका है व योजना की अनुमानित लागत 2,22,500 रु० है।

(2) अभी जन सहयोग की जो धन-राशि है वह पूरी जमा नहीं कराई है तथा जो बाकी जन सहयोग की धनराशि है उसके जमा कराने पर विचार किया जायेगा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : जन सहयोग की राशि तो कल ही जमा हो जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : अगले साल धनराशि की उपलब्धि पर विचार करके किया जायेगा।

श्री मीठालाल : जिनकी धनराशि जमा हो गयी है क्या आपने उन स्थानों की स्वीकृति दे दी है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं।

श्री मूलचन्द सामरिया : जब आप स्वीकृति नहीं देते तो फिर रकम लेते क्यों हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बहुत से बिना कहे ही जमा करा देते हैं उसका क्या किया जाये।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप लेते क्यों हैं। उनके पैसे को ब्लॉक करके बैठे रहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप कहें तो जिसके पैसे जमा हैं उनको वापिस लौटा दिया जाये।

श्री मूलचन्द सामरिया : हम तो वापिस नहीं चाहते। हम तो मन्जूर कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-74)

हरिजन कर्मचारियों का बकाया वेतन

24. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की नगरपालिका देशनोक, नोखा, गंगाशहर, भीनासर आदि में हरिजन कर्मचारियों को काफी लम्बे अर्से से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कितने माह का वेतन बकाया है और इसका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार को मांग-पत्र भी दिया गया था ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं। केवल नगरपालिका, देशनोक के हरिजन कर्मचारियों का वेतन चार माह याने माह नवम्बर, 1973 से बकाया है। इस माह मार्च, 1974 में बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा।

(2) जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि आपने प्रश्न के भाग 1 में कहा है'जी नहीं,' मेरा कहना है कि नगरपालिका नोखा, गंगाशहर और भीनासर में भी बाकी है कर्मचारियों का वेतन और आपने कहा है कि सिर्फ देशनोक का बाकी है 4 महीने का क्या आप जांच कराने का इरादा रखते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : जांच कराने का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा है कि मार्च मे भुगतान करा दिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : दे दिया जो कुछ आया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : केवल 4 नगरपालिकाओं का पूछा था और एक का ही दिया है।

श्री अध्यक्ष : चारों का दिया है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गत अकाल के समय विभिन्न संस्थानों को खाद्यान्न वितरण हेतु दिया गया कमीशन

170. **श्री मोठालाल** (लालसोट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में गत अकाल के समय कितना-कितना खाद्यान्न कितने-कितने मूल्य का किस-किस राज्य से किन-किन संस्थाओं या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से मंगाया गया ?

(2) उक्त खाद्यान्न के वितरण हेतु विभिन्न संस्थानों व प्रतिष्ठानों को कितना-कितना कमीशन दिया गया ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

सीकर जिले की कृषि उपज मंडियों का निर्वाचन

171. **श्री भाबरमल सुन्डा** (फतेहपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सीकर जिले में कृषि उपज मंडी समितियों का निर्वाचन कब-कब कराया गया था ? इन समितियों का नाम व निर्वाचन तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित समिति को कार्यभार संभालने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है व कार्यभार साधारणतया कितने समय में मिल जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले की कुछ निर्वाचित समितियों को निर्वाचन

Page No. 21

(21)

(श्री झाबरमल सुन्डा)

तिथि के साल भर बाद तक भी कार्यभार नहीं संभलाया गया ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी समितियां हैं और इन्हें कार्य-भार अब कब तक संभला दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर कृषि उपज मंडी का निर्वाचन हुए काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी कार्यभार नहीं संभलाया गया ? यदि हां, तो अब कब तक कार्यभार संभला दिया जावेगा ?

(5) कार्यभार सम्भलाने में आने वाली प्रकिया सम्बन्धी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है जिससे कि भविष्य में चुनाव होने के तुरन्त बाद कार्यभार संभलाया जा सके एवं निर्वाचित समिति तुरन्त कार्य शुरू कर सके ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचन की सूचना इस प्रकार है:—

समिति का नाम	निर्वाचन की तिथि
(1) सीकर	दिनांक 24-2-74 को कृपक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पहले ही दिनांक 19-7-69 को हो चुके थे।
(2) श्रीमाधोपुर	दिनांक 17-3-73
(3) नीम का थाना	चुनाव अभी नहीं हुए हैं परन्तु मतदाता सूची तैयार करने के लिये तहसील नीम का थाना के जिलाधीश द्वारा अधिकृत किया जा चुका है।
(4) फतेहपुर	13-6-69

(2) निर्वाचन के पश्चात् राजस्थान कृषि उपज विपणि नियम 1963 के नियम 27 के प्रावधानुसार निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों के नाम राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करवाये जाते हैं तथा राजस्थान राज-पत्र में नामों के प्रकाशन के पश्चात् नियम 32 के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाया जाता है तथा निर्वाचित मण्डी समिति का कार्यकाल अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचित होने की तिथि से आरम्भ होता है नियमों के प्राव-धान के अनुसार ऐसी कोई निश्चित समया-वधि नहीं है।

(3) हां यह सही है कि सीकर जिले की निर्वाचित समितियों को निर्वाचित तिथि से सालभर बाद तक भी कार्यभार नहीं सम्भलाया गया है क्योंकि उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव अभी तक प्रावधानुसार नहीं हुए हैं। इसलिए कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर, फतहपुर एवं श्रीमाधोपुर में सात्रिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ही कार्य कर रहे हैं। नियमानुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। यह सही है कि श्रीमाधोपुर कृषि उपज मंडी, समिति के निर्वाचन हुए लगभग 1 वर्ष हो गया परन्तु

(कृषि मंत्री)

जिलाधीश कार्यालय से निर्वाचित सदस्यों की सूची अभी 12-2-74 को ही प्राप्त हुई है। इसके राज-पत्र में प्रकाशित कराने हेतु सरकार को दिनांक 5-3-74 को भेजा गया है। प्रकाशन के बाद जिलाधीश द्वारा समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराने की तिथि से नये सदस्यों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

(5) कार्यभार सम्भालने की प्रक्रिया सम्बन्धी दिक्कतों को दूर करने के लिये राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणि नियम, 1963 के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रावधानों का सरलीकरण करने पर विचार कर रही है।

फर्जी मस्टररोल बनाने व गबन करने के सम्बन्ध में की गई जांच

172. श्री **रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उप-निदेशक, कृषि विभाग, जोधपुर ने तारीख 31-12-68 को नागौर भू-संरक्षण विभाग में गांव मेहरवास, तहसील जायल, गांव हरसोलाव, तहसील मेड़ता व गांव बीरलोक, तहसील नागौर में व ग्राम लाई, तहसील मेड़ता में फर्जी मस्टर रोल बनाने व गबन करने के बारे में जांच की ? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या अधिकारियों द्वारा गबन की गई राशि भी इन गांवों में काश्तकारों से वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी राशि वसूल की गई है एवं कितनी बाकी है ?

(3) क्या सरकार ऐसी राशि काश्तकारों से वसूल नहीं की जाने एवं दोषी अधिकारियों से वसूल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि-उप निदेशक, जोधपुर द्वारा ग्राम मेरवास, तहसील जायल, ग्राम हरसोलाव तहसील मेड़ता तथा ग्राम बीरलोक, तहसील नागौर में फर्जी मस्टररोल सम्बन्धी जांच की गई। जिनका प्रमाणिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्मिक विभाग क–3 द्वारा की जा रही है। ग्राम लाई, तहसील मेड़ता सम्बन्धी कोई जांच नहीं की गई।

(2) जी नहीं।

(3) इसका निर्णय दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच पूर्ण होने पर किया जा सकेगा।

भांडारेज कस्बे में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

173. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार भांडारेज कस्बे (तहसील दौसा) में जानवरों की संख्या, आसपास के गांवों की निकटता को देखते हुए पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

भांडारेज में अलग से पशु चिकित्सालय खोलने हेतु धनाभाव के कारण कोई प्रावधान

(पशुपालन मंत्री)

नहीं रखा गया है क्योंकि दौसा पशु चिकित्सालय बहुत करीब पड़ता है। इस क्षेत्र के पशुओं की चिकित्सा के लिये नजदीक के पशु चिकित्सालयों जैसे–बस्सी, दौसा, बांदीकुई गोजगढ़ आदि स्थानों पर समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

ए. आर. सी. की स्कीम

174. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में ए. आर. सी. की स्कीम कहां-कहां लागू की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी और ऐसी स्कीमें राज्य-सरकार के विचाराधीन हैं? और वे कब तक लागू कर दी जावेंगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में ए० आर० सी० ने अब तक कुल 35 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से 8 योजनायें क्रियान्वित होकर समाप्त हो चुकी हैं तथा शेष 27 योजनाओं को अभी क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वीकृत योजनाओं की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त कुल 27 योजनायें राज्य सरकार एवं ए० आर० सी० के विचाराधीन हैं। इन योजनाओं की सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। ए० आर० सी० द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही उपरोक्त योजनायें लागू की जा सकेंगी। अभी यह कहना कठिन है कि कब तक योजनायें लागू की जावेंगी वैसे ए० आर० सी० से विचाराधीन योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनाज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज की बकाया राशि का भुगतान

175. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में अकाल के समय एफ. सी. आई. गोदाम कोटा, बारां व अन्य स्थानों से अनाज आदि लाने के लिये ट्रांसपोर्टेशन पर कितना व्यय हुआ? क्या ठेकेदारों को किराया चुका दिया गया? यदि नहीं, तो कितना बाकी है?

(2) बीकानेर जिले के कितने ठेकेदार हैं, जिन्होने उक्त ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(3) क्या यह सही है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेज के लाखों रुपये आज भी बकाया पड़े हैं? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार की कितनी-कितनी धनराशि सरकार में बकाया है और उसका कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में अकाल के समय में अन्य स्थानों से अनाज लाने में 7,87,159=X ट्रांसपोर्टेशन पर व्यय हुआ। 1,44,063/= का भुगतान किया जा

(खाद्य मंत्री)

चुका है। 64, 43, 096/- का भुगतान शेष है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिन ठेकेदारों के भुगतान बकाया हैं, की सूची संलग्न है। बकाया का भुगतान इसी माह में किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

तहसील नोखा के गांवों के हरिजन मोहल्लों में पाईप लाईन बिछाने का कार्य

176. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोखा, जिला बीकानेर के किस-किस ग्राम व किस-किस वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत हरिजन मोहल्लों में पिछले वर्ष पाइप लाईन बिछाने की स्वीकृति दी गई तथा कितनी-कितनी धनराशि गांववाइज दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि हरिजन मोहल्लों तक पाईप लाइन पूरी नहीं बिछाई गई ? यदि हां, तो कब तक पूरी लाईन बिछाई जावेगी ?

(3) क्या ग्राम मांडिया, तहसील नोखा के हरिजनों के वास्ते पाइप लाईन स्वीकृत की गई है, यदि नही तो क्या सोमलसर से मांडिया पाइप लाईन स्वीकृत है ? यदि हां, तो उससे कब तक पानी सप्लाई किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) तहसील नोखा, जिला बीकानेर में वर्ष 72-73 में अनुसूचित जाति/जनजातियों की बस्तियों में आवंटित धनराशि की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। प्रश्न एक की सूची में ग्राम संख्या 10 से 16 तक के ग्रामों में पाइप लाईन बिछाई जा चुकी हैं किन्तु स्पेशल्स न मिलने के कारण चालू नहीं की जा सकी है। स्पेशल्स मिलते ही इन्हें चालू कर दिया जायेगा। अन्य ग्रामों में कार्य पूरा किया जा चुका है।

(3) ग्राम मंडिया, तहसील नोखा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, सोमलसर के अन्तर्गत आता है। योजना में ग्राम में सिर्फ होज बनाने का ही प्रावधान है। इसलिए अलग से हरिजन बस्तियों के लिये पाईप लाईन बिछाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस योजना के तहत पाईप लाईन बिछाने के लिये आदेश दिनांक ?-1-74 को दिये जा चुके हैं। 3 इन्च के पाईप प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है, पाईप प्राप्त होते ही कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट-6 देखिये)

पुराने फाइनल बिल्स के भुगतान हेतु पड़ी हुई बकाया राशि

177. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में ठेकेदारों के ठेके के काम

(श्री अमृतलाल गहलोत)

समाप्त होने के दिन के पश्चात् के एक वर्ष से अधिक पुराने फाइनल कितने बिल्स अब तक भुगतान करने बकाया हैं ? पूर्ण सूची मय ठेकेदार व काम के नाम, काम समाप्त होने का दिनांक और बकाया धनराशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ?

(2) उपरोक्त कामों की कितनी सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि जमा पड़ी है जो काम समाप्त होने के छः माह बाद भुगतान की जा सकती है परन्तु फाइनल बिल पेमेन्ट न होने के कारण अब तक भुगतान नहीं की गई ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कारण है कि ठेकेदारों को अभी तक उपरोक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

कृषि हेतु ऋण राशि का बेंकों द्वारा वितरण

178. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971-72, 1972-73 एवं 1973-74 में कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीयकृत बेंकों को कितने रुपये की गारन्टी देने का निश्चय किया था यदि हां तो कौन-कौन से बेंकों को ?

(2) उक्त गारन्टी की राशि को किन-किन बेंकों द्वारा कितनी-कितनी किस जिले में वितरित की ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971-72, 1972-73 एवं 1973-74 में राष्ट्रीयकृत बेंकों को कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई नवीन गारन्टी नहीं दी गई। वर्ष 72-73 में केवल एक गारन्टी जो पंजाब नेशनल बेंक को वर्ष 70-71 में एक करोड़ रु० की दी गई थी, की अवधि बढ़ाई गई है।

(2) उक्त गारन्टी की राशि को पंजाब नेशनल बेंक द्वारा उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा व चित्तौड़ जिलों में उपयोग किया गया। किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया इसकी सूचना बेंक द्वारा नहीं दी गई है, और न ही बेंक को उक्त सूचना देने को बाध्य किया जा सकता है। अब रिजर्व बेंक एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की गारन्टी देने को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बेंकों को स्वयं बिना गारन्टी के ही इस प्रकार के ऋण देने चाहियें, ऐसी उनकी मान्यता है।

विजय लक्ष्मी ट्रेडिंग कं., सीकर का जलदाय विभाग द्वारा दिये गये ठेके

179. श्री केशवदेव (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर में श्री विजयलक्ष्मी ट्रेडिंग कं. थी ? यदि हां, तो उसका मालिक कौन था एवं उसको आज तक जलदाय विभाग, सीकर द्वारा क्या-क्या ठेके दिये गये ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No. 26

(26)

(श्री केशवदेव)

(2) क्या यह भी सही है कि श्री विजयलक्ष्मी ट्रेडिंग कं.; सीकर के द्वारा कई फर्जी कनेक्शन सीकर शहर में किए गये थे ? अगर हां, तो मार्च, 1971 में जो कनेक्शन रेगुलेराईज किये गये हैं उन कनेक्शनों की फिटिंग एवं फाइल किस ठेकेदार द्वारा पूर्ण की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि विजय लक्ष्मी ट्रेडिंग कं., सीकर द्वारा जो गलत कनेक्शन दिए गये थे उन पर विभाग ने क्या कोई कार्यवाही की ?

(4) क्या यह भी सही है कि अब जो लाइसेन्स श्रीमती शकुन्तला ट्रेडिंग कं., सीकर के नाम से दिया गया है वह विजय लक्ष्मी ट्रेडिंग कं., सीकर एवं शकुन्तला ट्रेडिंग कं., सीकर एक ही परिवार के सदस्य हैं ? अगर हां, तो ऐसा लाइसेन्स क्यों दिया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि जलदाय विभाग, सीकर द्वारा श्री सांवरमल पारीक के नाम से कनेक्शन दिया गया है ? अगर हां, तो कब ?

(6) क्या यह भी सही है कि श्री सांवर मल पुत्र श्री मदनलाल पारीक, सीकर के नाम से जो कनेक्शन किया गया है वह उक्त व्यक्ति का मकान है ? अगर हां, तो गलत कनेक्शन क्यों दिया गया है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या यह सही है कि शकुन्तला, ट्रेडिंग कं., सीकर ने ग्राम मऊ (श्रीमाधोपुर) में कई गलत कनेक्शन किये हैं । अगर हां, तो किन-किन के ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(8) क्या यह सही है कि उक्त ट्रेडिंग कं. के खिलाफ गलत कनेक्शन करने की शिकायत ओवरसीयर, श्रीमाधोपुर द्वारा की गई थी । अगर हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(9) क्या यह भी सही है कि शकुन्तला ट्रेडिंग कं. द्वारा जो कनेक्शन करने का एल फार्म होता है के ऊपर श्री द्वारकाप्रसाद पारीक के द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं ? अगर हां, तो किस आधार पर ? क्या ऐसे हस्ताक्षर करना वैध है ?

(10) क्या यह सही है कि शकुन्तला ट्रेडिंग कं. द्वारा खूड ग्राम में कनेक्शन दिये गये हैं और उन पर उपरोक्त व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये हैं क्या उपरोक्त व्यक्ति को पावर ऑफ एटार्नी शकुन्तला ट्रेडिंग कं. ने दे रखे हैं । अगर हां, तो किस मजिस्ट्रेट द्वारा तस्दीक की गई ? अगर हां, तो किस दिनांक से ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(11) क्या राज्य सरकार को यह बात ध्यान में है कि उक्त कम्पनी से जलदाय विभाग को काफी नुकसान हुआ है ।

उत्तर

(1) जी हां, फर्म के मालिक के विषय में विभाग को जानकारी नहीं है किन्तु अधिकृत नलकार के स्थान पर श्री मदनलाल पारीक हस्ताक्षर करते थे व श्री भगवानदास फर्म का भी प्रतिनिधित्व करते थे । जलदाय विभाग, सीकर द्वारा इस फर्म को कोई ठेका कार्य नहीं दिया गया ।

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, मार्च 1971 में रेग्यूलेराइज किये गये कनेक्शन की सूची संलग्न है। यह सभी कनेक्शन फाइल विजयलक्ष्मी ट्रेडिंग कं. द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

(3) उन सभी कनेक्शनों पर उनके चालू होने की तारीख से शुल्क वसूल किया गया था व दोषी अधिकृत नलकार का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया।

(4) जी हां, लेकिन विजयलक्ष्मी ट्रेडिंग कं. व शकुन्तला ट्रेडिंग कं. के मालिक एक ही परिवार के हैं ऐसी जानकारी विभाग को नहीं है।

(5) प्राप्त सूचना के अनुसार इस नाम से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आगे जांच वार्ड नं. इत्यादि पूर्ण पता बताने पर और की जा सकती है।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) जी नहीं

(8) जी हां, किन्तु जांच करने पर गलत कनेक्शन चालू नहीं पाये गये।

(9) जी हां, क्योंकि वे शकुन्तला ट्रेडिंग कं. के मालिक हैं। जी हां।

(10) जी हां, श्री द्वारकाप्रसाद के मालिक होने के कारण पावर आफ एटर्नी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(11) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को स्थायी आवंटन हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

180. **श्री ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि के स्थायी आवन्टन के लिये कुल कितने भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और स्थायी आवंटन का काम कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? तथा वर्ष 1973-74 में इस क्षेत्र की उपलब्ध सिंचित भूमि में से कितनी भूमि आवन्टन के अभाव में काश्त होने से खाली रही है ?

उत्तर

19838 भूमिहीन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिनका निस्तारण माह जून, 1974 तक किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

64,125 एकड़ कमान्ड भूमि आवंटित नहीं होने से पड़त रह रही।

वन मण्डल अधिकारी, जयपुर द्वारा आदेशों का उल्लंघन

181. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1973 में लालसोट तहसील के विनोरी तथा थानपुरा के ग्रामवासियों ने मुख्य वन संरक्षक के पास वन-खण्ड लिवाली सं० 9 में लालसोट रेन्जर द्वारा भ्रष्ट तरीके अपना कर बाहर के अनधिकृत ग्रामों के मवेशी चराने की इजाजत देने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिया था ?

(श्री मीठालाल)

(2) क्या यह सही है कि मुख्य वन संरक्षक अधिकारी द्वारा चराने के आदेश रद्द करने के उपरान्त भी वन मण्डल अधिकारी ने अगस्त महीने में ही अपने कार्यालय से इस सम्बन्ध में तीन आदेश अलग तारीखों में अलग-अलग प्रकार से निकाले ?

(3) क्या यह सही है कि वन संरक्षक कार्य आयोजना वृत्त, जयपुर द्वारा अगस्त माह के अन्त में एक मीटिंग में लिये गये निर्णय को भी वन मण्डल अधिकारी, जयपुर ने न मानकर एक उच्च अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो वन मण्डल अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रार्थना-पत्र दिया था। रेन्जर द्वारा किसी प्रकार के भ्रष्ट तरीके नहीं अपनाये गये।

(2) मुख्य वन संरक्षक के आदेश बाहर वालों की मवेशियों को उस क्षेत्र में, चराने की अनुमति नहीं देने के थे, जहां पिछले कुछ वर्षों से आसपास के गांव वालों की मवेशी सदैव से चरती आ रही हैं। मण्डल वन अधिकारी ने जो आदेश प्रसारित किए है वे तदनुरूप ही हैं।

(3) जी नहीं। मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार ही वन मण्डल अधिकारी; जयपुर ने आदेश प्रचलित किये थे कि प्रत्येक वन-खंड में उसी क्षेत्र की मवेशी के चराई के परमिट दिए जावें जो हमेशा से जहां चरती रही हों। किसी नये इलाके की मवेशी को परमिट नहीं दिए जावें। आदेशों की अवहेलना नहीं होने से अन्य प्रश्न नहीं उठते।

वन मण्डल अधिकारी, जयपुर एवं रेन्जर, लालसोट द्वारा किये गये दौरे

182. श्री **मीठालाल** (लालसोट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वन मण्डल अधिकारी, जयपुर तथा रेन्जर लालसोट ने गत पांच सालों में विभिन्न दौरों के अन्तर्गत प्रति वर्ष, प्रति माह, अलग अलग-कितना-कितना दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता उठाया ? यात्रा का प्रयोजन दर्शाते हुए कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा गत पांच सालों में कितने मेडिकल बिल पास कराकर कितनी कितनी राशि अलग अलग प्रति वर्ष व प्रति माह उठाई गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची (क) तथा (ख) संलग्न है।

(2) संलग्न सूची (क) तथा (ख) में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भाखरा नहर क्षेत्र में दुबारा की गई चक बंदी

183. श्री **ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

भाखरा नहर क्षेत्र में दुबारा की गई चकबन्दी में नोहर, भादरा तहसीलों के कुल कितने ग्रामों की कितनी भूमि अनकमाण्ड घोषित की गई ? क्या यह सही है कि अनकमाण्ड घोषित किये जाने के बावजूद

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

किसानों से भूमि के मूल्य की किश्तें कमाण्ड की दर से वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

तहसील भादरा के 4 ग्राम व नोहर के 17 ग्रामों का कुल 45,580 एकड़ रकबा कमाण्ड से अनकमाण्ड घोषित किया गया।

जी हां । भाखरा विभाग की भादरा तहसील के रेकार्ड में भूमिवर्ग का रिवाईज चकबन्दी के अनुसार संशोधन समय पर नहीं होने के कारण मूल्य की किश्तें कमाण्ड भूमि को दर से वसूल की गई। भादरा तहसील की 416 बीघा 5 बिस्वा भूमि के मूल्य में 76,830 रु० की मांग कम की गयी है।

नोहर तहसील के रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है और भूमि का मूल्य अनकमांड दर से ही वसूल हो रहा है।

रेंज लालसोट में चराई की वसूली में अनियमितताएं

184. श्री **मीठालाल (लालसोट)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वन मण्डल, जयपुर के अन्तर्गत वन-खण्ड लिवाली संख्या 9; रेन्ज लालसोट में चराई की वसूली सम्बन्धी मामलों में भारी अनियमितता वरती गई है ?

(2) क्या यह सही है कि लिवाली वनखंड की बिनोरी चौकी पर कथित ग्राम महाराजपुरा के मवेशियों को चराई से प्राप्त वर्ष 1970-71 व 1971-72 की धनराशि रोकड़ बही खाते में तथा अन्य कहीं भी आज तक जमा नहीं हो पाई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चौकी के कागजों में प्रति वर्ष 1970-71 व 1971-72 की चराई कहीं भी रेकार्ड नहीं हो पाई है ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1972-73 की चराई राशि के पैसे भी शिकायतों के उपरान्त गत अगस्त माह में जमा कर रसीदें दी गई हैं जो कि स्पष्ट गबन की परिभाषा में आती है ? यदि हां, तो उक्त राशि कितनी थी ?

(5) क्या यह सही है कि वन मण्डल अधिकारी; जयपुर ने उक्त सारी अनियमितताओं का ज्ञान होते हुए भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं वसूल की गई राशि नाके की रोकड़-बही में जमा है।

(3) चौकी पर रेकार्ड नहीं रहता है समस्त रेकार्ड नाका लालसोट पर रहता है जहां उक्त वर्षों का चराई का रेकार्ड भी मौजूद है।

(4) ग्राम पटवा महाराजपुरा की 1972-73 की कोई चराई बाकी नहीं थी; माह अगस्त, 1973 में ग्रामवासियों से 1973-74 की चराई नियमानुसार वसूल की गई है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

Page No. 30

(30)

जिला गंगानगर में भूमि का स्थायी आवंटन

185. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जिलाधीश, गंगानगर को वर्ष 1972 में यह आदेश दिया था कि जिन भूमिहीनों के कब्जे सरकारी भूमि आराजी काश्त पर गंगनहर क्षेत्र जिला गंगानगर में वर्ष 1960 से पहले के हैं उन्हें उस भूमि का स्थायी आवंटन कर दिया जावे ?

(2) क्या यह सही है कि कलेक्टर ने सरकारी भूमि का स्थायी आवंटन करते समय उन भूमिहीनों को जिनके कब्जे में सन् 1960 के बाद की सरकारी भूमि थी, उन्हें भी अवैध रूप से भूमि का स्थायी आवंटन कर दिया, जैसे चक 47 जी. जी., 4 जी. जी., आदि ?

(3) जो उन्नीस सौ साठ के बाद की कब्जे की सरकारी भूमि का अवैध रूप से आवंटन किया उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जाये और बताया जावे कि क्या सरकार ऐसे आवंटन को सही मानती है और यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 5-6-70 को नियमों में इस प्रकार का संशोधन किया गया था।

(2) जी हां।

(3) सूची संलग्न है। ऐसे आवंटितियों को राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 11/14 के तहत नोटिस दिये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जिला भीलवाड़ा के ठिकाना पानसल में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

186. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत ठिकाना पानसल के खसरा नं० 1628 की 10 बीघा भूमि व खसरा नं० 1610 की 4 बीघा भूमि पर श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री बिहारीलाल माथुर ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसे उस भूमि से हटाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

यह सही नहीं है कि श्री भोपालसिंह पुत्र बिहारीलाल माथुर ने ठिकाना पानसल के खसरा नं० 1628 रकबा 10 बीघा तथा खसरा नं० 1610 रकबा 4 बीघा पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है। उपरोक्त दोनों भूमि श्री भोपालसिंह तथा उसके वारिसान के खाते में दर्ज है। अतः नाजायज कब्जे की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील डूंगरगढ़ की गृह निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन

187. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील श्री डूंगरगढ़ में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कितनी समितियों का रजिस्ट्रेशन विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि तोलियासर, सोनियासर, मीठियाबास एवं ऊपनी आदि ग्रामों की गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण वितरण किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी धनराशि का और यह राशि कब तक दे दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी की राशि तहसील डूंगरगढ़, जिला चूरू से लाखों की तादाद में जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो किस-किस गांव की गृह निर्माण समिति से कितनी-कितनी धनराशि जमा हो चुकी है ? ग्राम व समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील डूंगरगढ़ में 11 गृह निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तथा किसी समिति का प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रेशन हेतु विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न में वर्णित ग्रामों की समितियों का कोई आवेदन-पत्र विचारार्थ अवशेष नहीं है।

(3) जी नहीं, केवल 11 गृह निर्माण समितियों की 30,100 रु० को हिस्सा राशि रजिस्ट्रेशन के समय बैंक में जमा हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

पं. स. नोखा की ग्राम पंचायतों द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति को रियायती दरों पर भूमि

188. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करें :—

बीकानेर जिले की पंचायत समिति नोखा के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों ने किस-किस ग्राम में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति तथा हरिजनों को रिहायशी भूमि का पट्टा निःशुल्क व रियायती दर पर दिया ? उनके नाम व ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

पंचायत समिति, नोखा के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्तियों को निःशुल्क दिये गये आबादी भूमि के पट्टों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। रियायती दर पर दिये गये पट्टों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

किशनगढ़वास (अलवर) का सार्वजनिक बस स्टेण्ड

189. **श्री भानुकुमार शास्त्री**:— (उदयपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत किशनगढ़बास (अलवर) में एक सार्वजनिक बस स्टेण्ड का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो उस पर कुल-कितना व्यय हुआ ?

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन का दोबारा उद्घाटन भी किया गया ? यदि हां, तो किन-किन द्वारा और कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस स्टेण्ड के आगे की भूमि वहां के किसी व्यक्ति को अलॉट कर दी है ? यदि हां, तो किस-किस को और कितने में ? तथा अलॉट करने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम मांच-रोली के पटवारी के साझे में प्रधान पंचायत समिति उस भूमि में दुकानें बना रहा है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या राज्य सरकार उसके विरुद्ध शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बस स्टेण्ड की भूमि ग्राम पंचायत की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो क्या पंचायत समिति ने उक्त भूमि को अनधिकृत अन्य व्यक्ति को अलॉट कर दी है ? यदि हां, तो किस को ? और क्या राज्य सरकार उस संबन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त अनधिकृत अलॉटमेन्ट जिलाधीश की सहमति से हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त जिलाधीश के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर निर्माण कार्य सड़क से बहुत कम दूरी पर है ? यदि हां, तो कितनी दूरी पर है ? और क्या उक्त दूरी नियमानुसार सही है ?

उत्तर

(1) जी हां, 20,558 रुपये व्यय हुए ।

(2) केवल श्री रामप्रसाद लड्ढा तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा दिनांक 14-6-71 को उद्घाटन किया गया था ।

(3) जी हां, श्री सुखदेव पुत्र कन्हैया, श्री दीपचन्द पुत्र केसाराम एवं श्री श्रीलाल पुत्र डूंगा, जाति हरिजन, निवासी बाखड़ा को प्रति व्यक्ति 50 रु. पंचायत समिति कोष में जमा कराकर मकान बनाने हेतु अलॉट की गई है । राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों को आवा-सीय भूमि दिये जाने के आदेशों के अनुसरण में हरिजनों को भूमि अलॉट की गई है ।

(4) यह सही नहीं है कि ग्राम मांच-रोली के पटवारी के साझे में प्रधान उस भूमि में दुकानें बना रहे हैं । पटवारी की रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि बस स्टेन्ड की 4 फुट लम्बी व 21 फुट चौड़ी भूमि में चार दुकानें रणजीतसिंह पुत्र जनकसिंह, कल्याणसिंह पुत्र रघुनाथसिंह व श्रीमती ताराबाई पत्नी श्री शेरसिंह निवासी पुर द्वारा बनाई जा रही है । इन निर्माण कार्यों को राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 ए/91 के अन्तर्गत रोकने की आज्ञा दे दी गई है ।

(5) जी नहीं, यह भूमि पंचायत समिति की सम्पत्ति है । पंचायत समिति द्वारा

(पंचायत मंत्री)

इनमें से कुछ भूमि हरिजनों को मकान बनाने हेतु अलॉट की है, परन्तु इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली है। अतः तहसील द्वारा उन निर्माण कार्यों को कराये जाने पर रोक लगा दी है।

(6) जी नहीं, पंचायत समिति ने अपना प्रस्ताव पास करके यह भूमि हरिजनों को अलॉट की है। अतः जिलाधीश के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(7) उक्त भूमि पर निर्माण कार्य सड़क के कोने से 13½ फुट की दूरी पर है जो नियमानुसार नहीं है

प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में सहकारी समिति

190. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक सहकारी समिति बनाना चाहती है और उसका स्थान पंचायत केन्द्र वाले गांवों में होगा ?

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत 39 आर० बी० में इस समय तीन सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ? चक 39 व 40 आर. बी. सहकारी समिति, तामकोट में सम्मिलित है और वह सहकारी समिति बन्द पड़ी है, चक 41, 42 व 43 आर. बी. की एक सहकारी समिति है जिसका केन्द्र 41 आर. बी. है, 45 आर. बी जो इसी पंचायत क्षेत्र का एक गांव है दूसरी पंचायत क्षेत्र के गांव 8 आर. बी. की सहकारी समिति में सम्मिलित है ?

(ग) क्या यह सही है कि सहकारी समिति, तामकोट बन्द हो जाने के कारण ग्राम पंचायत, तामकोट ग्राम पंचायत 3 आर. बी. के गांव 35, 36, 37, 38 आर. बी. व ग्राम पंचायत 39 आर. बी. के चक 39 व 40 आर. बी. किसी भी सहकारी समिति में सम्मिलित नहीं है और न ही सहकारी विभाग इन स्थानों पर कोई सहकारी समिति बना रहा है जिसके कारण उपरोक्त गांव सहकारिता के लाभ से वंचित है ?

(घ) क्या राज्य सरकार उपरोक्त गांवों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना चाहती है और क्या उपरोक्त इन स्थानों पर कोई सहकारी समिति बनायेगी ? यदि बनायेगी तो किस तरह और कब तक ?

उत्तर

(क) जी हां, सामान्यतः समिति का कार्यालय पंचायत के मुख्यालय पर होगा।

(ख) जी नहीं ग्राम पंचायत 39 आर. बी. के क्षेत्र में केवल एक ही ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्य कर रही है जो 41 आर. बी. में स्थित है जिसमें 39 आर. बी ग्राम पंचायत के 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45 आर. बी. ग्राम कार्यक्षेत्र में है। गांव 8 आर बी. में कोई सहकारी समिति न होने से 45 आर. बी. का उसमें सम्मिलित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तामकोट समिति में 39 व 40 आर. बी. का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं। ग्राम पंचायत 3 आर. बी. के ग्राम 35, 36, 37, 38, आर. बी.

(सहकारिता मंत्री)

ग्राम पंचायत 3 आर. बी. में सम्मिलित है तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति 3. आर. बी. में है। ग्राम पंचायत 39 आर. बी. के ग्राम 39 आर. बी. 40 आर. बी. का सम्बन्ध इस ग्राम क्षेत्र की सहकारी समिति 41 आर. बी. ग्राम सेवा सहकारी समिति है। अतः वर्णित ग्रामों का तमकोट सहकारी समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। समस्त वर्णित गांव सहकारी क्षेत्र में आने से लाभ उठा रहे हैं।

(घ) वर्तमान में प्रश्न में वर्णित सभी गांव सहकारी क्षेत्र में आ चुके हैं। अतः कोई समिति उपरोक्त गांवों में बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विभिन्न विकास कार्यों हेतु गठित जिलास्तरीय कमेटियों का कार्य

191. श्री **हनुमानसहाय** (बैराठ): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 73-74 में विभिन्न कार्यों एवं विकास कार्यों हेतु जिलास्तरीय कमेटियों का गठन किया है? यदि हां, तो कब-कब और किस-किस उद्देश्य से? जयपुर जिले से सम्बन्धित जिलास्तरीय समितियों की कब-कब मीटिंग्स हुईं तथा इन समितियों द्वारा क्या-क्या निर्णय लिये गये तथा उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या निर्णय लिये गये?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिला परिषद् के द्वारा जिले की आर. ई. सी. स्कीम बनाये जाने हेतु विद्युत् अभियन्ताओं को डेपुटेशन पर या नियुक्ति पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। व्यवस्था एवं पद्धति (ग्रुप-5) विभाग के आदेश दि० 5-2-74 द्वारा न्यूनतम आवश्यकताएँ कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकास मदों की एकीकृत योजनायें बनाने हेतु जिलास्तरीय स्थाई समितियों का गठन किया गया है। जयपुर जिले से सम्बन्धित जिलास्तरीय समिति की कोई बैठक अभी तक नहीं हुई है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर ने अपने तकनीकी अधिकारी दिये जाने में असमर्थता प्रकट की है।

गंगानगर किसान को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी में हुये घोटाले की जांच

192. श्री **गुरदयाल सिंह सन्धु** (करणपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गंगानगर किसान को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, गंगानगर में वर्ष सन् 1961-62 में करीब 2475 रुपये 33 पै० का कोई घोटाला हुआ था? यदि हां, तो उसकी जांच के दौरान किसे दोषी पाया गया? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

जी हां। श्री लालचन्द गुप्ता, तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक को जांच में दोषी पाया गया। श्री लालचन्द के

(सहकारिता मंत्री)
विरुद्ध समय पर वसूली की कार्यवाही नहीं करने के लिये श्री किशनसिंह, व्यवस्थापक को जिम्मेवार पाया गया और यह राशि श्री किशनसिंह से वसूल करने का आदेश सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्री गंगानगर ने दिनांक 9-7-71 को जारी किया लेकिन श्री किशनसिंह द्वारा यह मामला पंच निर्णय के लिये पेश किया गया जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में किये गये कार्य

193. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्रेश प्रोग्राम के तहत मिली भारत सरकार से कुल कितनी राशि बाड़मेर जिले को आवंटित की गई ? तहसीलदार इस कार्यक्रम के तहत कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों पर अब तक व्यय की गई ? वर्षवार विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें। इस कार्यक्रम के द्वारा क्या-क्या कार्य हाथ में लिये और उनकी क्या प्रगति है ? प्रत्येक कार्य का अलग से विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत बाड़मेर जिले को निम्न प्रकार राशि आवंटित की गई :—

1.	वर्ष	1971-72	3,99,600)-
2.	"	1972-73	12,45,000)-
3.	"	1973-74	10,98,000)-
		योग....	27,42,600)-

पंचायत समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खनन पट्टे दिये जाने के नियम

194. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत राज्यभर में जितने खनन पट्टे दे रखे हैं कि अप-टू-डेट नियमों साथ सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) मेजर मिनरल्स रूल्स के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जो खनन पट्टे दिये गये हैं की अप-टू-डेट नियमों के साथ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत 31 मार्च, 1972 तक 1478 खनन पट्टे स्वीकृत किये हैं। सूची मय नियमों के संलग्न है।

(2) प्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत 31 मार्च 1972 तक 850 खनना पट्टे स्वीकृत किये हैं। सूची मय नियमों के संलग्न है।

(नियम प्राप्त नहीं हुये)

(कृपया परिशिष्ट 10) देखिये)

जिला चूरू के ग्राम बरजांगसर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम

195. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू के ग्राम बरजांगसर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम से किन-किन गांवों को पीने इस समय दिया जा रहा है और यह स्कीम कब से चालू की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त स्कीम में केऊ दिखणादी व उत्तरादी, जाखासर बास बड़ा व छोटा ग्राम कून पालसर, रानासर आदि ग्रामों को शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अभी इस योजना के अन्तर्गत किसी ग्राम को पानी नहीं दिया जा रहा है। इस योजना पर कार्य अक्टूबर, 72 में शुरू किया गया।

(2) इस योजना के अनुसार निम्न ग्रामों को पानी देने का प्रावधान है:— ग्राम कूऊ जाखासार, भीम, सिहांवता, जायासर, भोमडे, करनावटा, रापासर नरूका, रापासर अरावता, सोनीयासर गोदाना, सोनीयासर शियोदानसिंह सोनीयासर मीठिया, सोनीयासर गोगुलिया, सोनीयासर उचारिया, कूण्डपालसर व बडेला।

इस योजना का स्रोत बरजांगसर में नल कूप रखा गया है किन्तु अभी इस योजना व बीदासर को योजना के लिये वहां पर्याप्त जल स्रोत नहीं बन पाया। स्रोत को तैयार करने हेतु राजस्थान भू-जल विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है जिसके उपरान्त ही अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

बिक्री-कर की बकाया राशि

196. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या आबकारी व कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में बिक्री कर की कितनी राशि कितने वर्षों से क्यों बकाया चली आ रही है ? और राज्य सरकार इसकी वसूली के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

दिनांक 1-10-73 को राज्य में बिक्री कर की राशि 408.56 लाख रुपये बकाया थी। इसका वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बकाया राशि (लाखों में)
1966-67	58.18
1967-68	15.92
1968-69	12.56
1969-70	10.50
1970-71	14.40
1971-72	117.79
1972-73	76.81
1973-74	102.40
(1-4-73 से 30-9-73 तक किये गये कर निर्धारण के फलस्वरूप बकाया)	408.56

उपरोक्त बकाया में से 126.58 लाख रुपये की राशि के लिये या तो स्थगन आदेश

(आबकारी व कर मन्त्री)

मिले हैं या फर्मों के अवसायन में चले जाने के कारण बकाया निकल रही है। 85.00 लाख रुपये की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत चल रही है तथा शेष के लिये विभाग कार्यवाही कर रहा है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गुमानमल लोढ़ा व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर-खेरवाड़ा के राष्ट्रीय मार्ग सं० 8 पर घेराव करने वाले आदिवासियों की पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में,

(2) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर-दूदू के बीच सड़क दुर्घटना में रोडवेज की बस से दो जैन साध्वियों की मृत्यु के सम्बन्ध में,

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, केदारनाथ व रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बेन्च स्थापित करने के सम्बन्ध में, इस प्रश्न पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और एक गैर सरकारी संकल्प भी विचारार्थ है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ

(4) सर्वश्री मूलचन्द सामरिया व श्री रामजीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 2 मार्च, से रिपब्लिकन पार्टी की ओर से विधान सभा के समक्ष दिये जा रहे घरने के सम्बन्ध में,

(5) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह, गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के नगरों तथा विशेष रूप से जयपुर में दूध महंगा होने के सम्बन्ध में,

(6) श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से—

(i) जिला गंगानगर में किसानों को डीजल व क्रूड ऑईल न मिलने के सम्बन्ध में,

(ii) गंग नहर क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में,

(7) श्री केसरीमल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से डूंगरपुर के पास भुवनेश्वर के मेले में कुछ दुकानों को लूट लेने के सम्बन्ध में,

(8) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा एक व्यापारी के यहां छापा मारे जाने के सम्बन्ध में;

ये सब प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य यदि चाहें तो बजट की मांगों के समय होने वाली बहस में इन्हें उठा सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(9) सर्वश्री केसरीमल, रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के कपड़ा उद्योगों के श्रमिकों द्वारा आम हड़ताल पर जाने की तैयारी के सम्बन्ध में,

(10) श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आगामी 16 मार्च को मुख्य मन्त्रियो के सम्मेलन में विचार की जाने वाली खाद्य नीति उत्पन्न होने वाली स्थिति के सम्बन्ध में।

ये दोनों ही प्रश्न भावी घटना की आशका पर आधारित हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने मे असमर्थ हूं।

(11) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से पचायतों के चुनावों की निश्चित तिथि की घोषणा न होने के सम्बन्ध में। कल ही इस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जा चुका है। क्योंकि यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का नही है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। राज्य के अन्दर इतनी अन्धेरगर्दी है कि वनवासी राष्ट्रीय मार्ग पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें एक हजार बनवासी व्यक्तियों को ढ़ाई महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि यदि हमें पारिश्रमिक नहीं दे सकते हैं तो भोजन की व्यवस्था करा दीजिये। जिस समय पैसा आजायं और पारिश्रमिक के साधन उपलब्ध हो जायं तो पैसे काट लिये जायं लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। दैनिक श्रम करने वाले बनवासी को इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अभी दीपावली के अवसर पर रिखबदेव के पास एक चीफ इंजीनियर और इंजीनियर को रास्ता रोक करके निवेदन किया जो इस बीच में उधर आये थे अश्वासन दिया था कि चुकारा कर दूंगा। एक हजार बनवासियों के एक लाख से ज्यादा रुपये का भुगतान रुका पड़ा है वह भी नहीं किया किया गया है। अन्त मे विवश होकर 9 जनवरी को प्रशासन के पास जाकर बैठ गये और कहने लगे या तो भोजन की व्यवस्था कीजिये या पारिश्रमिक दीजिये। अध्यक्ष महोदय, 9-10 तारीख के बीच में वहां कोई अधिकारी नहीं आया। 10 तारीख को ढ़ाई बजे सड़कों पर सोये हुए बनवासियों पर डी. वाई. एस. पी. ने 400 जवानों को साथ लेकर लाठी चलाई, अश्रु गैस छोड़ी और कई महिलाओं के जेवर जो चान्दी के थे या तांबे के थे तोड़ लिये गये। आसपास में जो घास की दुकानें बनी हुई थीं, उनको तोड़कर चले गये इस सारे काण्ड को घटना के बाद जो पहले भी सत्र मे आ चुका है बनवासी नेता को जिन्होंने वाजिब मांग की थी, उनको हथकड़ी डालकर घुमाया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर उनको गिरफ्तार करना था तो गिरफ्तार कर सकते थे उनको बिठा सकते थे, क्योंकि वे आदिवासी थे क्योंकि वे पैसे मांग रहे थे और क्योंकि वे चाह रहे थे कि भोजन की व्यवस्था को जाय, उनके वेतन की व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भोजन की व्यवस्था करने के बजाय उनकी लाठियों से पिटाई की और अश्रु गैस छोड़ी। डी. वाई. एस. पी.

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ने उनको बुरी तरह पीटा। मैं राज्य सरकार में मांग करूंगा आज एक ढाई महीने का वेतन उनको नहीं मिला, उनके भोजन की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। एक हजार बनवासियों का एक लाख का भुगतान रुका पड़ा है और यह सब कुछ न करके, अध्यक्ष महोदय, उन बनवासियों पर मुकदमें चलाये गये हैं, उन पर मर्डर के मुकदमें चलाकर परेशान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वे मुकदमें वापिस लिये जायें। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि उन पर मुकदमें न चलाये जायें और उनके भोजन व वेतन की शीघ्र व्यवस्था की जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान....

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर, व्यवधान)

मैं बोलूंगा...

श्री अध्यक्ष : बोलें तो सही लेकिन मेरी तरफ देख लिया करें····

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय रिपब्लिकन पार्टी के दो सदस्य राजस्थान विधान सभा के सामने कुछ मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। राज्य सरकार उनसे बात तक नहीं करती है और जो उनकी उचित मांगे हैं उस पर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके लिये राशन की गारन्टी की जाय और सरकारी नौकरियों में आदिवासियों व हरिजनों को रोजगार दिया जाय और जो रिजर्वेशन है, उसको पूरा भरा जाय, किसान के उत्पादन का पूरा मूल्य दिया जाय और न्यूनतम वेतन कायम किया जाय, हरिजनों को संरक्षण दिलाया जाय। इससे पूर्व समाज कल्याण मन्त्री ने यह बताया था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी आदिवासियों और हरिजनों में योग्य नहीं मिलते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा क्या यही आपने हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण किया है, क्या यही कह कर आपने उनको आगे बढ़ाया है ? और कहते हैं चपरासी व तीसरी श्रेणी के व्यक्तियों में शिक्षित व्यक्ति उनको नहीं मिलते हैं जबकि उन्होंने वायदा किया था। इसलिये, अध्यक्ष महोदय यह मांग बहुत ही वाजिब है। पुलिस और अन्य नौकरियों में भी रिजर्वेशन के लिहाज से उनकी पूर्ति की जाय और छूआछूत की जो नीति अपनाई है उसका कठोरता से पालन किया जाय, भंगी कष्ट निवारण स्कीम है उसके अन्तर्गत उनको छुटकारा दिलाया जाय। इसके अलावा यह मांग की है कि हरिजनों और आदिवासियों पर घोर अत्याचार हो रहा है वह रोकें। छात्रों में जो बढ़ता हुआ असन्तोष है, उसका निवारण करें। छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी की जाय। इसी प्रकार जो····

श्री अध्यक्ष : यह सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : थोड़ा सा है, अध्यक्ष महोदय, अन्य धर्मावलम्बियों हरिजनों को भी वे सुविधायें दी जावें जो सुविधाएं हिन्दू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति तथा हरिजनों को भी दी जाती हैं। धर्म परिवर्तन मात्र से आर्थिक और सामाजिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर सरकार किसी धर्म में परिवर्तन होने के बाद किन्हीं भी पिछड़े

(श्री मूलचन्द सामरिया)

वर्ग की सहायता को बन्द करती है तो मैं समझता हूँ यह नव वृद्धि साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट वालों को लगातार वही सहूलियतें दी हैं जो कि हिन्दू शिड्यूल्ड कास्ट वालों को मिल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : जो समाजवाद को बार-बार कहने वाली सरकार है वह अपनी घोषणाओं में कहां टिकती है ? मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस पर काफी गंभीरतापूर्वक सोचें और समाज की इन बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठायें। इसी तरह हरचन्द कमेटी जैसे····

श्री अध्यक्ष : बहुत देर बोल लिये····

श्री मूलचन्द सामरिया :-- (व्यवधान) इससे कुछ जमीन निकल सके और भूमिहीन किसानों व पिछड़ेवर्ग को मिल सके तो उनको कुछ राहत मिल सकती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा रिपब्लिकन पार्टी से मिल कर वार्ता करें, क्योंकि यह संगठन एक मात्र हरिजनों का है इसलिये उसको आपने कमजोर मान लिया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है अगर इसको किसी तरह लिया गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसको दबाने में मुसीबत हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह इस सम्बन्ध में किया था कि कल 16 मार्च को दिल्ली में तमाम चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हो रही है और उसमें अगली खाद्य समस्या के बारे में विचार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : एण्टीसिपेशन मोशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने और राजस्थान सरकार ने भी अपनी एक नीति घोषित की है अनाज के व्यापार के बारे में और ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने भी अहमदाबाद में अपनी घोषणा की कि वह तमाम खाद्यान्नों का व्यापार अपने हाथ में लेने की नीति स्वीकार करती है और पहले कदम के रूप में गेहूँ और चावल का व्यापार हाथ में लेगी और उसके फलस्वरूप पिछले साल गेहूँ का व्यापार हाथ में लिया गया। अब जब कि रबी की फसल दुबारा आ रही है तो दिल्ली में जो दूसरा तबका जमाखोरों का, स्टाकिस्टों का है और जिसका व्यू हमेशा से आफेंसिव रहा है कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाय और उनकी हर तरह से पूरी कोशिश रही है कि इस नीति को फेल किया जाय। इसमें कुछ खामियां रही हैं, चाहे वे किसी कारण हों, सेबोटेज के कारण हों या और किन्हीं कारणों से हों, यह राष्ट्रीयकरण की नीति सफल नहीं हुई तो इसकी खामियों को, इसकी लूपहोल्स को प्लग करके कामयाबी की तरफ ले जाया जाता, इसके बजाय आज सरकार रीट्रीट हो रही है, गवर्नमेन्ट इन री-एक्शनरी तबकों के सामने झुकने की तैयारी कर रही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान की जनता ने इस प्रश्न पर विशेष तौर पर दो मार्च को राजस्थान बन्द करके अपने दृष्टिकोण को साफ तौर से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाहिर किया है। जो चार मांगें इस राजस्थान बन्द में प्रमुख थीं उसमें सबसे पहली मांग यही थी कि अनाज के थोक व्यापार को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये और मुख्य मन्त्रीजी ने भी, जब हमारा शिष्ट मण्डल उनसे मिला तब और इस सदन में भी इस बात को कहा है कि वह इस नीति पर दृढ़ हैं और इस नीति के अनुसार अमल करेंगे। लेकिन अब ऐसी जानकारी अखबारों से मिली है कि डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट स्टेंड ले रही है कि गेहूं के थोक व्यापार को खत्म कर दिया जावे और इस तरह का खुला व्यापार कर दिया जावे या व्यापारियों को और प्राइवेट लोगों को उसी तरह से छूट दे दी जाय जो कि राजस्थान सरकार ने भी अमली रूप से किसी किस्म की कंसेशन्स देकर यह जाहिर किया है कि वह भी इस तरह की नीति से सहमत है। इसलिए मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार इस हाऊस में कमिटेड है, यह पार्टी रूलिंग पार्टी कमिटेड है, आल इंडिया लेवल पर कमिटेड है, उसके बावजूद रीएक्शनरी प्रेशर में आकर रोजमर्रा जो यह कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, थोक व्यपार फी कर देना चाहिए, आज उनसे प्रेसेराइज्ड होकर यह सब किया जा रहा है। तो हम यह जानना चाहेंगे कि राजस्थान इस मामले में क्या रुख लेने वाला है। राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है? क्या आप अपनी इस बात पर दृढ़ रहेंगे जो राजस्थान बन्द के जरिए जनता ने कहा है और आप भी जिस बात को अभी तक दुहराते रहे हैं। या वे खुद उस तरह के प्रेशर में आकर रीट्रिट करने वाले हैं और इस तरह से हां में हां मिला कर जो दूसरा सेक्शन है, जो कुलक-सेक्शन है, जमाखोरों का सेक्शन है, स्टाकिस्टों का सेक्शन है, उनकी बात मानने वाले हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी, और अगर वे यहां नहीं हों तो उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार का उत्तर आना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए कि वे क्या स्टेंड लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव था उसके बारे में तो माननीय केशरीमलजी कहेंगे लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जो धरणा दिया जा रहा है, सदन के सामने और जैसा कि माननीय सामरियाजी ने कहा है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। वह रिपब्लिकन पार्टी, उसकी ताकत कुछ भी हो लेकिन जिन बातों को उन्होंने कहा है, जिन मांगों को लेकर उन्होंने यहां धरणा दिया है, उनसे हम शत-प्रतिशत सहमत हैं। वास्तव में हरिजनों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। जो इस सरकार की तरफ से घोषित नीतियां हैं वह नीतियां अपने आप में न्यूलुक वाली नीतियां हैं पर उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। सर्विसेज के अन्दर उनके रिप्रेजण्टेशन का रिजर्वेशन है और बारबार इस सदन में इस बात को लाया गया है कि वह परसण्टेज पूरा नहीं किया गया है। पिछली गवर्नमेंट ने, स्वर्गीय बरकुतुल्ला साहब ने इस बात की घोषणा की थी कि वह रोस्टर सिस्टम शुरू करेंगे जिसका मतलब था कि अगर

Page No. 42

(42)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बकाया रह जायेंगे तो केरीग्रोन करेंगे और जब तक सर्विसेज में हरिजनों और आदिवासियों का रिजर्वेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक दूसरों को नहीं लिया जाएगा लेकिन गवर्नमेंट ने उस कमिटमेंट को नहीं निभाया है और अभी जो कल परसों आंकड़े दिए गए हैं उनसे भी साफ जाहिर हुआ कि सर्विसेज में इनका रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हुआ।

यही स्थिति अस्पृश्यता की है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज सर्विसेज मे जितने भी अफसर हैं वे सब सवर्ण हैं, सवर्ण क्लासेज के हैं, लैंडलार्ड क्लासेज के हैं। हरिजनों को आदिवासियों को अलाटमेंट के बावजूद भी कब्जा नहीं दिया जाता है, उनकी फसल को उजाड़ दिया जाता है, उन लोगों की खड़ी फसल को काट दिया जाता है। झुंझुनू जिले के, गंगानगर जिले के, मेरे जिले के कितने ही उदाहरण हैं, यदि आप मौका दें और डिस्कस किया जाय तो उनको सामने रखा जा सकता है। इसी तरह से उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है। अभी भी बहुत अधिक बलात्कार और अत्याचार आए दिन होते हैं क्योंकि वे हरिजन हैं, वे गरीब लोग हैं इस प्रकार की घटनाएं अखबारों में पढ़ने को मिलती है और चूंकि थानेदार, कलेक्टर और दूसरे अफसर बड़े बड़े चूंकि बड़ी क्लास के हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक मेरी जानकारी है इस पर्टीक्यूलर क्लास के लोग चपरासी तक में इन लोगों को लेने में ऐतराज करते हैं। क्योंकि इन लोगों की आदत अपने घर में चपरासियों से काम लेने की है, उनसे घर पर खाना बनवाते हैं, बर्तन मंजवाते हैं और दूसरे काम करवाते हैं। अगर एक मेहतर को चपरासी रख लिया तो कलेक्टर साहब या एस.पी. साहब उनके हाथ का खाना कैसे खायेंगे। इस तरह की आज उनकी हालत है कि उनको चपरासी तक की नौकरी नहीं मिल पाती। मैं समझता हूं कि यह रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा जो बाहर धरणा दिया जा रहा है वह सही मुद्दों पर है और गवर्नमेंट को उनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। दूसरी भी पार्टियां जो इस तरह के मामलों में इंटरेस्टेड हैं, हरिजनों के हितों के लिए चिंतित हैं, रूलिंग पार्टी के अन्दर भी जो रिप्रजेण्टेटिव हैं उन सब को मिल कर उनको बुला कर इन समस्याओं पर विचार करना चहिए और इस हाउस में भी कुछ समय निर्धारित करना चाहिए ताकि हरिजनों और आदिवासियों के हाथ जो अत्याचार हो रहा है उन पर विषद रूप से विचार हो सके। लोकसभा में भी अभी इस बारे में विचार हुआ है और जघन्य अपराध सामने आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप भी इस प्रकार का समय देंगे ताकि इस पर डिटेल में विचार किया जा सके।

(श्री हांडा और श्री केशरीमल एक साथ बोलने लगे अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही गम्भीर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

विषय पर सदन का ध्यान दिलाया है और आपने बहुत कृपा करके उस स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दिया। एक बहुत बड़ा छापा मिलावट के विरुद्ध जोधपुर के अन्दर डाला गया जो कि बंकटलाल पुत्र भंवरलाल के यहां डाला गया है। चार गोदाम उसके सील किए गए हैं, तीन चक्कियां सील की गई हैं। खड़िया मिट्टी, बीज मिर्च के और इस प्रकार के रंग जो कि खाद्य पदार्थों के अन्दर मिलाए जाते हैं, अभी तक जितने राजस्थान में छापे मारे गए हैं सबसे अधिक जोधपुर में छापा मार कर बरामद किया गया। वहां के स्वास्थ्य अधिकारी और निरीक्षक ने छापा मारा और उसमें पुलिस को ऑपरेशन प्राप्त नहीं हुआ। उस व्यक्ति पर केस बनाया गया लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, 105 छापे जयपुर में मारे गए, कुछ छापे गंगानगर में मारे गए कुछ बीकानेर में मारे गए और कुछ बहुत बड़े छापे जोधपुर में मारे गए। जैसा मैंने पहले भी ...

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इससे बड़ी सूक्ष्म बात क्या होगी अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्री ने यहां घोषणा की है कि जो मिलावट करेगा उसको गिरफ्तार करके हथकडियां लगा कर बाजार में फेरा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : यह महत्त्वपूर्ण हो सकता है, सूक्ष्म तो नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महत्त्वपूर्ण तो सूक्ष्म नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय।

श्री दीपंकर : हथकड़ियां जोधपुर ले जाई जा रही हैं, फिर डालेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतनी बड़ी मिलावट करता हुआ पकड़ा जाय और पुलिस उसकी खुल्लमखुल्ला मदद करे। वहां से टेलीग्राम देकर जयपुर से अधिकारियों को बुलाया गया जो कि इस ऑपरेशन को पूरा करें। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जाकर डिमांस्ट्रेशन करें, नगरपालिका के सदस्य इकट्ठे होकर इस मिलावट करने वाले को बचाने की कोशिश करें, बहुत से राजनीतिज्ञ इन लोगों को बचाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, आखिर जनता से किए हुए वायदे हैं इस सदन के अन्दर किए हुए वायदे हैं और एक के बाद दूसरा वायलेशन होता चला जा रहा है.... अनाज पकड़ा जाता है, घी पकड़ा जाता है। मिलावट का सामान पकड़ा जाता है। झूठे बहीखाते पकड़े जाते हैं। रातोंरात गायब हो जाते हैं। केस खत्म कर दिये जाते हैं। इस प्रकार से ये मौत के सौदागरों को प्रोटेक्शन कब तक दिया जायेगा ? मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, सदन का सारा काम रद्द करके इस पर विचार किया जाये। क्या मुख्य मन्त्री की घोषणा कोई चीज़ नहीं है ? मुख्य मन्त्री को सबोटेज कर दिया जाये। यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपसे यह नम्र निवेदन करूंगा, आप अपनी कृपा की दृष्टि करते हुये, खाद्यमन्त्री से स्टेटमेन्ट दिलायें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी औरतें एक्शन

Page No. 44

(44)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में आ रही हैं। लेकिन उन लोगों को एक्सप्लायटेशन करके बचाते जा रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मन्त्री महोदय, को स्टेटमेन्ट देने के लिए अवश्य कहें। ताकि सारी की सारी स्थिति सामने आये। क्या मैं आशा करूं कि आप मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इतना मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतने गम्भीर मामले हो रहे हैं। इस एरिया में 45 लाख की तस्करी का माल आये।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में तशरीफ लाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मन्त्री महोदय ने घोषणा की है। जैसे ही वह मुल्जिम पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी वह अरेस्ट क्यों नहीं होते हैं? Why should he not be arrested and Paraded in the streets?

श्री गुरदयाल सिह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव थे। उनमें से एक बहुत जरूरी है। एक कॉलोनी बनी थी, गंगानगर में। वह उजड़ रही है। इसका कारण यह है कि वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है। फसल के लिए तो पानी की बात कौन कहे, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हमारे पास वहां से तार आया है, वहां की हालत बहुत खराब है। अगर यही स्थिति रही तो गर्मी के मौसम में करीब 5 लाख आदमी उजड़ना शुरू हो जायेंगे। वहां पानी का एकमात्र साधन नहर है। और, नहर में पानी नहीं आ रहा है। सरकार इस सदन को विश्वास में लेने की कोशिश करे। इस पर स्टेटमेन्ट दिलायें ताकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बता सकूं, क्या हो रहा है। मेरे क्षेत्र के लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि नहर की हालत क्या है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि किसानों को क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है। सरकार कोई प्रबन्ध नहीं कर सकती है। मैं दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है। सरकार इसके बारे में स्टेटमेन्ट दे कि वह क्या कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को इस पर स्वयं ध्यान देना चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं होने से लोग उजड़ जायेंगे। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था यू. पी. पुलिस ने आजाद नगर नामक गांव में वहां के बावरियों की हत्या कर दी।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव मेरे सामने आया नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन स्थगन प्रस्तावों को भेजा गया बताया जाता है, जिनका जिक्र यहां नहीं है, उन पर वाद-विवाद यहां नहीं होगा। आये या नहीं आये, यह चेम्बर में आकर बात कर सकते हैं। यही पार्लियामेन्ट में भी व्यवस्था है। इसलिए आप वहां आकर बात कर लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है, राजस्थान प्रदेश के अन्दर पंचायत चुनावों के सम्बन्ध में। आपने यह आज्ञा प्रदान की है कि इस विषय पर पहले भी स्थगन प्रस्ताव आये हैं और, उनके बारे में व्यवस्था दी गई है, उनके बारे में विचार नहीं रखे जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ के मुख्य मन्त्री महोदय ने पिछले सत्र के अन्दर····

श्री अध्यक्ष : आफ्ट रिपीटेड पाइंट है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आफ्ट रिपीटेड पाइंट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि न तो स्वायत्त शासन मन्त्री और न पंचायत मन्त्री, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को विश्वास मे लेना चाहते है। मैं श्री रामनारायण चौधरी का, बयान जो स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया गया है, पढ़कर सुनाता हूं।

"राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 7, पंचायत की अवधि को पांच वर्ष की कालावधि के नियत करते समय राज्य सरकार को समय समय पर कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए उक्त कालावधि को बढ़ाने के लिए प्राधिकृत करती है। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की पदावधि सम्बन्धी इसी प्रकार के उपलबध्ध राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1995 की धारा 14 एवं 16 में अन्तर्विष्ट थे। पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की बढ़ाई गई अवधि क्रमश: 20-1-74; 7-2-74 तथा 25-2-74 को समाप्त हो रही थी।

इनके मूल में अकाल था। बिना कारण समय सीमा 4 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद लिखा है कि यह कार्य अक्टूबर में प्रारम्भ किया गया जिससे कि दिसम्बर में पूर्ण किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह सदन के सदस्यों का ही प्रश्न नहीं है। जिस समय असेम्बली सेशन में है। यह जो कमिटमेण्ट किया गया है तो यह सदन में लायें। लेकिन चुप रह कर इगनोर करने का प्रयत्न करें यह सदन के साथ विश्वासघात है। अब यह कहा है कि मार्च, 74 इनके निर्वाचन की तारीख तय कर दी है।

श्री अध्यक्ष : कर दी या बदल दी ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, मार्च में विधान सभा सेशन में है। हमें यह नहीं बताया जाता है कि किन कारणों से····

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह किन कारणों से किया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, यह होगा, इसीलिए यह विधान सभा में इनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। कारण चाहे अच्छा हो या बुरा हो। कोई संकट है या नहीं है। यह अलग बात है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की पंचायतों के चुनावों को पोस्टपोन कर दिया जाये। It is unfortunate.

मैं निवेदन करूंगा यह प्रश्न आप टालें नहीं। यह विधायकों से सम्बन्धित है। पंचायतों से सम्बन्धित है। और राज्य सरकार कमिटेड है। रीजन्स में यह स्पष्ट लिखा है कि चुनाव मार्च, 74 में कम्पलीट

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हो जायेंगे। और, अध्यक्ष महोदय, मार्च, 74 चल रहा है। यह जनतंत्र और पंचायत राज के साथ में विश्वासघात ही है। विधायकों की मर्यादा का प्रश्न भी है। मंत्री महोदय सदन के विधायकों को कान्फीडेंस में लें। वह नहीं करना चाहते–यह दूसरी बात है। कारण क्या है? विधान सभा के चुनाव इसका कारण नहीं हो सकते। यह कारण कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, कोनकोक्टेड है। कारण दूसरा हो सकता है, उसको आप छिपाना चाहते हैं, जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आज इस स्थिति के अन्दर मैं निवेदन करूंगा, आप माननीय मुख्य मंत्री या पंचायत मंत्री को आदेश प्रदान करें कि इस के बारे में वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करें, इस सदन को कान्फीडेंस में लें। यह नहीं किया तो हमें सोचना पड़ेगा कि मुख्य मंत्री के कमिटमेंट के विरुद्ध जो आचरण किया जा सकता है, उसको एन्फोर्स कराने के लिए उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का इश्यू लायें या किसी अन्य प्रकार से इस इश्यू को उठायें। हम नहीं चाहते कि ऐसे मामलों पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का इश्यू लाया जाय। अब आप पर है कि आप इस के बारे में निर्णय करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक स्थगन प्रस्ताव और है, उस स्थगन प्रस्ताव के ऊपर आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही है। मैं उस जानकारी के आने तक उसके बारे में अधिक निवेदन नहीं करना चाहता हूं, केवल एक तथ्य यहां पर रखना चाहता हूं, जो अध्यक्ष महोदय, कल रखा था उसके अतिरिक्त ....

श्री अध्यक्ष : कल आप इस पर बोल चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके बारे में पोइन्टेड प्रश्न है, जिसकी जानकारी देते समय माननीय मंत्री को भी आराम रहेगा। वह प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस के द्वारा तीन-चार साध्वियों को कुचल दिया गया, एक की मृत्यु हो गई, और घायल हो गई। इस घटना के बारे में जानकारी हो जाय, फिर इसके बारे में वक्तव्य हो जाय और इस सदन को कान्फीडेन्स में ले लिया जायगा। एक बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हमारे यहाँ के एक माननीय विधायक, जो उस समय वहां पर थे, ने यह प्रयास किया कि घायल अवस्था में जो व्यक्ति थे, उनको राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की दूसरी बस, जो वहां पर कुछ समय के बाद आई, में लाकर जयपुर के अस्पताल में उनको पहुँचा दिया जाय, ताकि मौत के मुंह से उनको बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विधान सभा का सेशन हो रहा है और हर प्रकार से इस समय एलर्टनेस है, उस समय भी जीवन मृत्यु बीच में जूझती हुई उन साध्वियों को चिकित्सा के लिए जयपुर के अस्पताल में नहीं लाया गया और राजस्थान रोडवेज की बस के अधिकारियों ने यह कह कर उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया कि हमारी बस में लेकर जायेंगे तो हमारे ऊपर केस का चक्कर आ जायगा। मैं जानना चाहता हूँ, यह मानव जीवन के मूल्य का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारीगण यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या ऐसे आदेश दे दिये हैं कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कोई घायल हो, मरा हुआ हो, किसी प्रकार की स्थिति में हो उसके पास से गुजर जाय, उसको लाकर अस्पताल में दाखिल न करायें ताकि कोई काम्पलीकेशन न हो जाय। मेरा निवेदन है, यह गम्भीर प्रश्न है साध्वियों का प्रश्न ही नहीं है, साधारण व्यक्ति, तमाम व्यक्तियों का जीवन भी उतना ही कीमती है। रोडवेज के अधिकारियों के ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स जब तक नहीं हों तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री, स्वायत्तशासी निगम के एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हों, उनके साथ के अधिकारी हों, उनसे जानना चाहूंगा कि दूसरी बस आयी थी, जिसमें हमारे विधायक रामसिहजी घायल अवस्था में आये, उन्होंने प्रयास किया, उस बस के कन्डक्टर से कहा कि इन घायल साध्वियों को इस बस में ले चलो इनको अस्पताल में भर्ती करवा देंगे तो यह बच जायेंगी। मेरा कहना है ····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन है कि इसको किसी प्रकार की प्रक्रिया या नियमों की बात कह कर टालते रहें तो टाल सकते हैं, आपके पास····

श्री अध्यक्ष : मैंने तो डबल इजाजत दे दी है, कल बोलने का मौका दे दिया, आज भी दिया है। You should thank chair.

श्री गुमानमल लोढ़ा : वैसे बोलने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है····

श्री अध्यक्ष : मेरे अधिकार में तो बोलने का मौका देना है।

एक माननीय सदस्य : श्री रामसिहजी घायल कहां हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय रामसिहजी बस के अन्दर थे ··

श्री अध्यक्ष : इस पर डिस्कशन नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं अर्ज कर दूं, महत्वपूर्ण सवाल है। गुमानमलजी ने कहा कि रामसिहजी ने दूसरी बस को वहां रोका और कन्डक्टर को कहा कि इन घायल साध्वियों को ले लो। फिर भी वह बस उनको वहां छोड़ कर चली आयी। यह गम्भीर बात है। रामसिहजी ने कहा कि इन घायल साध्वियों को ले लो, उसके बाद भी बस में उनको नहीं लिया। इसके बारे में रामसिहजी प्रकाश डाल दें।

श्री अध्यक्ष : नो डिबेट !

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मिनिट विधायक रामसिहजी बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आवश्यक बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने समाप्त कर दिया। रामसिहजी कह दें।

श्री रामसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कल भी उठाया गया और आज फिर यह प्रश्न उठाया गया है। हकीकत में मैं घायल नहीं हुआ हूं, न मेरे विशेष चोट आयी है। यह बात जरूर है····

एक माननीय सदस्य : गुमानमलजी जितनी बातें झूठी कह रहे थे, वह साफ कर दें।

श्री रामसिंह : यह बस एक घण्टा लेट थी। बिलाड़ा से मैं रवन्ना हुआ। जिस समय बस बर से गुजरी, ड्राइवर को नींद आधी, नींद का झोंका आया। उसने ब्रेक लगाये। और पचास आदमी जो उस बस में बैठे थे, वह इधर-उधर पड़ गये थे। उसके बाद उसको चेतावनी दी कि वह वहां चाय पी ले और बस को रोक दे नहीं तो पचास आदमियों का जीवन खतरे में हो जायगा। उसने अजमेर में चाय पी थी यह बात जरूर है कि उसने टूटू पर चाय नहीं पी उसे नींद आ रही थी। और साढ़े पांच बजे यह घटना हुई। घटना वास्तव में हृदयविदारक थी। इतनी जबर्दस्त घटना कि जो साध्वियां रास्ते-रास्ते आ रही थीं, क्योंकि उस ड्राइवर को नींद आ रही थी, उसको झपकी आते ही साध्वियों पर गाड़ी चढ़ा दी और पांच-दस गज दूर गाड़ी जोर से ब्रेक लगाने से रुकी। यह घटना हुई उनमें से एक साध्वी, हमने उतर कर देखा, मौके पर मर चुकी थी, दो-तीन घायल हो चुकी थीं। एक नौकर था, उसकी दोनों टांगे कट गई थीं। एक नौकरानी थी, वह अकेली थी जिसको चोट नहीं आयी। हमने ट्रक रोकने की कोशिश की दो मिनिट तक, ट्रक रुकी नहीं। पांच मिनिट के बाद उदयपुर की बस आ गई। उससे हमने जरूर कहा भी कि सवारियों को रोक कर ले जाओ इन्हें। उसने कहा कि मौके की जांच होने के पहले नहीं ले जा-सकते, न उठा सकते हैं, न गाड़ी को इधर से उधर कर सकते हैं। सब पैसेन्जरों के कहने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया। यह खेदजनक बात है। जो मुलजिम था; उसको हमने थाने में पेश किया। यहां आ कर जितने भी आदमी थे, जैन समाज में विश्वास रखने वाले, उनको सूचना दी, माननीय यातायात और स्वास्थ्य मन्त्रीजी को भी सूचना दी, लेकिन 7 बजे से 9 बजे तक स्नानागार की वह शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए बात नहीं हुई। मैंने सारे व्यक्तियों को इत्तला दी थी कि यह घटना हुई है और दूसरी बस वाले को कहा था कि जो घायल अवस्था में थे, उनको अस्पताल तक पहुँचा दिया जाय। लेकिन उनकी तरफ से कार्यवाही नहीं हुई। बाद में क्या कार्यवाही हुई, यह वह जानें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका भी इस पर बोलना क्या जरूरी है ? जानकारी चाहिये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं, आप अपनी ओर से मंत्री या सरकार को कहिये कि इमिजियेटली इन्स्ट्रक्शन जारी कर दें कि इस प्रकार से घायल व्यक्ति हों, कोई घटना में घायल हुए हों तो उनको जरूर उठा कर लाया जाय। न भी कहें तब भी उनका कर्तव्य है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस पर वक्तव्य होना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस पर माननीय मंत्री....

श्री अध्यक्ष : विवाद भले ही करते रहें लेकिन बात आ गई है। वक्तव्य

(श्री अध्यक्ष)

टाइम पर आयेगा । अभी I have not allowed it.

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्थिति बतायी जाय, स्थिति किस प्रकार की थी ?

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य की स्टेज भी आने वाली है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मिनिस्टर बाथ रूम में रहें और लोगों को रिलीफ नहीं दिलायें । ऐसी स्थिति में आज हो इस पर वक्तव्य आ जाय ।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना था, मैंने एडजोर्नमेंट मोशन रखा, उसको यह कह कर खारिज कर दिया कि इस प्रकार की आज घटना नहीं हो रही है, आगे आने वाली घटना को लेकर बात कही गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके जरिये सरकार को कि आज राजस्थान के कपड़ा मजदूर, जो करीब बीस हजार की संख्या में हैं, अपनी तनख्वाहों के प्रश्न को लेकर, महँगाई भत्ते को बढवाने के लिए और जो उनके सर्विस के नियम हैं, उनको सुधरवाने के लिए दस-पन्द्रह साल से काम करते हैं लेकिन फिर भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्थायी करवाने के लिए मांगों को लेकर लगातार मनवाने का प्रयास कर रहे हैं । यह सम्भव है कि जब सरकार इस तरह चुप होकर बैठी रहेगी तो कभी भी वह हड़ताल पर जा सकते हैं । बीस हजार श्रमिक हड़ताल पर जायेंगे तो सारा उद्योग बन्द हो जायगा और निश्चितरूप से कपड़ा उद्योग को नुकसान होगा । बीस हजार श्रमिक हड़ताल पर होंगे और सरकार चुप रहेगी, और आज मालिक जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे गंगानगर और दूसरी जगह पर गुण्डों के जरिये मजदूरों पर गोलियां चलवाई गईं, लाठी चलवाई गई, ऐसा रास्ता अपनाते हैं तो शांति भंग होने का पूरा खतरा है.... मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सरकार क्या करती है ? सरकार कहती है कि मजदूर हड़ताल करते हैं, मैं समझता हूं सरकार जब चुप बैठी रहेगी और ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी तो मजदूरों को वाकई हड़ताल पर जाना पड़े तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी है, मजदूर की नहीं । सरकार मालिकों को इस बात के लिए ताकीद करके वाजिब मांगों को पूरा करायें यदि यह काम सरकार नहीं करके सरकार खुद मालिकों की तरफदारी में चली जाए तो निश्चित तौर से हड़ताल होना संभव है । सरकार यदि चाहती है कि हड़ताल न हो तो इससे पहले समझौता कराये । अगर समझौता हो जाता है तो निश्चित तौर से हड़ताल नहीं होगी । अगर समझौते का प्रयास सरकार नहीं करेगी तो राज्य में एक बहुत बड़ी घटना होगी ।

मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव था कि डूंगरपुर के पास भूनेश्वर के मेले में असामाजिक तत्वों ने दुकानदारों को लूटा और दुकानदारों ने लूट का विरोध किया तो वहां उनकी अमानुषिक पिटाई की । ऐसे मेलों में आजकल यह चल गया है ऐसे कुछ तत्त्व समाज में संगठित हो गए हैं कि हर मामले में कुछ न कुछ खराबियां करते हैं, झगड़ा करते हैं, यह तो जगह-जगह होता है लेकिन जहां ऐसे मेले लगते हैं जहां बच्चे व स्त्रियां हों इतनी भीड़ हो तो वहां इस झगड़े

(श्री केशरीमल)

की संभावना होती है तो क्या कारण है कि इस मेले के अंदर पुलिस नहीं गई ? पुलिस की क्या व्यवस्था है ? हमें मालूम है कि मारपीट होने के बाद पुलिस के कुछ अधिकारी व अमला वहां गए, पुलिस हमेशा बाद में पहुँचती है। चोरी हो जाती है, डाका पड़ जाता है, पुलिस बाद में पहुँचती है। यह तो उनको मालूम था ऐसे मेलों के अन्दर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए पहले ही वहां पुलिस तैनात करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा स्थगन प्रस्ताव है ···

एक माननीय सदस्य : अच्छा हो कि ये न बोलें, भूख हड़ताल से आए हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल : मेडिकल एडवाइस मानें तो न बोलें।

श्री अध्यक्ष : Is he going to accept your advice ?

श्री रामानंद अग्रवाल : काफी स्वास्थ्य गिरा हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपने बंधु के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूं, आज वह अगर रेस्ट लें तो उत्तम होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, गर्मी का मौसम प्रारंभ हो रहा है। नन्हे-मुन्ने बच्चों के लिए जो दूध मिलना आवश्यक था वह बंद हो गया। राज्य सरकार ने पिछली बार मावे और छेने पर रोक लगा दी यह कहकर कि इससे दूध सस्ता हो जाएगा लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर यह रोक लगाई थी, वह पूरा नहीं हुआ और जो रोक लगाई थी, वह सरकार को विवश होकर न जाने किन परिस्थितियों के कारण हटानी पड़ी। आज राजस्थान में दूध के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं, गर्मी का मौसम प्रारंभ हो रहा है, दूध के भाव और बढ़ेंगे। जयपुर में दुग्ध वितरण योजना ने अपने दूध के भाव में 10 पैसा प्रति लिटर वृद्धि कर दी है। दूध की ही कीमत नहीं बढ़ाई लेकिन दूध को रखने के लिए जो शीशी थी उसकी कीमत भी 50 पैसे से बढ़ाकर 70 पैसे कर दी। योजना के अंतर्गत लोगों को कूपन दे दिए एक एक रुपए का दूध लेते हैं एक लिटर के बजाय वे कहते हैं कि आधा लिटर मिलेगा। आधे लिटर के लिए प्रातःकाल जायं तो कहते हैं कि अब नहीं मिलेगा, सायंकाल मिलेगा। बाजार में दूध का दाम बराबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और गर्मी के दिनों में यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था राज्य सरकार ने अपनी मिल्क डेयरी स्कीम के द्वारा या भावों पर चैक लगा कर नहीं रोका तो भाव बढ़ते हुए चले जायेंगे। इसलिए डेयरी मंत्री से निवेदन करूंगा कि मिल्क डेयरी वाले क्यों अपने भाव बढ़ा रहे हैं, दूध का भाव बढ़ रहा है, शीशियों का भाव बढ़ रहा है, इस संबंध में मंत्री महोदय वक्तव्य देगें जिससे नन्हे-मुन्ने बच्चों को आवश्यक खुराक मिले और राहत मिल सके।

दूसरा प्रस्ताव, बंगला देश के युद्ध में····

श्री अध्यक्ष : I have not announced it. आपने भेजा है लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 बजे तक दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसका जिक्र नहीं किया है, ठीक नहीं समझा, आप मुझ से चैम्बर में आकर बात करें। यह फैसला मैं दे चुका हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसा कोई राज्य की नीति के विरुद्ध....

श्री अध्यक्ष : पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस की बात है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का भी प्रस्ताव था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं माननीय सदस्य को दूध पिलाने ले जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया कि जिन स्थगन प्रस्तावों का यहां जिक्र नहीं आया उनके संबंध में बोलने की, भाषण देने की परिपाटी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह : नियमों का तो मुझे पूरा ज्ञान है लेकिन मैं एक दो मुद्दों पर बोलूंगा। एक तो पंचायत के संबंध में कहा गया है, यह बड़े ही खेद का विषय है....

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलालजी की बात पूरी हो जाय तो आपको समय दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो मेरे साथ दूध पीने चल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर में नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान में जो वकील समुदाय के लोग हैं उन्होंने जयपुर में हाई कोर्ट बेंच....

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं पहले।

श्री दीपंकर : ये बार-बार क्यों हाई कोर्ट बेंच की बात करते हैं जब सरकार ने इस सवाल को बन्द कर दिया?

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आपने फिर बोलना शुरू किया, मैंने काफी निवेदन किया है।

श्री दीपंकर : वे बोलेंगे तो हमको भी समय देंगे।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है।

श्री दीपंकर : वह गलत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कई बार आपसे कहा है।

श्री दीपंकर : राजस्थान में ये नया आन्दोलन खड़ा कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं?

(व्यवस्था-सूचक-घन्टी)

श्री अध्यक्ष : बैठिए बैठिए। मुझे बहुत खेद है कि रूलिंग पार्टी के सदस्य होकर....

श्री गुमानमल लोढ़ा : शासक दल के सदस्य के विरुद्ध कोई प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : मैं उनके साथ भी उतना ही सख्त हूं। माननीय सदस्य से इतना

(श्री अध्यक्ष)

जरूर कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी का सदस्य बोलता है तो उस समय मैं उसे नहीं कहता हूं। आप अगर मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं तो दोनों पक्षों के साथ जरूरत पड़ती है सख्ती से चलने की जैसे आज भी आपने देखा होगा, इसलिए यह कहना....

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारा सदस्य अगर गरुड़ पुराण पढ़ले तो उसके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव आ गया, कल यहां पर एक माननीय सदस्य ने × × × ऐसे शब्दों का प्रयोग किया

श्री अध्यक्ष : अगर इस तरह दोनों दल आपस में बात करेंगे तो पूरी तरह से सदन की कार्यवाही नहीं हो सकेगी। जहां तक डिबेट का प्रश्न है उस पर नियन्त्रण रखना मेरा काम है। क्या सवाल पूछा जाना चाहिये और क्या सुनना चाहिये कौनसी बात कब होनी चाहिये यह मेरे सोचने की बात है। आपने देखा होगा कि मैं दोनों ही तरफ का ध्यान रखता हूं और जो मेरिट की बात होती है उस पर दोनों ही पक्षों को मौका देता हूं। इसके आपको काफी प्रमाण पहले भी मिल जायेंगे और आगे भी मिलेंगे। इसलिये मैं सदन के दोनों ही पक्षों के सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि वह सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके इसके लिये पूरा योगदान दें। हाईकोर्ट को बेंच के बारे में कई बार इस सदन में सवाल उठ चुका है, आज भी दो-तीन बार जिक्र आया है। अच्छा तो यह रहेगा कि जो भी आप कहना चाहें वह मुख्तसिर बोलें। इससे आपका परपज भी हल हो जायेगा।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी आज्ञा का पालन हमेशा से ही करते हैं। लेकिन जब हाउस में इस प्रकार की हाईकोर्ट के बेंच के बारे में चर्चा उठे जिसका कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हमेशा के लिये फैसला हो चुका है तो उसको सदन में यह गिरधारीलालजी बार-बार क्यों उठा रहे हैं। यह प्रश्न उठा कर सदन में वातावरण क्रोधित करना चाहते हैं या दो धड़े कराना चाहते हैं क्या यह अपने आप पर काबू नहीं रख सकते ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं कि आप स्थान ग्रहण करें। आपको जब कहना हो जब कहें।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के बेन्च के बारे में काफी बार चर्चा हो चुकी है....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। प्लीज सिट डाऊन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट की बेन्च का आज एक अहम प्रश्न है। यह जनता का प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय ऑन-ए-पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज सर। मुझे आज्ञा दी जाय कि मैं माननीय श्री भार्गव साहब की ? स्वास्थ्य की रक्षा करूं।

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ये शब्द कार्य विवरण से निकाले गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं उनको बाहर ले जाकर दूध पिलाना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : दूध तो सारा आप पी गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान की पूरी जनता है उसकी और राजस्थान की मांग है कि जनता को सस्ता न्याय मिले। इसके लिए आज वकील लोग मांग दिवस मना रहे हैं और उन्होंने आज कोर्ट्स का बहिष्कार किया है। आज 15-3-74 को कोई भी वकील कोर्ट अटेन्ड नहीं कर रहा है उन्होंने आज विधान सभा के बाहर आन्दोलन के रूप में धरना दे रखा है।

श्री दीपंकर : वह प्रश्न तो हमेशा के लिये समाप्त हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जब हम बोलते हैं तो हमे टोका जा रहा है वैसे हमेशा बाद में ही बोलता हूँ। मेरा जो राइट है उसके लिये मैं बोलकर रहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह राइट की बात को आप छोड़ दें। स्थगन प्रस्ताव पर कोई राइट नहीं होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय जब आपने आज्ञा दी है तो बोल रहा हूं आज पूर्वी राजस्थान में हाईकोर्ट बेंच नहीं होने से पूर्वी राजस्थान की जनता को सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है। वकील लोग आज कोर्ट में जा नहीं रहे हैं और इसके लिये मैं आपको यह भी निवेदन कर दूं कि जयपुर में हाईकोर्ट की बेन्च [illegible] इसके लिये विधान सभा के सदस्यों [illegible] हस्ताक्षर भी कर दिये हैं वैसे उत्तर प्रदेश [illegible] भी हाईकोर्ट की बेन्च है, पंजाब हाईको[illegible] की बेन्च है तो राजस्थान में हाईकोर्ट क[illegible] बेन्च क्यों नहीं हो सकती इसलिये मैं आपक[illegible] मारफत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जयपुर में हाईकोर्ट की बेन्च स्थापित की जाय।

श्री दीपंकर : यह प्रश्न अब मृत प्राय सा हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि इस प्रश्न पर मैं खुले दिमाग से विचार करूंगा तो यह प्रश्न अभी तक समाप्त नहीं हुआ है ऐसी व्यवस्था हो कि जनता को सस्ता न्याय मिले।

श्री दीपंकर : तो कल लोग यह मांग करेंगे कि जयपुर से राजस्थान की राजधानी हटायी जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दीपंकरजी यह राजधानी हटाने की बात आप जाने दें इतनी लम्बी चौड़ी बातें नहीं करें तो ही अच्छा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि खुले दिमाग विचार करूंगा तो करना चाहिये यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री दीपंकर : सरकार का निर्णय हो चुका है। अब कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है।

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक बजट पर सामान्य वाद विवाद।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक-दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी बात की सदन में घोषणा करे या बाहर घोषणा करे और फिर सरकार आश्वासन देकर मुकर जाय और बाद में इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये तो ...

श्री रामकिशन : सरकार की प्रतिष्ठा है कहां ?

श्री लक्ष्मणसिंह : तो सरकार जनता के साथ और विरोधी दल के साथ विश्वासघात करती है, आप घोर अन्याय करते हैं और मैं तो यह कहूंगा इस प्रकार के सरकार के रवैये की जितनी भी निन्दा की जाय वह थोड़ी है। यह क्या व्यवस्था है ? अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर विधान सभा भंग कर दी जाय या नगर-पालिकाओं की अवधि समाप्त होती हो और उसकी अवधि सुपरसीड कर दी जाय तो कोई बात नहीं लेकिन पंचायतों के चुनाव को लेकर इतनी अवधि बढाना क्या उचित है ? ऐसे पंचायतों के चुनाव कौनसी खुबसूरत बला है। आज सात-सात साल हो चुके हैं चुनाव हुए। आज वह लोग सात-सात साल से जनता को लूट रहे हैं खूब आपा-धापी चल रही है। जो प्रधान खकपति थे वह आज लखपति बन गये। आज कोई व्यवस्था नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। और जब सदन में चर्चा उठाई जाती है तो इधर इधर नाच कूद करके तारीखें बढाते रहते हैं। यह क्या व्यवस्था है सरकार की ? अध्यक्ष महोदय मैं सरकार को व्यवस्था को बहुत ही अशोभनीय मानता हूं इसके लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार इसके लिये कोई निश्चित डेट फिक्स करे और वह सदन में बताये। आज मेरे दल के एक सदस्य ने सदन में एक चर्चा उठायी है कि बाहर रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने विधान सभा के बाहर धरना दे रखा है उसका समर्थन करते हुए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखना चाहता हूं और पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के अन्दर जो नियम बने हुए हैं उसमें से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को सबसे अच्छा मानता हूं जिसके द्वारा चर्चा उठाने पर सरकार को उत्तर देना लाजमी हो जाता है। सरकार का उत्तर-दायित्व हो जाता है कि वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब सदन में दे। एडजोर्न-मेन्ट मोशन की तो बात ऐसी है कि वह रिजेक्ट भी हो सकता है और आप राज्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि यह इसका जवाब दे ही। लेकिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी की कोमल व्यवस्था है। खैर अब मैं उसके बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं रखूंगा। उसको छोड़ देता हूं। लेकिन अभी दो साध्वी की जो मृत्यु हो गयी है, उनके बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने दिया है, उसका जवाब तुरन्त आना चाहिये। आज स्थिति यह है कि अध्यक्ष महोदय, अगर विरोधी पक्ष वाले स्थगन प्रस्ताव देते वह 99 प्रतिशत रिजेक्ट होते हैं और होंगे भी क्योंकि उसमें राज्य सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। अब साध्वी की मृत्यु जो हुई है उसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि अध्यक्ष महोदय आपकी सरकार धड़ा-धड़ राष्ट्रीयकरण किये जा रही है। मैं इसे राष्ट्रीयकरण तो नहीं कहूंगा मैं तो इसे राजकीय करण ही कहूंगा क्योंकि आप मनचाहे ढंग से राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं खैर आप कह भी सकते हैं कि मैं राष्ट्रीयकरण की नीति के विरोध में हूं और यह भी कहूंगा चलो

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मानलें कि राजाम्रों का राज्य बहुत ही निक्कमा था फिर भी इतना तो कह सकता हूं कि वह जो कुछ कहते थे वह करके दिखाते थे । भ्राज भ्राप राष्ट्रीयकरण करके जितना कहते हैं उतना करके नहीं दिखाते है जो सुविधायें जो लाभ भ्राप बताते हैं वह भ्रापके राष्ट्रीयकरण से नहीं हो रहा है । यह भ्रापकी भ्रव्यवस्था है । भ्रध्यक्ष महोदय, भ्राप जरा सोचें कि जो ड्राईवर रात-रात भर गाड़ी चलावें तो क्या उसको नींद नहीं भ्रायेगी भ्राखिर ड्राईवर भी तो इन्सान ही है । उसको भी तो सहूलियतें मिलनी चाहिये वह कैसे रात रात भर बिना नींद भ्राये गाड़ी चला सकता है । भ्रौर भ्रापकी गाड़ियों के ब्रेक ऐसे जाम होते हैं कि उन ब्रेक को भ्रगर कोई ड्राईवर लगाता है तो इतने जोर से लगते हैं कि उस बस में बैठे हुए सभी यात्री लोग उथल-पुथल हो जाते हैं इस सीट का उधर भ्रौर उधर का नीचे ऊपर हो जाता है । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बेचारे ड्राईवर का कोई कसूर नहीं है, कसूर भ्रापकी राष्ट्रीयकरण की नीति का है । तो मैं राष्ट्रीयकरण के खिलाफ में नहीं हूं भ्राप राष्ट्रीयकरण करें लेकिन भ्राप राष्ट्रीयकरण उतना ही करें जितना कि भ्राप डाइजैस्ट कर सकें । भ्रन्यथा ज्यादा खाने से भ्रजीर्णम् भोजनम् विषयम् वाली बात होगी । इसलिये भ्रापको इन सभी बातों पर विचार करने की जरूरत है । खैर मैंने ध्यान भ्राकर्षण प्रस्ताव दे दिया है सरकार जब चाहे जब इसका जवाब दे । वह उसकी सुविधा पर छोड़ता हूं । इसके भ्रलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास करीब 14-15 मील दूर हालांकि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो नहीं भ्राता है एक गांव है, जहां पर गुजरात के भ्रान्दोलन की भ्राग भड़क गयी है, भ्राज जो गुजरात में भ्रान्दोलन की भ्राग भड़की है उससे सारे हिन्दुस्तान की जनता को चिन्ता हो रही है । वह एक चिन्ता का विषय बन गयी है । जो गुजरात में हो रहा है उसका मैं हामी नहीं हूं क्योंकि वहां पर जो भी हो रहा है वह एन्टी डेमोक्रेटिक भ्रौर एन्टी सोशियल हो रहा है । भ्रौर जो केन्द्र भी गुजरात में कर रहा है एन्टी डेमोक्रेटिक स्टेप्स हैं । मैं शायद गलत होऊं । विधान सभा के सदस्य, भ्रधिकांश सदस्य जहां स्तीफा दे दें, चाहे उन्होंने मजबूरी से होकर दिये हों, लेकिन स्तीफे तो दिये हैं, वहां उसका क्या भ्रौचित्य रह जाता है । मेरे निवेदन करने का खास मुद्दा यह है कि गुजरात के पड़ोसी राजस्थान के जिले हैं, क्या जालोर, क्या सिरोही, क्या उदयपुर, क्या डूंगरपुर, वहां पर भी यह समस्या बन सकती है इसलिये सरकार इस भ्रोर पूरा ध्यान दे । ध्यान भ्राकर्षण के प्रस्ताव पर जब सदन में बहस उठाने का मौका दिया जावेगा तो पांच मिनिट की ही मैं इस भ्रोर चर्चा उठाऊंगा ।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

1500 बोरी सीमेंट का परमिट

श्री रामानन्द भ्रग्रवाल (भ्रलवर) : भ्रध्यक्ष महोदय, निवेदन करना यह था कि कल माननीय योगेन्द्रनाथ हांडा ने बजट पर बोलते हुए 1500 बोरी सीमेंट का एक ही व्यक्ति को परमिट दिये जाने का जिक्र किया था । वह एक महत्वपूर्ण मामला है । मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन दस्तावेज को एस. डी. ओ. जिसके द्वारा जारी किया गया और उस फाइल में दूसरे दस्तावेज वगैरा हैं उनको डेस्ट्राय करने की कोशिश की जा रही है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि वह मामला जांच करने योग्य है और हम उसको किस रूप में सदन में लाना चाहेंगे इसलिये आप डोक्युमेन्ट्स की सुरक्षा के लिये आप अपने कब्जे में ले लीजिये जिससे उस फाइल में, जिसमें एप्लीकेशन है जिस तरह से पता लिखा गया है, परमिट जो इश्यू हुआ सीमेन्ट फैक्टरी, चित्तौड़गढ़ और जिस पर पूरा एड्रेस है और उसमें वह पूरा एड्रेस भी है जिसमें माननीय वित्त मंत्री का एड्रेस है। इसलिये फौरन उस फाइल को कब्जे में लिया जाय और आप उसको अपनी कस्टडी में रखें ताकि डेस्ट्राय न हो।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इसकी ताइद करता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्षजी पांच व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी जाय। माननीय वित्त मंत्रीजी ने रिफ्यूज कर दिया और माननीय हांडाजी ने स्ट्रेस किया। इसलिये यह मामला हाउस में आ गया है इसके लिये हाउस की एक कमेटी बना दी जाय जो इस सारे मामले को देख लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं चूंकि दोनों ओर से सहमति है और माननीय वित्त मन्त्रीजी ने भी स्वीकार किया है कि जो भी दस्तावेज हैं उनको कब्जे में ले लिया जाय। तो अब कौनसा माध्यम हो सकता है कि जिसके द्वारा इस प्रश्न का निर्णय हो। या तो अध्यक्ष महोदय अपने पर दायित्व लें और दायित्व नहीं लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके लिये एक समिति गठित करके ही अन्तिम निर्णय सदन के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : कल वाद-विवाद जो हो रहा था, उसमें कुछ विशेष परिस्थिति पैदा हुई और उसमें सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सीमेन्ट खरीददारी के बारे में किसी महिला का नाम लेकर उसका सम्बन्ध रिश्तेदारी माननीय वित्त मंत्री से होने के बारे में कुछ कहा। उन्होंने इसको इन्कार किया। आपसी चेलेन्ज स्वीकार किये गये। इस प्रकार की बातें कल यहां पर हुई।

इस सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रस्ताव कहिये, सुझाव कहिये, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और दोहराया, माननीय मन्त्रीजी ने भी कहा कि वे उससे सहमत हैं।

यह सदन की सम्पत्ति तो है क्योंकि काफी बातचीत हो गयी है इसके बारे में। सदन चाहे तो इस बारे में निर्णय लिया जा सकता है। इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस इन्क्वायरी में पड़ना नहीं चाहूंगा, उसकी वजह यह है कि यहां बहुत सी बातें होती हैं और हर एक में मेरा पड़ना उचित नहीं है।

जहां तक कमेटी वाली बात है सदन सहमत हो तो पांच आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय। जैसा आपने कहा मैं नाम बाद में बता दूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सहमत है।

श्री अध्यक्ष : सर्वसम्मत राय इसके लिये मैं जानना चाहूँगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, कल इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी थी, आदेश दिये थे कि जांच करवानी हो तो माननीय सदस्य महोदय उनको लिखित में इस प्रकार की बात प्रस्तुत कर दे। उसके बिना जांच नहीं हो सकती। क्या अध्यक्ष महोदय के पास वह अन्डरटेकिंग आगयी है ? कमेटी का आज निर्णय किया जा रहा है तो क्या मेरा यह एजम्पशन ठीक है कि अध्यक्ष महोदय के पास माननीय सदस्य की ओर से अन्डरटेकिंग आ गयी है ?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई रिटन में नहीं आया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो क्या फिर उपाध्यक्षजी की रूलिंग ओवररूल कर दी गयी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कमेटी का स्कोप क्या होगा आदि इसमें कई बातें हैं जो तय करनी होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सबसे पहले तो उस डोक्युमेन्ट, उस फाइल को जिसमें सम्बन्धित कागजात थे, उसको कस्टडी में ले लें ताकि वे इधर-उधर न हो सकें और डिस्ट्रोय न हो सके। मैंने यह निवेदन किया था कि मैं खुद एक प्रोपर मोशन लाने की सोच रहा हूं और उसके अलावा भी निर्णय लेना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कई मामले एस्टेब्लिश्ड हैं जिनको इन्कार नहीं किया है। मसलन 1500 बोरी का परमिट एक ही को दिया गया उस व्यक्ति को दिया गया जो शहर का नहीं है उस व्यक्ति द्वारा एड्रेस माननीय वित्त मन्त्रीजी के घर का देना, ये सब तथ्य उन डोक्यूमेन्ट्स पर ही है। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि मेरी साला नहीं है। यह भी कहा कि मैं जानता नहीं हूं और इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : लिखित में दें या नहीं यह सवाल है।

श्री चन्दनमल बैद : लिख कर देने का दायित्व आपके दल के सदस्य का है। मैं लिख कर देने के लिये तैयार हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम यह जानना चाहेंगे कि रूलिंग क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस फाईल को आप अपने कब्जे में ले लें।

(श्री प्रद्युम्नसिंह व श्री रामानन्द अग्रवाल दोनों साथ-साथ बोलते रहने से अश्रव्य)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर वह चीज कब्जे में नहीं लेते हैं तो सारा मोशन ही बेकार हो जाता है। सबसे पहले डोक्यूमेन्ट्स आप कब्जे में ले लें। प्रोपर तरीके से रूल्स रेगुलेशन्स के अनुसार मोशन ले रहे हैं कि कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये।

Page No. 58

श्री अध्यक्ष : मेरे करने का सवाल नहीं है। हाउस चाहता है तो कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : जैसा जोधपुर से आने वालों ने कहा। चेयर ने जब रूलिंग देदी तो लिखित में आप दे दें फिर रेकार्ड भी मंगवाया जा सकता है। बिना किसी आधार के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य जोधपुर से आने वालों ने कहा है, उपाध्यक्ष महोदय ने अपने रुलिंग में कहा बताया कि इस प्रश्न को लिखित में दे दिया जाय। पर आज इस मसले को नये तरीके से सदन के प्रांगण में प्रस्तुत किया गया है। यह मामला बड़ा गम्भीर हो चुका है। दस्तावेज भी मंगवाया जा सकता है। इसलिये नये ढग से इस मामले को लें और चिन्तन करें आज का मसला कल के मसले को तै करने में रुकावट नहीं डालता। बल्कि उसकी पूर्ति ही करेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्षजी ने रूलिंग दे दी। वे लिखित में दें तभी दस्तावेज मगाया जा सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am in possession of the floor. मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। आपकी तहजीव कुछ अलग है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी तहजीव मैं जानता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी तहजीब की तरफ देखकर मैं आपकी ओर आकर्षित हो जाता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब शक्ल भगवान ने ऐसी बनाई और जैसी बनाई उस पर क्या हो सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो इसमें सारा मामला समाविष्ट हो जाता है। अब आप (श्री प्रद्युम्नसिंह से) बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्षजी, कल जिस सीमेंट के परमिट की घटना लेकर आरोप-प्रत्यारोप सदन में लगाये गये जिस पर वित मंत्रीजी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया था। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज जिस पत्रावलि के सम्बन्ध में यहां जिक्र किया कि उसे टेम्पर विथ किया जा सकता है इसकी आशंका भी व्यक्त की। इस पर राज्य सरकार आपको व सदन को भी आश्वासन देना चाहती है कि अभी आदेश दे दिये जावेंगे कि उस दस्तावेज को कलेक्टर सील्ड कवर में रख कर अपने गजेटेड अफसर के पास आज ही पहुँचा दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह अध्यक्ष महोदय के पास पहुँचा दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : आप नियम जानते हैं। मैं भी जानता हूँ। अब अगर अध्यक्ष यह फरमा दें तो मैं इसके लिये भी तैयार हूँ। तो इस बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार ही हमें चलना होगा। जैसा कि माननीय उपाध्यक्षजी ने एक निर्णय दिया है कि एक कमेटी कान्स्टीट्यूट की जावे इसकी जांच के सम्बन्ध में वह की जाये और निर्णय हो जाए और यह निर्णय सदन के नेता से परामर्श के बाद लिया जाय यह उत्तम रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इस सम्बन्ध में मैं नियमों को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता हूं वह देखूंगा और नेता से भी बात करके कुछ करूंगा। मेरी वैसे सीमाएं हैं, वे भी स्पष्ट हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोकायुक्त को यह मामला सौंप दिया जाय। वह फिर किस लिये बना है। आप एफीडेविट दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इस लोकायुक्त के सामने इन लोगों के एक नहीं सौ मामले दिये जावेंगे। बराबर दिये जावेंगे। एफीडेविट भी दिये जावेंगे। आप देखेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तैयार हैं हम भी इसके लिये।

श्री केदारनाथ : ट्रेजरी बेंचों से कहा गया कि लिखित में दिया जाय। अब कोई चीज हाउस में आ जाय, उस पर पूरी डिबेट हो जाय। हाउस के नोटिस में आ जाय इसके बाद किसी से लिखित में लेने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है।

लोकायुक्त को रेफर करने की बात कही गई। उसे देना असेम्बली के सम्मान के अनुकूल नहीं होगा। लोकायुक्त को हमने बनाया है। इसलिये इस बारे में जो हाउस में निर्णय हो सकता है उसे रेफर करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लीडर ऑफ दी हाउस आ गये हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आन-ए-पोइन्ट आफ आॅर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, कल की इस बारे में चर्चा के समय में मैं नहीं था। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहां घटी है वह इस सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा के विरुद्ध थी इसमें दो मत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ आॅर्डर क्या है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अब हमने इस तरह के मसले को यहां इस ढंग से लाकर सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को तो गिराया ही है, लोकायुक्त की गरिमा को तो न घटावें इस मसले को वहां ले जाने की बात कह कर।

एक माननीय सदस्य : लोकायुक्त आज एक किनारे पंगु बन कर बैठा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: जो यहां हैं नहीं, उनके बारे में क्यों कह रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने भी, अध्यक्ष महोदय, एक पत्र प्रेषित किया है इस गरिमा को बनाये रखने के सम्बन्ध में और आप भी अपनी व्यवस्था सदन को गरिमा को बनाये रखने के लिये दे जा रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था दें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : उचित समय पर देखा जावेगा। आगे चलते हैं।

अब अगर आप सभी एक राय के हों तो मैं कुछ करने में समर्थ हो सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि लीडर ऑफ दी हाउस से पूछ कर कुछ किया जा सकता है। सदन की कोई कमेटी इसके लिये बनाई जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। मेरे दल को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बारे में सदन के नेता से परामर्श ले लिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य पर आरोप लगाये। आम तौर पर अगर एक सदस्य दूसरे सदस्य पर आरोप लगाना चाहता है तो इसके लिये चेयर के मार्फत नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। यह नियम भी है और सामान्य शिष्टाचार भी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार नहीं अनेक बार इस सदन से यह प्रार्थना कर चुका हूं कि मैं माननीय सदस्यों से सहयोग करके चलना चाहता हूं। डेमोक्रेसी में विरोधी पक्ष चाहे वह 1 बटे 51 के प्रपोर्शन में हो अथवा एक बटे 99 के प्रपोर्शन में हो उसका अपना एक महत्व है और मैं उस महत्व को किसी भी प्रकार से कम करके नहीं चलना चाहता। मगर साथ ही मैं यह भी अपेक्षा भी करके चलता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज हो तो कम से कम जो सामान्य नियम हैं और सामान्य शिष्टाचार है उसका तो पालन किया जाय।

मैं कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करके चलता था कि यदि उन्हें कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य से अथवा विशेष करके कैबिनेट के सदस्य से कहीं कोई शिकायत है तो पहले इसकी जानकारी मुझे देनी चाहिये थी इस टीम के हैड के नाते। अगर इसमें कहीं भी उनकी धारणाओं की मैं अवज्ञा करता प्रतीत होता तो इ के बाद में उन्हें इस बात का अधिकार है कि अपने पोइन्ट ऑफ व्यू को सदन में रखते। आपने जो भी तथ्य यहां प्रकट किये है उन तथ्यों को मैं यह नहीं कहता कि हमने नहीं सुना है या नोट नहीं ले रहे हैं। पर जैसा अध्यक्ष महोदय, चेयर की रूलिंग थी, जैसा मैंने अखबारों में देखा है, उसका यह कहना है कि लिख कर माननीय सदस्य उनको पहले दें। मैं पूछता हूं माननीय सदस्य इससे कतराते क्यों है? आखिर जो कुछ भी आपने या दूसरों ने इस सदन में इस बारे में कहा है उसको वरबेटिम रिकार्ड कर लिया गया है। उसके बाद जब चेयर ने एक बात कही और उसका विरोध नहीं किया गया तो आज विरोध उसका क्यों किया जा रहा है? यह बात समझ में नहीं आती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विरोध कहीं नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : रहा सवाल इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो विभिन्न प्रकार की शंकायें व्यक्त की गई है कि रिकार्ड को टेम्परविथ कर दिया जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्रीजी की यह इच्छा है कि उनके प्रति आशंकायें बनी रहे और न हमारी आकांक्षा है कि गवर्नमेन्ट के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की लेशमात्र भी शंका बनी रहे। हमारी यह इच्छा है अगर कोई बात कही गई है इस सदन में, पब्लिक के रूप में तो स्पष्ट रूप से सामने आये। इसलिये हमारे हित में यह होगा कि जिस रूप में भी कोई बात लावे, स्पष्ट लावे और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं भी यह हुआ कि इसमें कोई भी दोषी है तो हम कभी भी शील्ड करने को

(श्री हरिदेव जोशी)

कोशिश नहीं करेंगे। जहां तक रिकार्ड को देखने का सवाल है; उस पर तत्काल कार्यवाही कर ली जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ बातें कही है खास तौर से हमारे दल के सम्बन्ध में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे नियमों में यह प्रावधान है कि यदि किसी सदस्य के बारे में कोई आरोप लगाया जाय तो उसकी पूर्व सूचना दी जाय और मन्त्री के बारे में भी वही बात है जो सदस्यों के बारे में है। यह सही है कि माननीय योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। इस सदन में कई बार सूचना भी दी जाती है और कई बार बिना सूचना दिये हुए भी....

श्री हरिदेव जोशी : मेरा यह भ्रम हो सकता है.... जहां आप लोग हमारे बारे में कहने की कोशिश करें तो सामान्य शिष्टाचार और नियमों का पालन करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निश्चित रूप से किसी के बारे में कहें, नियमों और मर्यादाओं का पालन करना चाहिये और अगर कहीं उस नियम या मर्यादा की अवहेलना होती है तो यहां पर सदन में कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार का आब्जेक्शन उठा देते हैं और माननीय सदस्यों के आब्जेक्शन उठाने के बाद चेअर की तरफ से रोक दिया जाता है या उस पर व्यवस्था दे दी जाती है। कल जो हुआ वह दूसरे किस्म से हुआ है जिसका मैं दुबारा से रिपीटिशन नहीं करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय कम्युनिस्ट पार्टी से यह अपेक्षा करते हैं कि जो उनके, गवर्नमेन्ट के बारे में या उनकी गवर्नमेन्ट के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई बात नोटिस में आये तो इस प्रकार की बात हमें पहले मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से या मुख्य मन्त्री से कर लें। यदि वे इस प्रकार की अपेक्षा हम से करते हैं तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण बातें हों जो न केवल उनकी पार्टी से सम्बन्धित हों, जिसमें दूसरी पार्टी के लोग हो सकते हैं, उनका भी इन्टरेस्ट हो सकता है, इस प्रकार की बातें जो न केवल हमसे ही सम्बन्ध रखने वाली हों बल्कि सभी दलों से सम्बन्ध रखने वाली हो सकती हैं; दोनों पक्षों की बात हो सकती हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : (व्यवधान, अश्रव्य) .... समझौता ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों तरफ की बात हो सकती हैं। दोनों तरफ के सदस्यों का जिससे ताल्लुक हो सकता है। जहां तक इस सदन के नियमों का ताल्लुक है सब पर लागू होते हैं। कांग्रेस के सदस्यों पर भी और हम पर भी और उसका पालन दोनों ओर से होना चाहिये। इसी प्रकार मुख्य मंत्री महोदय को भी किन्ही महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे वार्ता कर लेनी चाहिये। यह तो दोनों तरफ की बात हुई। यह सही है लेकिन सदन में चेयर को व्यवस्था देने का अधिकार है। कोई मेम्बर आफेन्ड होकर अपने हाथ में चेयर के अधिकार ले लें, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वीकार करेंगे ये नियम उसको भी इजाजत नहीं देते हैं, चाहे सामान्य सदस्य हों, चाहे मंत्रिमण्डल के सदस्य हों तथा जिस प्रकार की घटना हुई उसमें यह अंश भी सम्मिलित है।

52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

माननीय मंत्री महोदय ने चेयर से हस्तक्षेप मांगे बिना अपने अधिकार में ले ली, जो उनके अधिकार में नहीं थी बल्कि चेयर के जरिये कह सकते थे, रोकने का अधिकार था, वे सब बातें हो सकती थीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं हमें कोई इन्टरेस्ट नहीं है किसी पर झूठे आरोप लगाने में और न हमें किसी की इमेज बिगाड़ने में दिलचस्पी है लेकिन अगर पब्लिक हितों में कोई भी बात करनी है, इस सदन में लाने की आवश्यकता है तो हम कभी भी नहीं हिचकिचायेंगे चाहे वह मित्र हो, चाहे मित्र पार्टी हो और चाहे अन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध हो। जो पब्लिक हित है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उस हित को, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश की जायगी अलबत्ता बहुत से मामलात है। मसलन कल ही 16 तारीख को गेहूं के सम्बन्ध में चर्चा होने वाली है दिल्ली के अन्दर। इस सम्बन्ध में जब हमने राजस्थान बन्द किया और बात की तो माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से यह कहा गया था····

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने पहले भी कहा है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : ···· (अश्रव्य) ···· राष्ट्रीयकरण को समाप्त करना चाहिये। हम इस बारे में विचार-विमर्श करना चाहेंगे। हम उनसे यह अपेक्षा करते थे ····

श्री अध्यक्ष : यह दूसरी बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम यह चाहते थे वहां जाने से पहले विरोधी दलों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और हमारा दल जो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रहा है, उससे बात करेंगे लेकिन वे जरूरी नहीं समझते हैं। वे यह समझते हैं जो कुछ वे कहें उसमें सब दल विश्वास रखते हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। यह उनका गलत खयाल है। यह बात दोनों तरफ हो सकती है। कन्सलटेशन आप करेंगे तो दूसरे दल भी करेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे दल भी नहीं करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ···· (व्यवधान, अश्रव्य) ···· अगर यही करना है तो राज्य सभा के सदस्य ····

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे खास तौर से निवेदन करना है ····

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब तो एक प्रस्ताव हमें बाहर निलकाने का और लाइये और अभी भी वह बात सुबह से कह रहे हैं। पहले भी दो महीने के लिये विकलवाने का किया था····

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कहें × × × × यह शोभा की बात नहीं है। माननीय सदस्यों को इस प्रकार कहना ठीक नहीं है हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि आपकी मृत आत्मा के लिये हम जाप करना चाहते हैं तो ····

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के दल को उतनी पीड़ा नहीं है, जितनी माननीय सदस्य गुमानमलजी को हो रही है ···· (व्यवधान, अश्रव्य) ····

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × × यह, अध्यक्ष महोदय, अशोभनीय शब्द हैं।

× × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गयी।

Page No. 63

(53)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सदन की मर्यादा का प्रश्न है, सदन की गरिमा का प्रश्न है। बार-बार माननीय सदस्य गालियां दें, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें। माननीय सदस्य, नये सदस्य भी नहीं है, 20 सालों से बराबर सदस्य हैं। निश्चितरूप से सदन की मर्यादा का प्रश्न है। इसलिये मेरा निवेदन है ऐसे प्रश्नों पर दलों से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये, चाहे किसी दल से भी सम्बन्धित वह प्रश्न हो, जनसंघ से हो, सोशलिस्ट पार्टी से या स्वतन्त्र पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो या संगठन कांग्रेस से हो। सदन की गरिमा का प्रश्न है, सदन की महिमा का प्रश्न है, सदन की इज्जत का प्रश्न है जो समाज में है। कल जनता का आदमी सुनेगा वह क्या कहेगा कि × × × × × इसलिये मेरा आपसे निवेदन है आप इस बारे में व्यवस्था करें। यह पार्लियामेन्ट्री है या अन-पार्लियामेन्ट्री है इस बारे में आप व्यवस्था दें। मैं रामानन्द जी को निकलवाने के बारे में नहीं कहता। वे चुनाव जीत कर आये हैं, अपने विचार रखें, उनका अपना अधिकार है। यह दूसरी बात है कि कांग्रेस की मेहरबानी से चुनाव जीत कर आये हैं लेकिन चुनाव अवश्य जीत कर आये हैं ऐसी स्थिति में ऐसा प्रसंग सदन में दुबारा नहीं लाया जाय. उनको रेप्रिमेंड किया जाय।

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्रीजी ने अभी जवाब दिया, क्या वे इस प्रस्ताव का विरोध, यानी कमेटी की बात जिस संदर्भ में आई है—दोनों पक्षों से लिखकर दे दें तो मैंने माननीय हाण्डा साहब से बात की है वे लिखकर देने को तैयार है क्या हाउस के नेता महोदय यह कहते हैं कि उन्हें कोई कमेटी बनाने में आपत्ति है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर विचार।

आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट का अगर सही असेसमेन्ट करना हो तो मान्यवर फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के जो आब्जैक्टिव्स हैं और इस बजट में उस प्लान के आपरेशनल वेल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो····

श्री अध्यक्ष : अभी जब माननीय जोधपुर से आने वाले सदस्य बोल रहे थे उन्होंने भी इन शब्दों को दोहराया जो कि कल कहे गये थे। उनको मैंने असंसदीय करार दिया था और आज भी वह सदन की कार्यवाही में से निकाले जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या माननीय गुमानमलजी ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया था।

श्री अध्यक्ष : दोहराने वाली बात कही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जब तक जनतंत्र में विश्वास है तब तक मैं ऐसे शब्दों की भर्त्सना करता रहूँगा।

× × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गयी।

श्री केदारनाथ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि बजट को पढ़ने के बाद एक खूबी तो है कि इस बजट में जो अकाउन्टिंग क्लासिफिकेशन किया गया है, वह तारीफ के लायक । अध्यक्ष महोदय, आइन्दा व्हीट की कीमतें बढ़ेंगी। उसका फैसला कल दिल्ली में होने वाला है।

(1.32 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री जो वहां पर फूड कान्फ्रेन्स में जाने वाले हैं। मैं इसलिए सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन्स के बारे में कहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि कल जो फैसला होने वाला है उसके बारे में हमारी क्या राय है....

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात पर) आॅर्डर प्लीज!

श्री केदारनाथ : हमारा क्या स्टेण्ड है उसके बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन ने व्हीट की प्रोक्योरमेन्ट प्राइसेस को बढ़ा दिया और आज से चार महीने पहले गवर्नमेन्ट आॅफ इन्डिया ने उसकी सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दी। अब जो रिकमन्डेशन्स हुई है उसमें 16 रुपये से लेकर 19 रुपये का फर्क है। मान्यवर, इन कीमतों का असर हमारे बजट पर डाइरेक्टली पड़ेगा। कीमतें 90 रुपये क्विन्टल हों, 95 रुपये क्विन्टल हों, 100 रुपये क्विन्टल हों—कीमतें बढ़ने के बाद राज्य सरकार को इश्यू प्राइस बढ़ानी पड़ेगी और इश्यू प्राइस बढ़ती है तो केन्द्रीय सरकार को सब्सीडी बढ़ानी पड़ेगी। और सब्सीडी आपने बढ़ाई तो डेफिसिट फाइनेन्सिंग आयेगा और उसका असर प्राइसेस पर पड़ेगा। यह ऐसा विशाल मुश्किल है कि एक के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है इसलिए जब तक रिकमन्डेशन को मानने की बात करें तो सोच लें और मेरी यह मान्यता है कि आइन्दा फूड की प्राडक्शन में कमी है और हमारा डोमेस्टिक प्राडक्शन है और जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन है उसका आपस में मेल नहीं, दो साल लगातार फूड के पैदावार में कमी रही और हम बफर स्टाक पर डिपेण्ड करते रहे और उसका रिजल्ट यह हुआ कि आज वह बफर स्टाक भी समाप्त हो गया है और वर्ल्ड मार्केट में फूड की कीमतें बढ़ गयी हैं। आइन्दा वहां पर व्हीट उन प्राइसेस के लिहाज से मिलने वाला नहीं है इसलिए हमारी मान्यता है कि अगर आपने इस नेशनेलाइजेशन को स्क्रेप किया और किसी तरह से लोकल फ्री मार्केट की तरफ ले गए तो देश को आप ड्राट कन्डीशन्स की तरफ ले जायेंगे। जो नेशनेलाइजेशन का नियम बनाया है उसका मजबूती से पालन करें और प्रोक्योरमेन्ट प्राइस को बढ़ाते हैं तो मानकर चलें कि आइन्दा जितना भी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की मार्फत व्हीट बेचना है कम से कम कर्मचारियों को, स्टूडेन्ट को, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, लेण्डलेस लेबर को, मार्जीनल फार्मर्स को और जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले हैं सबसीडाइज्ड रेट पर दो ताकि आपने जो अपने आॅब्जेक्टिव्स में तय किया था कि पापुलेशन को फीड करना हमारी कान्स्टीट्यूशनल लाइबिलिटी है, हमारा आब्लीगेशन है तो मान्यवर, मैं यह इसलिए अर्ज कर रहा था कि कल जो होने वाली चीज है, उसके लिए राज्य सरकार ने क्या फैसला किया ? राज्य सरकार की केबिनेट क्या फैसला करके गयी हैं ? तो हमारा स्टेण्ड तो हमने स्पष्ट कर दिया।

(श्री केदारनाथ)

मान्यवर, इस बजट पर बोलने से पहले और बजट जिस बैकग्राउण्ड में पेश किया गया है आज सारे देश में इनफ्लेशन 10 हजार करोड़ का है और मान्यवर, 11 हजार करोड़ ब्लैक मनी और ब्लैक इन्कम के रूप में है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा इकानामिक क्राइसेस पैदा हो गया कि हम सन् 1951-52 से आज तक देखें तो पांच गुना मनी सप्लाई में इन्क्रीज हुआ है और नेशनल इन्कम में दो गुना और पर-कैपिटा में केवल सवा गुना इन्क्रीज हुआ है। इसके साथ ही साथ ब्लैक मनी सप्लाई से भी ज्यादा बढ़ गया। आज राज्य सरकार कहे कि यह सेन्टर का मसला है तो मान्यवर, मेरी यह मान्यता है और धारणा है कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने ब्लैक मनी और ब्लैक इन्कम पिछली साल बढ़ी है उसमें कन्ट्रिब्युट किया है। वह कैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं।

चने की खरीद जब मई-जून में की तो 85 रुपये 90 रुपये क्विन्टल का भाव था। मान्यवर काश्तकारों से लेवी ली। तीन महीने के बाद स्टेट के बाहर जाने की इजाजत मिल गयी। बाहर बेचने की इजाजत मिल गयी 20 परसेन्ट तो आपको लेवी से मिल गया और 80 परसेन्ट व्यापारियों ने जिसने 90 रुपये क्विन्टल के भाव से प्राप्त किया 200 रुपये के भाव से उसने बाहर भेजा है। यह ब्लैक मनी नहीं है क्या? यह ब्लैक इन्कम नहीं है क्या? और मान्यवर, जिस व्हीट को आपने पाबन्द किया। कुछ डिस्ट्रिक्ट के जोन बनने के बाद तीन महीने के बाद आपने खुली छूट दे दी कि कहीं पर भी जाकर बेच सकते हैं और किसी भी मूल्य पर बेच सकते हैं। मान्यवर, किस ने बेचा यह? छोटे काश्तकारों ने अपनी फसल निकालने के बाद वह केवल 15 दिन बाजार में लाया। वह रिटेन नहीं कर सकता और उसने सारा का सारा माल मार्केट में पेश कर दिया। उसको 75 रुपये क्विन्टल ही मिला। वह बड़े काश्तकार ने ट्रेडर्स से मिलकर, कुछ पालीटिशियन्स से मिलकर, आफिशियल्स से मिलकर उसको रिटेन किया और तीन महीने के बाद वह कीमत 160 और 170 रुपये क्विन्टल पहुंचती है। यह ब्लैक मनी क्या आपके एक्शन से पैदा नहीं हुआ?

एक बात और कहना चाहता हूं कि जयपुर के आसपास लगातार पिछले दो साल से जो खेती-बाड़ी की जमीन है उसमें मकानात बन गए, इन्डस्ट्रीज बन गयीं और हाउसिंग सोसाइटीज ने 5 रुपये गज के हिसाब से काश्तकारों से जमीन ले ली और वही हाउसिंग सोसाइटी आज 35,36 और 40 रुपये के हिसाब से बेच रही है। कितना पैसा कमाया है? किस के पास गया? मिडिल मैन के पास। किस ने मौका दिया? यह सब राज्य सरकार ने दिया।

ऐसे ही मान्यवर, काटन का सीजन शुरू हुआ। काटन कार्पोरेशन ने एक महीने के बाद आपरेट करना शुरू किया। बड़े-बड़े तीन-चार व्यापारियों को गंगानगर का सारा जिला सौंप दिया और 250-300 रुपये क्विन्टल से वहां पर खरीदा जिसकी कीमत 350 रुपये होनी चाहिए। यह मारजिन केवल इसलिए कि कुछ व्यक्ति जाकर दिल्ली में काटन कार्पोरेशन इन्चार्ज से मिल गए, आपरेशन में डिले कर दी और एक महीने तक सारे गंगानगर जिले में लूट रही मान्यवर, आपके कदम हैं जिन्होंने ब्लैक मनी को पैदा किया और इसके बाद में

(श्री केदारनाथ)

सीलिंग पर जितनी जमीनें हैं, अरबन लैंड और रूरल लैंड हैं शहरी और ग्रामीण एरिया में उनका बेचान किया पाबन्दी के बावजूद। यह बेचान इतना हुआ कि करोड़ों रुपयों में हुआ। फोरेस्ट बिके, जमीनें बिकीं, सीलिंग होने के बावजूद मकानात बिके हैं। आखिर तक राज्य सरकार चुप रही है इन बातों पर। ये सारे सेल हो गए, ब्लैक मनी पैदा हो गई, लोगों ने फायदा उठा लिया लेकिन राज्य सरकार चुप रही। इसलिये मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार का यह स्टैंड कि ब्लैक मनी हमारा सब्जैक्ट नहीं है, ब्लैक इन्कम हमारा सब्जैक्ट नहीं है. डेफिशिट फाइनेंसिंग ऊपर सेंटर से आता है, यह कहना गलत है क्योंकि बजट के मार्फत फाइनेंस मिनिस्टर ने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर ट्रांसफर कर दी। एक साल में जो हालात हुए हैं उसकी वजह से एक साल में कीमतें बढ़ीं। जो लैंडलेस किसान हैं, जो मार्जिनल किसान हैं जो छोटे किसान हैं, जो आम अनआर्गनाईज्ड लेबर हैं, उन पर इन कीमतों का कितना इम्पैक्ट पड़ा। उनका रोजगार कम हो गया, कीमतें बढ़ने से कंजम्पशन कम हो गई और उसके बाद आप यह कहें कि आयन्दा हम गरीबी हटा देंगे? बराबरी पर ला देंगे? मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, यह बजट फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के ओब्जैक्ट को रिफलैक्ट करता है, उनसे मेल नहीं करते हुए तो इस बजट को हम कभी अच्छा बजट नहीं कह सकते। इसलिए मैं उस बात पर आता हूं, मान्यवर, कि हमारी दिल्ली की सरकार ने अपने फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के अप्रोच में, प्लान के ड्राफ्ट में एक बात कही है कि प्लान के तीन ओब्जैक्टिव हैं, एक सैल्फ रिलायंस, दूसरा रिमूवल आफ पावर्टी और तीसरा एम्प्लायमेंट। मैं एक सब्जैक्ट को लेता हूं रिमूवल आफ पावर्टी। अगले पांच साल में उन्होंने अपना सही दिमाग इस बात पर लड़ा दिया कि हम को पांच साल में पोपुलेशन का बोटम से थर्टी परसेन्ट उसको पावर्टी लाइन से ऊपर ला देंगे, उसको पावर्टी लाइन से बाहर निकाल देंगे, अगर यह स्पष्ट हो ड्राफ्ट में तो मैं मान सकता हूं कि आप कुछ कर सकेंगे। लेकिन केन्द्र सरकार का और राज्य सरकार का क्या मकसद है। आयन्दा पांच साल के अन्दर कैसे खर्चा किया जाएगा, ऐसे प्रोग्राम किए जायेंगे, ऐसे मेकेनिज्म को, ऐसी स्ट्रेटेजी को अडाप्ट किया जाएगा कि जो बोटम से थर्टी परसेंट पोपुलेशन को पावर्टी लाइन से बहार निकाल लायेंगे। मगर ड्राफ्ट पेपर में, अप्रोच पेपर में वह चीज नहीं मिलती है, मान्यवर, वह स्टेटमेंट्स में जरूर मिलती है। इसलिए मेरी मान्यता है, मान्यवर, और मैं सुझाव देना चाहता हूं, कि अगर आप फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को फाइनल शेप देना चाहते हैं, इसका एक अप्रेल से आपरेशन शुरू होने वाला है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें डिले होगा क्योंकि अभी तक यह नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग में पेश नहीं हो रहा है, उसमें आप यह स्पष्ट कीजिए कि आप यह थर्टी परसेन्ट जो बोटम से पावर्टी है, जो पोपुलेशन है, उस पर आपने आज तक कितना खर्च किया है, इन लगातार बीस सालों में कितना खर्चा किया है और कितना कंजम्पशन लेवल बढा पाये हैं। मैं जानता हूं कि आप नहीं बढ़ा पाए। तो आयन्दा

(श्री केदारनाथ)

इन पर कंजम्प्शन लेवल बढ़े, यह लोवरिंग अप हो और ऊपर के लेवल की जो थर्टी परसेन्ट पोपुलेशन है, अपर क्लास है, अपर क्लास पोपुलेशन है उसकी आमदनी कम हो, उसका खर्चा कम हो उस पर टेक्सेशन लगे और वह टेक्सेशन ट्रांसफर हो इस थर्टी परसेन्ट बोटम पोपुलेशन पर। इसके लिए, मान्यवर, स्ट्रेटेजी तैयार हो, आपका मेकेनीज्म तैयार हो जिससे मालूम पड़े कि वहां से किस प्रकार से वसूल होगा और किस प्रकार से इस्तेमाल होगा इस बोटम पोपुलेशन के स्टेंडर्ड आफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। मान्यवर, सारे इकोनोमिक ग्रोथ का क्राइटेरिया यह होगा। आप आम गरीब आदमी का स्टेंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाने के लिए स्टेट की इकोनोमिक ग्रोथ को बढाते हैं वह सही क्राइटेरिया है। इकोनोमिक ग्रोथ हुई है लेकिन आम तौर पर स्टेंडर्ड आफ लीविंग गिरा है। इसके मुकाबले चाइना ने पिछले साल में यह सिद्ध कर दिखाया कि उसका स्टेन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ा है, कंज़म्प्शन बढ़ा है।

मान्यवर, अब मैं आपको निवेदन करूं कि राज्य सरकार ने और केन्द्र सरकार ने अपने ओब्जैक्टिव तय करने में क्या स्ट्रेटेजी और क्या मेकेनिज्म तैयार किया है। अभी ड्राफ्ट प्लान स्टेट ने पेश किया। केवल दो सौ करोड़ रुपया लैंडलेस के ऊपर, मार्जिनल किसानों के ऊपर, उनकी हालत को इम्प्रूव करने के लिए खर्च करेंगे सारे देश पर। इसमें स्टेट का एलोकेशन क्या होगा? क्या इन दो सौ करोड़ से सारे देश के मार्जिनल किसानों की, आम किसान की हालत को सुधार सकेंगे। अब इसके लिए भी आपने क्या मशीनरी अडाप्ट की है, क्या मेथड अडाप्ट किया है। आपने यह स्ट्रेटेजी ली है कि जो गांवों में को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज हैं, जो पंचायतें वर्क करती हैं उनकी मार्फत इस सारे के सारे बेनिफिट को उन तक ट्रांसफर करेंगे। मुझे मान्यवर, इसकी सफलता में शक है। आपने सीलिंग लॉ का आपरेशन देख लिया, आपने क्रेश प्रोग्राम का आपरेशन देख लिया, अभी तक जो सोशल डेवलपमेंट, मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स के डेवलपमेंट में जो अचीवमेंट हैं वह भी आपने देख लिया। इनके अन्दर लीकेजेज बहुत हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितना आप एलोकेट करते हैं, जितना पैसा उनके बेटरमेंट पर लगाना चाहते हैं उसका सही उपयोग हो। उसका बेनिफिट उन तक पहुंचे तो आप उनकी कमेटी बनावें लैंडलेस की कमेटी बिठायें, मार्जिनल किसानों की कमेटी बिठायें, स्माल फार्मर्स की कमेटी बिठावें और उनको इसके साथ जोड़ें ताकि उनके माध्यम से उनका राइट डायरेक्शन में और सही तरीके से उपयोग हो, वरना केवल आप आफिशियल्स के मार्फत इसको करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से फेल होंगे।

मान्यवर, इस बजट के बैकग्राउंड में सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन का भी असर है। मान्यवर, मैंने सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को बड़े गौर से पढ़ा। आप यहां पर, हमारे वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि हमें बड़ा संतोष है, हम आभारी हैं। उन्होंने जो देश की रेवेन्यू है उसका बंटवारा करने में प्रोविंस की बैकवर्डनेस को वेटेज दिया इसमें। उन्होंने एलोकेशन्स का डिमार्केशन बदला। मैं मानता हूं कि फिफ्थ

Page No. 68

(58)

(श्री केदारनाथ)

फाइनेंस कमीशन की एक बड़ी दिक्कत थी कि नौन-प्लान कैपिटल गैप विदिन दी परव्यू नहीं था। इसके अन्दर वह परव्यू एड कर दिया। नम्बर एक। दूसरा एक और चीज जोड़ दी पावर्टी ऑफ दी स्टेट और बैकवर्डनेस ऑफ दी स्टेट को ध्यान में देखते हुए पैसा देने की बात को नए नार्म में वैटेज दिया। इस आधार पर उन्होंने ज्यादा पैसा एलोकेट किया। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अपग्रेड करने के लिए आप गाइड लाइनें दीजिए। इसमें दूसरी बात पहली बार नहीं है। सही स्थिति को, सही ओब्जैक्ट को सर्वेस करने के बाद रिसोर्सेज का एलोकेशन किया है, यह ठीक बात है मगर इसके अलावा रिसोर्सेज में जो गैप है कहीं-कहीं पर मेकअप नहीं कर पाए हैं, इसके लिए गाइड लाइन दिया है।

मान्यवर, जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था कि हमारा जो मेमोरेंडम सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन को पेश किया गया उसमें कहा गया कि पांच साल में मेजर इर्रीगेशन प्रोजैक्ट पर 13 करोड़ की हमारी बचत होगी और 11 करोड़ का खर्चा होगा। मान्यवर, वह सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन यह कहता है कि अगर इस सारी की सारी रकम पर एक परसेंट ब्याज भी आप लगायें तो पांच साल में, 74 से 79 तक के पीरियड में आपको 11 करोड़ रुपये मिल सकता है। और मान्यवर, मैं टैक्स की बात को छोड़ देता हूं टैक्सों की बात नहीं करता, मैं मीडियम इर्रीगेशन की बात नहीं करता, उन्होंने एक बात कही, दास कमेटी की रिपोर्ट का हवाला भी दिया कि आपकी टैक्सेज की इन्कम कितनी है बीस साल में और टैक्स जो आप लगाते हैं वे कितने हैं तो इसका रेश्यो आता है 1:12 का। आप रिसोर्सेज को आप मोप-अप करें, पर्टीक्यूलर प्रोसेस से करें। जहां तक प्लानर्स का सम्बन्ध है उनको प्लानिंग की बात बैठाने का अधिकार है लेकिन जो उसके ओब्जैक्टिव तय करना है, इसके इम्पेक्ट तय करना है, किस-किस पर कितना खर्चा करना है, किनको प्रायरिटी देनी है यह पोलिटिशियन तय करते हैं। उसका अप्रोच ड्राफ्ट तैयार करने के बाद ओब्जैक्टिव तय करने के बाद यह प्लानर्स की ड्यूटी हो जाती है कि रिसोर्सेज को मोप-अप करें और इसके लिये गाइड लाइन दें, डायरेक्शन दें। इसलिए आप जो यह मानते हैं कि सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन से आपकी बात को मान कर सबसे ज्यादा आपको दिया है तो यह आपकी गलतफहमी होगी अगर आप एलोकेशन को देखें मान्यवर, जो सेन्टर ने टैक्सेज ट्रांसफर किए हैं स्टेट्स को, शेयर ऑफ टैक्सेज ग्राण्ट-इन एड के नाम पर 275 आर्टिकल कांस्टीट्यूशन के तहत, उसमें 9609 करोड़ है, और उसमें हमारे राजस्थान के शेयर टैक्सेज हैं 3033 करोड़, ग्राण्ट-इन--एड के तहत 2032 करोड़ और 258 करोड़ रुपये डेब्ट। इस तरह से राजस्थान को 7 परसेन्ट ट्रांसफर हुआ है टोटल सेंट्रल असिस्टेंस का। पहले फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में हमें मिला है फाइव परसेंट और अब दो परसेंट और मिला कर दिया है केवल सात परसेंट, जबकि बाकी स्टेट को क्या मिला है वह देखिए। उत्तर प्रदेश को 13 परसेंट बिहार को 8.4 परसेंट, आंध्र 8.4 परसेंट, वेस्ट बंगाल को 8.4 परसेंट और उसके मुकाबले में 7 परसेंट और आप कहते हैं कि क्योंकि हमने मेमोरेंडम पेश किया, हमने अपनी चौकसी के साथ आंकड़े पेश किये और हम पर रहम किया गया,

(श्री केदारनाथ)
ऐसी बात नहीं है। उन्होंने नार्म बदल दिया कोनिकल बैकवर्डनेस की वजह से, लगातार पड़ने वाले फैमिन और ड्राट की वजह से, पर कैपिटा इन्कम, सबसे ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होने के कारण उन्होंने इस पर वेटेज दिया है और एलोकेशन किया है।

दूसरा हमारा एक फायदा और बताया मैं मानता हूं इस बात को और यह भी उन्होंने कहा है, जब ड्राफ्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना प्लान को इसमें इन्ट्रैस्ट नहीं करेंगे, व 272 प्लान में कितना वेरीफाई कर दिया जायेगा। मान्यवर, जहां 75 करोड़ रिसोर्ड करने जा रहे हैं। 100 करोड़ से आप 75 करोड़ पर आ गये हैं। सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की कोई गाइड लाइन नहीं है। नई गाइड लाइन लगायेंगे। मान्यवर, जो यह फास्फेट पर टैक्ट लगाया है, इससे फर्टिलाइजर की कीमत इनक्रीज हुई है। इस बारे में आंकड़े पेश करेंगे कि यह इकानामिक है तो यह मानेंगे नहीं। यह कहेंगे कि यह टैक्स नहीं है। लेकिन यह टैक्स के रूप में है। इसलिए मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि जब सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन व सेन्ट्रल फाइनेन्स रूल्स को हम ऐसा मानकर चलते हैं तो स्टेट का फर्ज है कि लोकल बोडीज जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हैं, ये डेमोक्रेसी की बेसिस हैं। इनको कैसे पनपायें। ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बेसिस हैं। इनको फाइनेन्शियल, कैसे बनाये। इनको पावर कैसे दें। यह भी इन्होंने कहा है। लेकिन यहां हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर चुप हैं। 50 पैसे की जगह एक रुपया कर दिया गया। इन्टरटेनमेन्ट टैक्स जो ले रहे थे, वह डबल कर दिया गया है। आज से 10 साल पहले एक कांशस पैदा हुई। यह क्या हुआ जो ब्लडी रेवोलेशन चाहते थे। उन्होंने बैठकर अपना प्रस्ताव पेश किया। जो हमारी डेमोक्रेसी को चैन्ज करना चाहते थे, उनमें चैन्ज आया है। आहिस्ता-आहिस्ता पार्लियामेन्ट के कामों में, वर्किंग से यह डेमोक्रेटिक इरोजन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो लाजमी है। फाइनेन्स रिलेशन आपका क्या है। कितनी पावर्स आपकी है। हमारा यह कहने का हमेशा यह मतलब रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर फाइनेन्स रिलेशन बढ़े। सारा का सारा पैसा पंचायतों को दो। यह जो सारा पैसा स्टेट स्कीम के बाहर खर्च होता है इसका खर्चा इलेक्टेड बाडी का होना चाहिए। आप सरपंचों और चेयरमैन को दे रहे हैं। वहां आप उनको टेक्निकल गाइडेन्स दीजिये। इसके लिए बेसिकली पावर ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें देकर म्युनिसीपैलिटी और पंचायतों को आप जिन्दा रखना चाहते हैं। यह जनता की मांग नहीं है।

मान्यवर, यहां यह भी कहा गया है कि सीलिंग के बारे में नया कानून ला रहे हैं। पिछली बार लैण्ड और बिल्डिंग टैक्स के नाम से हमने कानून बनाया है। उसकी 50 लाख की बढ़ोतरी की बात करते हैं। मान्यवर, यह कानून क्या वापस लेना है। 50 हजार पर यह टैक्स था। चाहे मकान एक है, दो हैं या चार हैं। उसका सारा क्लेमिंग करने के बाद टैक्स लगेगा।

मान्यवर, इस प्रापर्टी टैक्स के बारे में घोषणा कर देनी चाहिए। सरकार इसका आक्शन करे या कुछ भी, यह पैसा सरकार को आना चाहिए। इसी तरह से आसपास

(श्री केदारनाथ)

की जमीन आपके पास रहने वाली नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी की समस्या आप हल नहीं कर पायेंगे।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति का कानून पेश किया गया था। उसमें यह रूल है, क्लोजेज हैं। राज्यपाल या चीफ मिनिस्टर अपोजीशन के ग्रुप के नामिनी को नोमीनेट।

With all respect to the meritorious services rendered by this Gentleman....

इस रिगार्ड के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि लोकायुक्त के पद पर चीफ जस्टिस के केडर का आदमी होना चाहिए। मीटिंग में आई० डी० दुआ का नाम राज्यपाल महोदय ने दिया। मेरा फर्ज था नामिनी के नाते मैं बोला। मीटिंग में नाम पेश किया गया। सबने एक स्वर से कहा बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। लोकायुक्त की जिम्मेदारी, उसके एक्शन लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के पास नहीं है। मैंने राइटिंग में ओब्जैक्शन रेज किया। उसके बाद वह नियुक्त कर दिये गये थे। जिस कानून में खामी हो उसके तहत काम कैसे हो सकता है? उसका नतीजा यह है कि जबसे नियुक्त हुए एक भी केस नहीं हुआ है। विजिलेन्स कमेटी के चेयरमेन हैं। वह राज्य सरकार की मंशा के अनुसार होगा। ज्युडिशियरी में भी यहां राजस्थान में कोई इन्साफ नहीं हुआ है। जो कानून पेश किया है, उसमें कैसे अमेण्डमेन्ट हैं। कैसे एक्शन लें, कैसे कमीशन बैठायें। अब यह दुबारा सवाल पैदा हो गया है। स्पोर्टस् के बारे में कहा गया है। हरियाना और पंजाब में स्पोर्टस् कालेज हैं। जो लड़का 4-5 साल का फिजिकली फिट हो उसको टेम्परामेन्ट देखने के बाद भर्ती कर लेते हैं। दस साल अपने पास रखते हैं, सारी एजूकेशन देते हैं और सारी गाइडेंस देते हैं, और ऐसे क्लाइमेट, ऐसे एटमोशफिअर में रखते हैं, ऐसे कोचेज की गाइडेन्स में रखते हैं कि उनके अन्दर जो पोटेंशियलिटी है, जो इनहैरेंट ताकत है, पावर है, उसका विकास हो। इसलिए केवल पांच दस लाख रुपया देने से स्पोर्टस् को इन्सेंटिव मिलने वाला नहीं है। इसके सम्बन्ध में जब एजूकेशन की डिमाण्ड जायेगी, मैं विस्तार से कहूंगा।

अब मैं अन्त में अपने इलाके की बात करते हुए यह कहना चाहता हूं कि एक वक्त था जब पोलिटिकल पार्टीज के प्रति बड़ा विश्वास था। आज पालिटिशीयन्स के प्रति विश्वास उठ गया है। वैसे मैं नहीं चाहता, एम.एल.ए. और एम.पी. के लोक आयुक्त को केसेज रेफर हों, लेकिन हमारे खुद के केसेज हों भ्रष्टाचार और मेल प्रेक्टिस के, आखिर उनको कौन ट्रेस करेगा, हमें कौन सबक सिखायेगा? पालिटिकल फील्ड में, मैं मानता हूं, वह मूमेंट, वह वक्त आ गया है क्योंकि पालिटिकल लाइफ को इतना महँगा बना दिया है, इलेक्शन को इतना कोस्टली बना दिया है, पालिटिकल कैरियर को इतना कोस्टली बना दिया है कि आम आदमी, मैन इन दी स्ट्रीट, गांव का देहाती यह इमेजिन नहीं कर सकता कि वह एम. एल. ए. या एम. पी. बन सकता है। पालिटिकल पर्सन की प्रापर्टी की जांच नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार शुरुआत करे एम. एल. ए. अपने असेट्स

(श्री केदारनाथ)

की लिस्ट सदन की मेज पर रखें, सदन की मेज पर रखें वह ओपन टू पब्लिक होनी चाहिये। मैं यह भी मानता हूं कि मिनिस्टर अपने असेंट्स की लिस्ट देते हैं वह चीफ मिनिस्टर को न दें, स्पीकर को दे दें ताकि हम देख सकें। आयन्दा हम देश में चाहते हैं कि डेमोक्रेसी पनपे तो आपको एक लिमिट तय करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा जिसके पास पैसा है, उससे ज्यादा जिसके पास जमीन है, उससे ज्यादा जिसके पास असेंट्स हैं बैंक में या बाहर, वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले पायेगा। ऐसी एन्ट्री आप बन्द कर देंगे तब जाकर पालिटिकल लाइफ में शुद्धता आयेगी।

अपने इलाके की एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अब सड़कों की रिपेयर और मेन्टेनेन्स के बारे में पैसा दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डो-पाक अग्रेशन के वक्त जिन इलाकों में मिलिट्री का मूवमेंट था, उसके कारण सब लोगों को नुकसान हुआ है। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर-वहां पर आप केवल इतने मनी का एलोकेशन करने के बाद यह सोच लें कि सड़कों की रिपेअर हो जायगी, मेन्टेनेन्स हो जायगी तो गलत बात है। आपको उनके लिए स्पेशल एलोकेशन करना पड़ेगा।

तीसरी बात, इण्डो-पाक अग्रेशन के वक्त जो फसल को नुकसान हुआ, केन्द्र ने मुआवजे की रेट्स तय करदी, क्वान्टम तय कर दिया कम्पेन्सेशन का, लेकिन अब तक गंगानगर के इलाके में काश्तकारों को अपनी फसल का मुआवजा नहीं मिला है। पैसा दया है केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने दिया लेकिन पैसा सेन्टर के पास पड़ा है और राज्य सरकार नहीं ले रही है।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर चार-पांच साल से पोंग डेम की बात चल रही है मगर पोंग डेम के अन्दर वाटर फिल अप हो जाता, बरसात का पानी उसमें स्टोरेज होता तो आज वाटर रेन की कमी के कारण, लगातार क्लोजर के कारण गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल तक में, तो भी करोड़ों रुपये की हमारी फसल है वह बच जाती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब गंग कैनाल 79 आर.डी. में एक नहर निकाल रहा है, लेकिन न राज्य सरकार ने लिख कर दिया है, न मीटिंग हो रही है आज तक कोई अधिकारियों की, न कोई एक्शन है, न कोई प्रोटेस्ट है।

अन्त में यह कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि इस बजट के प्रपोजल्स को देखते हुए, बजट के काम्प्लेक्शन को देखते हुए, बजट के इम्पेक्ट को देखते हुए, जो आयन्दा इम्पेक्ट एक साल के अंदर कितना हमारी मासेज पर होगा, जबकि हमारी सरकार प्राइस, वेजेज और प्राडक्शन में रिलेशन पैदा नहीं कर पायी है, और जो दबे हुए हैं 30 परसेन्ट उनको उस स्थिति में से निकालने के लिए प्लॉन नहीं है, कोई प्राजैक्टिव नहीं है। इसलिये मैं बजट को पसन्द नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी !

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने प्रदेश की विषम आर्थिक परिस्थितियों में बजट को संतुलित और कम घाटे का रखने का प्रयास किया है

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। वित्त मंत्री ने शुरू में ही राजस्थान की विषम परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उसके कारणों को बताने की चेष्टा की है उन सब कारणों के बारे में कि जिनके कारण प्रदेश में, ये विषम परिस्थितियां पैदा हुई इसमें दो राय नहीं हैं। बंगला देश की मुक्ति के लिए संघर्ष, शरणार्थियों का भार, दो तीन वर्ष से निरन्तर पड़ने वाले अकाल, देश के अन्दर बिजली की कमी से जो औद्योगिक उत्पादन हो सकता था, उसका न होना और राजस्थान पर बढ़ता हुआ कर्ज का भार-यह कारण हो सकते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि राजस्थान में आजादी के पचीस साल के बाद आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिये थी, वह नहीं सुधर पाई, और जो योजनाएं इनके द्वारा गरीब और अमीर के बीच का फर्क मिटना चाहिए था, वह नहीं मिट पाया तो यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि योजनाओं में प्राथमिकता रखने में कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो, या इन योजनाओं को लागू करने में कहीं कोई कमी रह गई है। जब देखते हैं कि इन पिछले पचीस साल की स्वतन्त्रता के बाद भी आज राजस्थान और सारे हिन्दुस्तान में खाद्य की कमी है, जब देखते हैं, खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़े, 1970-71 1971-72, 1972-73 के तो मालूम पड़ता है कि क्रमशः 18 परसेन्ट और 37 परसेन्ट की खाद्यानों में कमी आई है। जबकि हम एक तरफ सोचते हैं कि कृषि उत्पादन ज्यादा हो, यह हमारी भावना है, लेकिन इसके बाद भी खाद्यान्न के उत्पादन में जो कमी हो रही है, उस कमी में और बढ़ोतरी होती जाती है। इसके कारण से हमारे उद्देश्य पूरे करने में दिक्कत पहुँची है, जो गरीबी को मिटाने की बात है, गरीब और अमीर के भेद को कम करने की बात है उसमें दिक्कत पहुँची है। हम देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम वर्ष का बजट है, इस साल का बजट वास्तव में बहुत महत्त्व रखता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के भाव और उद्देश्य इस बजट में मिलने चाहिए। लेकिन जब इस बजट को देखते हैं तो वह भाव और उद्देश्य इसमें नहीं मिलते....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! यह तरीका नहीं है।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगारों को रोजगार दें, और गरीब और अमीर के भेद को दूर करें लेकिन यह बजट वह उद्देश्य और आशायें पूरी नहीं करता है। अगर वास्तव में हमें इन उद्देश्य और आशाओं को पूरा करना है तो हम अपने देश में उत्पादन बढ़ायें, विशेषकर कृषि उत्पादन। लेकिन इसके पहले हमें सिंचाई को प्राथमिकता देनी होगी। भूमि के अन्दर जो जल है, उसका सर्वेक्षण करके उसको एक्सप्लोइट करना होगा। और उसके लिए हमें बिजली भी पहुँचानी होगी। मैं यह मान कर नहीं चलता हूं कि राजस्थान के क्षेत्र का विकास या प्रगति हमने नहीं की है, लेकिन इस तरह जो आये साल अकाल पड़ते हैं, इस स्थाई हल के लिये हमने विशेष प्रयास नहीं किया जो कि हमें करना चाहिये था। राजस्थान में अकाल के स्थायी हल के लिये सिंचाई सुविधाएं बढ़नी चाहिये, वह

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

आज बढ़ नहीं पायी हैं। पिछले साल निश्चित रूप से झुंझुनूं, सीकर और जयपुर में कई हजार कुए खोद करके प्रार्डक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की लेकिन हम देखते हैं कि बीस-पचीस साल के बाद में भी उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं जिस पर पहुंचना चाहिए था। इसलिए गम्भीर रूप से सरकार को विचार करना होगा कि जिस गरीब और अमीर के भेद को हमें कम कर देना चाहिए था, वह भेद आज आगे बढ़ाने की स्थिति में हो गया है। हम चाहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात करते हों लेकिन इस बजट में इसका-विशेष विवरण नहीं है। इस कारण आज हम पूरे हिन्दुस्तान में देखते हैं कि युवकों व छात्रों में आज बेरोजगारी की समस्या है। बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने सिर्फ हाफ ए मिलियन जाब्स प्रोग्राम का जिक्र किया है। इसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राजस्थान में सरकार ने पढ़े-लिखे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रेजुएट्स को स्टाइपेण्ड देने की, इंजीनियर्स और डाक्टर्स को ऋण देने की, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को स्टाइपेंड देने की व्यवस्था की, लेकिन यह व्यवस्थाएं राष्ट्र के लिये प्राडक्टिव नहीं हैं यह राष्ट्र के लिये अनोत्पादक चीजें हैं। राष्ट्र के अन्दर युवकों को भी राष्ट्र विकास में योगदान का हक मिलना चाहिये, उनका सहयोग राष्ट्र का तरक्की में होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के अनोत्पादक रोजगार से राष्ट्र के ऊपर बोझ ही पड़ रहा है। हम देखते हैं कि आज हमारे युवक काफी संख्या में बेकार हैं, उनको जो धन्धा चाहिये रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिये—वह हम उन्हें नहीं दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि पंचवर्षीय योजना के अगले साल में इन पर गंभीर रूप से विचार किया जाय, और जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसलें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारी सरकार को पांचवी पंच-वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए औद्योगिक विकास करना होगा और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, ओटो बेस्ड इन्डस्ट्री, माइनिंग बेस्ड इन्डस्ट्रीज में पैसा लगा कर बेकार लोगों को धन्धे पर लगाना चाहिए। अभी सरकार को इस ओर जो ध्यान देना चाहिए वह,वह नहीं दे पायी है....

हम देखते हैं कि आज छात्रों में असंतोष है। उनके असंतोष का कारण चाहे वे कहीं भी हों, गुजरात में हों या और कहीं, रोजी का है उनको और कोई मांग नहीं है। आज जीवनपयोगी शिक्षा नहीं है और शिक्षा जीवनयापन का साधन नहीं बनती। हम चाहते हैं कि राजस्थान एक अच्छा राज्य बने। राजस्थान की तरक्की हो, शांति के साथ अच्छा विकास हो। तो राजस्थान की सरकार को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। राजस्थान की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों से काफी पीछे है, राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में नीचे से स्थान दूसरे नम्बर पर है, राजस्थान की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। फिर भी राजस्थान में जो आज तक योजनायें बनीं, जो विकास हुआ वह निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो पाया है। इस वर्ष बजट में मरूस्थल और पहाड़ी क्षेत्रों के समृद्ध विकास कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। यह अच्छी योजना है। 20-25 वर्ष के बाद उन पहाड़ी व मरूस्थल क्षेत्रों के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बना कर उन लोगों के लिए समन्वित विकास की तरफ सोचा गया है।

सिंचाई की ओर देखते हैं तो राजस्थान

(64)

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

में सिंचाई के लिए काफी प्रयास किए गए लेकिन आज भी पानी के एक्सप्लाइट करने के लिए कुओं और बांधों का पानी निकल कर काम में ले सकते हैं। राजस्थान में सिंचाई की क्षमता बहुत है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने राजस्थान नहर का जिक्र किया। घोषणा के अनुसार आज से 5 वर्ष पूर्व पूरी हो जाती व उससे करीबन 5-6 लाख एकड़ सिंचाई के बजाये 18 लाख एकड़ हो जाती और आज जो राजस्थान को अकाल व बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ा है वह नहीं होता। राजस्थान नहर में जो देरी हो रही है वह राजस्थान के लिए अभिशाप बनाती रही है। राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राजस्थान नहर का जल्दी पूरा होना जरूरी है। दूसरी तरफ राजस्थान नहर का जितना पानी है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे मेरे पूर्व-वक्ता प्रोफेसर केदार ने कहा आर० डी० 89 से 27 क्यू से कभी पंजाब वालों ने नहर निकाल दी। देवपुरा साहब जब गंगानगर पधारे थे और वहां के लोगों ने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हमने पत्र लिख दिया है लेकिन आज तक नहर के अवैध-निर्माण को रोकने के लिये कार्यवाही नहीं हुई। मैंने चीफ इंजीनियर से भी कहा था, उन्होंने कहा पंजाब वाले केनाल को बना रहे हैं। हम देखते हैं कि गंग केनाल पंजाब में 20 मील अन्दर टूट गई है राजस्थान में जो गंगानगर को पानी मिलता था वह वैसे ही बेकार जा रहा है पंजाब सरकार ने नहर को बांधने को 22 लाख रुपये दिए, उनका अपना स्वार्थ है। इसलिए पंजाब वाले उसमें ढिलाई कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को चाहिये कि 15-20 दिनों में विभाग द्वारा इस नहर को बनवाने की कोशिश करें जिससे इस क्षेत्र में 6 लाख एकड़ भूमि, जो सिंचित है, वहां लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, फसल को नुकसान होगा, नुकसान से बचने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि इस काम को शीघ्र पूरा करे।

बजट में हम देखते हैं कि कोई नया कर नहीं लगाया है। जिस आर्थिक स्थिति में हम चल रहे हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीब की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करते हैं, उसमें और इस बजट में फर्क है। जब हम गरीब को जीवन की सारी आवश्यक सुविधायें मुहैया कराना चाहते है और दूसरी तरफ संपन्न वर्ग, उसको आप टैक्स से बचाना चाहते हैं, यह बात नहीं चल सकती। वास्तव में इस में इस बजट के अंदर कोई प्रगतिशीलता के चिन्ह नहीं हैं। कुछ समय के लिए लोग खुश हो सकते हैं। यह पांचवी योजना का प्रथम वर्ष था इसलिए इस बजट से आशायें थीं कि बड़े आदमियों पर टैक्स लगा कर उन लोगों का पैसा गरीब लोगों के लिए मकान बनाने और जमीनें देने में लगायेंगे और उनके खाने-पीने की वस्तुयें सस्ती करने में लगायेंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली।

उसके बाद वित्त मंत्री महोदय ने मुद्रा स्फीति का भी जिक्र किया। इसमें दो राय नहीं कि मुद्रा स्फीति जोरों से हो रही है। हमारे रुपये की कीमत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घट रही है। राजस्थान को ऋण दिए गए हैं वह अकाल के लिए प्रयोग किया गया या बजट का घाटा पूरा करने के लिए दिया गया। आज राजस्थान की आर्थिक

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

स्थिति ज्यादा खराब है उसका सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान में आज तक न तो योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा पूरी देख रेख की गई। योजनाओं को हम बनाते हैं, बनाकर सरकारी कर्मचारियों के भरोसे छोड़ देते हैं इसलिए योजनाओं की क्रियान्विति सही नहीं हो पाई है। इस बजट से आशायें और आकांक्षायें थीं, वे पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ बजट के एक अंश में महत्त्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं, इसमें दो राय नहीं। ये ठीक है कि नगरपालिकाओं का 31 लाख रुपया अनुदान बढ़ाया है दूसरी तरफ सड़कों में हमने 1.46 लाख रुपया मरम्मत के लिए रखा है। तीसरी बात दवाइयों के लिए 1.14 करोड़ बढ़ाया गया है, यह ठीक है लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, यह बढ़ोतरी महंगाई के अनुपात में है। 10 लाख रुपये खेलकूद के लिए रखे हैं। आप चाहे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से वितरण करायें, चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल से वितरित करायें लेकिन पैसा इधर उधर शहरों में चला जाता है। वास्तव में राजस्थान का स्पोर्ट्समैन जहां पैदा होता है वहां शिक्षण का प्रबन्ध नहीं है। आप 10 लाख के बजाय 30 लाख रखें लेकिन सही तरीके से पैसा लगाएं, गांवों में आप स्पोर्ट्स व गेम्स की सुविधा देंगे तो निश्चय ही राजस्थान पंजाब से आगे हो सकता है।

जहां तक विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा का सवाल है, राजस्थान में काफी विश्वविद्यालय हैं, कालेज हैं, इस बात के संदर्भ में मैं नहीं जाना चाहता। मसूदा साहब ने घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय अजमेर में होगा, श्रीमाली कमेटी बिठा दी और स्वर्गीय मुख्यमंत्री बरकत साहब खुद इसमें विशेष रुचि लेते थे। वे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और विद्यार्थियों के बारे में पूछा करते थे। लेकिन वास्तव में जो समस्या है, वह है शिक्षा प्रणाली में गडबड़। ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है कि दसवीं ग्यारहवीं कक्षा पास होकर जब विद्यार्थी निकले तो उसको ऐसी ट्रेनिंग मिले जिससे उसको धंधा मिले। जोब ओरियन्टेड एजूकेशन हो। जब विद्यार्थी को रोजगार की गारंटी मिल जायगी तो विद्यार्थी समाज में शांति आएगी। आप विद्यार्थीयों को थोड़ा लोभ देकर एक दो साल तक खुश कर सकते हैं लेकिन अगर वास्तविक शान्ति स्थापित करनी है तो गंभीर रूप से सोचना होगा। इस बजट के अंदर शिक्षा प्रणाली के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और लोगों की आम चीजों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पांचवी योजना से जो आकांक्षा थी वह पूरी नहीं कर पाए। फिर भी वित्तमंत्री ने जो प्रयास किया है उसकी में प्रशंसा करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान !

श्री ओंकारलाल चौहान (डीग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बजट पर सामान्य रूप से चर्चा चल रही है। यह देखने में आया है कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने बजट की तारीफ ही की है। उसका एक कारण खास तौर पर यही कहा गया है कि सन् 74-75 के बजट में कोई नया कर नहीं लगा है। मैं

(श्री ओंकारलाल चौहान)

भी मानता हूं कि बजट में कोई नया कर नहीं लगा है। लेकिन जब मैंने इस बजट पुस्तिका को गौर से पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में यह बजट मान्यवर, ऐसा है जिसमें कि जो वास्तव में शोषित वर्ग के लोगों के लिये, उत्पीड़ित वर्ग के लोगों के लिये या जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, उसके लिये कोई राहत की व्यवस्था नहीं की गयी है। गरीब तबके के लोगों के लिये कोई आस्था नहीं दिखायी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान देना अनिवार्य था।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पोइन्ट जो आपके मारफत नम्रतापूर्वक वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं वह है कि जो जो हमने 1973-74 के बजट में प्रावधान किये थे उन कार्यों को पूरा करने का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। और जितना प्रावधान पहले साल में किया था उतना भी इस साल में नहीं किया है। इसके लिये मैं एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे कि अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को ब्याजमुक्त जो लोन मकान बनाने के लिये दिया जाता था और उसमें करीब 1200 से लेकर 1300 मकान बने भी थे, जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कुछ राहत भी मिली थी उसका कोई जिकरा नहीं किया गया है इस साल के बजट में, जो कि होना चाहिये था और होना भी चाहिये। समाज के गरीब तबके के लिये शोषित वर्गों के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये आपको चाहिये था कि आप धन इकट्ठा करें। और धन तब इकट्ठा होता है जब आप टैक्स लगायें। अभी पिछले साल जो लैण्डेड प्रोपर्टी पर अरबन प्रोपर्टी पर आधा प्रतिशत शहरी सम्पति पर टैक्स लगाया गया था और शहरी सम्पति पर टैक्स लगना भी चाहिये क्योंकि इससे धन इकट्ठा होता है और वह भी करीब करीब अमीरों पर लगता इसके अलावा आपको चाहिये था कि आप एक्साइज ड्यूटी और बढ़ाते मैं शराबबन्दी के पक्ष में नहीं हूं ? मगर यह चाहता हूं कि शराबबन्द होना चाहिये लेकिन अगर शराबबन्दी नहीं होती है और राज्य सरकार ने अपने आय का स्रोत बना रखा है तो उसके माध्यम से आपको इस पर अधिक टैक्स बढ़ाकर धन इकट्ठा करना चाहिये था। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको शराब पर अधिक टैक्स लगाकर धन इकट्ठा करना चाहिये क्योंकि अगर आप विदेशी शराब पर अधिक टैक्स लगाते हैं तो चूंकि इसको अमीर लोग ही पीते हैं आप ज्यादा धन इकट्ठा कर सकते थे। उस टैक्स का भार अधिक अमीरों पर ही पड़ता क्योंकि वह शराब तो पीना छोड़ नहीं सकते थे। और उससे जो भी आमदनी होती वह आप समाज के गरीब तबके के ऊपर और समाज के उत्पीड़ित वर्ग के काम में ली जाती। तो इससे उसको राहत मिलती। लेकिन ऐसी कोई योजना इसमें नहीं दिखायी दी जिसके माध्यम से आप उन्हें राहत देते। लेकिन ऐसी चीज मुझे इस भाषण में दिखायी न दी जिससे कि शोषित वर्ग के लोगों को राहत मिले। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वह यह कि आज आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

आज आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आप उन्हें बराबर छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। इससे वह लोग कम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० वगैरह को कम्पीटीशन की पोस्ट्स है उनमें वह लोग आ नहीं सकते। क्योंकि उसके लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। आज धन की कमी के कारण वह लोग शिक्षित नहीं हो सकते हैं इसलिए सिर्फ यह कह कर कि कर नहीं लगे हैं। सभी वित्त मन्त्री की बजट भाषण की तारीफ कर रहे थे, वह ठीक है। मैं भी तारीफ करता हूं लेकिन धन इकट्ठा नहीं हो सका क्योंकि कर नहीं लगा इसका परिणाम यह हुआ कि आपने शोषित वर्ग के लोगों को राहत नहीं दी, आपने राहत दी धनी लोगों को, व्यापारी वर्ग के लोगों को जिन पर कि आपको सम्पत्ति टैक्स लगना चाहिये था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा पोईन्ट जो आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं देश में खाद्यान्न की स्थिति के बारे में। हालांकि वित्त मन्त्रीजी ने भी अपने बजट स्पीच में कहा कि खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में तेज रफ्तार से बढोतरी हो रही है इस विकट समस्या के समाधान का कुल मिलाकर यदि कोई स्थायी हल हो सकता है तो वह एक ही है उत्पादन में वृद्धि विशेषकर कृषि उत्पादन में और सही वितरण व्यवस्था से हम इस पर काबू पा लेंगे। यह ठीक है कि यह हो सकता है लेकिन आज हमारी जो डिस्ट्रिब्यूशन पोलिसी है वह बहुत ही खराब है उसमें चेन्ज होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि आज आपकी डिस्ट्रिब्यूशन पोलिसी ऐसी खराब है कि लोगों को लम्बी-लम्बी क्यू में खड़े रहना पड़ता है तेल लेने के लिये, अनाज लेने के लिये, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिसमें कि जनता को कम से कम परेशानी हो और माल मुहैया हो जावे। इसके लिये आप चाहें तो एक दुकान अगर कम पड़ती हो तो आप दो दुकान या तीन दुकान तक खोल सकते हैं। इससे यह होगा कि लोगों को जो आज 10 से लेकर 5 बजे तक क्यू में खड़े रहना पड़ता है वह बन्द हो जायेगा और आसानी से लोगों को चीजें उपलब्ध हो सकेंगी। इसलिये मेरा राज्य सरकार को नम्रतापूर्वक यह अनुरोध है कि हमारी जो डिस्ट्रिब्यूशन पालिसी है, जो प्रणाली है उसमें चेन्ज होना चाहिये। इसकी ओर ध्यान देने की आज जरूरत है। जहां तक इसके लिये खाद्य विभाग का सवाल है उसमें ऐसे लोगों को लिया जाना चाहिये जो डेडीकेटेड सर्वेन्ट्स हों। उनमें और दूसरे सभी में तालमेल होना चाहिये। पर ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकारी मशीनरी है वह, आप मुझे क्षमा करेंगे, ठीक नहीं है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वह हमारी पोलिसी को फेल करने में लगे हुए हैं या फेल करना चाहते हैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वह डेडीकेटेड रूप से काम नहीं करते है। आज हमारे यहां पर दो क्लासेज हैं। वैसे डेमोक्रेसी में दो क्लास होती ही हैं। एक तो जनता के प्रतिनिधि और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स। तो झगड़ा है डेमोक्रेसी में और ब्यूरोक्रेसी में। जो डेमोक्रेसी में विश्वास करके चलते हैं उनके विपरीत ही काम किया जायेगा

(श्री ओंकारलाल चौहान)

आपके ब्यूरोक्रेट्स उसको हमेशा विफल करने में लगे रहेंगे। और अगर फेल करने मे हमारे यहां के ब्यूरोक्रेट्स नहीं लगे हुए हैं तो इतना जरूर नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वह उसको सफल नहीं होना देना चाहते क्योंकि जो डेमोक्रेटिक प्यूपिल होते है उनमें और ब्यूरोक्रेटिक प्यूपिल में फर्क होता है। तो हमें इस ब्यूरोक्रेसी को बदलना होगा अगर आप अपनी नेशनलाइजेशन की पोलिसी को सफल करना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि सभी चीजों का ठीक तरह से डिस्ट्रिब्यूशन हो। आज हमने फूड कोमोडिटीज को टेक ओवर किया वह अच्छा। राष्ट्रीयकरण की पोलिसी हमेशा से ही अच्छी रहती है। मैं नेशनलाइजेशन के फेवर में हूं। अगर हम समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा और उसको हमें सफल भी बनाना पड़ेगा। आज नेशनलाइजेशन एक दो व्यक्ति या एक दो प्रान्त का काम नहीं है मान्यवर, यह सारे देश की जनता का सवाल है। पर ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि लोगों को इसका पूरा लाभ मिले। मैं वित्त मन्त्रीजी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें। हालांकि उन्होंने भी इस बारे में जिक्र किया है कि हमें ऐसे कदम उठाने चाहियें कि जो अधिकारी वर्ग इसमें विश्वास नहीं करते हों या इसे सफल नहीं होने देते हों जो कि कमीटेड सर्विसेज के नही हो उन्हें हटा देना चाहिये। जब तक हम डेडीकेटेड लोगों को इसमें नहीं रखेंगे तब तक हम इसे नेशनलाइजेशन की पोलिसी को सफल नहीं बना सकेंगे। आज हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिसकी वजह से किसानों को ऋण मिले और उससे उनको राहत मिली। लेकिन चूंकि उस पॉलिसी का सही उपयोग नहीं हुआ इसलिये काश्तकारों को उसका सही लाभ नहीं हुआ। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसी नीति अपनाई जाय जिससे कि गरीब तबके के लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों या पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठाया जा सके। उसका उन्हें सही लाभ मिले। आज हमारी बैंक नेशनलाइजेशन पॉलिसी फेल हुई है उसके लिये मेनली रेस्पोन्सिबल ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं। अगर बैंक से किसानों को लोन समय पर मिलता तो वह अपनी आजीविका के साधन उत्पादन बढ़ा कर अच्छी तरह कर लेते। लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन का विपरीत असर हमारे सामने आया। तो इसमें हमें नीति में सुधार करने की जरूरत है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने यह कहा कि हम 74-75 तक 25 प्रतिशत रूट्स का नेशनलाइजेशन कर लगे और अगले पांच सालों में सेन्ट-परसेन्ट रूट्स का नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं। इसके लिये राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कमियां हैं। कई जगह बस खड़ी हो जाती है। बसों का प्रापर मेन्टीनेन्स नहीं है। बस खड़ी रहती है, देखने वाला कोई नहीं। कहीं रह गई है तो उसको ठीक करने वाला नहीं। ये छोटी-छोटी बातें हैं। वास्तव में छोटी-छोटी बातें हैं। लेकिन ये जनता से सम्बन्ध रखती हैं। इनका जनता से सीधा ताल्लुक है। लोगों की यह भावना थी कि राष्ट्रीयकरण की नीति है वह जनता के हित की

(श्री ओंकारलाल चौहान)

नीति है, देश हित की नीति है। लेकिन जब उसका सही तौर पर अन्जाम नहीं होता है तो लोगों को उससे परेशानी होती है और उससे लोगों के दिल में उत्साह न होकर निरुत्साह होता है। पॉलिसी का इम्प्लीमेन्टेशन सही तौर पर न होने के कारण ये खामियां रहती हैं, इन छोटी-मोटी खामियों को यदि दूर कर दिया जाय चाहे कमेटी बना कर किया जाय, चाहे राज्य लेवल पर इसको किया जाय, हमको इसको देखना चाहिये और जिन कमियों के कारण यह नीति सफल नहीं हो रही है उनको दूर किया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न के सम्बन्ध में बड़े जोर की चर्चा होती है। जो ब्लेक मार्केटियर्स हैं, जो इस प्रकार का धन्धा करते हैं उनको हथकड़ी पहिना कर निकालना चाहिये और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिये। अब समय आ गया है कि जो व्यक्ति देश और समाज के प्रति गद्दारी करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये चाहे फिर वह कोई व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा या छोटा वह व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी से वह सम्बन्धित हो। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ी अव्यवस्था फैलने की आशंका रहेगी। कानून जैसा आज हमारा है, अपील का प्रोविजन है, जिन लोगों के पास पैसा है, जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं वे कानून के शिकंजों से बच सकते है और वे देश और समाज में गड़बड़ी और अव्यवस्था पैदा करते हैं। इस ओर भी विशेष सतर्कता की आवश्यकता है।

इस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्रीजी ने कई जगह उदारता दिखायी है। आदिवासी क्षेत्रों के लिये वित्त मन्त्रीजी ने विशेष प्रोविजन किया है। यह बहुत ही आवश्यक है। मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश का विकास औद्योगीकरण से, चाहे छोटी-मोटी इन्डस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, इनका हमको विकास करना होगा। हमारे उधर बैठे मित्र बराबर कहते हैं कि उत्पादन बढ़ना चाहिये। हम भी चाहते हैं कि उत्पादन बढ़ना चाहिये। रोज तालाबन्दी, हड़ताल, लॉक आउट ये सब चीजें क्यों होती हैं। हर मजदूर का यह हक है कि यदि अन्याय होता है उसके साथ तो वह हड़ताल करे लेकिन क्या हड़ताल ही उसका हल है? क्या तालाबन्दी ही उसका हल है? क्या लॉक-आउट ही उसका हल है? क्या और कोई हल नहीं? इसके लिये सही दिशा में देखना होगा। मालिक और मजदूरों को मिल कर ऐसी व्यवस्था बिठानी चाहिये कि जिससे उत्पादन में कमी न हो, उसमें गिरावट न हो और आपसी रिलेशन्स मालिक और मजदूरों के बीच में अच्छे बने रहे, जिससे हमारे देश का उत्पादन बढ़े। यदि उत्पादन बढ़ता है तो देश की समृद्धि बढ़ती है और उत्पादन सब लोगों तक बराबर पहुँचता है तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पीने के पानी की समस्या के विषय में हमारे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने कहा कि 25 वर्षों में भी राजस्थान के वेस्टर्न जोन में पीने का पानी नहीं दे पाये। वास्तव में यह सोचने की बात है कि पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ मैं उनका ध्यान इस ओर भी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

दिलाना चाहूंगा कि 68-69 में जहां 225 जलप्रदाय केन्द्र थे वहां 73-74 में 1427 जलप्रदाय केन्द्र हैं। लगभग 7 गुना। हमारे राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 7 गुना जलप्रदाय केन्द्र बनाये गये हैं। राजस्थान वास्तव में तरक्की कर रहा है। गति धीमी जरूर है। परन्तु जो भी वित्तीय स्थिति हमारी है उसके लिहाज से हमें यह मानना पड़ेगा कि 225 से 1427 तो हुए। तरक्की तो हुई। राजस्थान ने इस ओर तरक्की तो की। इसी प्रकार मूलचन्दजी सामरिया ने सवाल किया कि राजस्थान में शान्ति क्यों हैं? गुजरात जैसी स्थिति क्यों नहीं है? वे यहां मौजूद नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वे राजस्थान को भी गुजरात बनाना चाहते हैं? क्या वह चाहते हैं कि राजस्थान में गड़बड़ी हो, अव्यवस्था हो और क्या राजस्थान में लोकतन्त्र समाप्त हो? मैं समझता हूं कि उनकी यह मंशा नहीं होगी। कमियों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते होंगे। लेकिन यदि इस प्रकार की बातें करके लोगों की भावनाओं को उभाड़ना चाहते हैं तो देश के अन्दर जो कार्य तरक्की के करना चाहते हैं उनमें व्यवधान हो और यहां अशान्ति, अव्यवस्था फैले यह कतई उचित नहीं होगा। जो आवश्यक कार्य हैं उनको करने के लिये राज्य सरकार को मजबूर किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षा के सम्बन्ध में भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। कोटा डिविजन में, विशेषकर कोटा शहर, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है व जहां औद्योगिक विकास होता जा रहा है उसके साथ ऐसी घटनायें भी होती जा रही हैं कि वहां पर गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है जिससे जनता त्रस्त है। उनके लिये सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको कोई ठोस कदम उठाना चाहिये जिससे स्थिति सामान्य रहे और जनता सुरक्षा का अनुभव कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ इस बजट को देखने से यह एक बात नजर आती है कि पूर्वी राजस्थान के साथ न्याय नहीं हुआ है। कोटा, बून्दी, झालावाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें, हालांकि मैं आंकड़ों के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता और वित्त मंत्रीजी ही इसमें ज्यादा पारंगत हैं अगर आप देखें तो आप यह देखें कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू पूर्वी राजस्थान देता है। क्या रेवेन्यू, क्या एक्साइज ड्यूटी किसी चीज को भी लेकर देख लीजिये सबसे ज्यादा यह अदा करता है। परन्तु उसका रिटर्न पूर्वी राजस्थान को क्या मिलता है यह आपको देखना चाहिये। बजट बनाते समय वित्त मंत्रीजी को ध्यान रखना चाहिये कि पूर्वी राजस्थान भी राजस्थान का हिस्सा है, और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर सड़कों की भयंकर दुर्दशा है। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं बजट बनाते वक्त उनको बजट बनाते समय प्रायोरिटीज तो देखनी चाहिये कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दुर्दशा है। वहां पर सबसे कम पैसा मिला है और उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सबसे ज्यादा दुर्दशा हो उस ओर

(श्री ओंकारलाल चौहान)

ज्यादा ध्यान दिया जाय और वहां ज्यादा पैसा दिया जाय जिससे वहां के लोगों का जीवन ठीक प्रकार से चल सके।

हाईकोर्ट की बेंच जयपुर के अन्दर कायम होने की बात है। आप जरा अन्दाज लगाइये कि कोटा, जिला शाहबाद, झालावाड़, छबड़ा रिमोट कोर्नर पर है राजस्थान के वहां के आदमी को जोधपुर जाकर सस्ता, सुगम, सुलभ, चीफ जस्टिस क्या वह प्राप्त कर सकेगा ? नहीं कर सकेगा। हम यह नहीं चाहते हैं कि जोधपुर और जयपुर के विषय में राजधानी के मामले को लेकर झगड़ा खड़ा न हो। परन्तु यह तो चाहेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम इस क्षेत्र की जनता के साथ न्याय हो। वह गरीब किसान, छोटा बड़ा, जिसके 91 के अन्तर्गत रेवेन्यू के मामले लगे रहते हैं और रिट पिटीशन्स होती रहती हैं वह जोधपुर जाकर न्याय प्राप्त कर सकेगा ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। प्रेस्टीज का मुद्दा बनाने की भी जरूरत नहीं। हमें इसको आपस में बैठ मिल कर हल करना चाहिये। इसकी बेंच जयपुर में स्थापित होना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं इस सत्र में पहली बार ही बोल रहा हूं। यह सब कहकर मैं कोटा की वकालत नहीं करना चाहता। बल्कि ऐसी बात की वकालत करना चाहता हूं कि जिसमें सब के साथ न्याय हो।

रेवेन्यू बोर्ड से दुःखी है किसान। बहुत मामले पेण्डिग में पड़े हैं। पहले रेवेन्यू बोर्ड जिला हैड क्वार्टरों पर जा-जा कर मामले निपटाता था अब उसने वह बन्द कर दिया। कहा जाता है कि टी. ए.; डी. ए. में अधिक खर्चा होता है। पर जन हित में अगर थोड़ा खर्चा सरकार को अधिक भी आता हो तो यह करना चाहिये। वैसे टी. ए., डी. ए. आज भी चलते ही रहते हैं

लेवी के सम्बन्ध में निवेदन करूं। गंगरार में 123 गांव अभाव की चपेट में आ गये। जिलाधीश को रिपोर्ट दे रखी है। वैसे हम लेवी नहीं देने के पक्ष में नहीं है। पर जहां पहले से ही कमी है वहां क्या मिलेगा। तो जहां आठ दस आना का नुकसान हुआ है वहां इसमें छूट मिलनी चाहिये।

शीत लहर से फसलें खराब हो गई हैं। जो वर्ग इससे पीड़ित है हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उसके प्रति न्याय किया जाय।

इस बजट में टैक्स नहीं लगाये गये यह देखकर प्रसन्नता हुई। पर साथ ही यह दुःख भी हुआ कि जिस वर्ग को जो पिछड़ा हुआ है उसे अधिक राहत मिलनी चाहिये थी, कुछ समाज कल्याण के कोष में अधिक धन मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। अगर अमीरों पर अधिक टैक्स लगाकर रकम वसूल की जाती और वह पिछड़े तबकों को दी जाती तो अच्छा होता।

ड्रिंकिंग वाटर के लिये इसमें कोई प्रावधान नजर नहीं आता। यही स्थिति इलेक्ट्रिसिटी की है। पिछड़ी जाति वर्ग को ये साधन मुहय्या किये जाने थे, और इस पर समाज कल्याण विभाग के मार्फत कुछ रकम खर्च होनी चाहिए थी, वह दी जानी चाहिये।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय यह कहते हुए कि रोस्टर प्रणाली लागू हुई कि नहीं पता नहीं चलता। इसके लिए अफसोस कई कारणों से है जिसे व्यक्त नहीं करना चाहता।

साथ ही डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन्स में शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को जो दस और पांच परसेन्ट के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिये था वह मिला या नहीं मिला यह मैं मन्त्री महोदय से अपने रिप्लाई में जानना चाहूंगा। रोस्टर प्रणाली कहां-कहां लागू हुई कहां नहीं और नहीं तो क्यों नहीं लागू हुई इसके लिये मशीनरी को टाइटन किया जाय यह मेरा निवेदन है।

आपने कृपा करके जो समय मुझे दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री **फूलचन्द जैन (सुजानगढ़)**: उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से बजट पर बहस चल रही है। अनेक वक्ताओं ने अपनी अपनी राय इस पर व्यक्त की और अपने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किये। मैं इस बजट का इसलिये स्वागत करता हूं कि इस बार इसमें नया कराधान नहीं है इस पर भी कुछ लोगों का यह कहना है कि चूंकि कराधान नहीं है इसलिये ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी विकास की गति धीमी रहेगी। इन सारे विचारों को मैंने सुनने का प्रयत्न किया।

मैं ज्यादा इस सम्बन्ध में नहीं कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि बजट जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है और बजट का यह जो लम्बा चौड़ा पोथा सदन में पिछले अनेकों वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं कि एक निश्चित प्रक्रिया प्रस्तुत करने की बनी हुई है, जिसके अनुसार यह प्रतिवर्ष एक ही रूप में हमारे सामने रखा जाता है। तो बजट के इन पोथों के बारे में तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ठीक है राज्य सरकार की दृष्टि से उनके लिये यह उपयुक्त है परन्तु इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि इसके अन्दर निश्चित तौर से इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिये कि जिससे हमारे पिछले अचीवमेन्ट्स और आगे हम क्या करने जा रहे हैं इसका एक कन्सोलिडेटेड रूप हमारे सामने स्पष्ट चित्रित हो सके। प्रचलित व्यवस्था है, ठीक है, आप उसे बनाये रखें, मुझे इससे ऐतराज नहीं, पर अगर संक्षेप में विगत की उपलब्धियों और आगे के हमारे कार्यकलापों का स्पष्ट चित्र उभर कर इसके माध्यम से हमारे सामने नहीं आता है तो यह सारा परिश्रम और व्यय इन पोथों का एक सीमा तक निरर्थक है। बल्कि जानकारी करने की दृष्टि से इन पोथों से एक प्रकार का कनफ्यूजन ही पैदा होता है। सहायता नहीं मिलती।

अब मैं बजट की स्पीच के मुद्दों पर आता हूं। इस के बारे में भी मैं 72-73 के बजट भाषण का जिक्र करना चाहूंगा। प्रतिवर्ष सदन में बजट भाषण दिये जाते हैं। 70-71 की राजनैतिक उथल-पुथल के सन्दर्भ से इस विधान सभा में इनका 72-73 का पहला बजट भाषण था। उस में वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा था कि यह मानते हुए भी कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये मुख्य रूप से कुछ काम करने होंगे जिनमें टैक्सों की चोरी रोकना अनावश्यक खर्च कम करने इत्यादि इत्यादि शामिल हैं इसके बाद

(श्री फूलचन्द जैन)..........

में उन्होंने यह बात भी कही थी कि हम इस बात का भरसक प्रयास कर रहे हैं, कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो उसके माध्यम से छोटे तबके के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के जो प्रयत्न हो सकते हैं, किये जावेंगे। उनकी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का भी उल्लेख किया गया। आगे चलकर 73-74 का उन्होंने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया तो उसमें भी यही कहा कि चाहे हमारे मार्ग में कितनी ही वित्तीय संकट आए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अथक परिश्रम निरंतर करते रहेंगे। बहुत अच्छी और फायदेमन्द बातें अपनी ओर से कही गई। और उसके बाद में इस साल भी उन्होंने हमारे सामने ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जिससे ऐसा लगता है राजस्थान का विकास नहीं भी हो पाया है तो आगे अवश्य होगा। परन्तु मैं इस सन्दर्भ में एक बात कहना चाहता हूं हम कुछ चीजें, जिसको मानते हैं, उन चीजों के बारे में ध्यान जाता नहीं है, सिर्फ कह कर छोड़ देते हैं उससे परेशानी हो जाती है। हम चार योजनाओं को पूरी करने के बाद में और पांचवी योजना में 1 अप्रेल से प्रवेश करने जा रहे हैं। चार योजनाओं में वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में माना है इन पिछले 20 वर्षों में हमारी जो स्थितियां रही हैं उनमें हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाये और उसके अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन उनका कहना है अबकी बार हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। यह भी माना है जो कुछ किया है वह अपेक्षित वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अतः पांचवी योजना जिससे हम आगे बढ़ेंगे उसमें कहा गया है पांचवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास योग्य क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करना तथा समाज के अधिक से अधिक वर्गों के लोगों में उसके लाभ का वितरण करना है। गत 20 वर्षों में आयोजना के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि विकास का लाभ निर्धन एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों तक स्वतः नहीं पहुंच पाता है, और अब इस ओर प्रयत्नशील रहेंगे।

आज 20 वर्षों के बाद में हम यह मानते हैं कि हमारी यह स्थिति रही है और पांचवी योजना के बारे में हमारा ध्यान केन्द्रित किया जाता है कि कुछ आशायें रखनी चाहिये।

अब मैं बजट के दूसरे मुद्दों पर आने से पहले जो योजना हमारे सामने आई है चार योजनायें आ चुकी हैं और पांचवी अब शुरू होने वाली है। उस सम्बन्ध में मैं दो प्रकार से अपने विचार रखता हूं मेरी निश्चित तौर से मान्यता है इन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान का विकास हुआ है राजस्थान का चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे पावर के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। इन सभी क्षेत्रों में मैं यह नहीं कहता कोई विकास नहीं किया, हमने विकास किया परन्तु उसके बावजूद भी जो आज की बेसिक नीड है, जिसे स्वयं अपने आप फील करते हैं कि हम समाज को इकोनोमिक कन्डीशन को, समाज के पिछड़े वर्ग को ऊंचा नहीं उठा पाये। दूसरी तरफ चाहे सिंचाई की प्राबलम हो, चाहे पावर की प्राबलम हो, चाहे इन्डस्ट्रियलाइजेशन की प्राबलम हो उनमें भी आज यह नहीं कह सकते जो अचीवमेन्ट किया उसका अन्तिम रूप से कोई इम्पेक्ट हुआ

(श्री फूलचन्द जैन)

है और इस क्षेत्र में परेशानी से निकल गये। आखिर हमें यह सोचना होगा, हमने अचीवमेंट किया लेकिन अचीवमेंट के बावजूद भी हमारे यहां की जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने की दृष्टि से सफल नहीं हो सके। मैं इसकी और गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इतना समय भी सम्भव नहीं होगा लेकिन यह कहना चाहता हूं जब हम फिफ्थ प्लान को बना रहे हैं तो रियलाइजेशन तो करते हैं परन्तु रियलाइजेशन करने के बाद किस फौरम में आगे करेक्ट करें ताकि राइट इम्पलीमेन्टेशन हो, वह समझ में नहीं आता है।

अब जैसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में–दो सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। जो कुछ भी पोथे हमारे सामने रखे जाते हैं, माननीय वित्त मंत्री जी से एक बात पूछूं आप हमें यह बता सकते हैं पिछली पंच-वर्षीय योजनाओं में माइनर, मीडियम इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट हाथ में लिये उनमें ऐसे कितने प्रोजैक्ट्स हैं जिसमें एक लाख, दो लाख, तीन लाख खर्च हो गया और उसका आज तक पता नहीं है, वे कब पूरे होंगे। सारा अब तक का जो पैसा लगा वेस्ट गया। मीडियम प्रोजैक्ट्स में कितने ऐसे प्रोजैक्ट्स हाथ में लिये जिनसे इस समय तक इतनी सिंचाई हो गई और इतना लाभ मिल रहा है या बहुत निकट भविष्य में मिलने वाला है। जो टारगेट्स थे, अचीवमेंट हैं उनमें इस समय कोई स्टेण्ड करता है। अपने अपने ढंग से फिफ्थ प्लान में गहराई से सोचने की स्थिति में जा रहे है तो निश्चित रूप से यह सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं शायद आपको पता हो, आपके डिपार्टमेंट को पता हो हमें एग्जेक्ट मालूम नहीं है इसलिये कहना चाहता हूं हमें यह बताइये और उसके बाद में अगर आपको पता है तो यह भी बताइये कि किसको गलती से रहा है, क्यों हुआ और उस पर क्या एक्शन हुआ और आगे न हो, इसकी क्या गारन्टी देते हैं।

इसी तरह मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मेरा कहने का आशय है प्रोडक्टिविटी के लिहाज से हमारा अचीवमेंट पिछले चार प्लान्स में किस स्फेयर में, कितना रहा और कम रहा तो क्यों रहा, रीजन्स कम होने के क्या हैं ? हमारा कहां दोष है और हमें किस प्रकार रि-आर्गेनाइजेशन करके पूरा करना चाहिये। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं आज हमारा मानस जहां स्पष्ट है उसके मुताबिक काम करने की तीव्र इच्छा है और फर्म कनविक्शन बन जाय तो जो 20 वर्षों के बाद जिसे कहने में शर्मिन्दगी महसूस हो रही है उससे बच सकते हैं। अब आप बचना चाहते हैं या नहीं बचना चाहते, यह मैं नहीं कह सकता हूं।

मान लीजिये कुओं पर बिजली देने का सवाल है। आपने जितना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया है जिसका मेन आब्जेक्ट यह है कि इससे कुओं को बिजली दी जायगी। कितने इन्वेस्टमेंट के बाद, कितनी सिंचाई हो कर उसका आउट-पुट क्या आया। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अवश्य समझ में आ जायगी। प्रोडक्टीविटी के लिहाज से खाके में रख दिया परन्तु इम्प्लीमेन्टेशन के अन्दर यह

(श्री फूलचन्द जैन)

स्थिति हुई कि हम पिछड़ गये। हमारी क्या गलतियां रही हैं, क्यों पिछड़ गये आप खुद रियलाइज करके बता दीजिये। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहता हूं कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, हम हर प्रकार के दोष को स्वीकार कर लेते हैं परन्तु यह नहीं कहते हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं इसकी रेमेडी क्या है।

शिक्षा के स्तर को ले लीजिये। हमारे ऊंचे से ऊंचे स्तर के नेता कहते हैं शिक्षा पद्धति में दोष है। यह तो हम ही कहते हैं, संचालकगण कहते हैं, दोष है, नीति निर्धारित करने वाले कहते हैं, दोष है तो फिर इसकी रेमेडी क्या है? कौन करेगा शिक्षा पद्धति को ठीक? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं हमारा जो अचीवमेंट हुआ, हमने जो प्रोग्रेस राजस्थान की की उसका इम्पेक्ट इसलिये नहीं आ पाया कि कभी विभिन्न कारणों से रह गई जिससे गलत इम्पेक्ट आया और जो अचीवमेंट होना चाहिये था वह पीछे रह गया और उसका असर जन-मानस पर नहीं पड़ पाया।

दूसरी बात पीपुल्स पार्टीसिपेशन की है। मैं कभी-कभी यह कल्पना करता हूं, एक समय बुजुर्ग लोग कहते थे और मैं सोचता था, अपनी बुद्धि से सोचता था कर्जा नहीं लेना चाहिये। कर्जे में होना जीवन में सबसे ज्यादा पाप है और आज हमारी स्थिति यह हो गयी है कि बिना कर्जे के हम जिन्दा ही नहीं रहना चाहते हैं। बिना पैसा मिले हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हमको आगे बढ़ना है तो कर्जा चाहिए। यह मनोवृत्ति जब हमने पैदा कर दी तो लोगों को रुपया देना होगा और जिन्दा रखना होगा। दूसरा क्या इलाज है? क्योंकि पीपुल्स पार्टीसिपेशन नाम की कोई चीज नहीं रही। अण्डरस्टेंडिग और कान्फीडेन्स हमारे प्लान का हमारे मासेस के साथ होना चाहिए, वह स्थिति आज नहीं है। यह हकीकत हमको मान लेनी चाहिए, मैं तो इसको स्वीकार करता हूं। एक तरफ चाइना और रशिया के डवलपमेंट की बात कही जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके डवलपमेंट की बात को आज इसलिए नहीं कहता, हालांकि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है वहां जाकर लेकिन मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि यह कम्युनिज्म की थ्योरी है इसका हम यहां क्या करें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैन पावर का इतनी बड़ी विशाल कन्ट्री के साथ प्लान के साथ उपयोग नहीं करेंगे और उसके साथ ही साथ में लोगों के अन्दर डिसिप्लिन और नेशनल करेक्टर डेमोक्रेसी के माध्यम से नहीं करेंगे तो मान कर चलें कि हमारे और आपके रोकने से कोई चीज रुकने वाली नहीं है, जिसको जनता भुगत चुकी है उसको भुगतने का रास्ता वह अपने आप ढूंढेगी। डिक्टेटरशिप में तो डण्डे से होता है सब कुछ लेकिन डेमोक्रेसी के अन्दर लोगों को कान्फीडेन्स में लेकर वेल्यूज को लोगों के अन्दर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और अगर हम यह नहीं कर पाते हैं तो चाहे बजट भाषण दे दें, चाहे दुनियां भर की प्रोग्रेस की बात कह दें, जो हकीकत है वह हकीकत है। अनाज के लिए जो यह स्थिति है वह है।

यहां पर आज मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि धनराशि का अगर आज प्रापर यूटिलाइजेशन हो,

(श्री फूलचन्द जैन).

लोगों में यह कान्फीडेन्स पैदा कर दिया जाये कि आपके टैक्स का एक-एक पैसा ठीक ढंग से एक पैसे के रूप में उपयोग होगा तो पैसे की कमी हिन्दुस्तान के अन्दर आज नहीं रह सकती। लेकिन परेशानी की बात यह है कि हमारे जितने डिफेक्ट्स हैं उनके लिए बोल्डली तैयार नहीं हैं इस बात के लिए कि हम उनको ठीक करें और उसी घिसी हुई गाड़ी के अन्दर चढ़े हुए चले जाते हैं। फोर्थ प्लान के बाद फिफ्थ प्लान में नया नक्शा देश को देना चाहते हैं। उसके बाद फिर पांच साल बाद कह देंगे और कहने को रहेगा तो। नहीं तो अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गयी, यह होगा इसलिए नहीं कर पाये, ऐसा कह देंगे। सन्तोष हमारी जनता को है लेकिन हमारी जनता इससे कब तक धैर्य धारण किये हुए बैठी रहेगी यह गम्भीरता से सोचने की बात है।

इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपोजीशन पार्टीज के जो लोग हैं मैं निश्चित तौर से यह मानता हूं कि जहां पर सत्तारूढ़ दल की ओर से अगर कुछ कमियां रही हैं तो अपोजीशन पार्टीज ने भी उनको बढ़ाने में योगदान ही दिया है, उन्होंने भी जन-मानस को हिलाने में और विचलित करने में अपना कन्ट्रीब्यूशन ही दिया है। जो भी गलतियां हैं उनको हाईलाइट करके जन-मानस को कन्फ्यूज करने के और बजाय इसके कि कन्स्ट्रक्टिव वे के अन्दर गलती को गलती कहकर उसे स्ट्रेस करें; एक गलती को पांच सौ गुना बढ़ाकर ऐसा कन्फ्यूज कर दिया है कि किसी की समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है और आज उसका अन्जाम यह हुआ कि आज अपोजीशन पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूं कि उनके सत्ता में आने की आशा नहीं है इसलिए निराशा की वजह से वह ऐसा करती है....

श्री मूलचन्द सामरिया : बीस गलतियां होती हैं, उसको दस बताई जाती है।

श्री फूलचन्द जैन : आप अच्छी बातें भी सुन लें और बुरी बातें भी सुन लें। आपको सुनने का धीरज नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं और बिलकुल अपने कान्शश से कहूंगा। आपको अच्छी लगे तो भी धैर्य रखिये और बुरी लगे तो भी धैर्य रखिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी की संख्या में नहीं जाना चाहता हूं अपोजीशन पार्टीज की। वह चाहे एक हो या पांच हों या दस हों यह इम्मेटीरियल है। पॉलीटिकल पार्टी एक पॉलिटीकल पार्टी है। मैं उसको पालिटीकल पार्टी के फंक्शन की दृष्टि से देखता हूं और जो उसकी ड्यूटीज मासेस के प्रति है उसकी चर्चा करना चाहता हूं और इसलिए करना चाहता हूं कि मान लीजिए सत्तारूढ़ दल में कुछ कमियां आ गयीं उनको दूर करने के बजाय मासेस को बेसीकली गुमराह कर देते हैं तो उसकी सजा आपको भी और हमको भी सब को भुगतनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पॉलीटिकल पार्टीज चाहे अपोज़ीशन में हो और आज चाहे कुछ भी गवर्नमेन्ट के अन्दर उनका से नहीं हो लेकिन प्लान्स के एग्जीक्यूशन में, स्टेट के डेवलपमेन्ट के अन्दर जो कुछ भी इकानामिक कन्डीशन्स स्टेट की ऊंची उठानी है उसके अन्दर कान्फीडेंस में लेकर कन्ट्रीब्यूशन उनका नहीं लेते हैं तो

(श्री फूलचन्द जैन)

यह भी स्वस्थ परम्परा नहीं है। पार्टीज़ चाहे पालिटीकल हों यदि वह समाज के प्रति अपने आपको उत्तरदायी समझती है और व्यक्ति का पार्टीसिपेशन प्लान के एग्जीक्यूशन के अन्दर होना चाहिए। मासेस और मैन पावर का यूटीलाइजेशन और उनका कान्फीडेन्स और पार्टीसिपेशन प्लान में होना चाहिए। इस दृष्टि से कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो न कानून से हो सकती हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो न भाषण से हो सकती हैं और न नक्शा दिखाने से हो सकती हैं क्योंकि इस देश के अन्दर जनता ने बीस-पचीस सालों से प्लान के द्वारा क्या हम कर सकते हैं उसको प्रत्यक्ष देखा है और प्रत्यक्ष देखने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि एचीवमेन्ट्स के बाद भी हम कुछ बेसिक रास्तों के ऊपर से भटक गये हैं कि जिसकी वजह से आज जो इस प्लान में प्रापर एग्जीक्यूशन और एक्सपेक्टेशन की बात है वह तब तक नहीं मिल सकती है जब तक कि हम उस रास्ते को बदल नहीं देते यह इस संबंध में निवेदन करना है।

अब इसके अन्दर एक और निवेदन करना चाहता हूं। इसके अन्दर टैक्सेशन की बात कही गयी है। किसी ने कहा कि टैक्सेस नहीं लगाये यह अच्छा है और कुछ सदस्यों ने कहा कि नहीं लगाये इसलिए बुरा हुआ। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस बजट को नयी दिशा में लेकर प्रस्तुत किया गया है और आज की विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से घाटे की पूर्ति की गयी है निश्चित तौर से वह स्वागतयोग्य है। परन्तु एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं इसका स्वागत करने मात्र से तसल्ली नहीं रखता। जिस तरह से रॉक-फास्फोट के मूल्य को बढ़ाकर घाटे की पूर्ति की है आप दिमाग को थोड़ा घुमाओ और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारा राइट स्टेण्ड है जैसे हमने बसों का नेशनेलाइजेशन किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट रोडवेज के बारे में वित्त मंत्री जी भी जानते हैं कि एक आदमी प्राइवेट बस चलाता है तो वह उससे कमाकर खाता है और राजस्थान रोडवेज का इतना बड़ा मामला है उसके बावजूद भी आज इसको जो मुनाफा होना चाहिए वह नहीं है। क्यों नहीं है ? इसके लिए सोचना पड़ेगा और कुछ चीजों को हमें कन्सोलीडेट करना चाहिए। हम ट्रकों से और दूसरे वाहनों से टैक्स इकट्ठा करते हैं। रोड्स के मामले में अलग से फण्ड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मैं कहता हूं कि आप तय कर लीजिए कि ट्रक्स वगैरह हैं और जो इनसे टैक्स आता है इनकी इन्कम से हम रोड्स को जितनी भी स्टेट के अन्दर कम्प्लीट करने की या ठीक करने की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। यह हमारा निश्चित मत है। इसी तरह से आपने बीकानेर के अन्दर वुलन मिल बनाई। तो इसके माध्यम से बीकानेर में और सारे क्षेत्र के अन्दर वूल इन्डस्ट्री और वूल के मामले में जो कुछ भी फर्दर डेवलपमेंट करने का और राजस्थान की इकानामी में उसका मेक्सीमम कन्ट्रीब्यूशन है तो उसको कह दें कि तुमको इतना प्राफिट कमाना पड़ेगा और जो राजस्थान का इकानामिक बेस है उसको डवलप करना पड़ेगा। आप एक एक चीज का चेक लगा दीजिए, किसी प्रकार से रसपोंसिबिलिटी फिक्स अप कर दीजिए कि वह इसको पूरा करेंगे। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऐसा है कि जिसके बारे में आप हाउस में कुछ भी कहें लेकिन घर में

(श्री फूलचन्द जैन)

बैठ कर जब कान में बात करते हैं; या कमरे में बैठे-बैठे वैसे बातचीत चलती है तो आप भी यह मानते हैं कि यह तो बड़ा अजीब प्रशासन है। इसकी रेमेडी क्या है? इस एडमिनिस्ट्रेशन में रेडटेपिज्म है। आज प्रशासन जो सरकार के प्लान और पोलिसीज हैं, जो प्रोग्राम हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई रेसपोंसिबिलिटी फील नहीं करते हैं, फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है। अपोजीशन पार्टीज, जैसा मैंने पहले भी कहा था, उन पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन एक तरफ तो वे ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन जब कभी मौका आता है तो उनका कौंफिडेंस लेने के लिए फौरन उनके साथ हो जायेंगे, यह बड़ा गलत है। जब तक अपोजीशन पार्टीज का डेस्ट्रक्टिव रोल रहेगा, माफ कीजिएगा मुझे, अगर मैं यह कहूं कि हम तो डूबेंगे ही लेकिन आप भी पनप नहीं सकेंगे। हम तो डूबेंगे लेकिन बाद में लेकिन आप तो हमसे भी पहले डूबेंगे। इसलिए आपका भी दायित्व है और आपका रोल भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, आप क्यों डिस्ट्रक्शन करते हैं। और जो आप कंस्ट्रक्टिव लाइन में पड़े तो मैं आपको कहता हूं कि निश्चित तौर पर भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए, हमारी अच्छाई के साथ कभी आपका भी उद्धार हो जाय, अगर ईश्वर ने सुन ली तो, परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले के अन्दर चाहे अपोजिशन एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कुछ भी करे, आज हमको सोचना पड़ेगा इस एडमिनिस्ट्रेशन को ओडली एक दफा कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे, मैं निश्चित तौर पर इस बात का पक्षपाती हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी स्टेज पर हमारे जो कोम्पीटेंट लोग हैं उनका इस पर दखल और प्रभाव होना चाहिए। अब वह समय आ गया है कि हमारे कमिटेड लोगों का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। हर स्टेज पर हर स्तर पर सिर्फ दस पन्द्रह मिनिस्टर बना कर वह इस एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी काबू में कर लेंगे, यह धारणा गलत साबित होगी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को काबू नहीं कर सकते तो आप यह निश्चित मान कर चलिए कि आपके जो आंकड़े, जो नक्शे और खाके आपने खींचे हैं, फिर पांच साल के बाद में आप कहेंगे कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। आज स्थिति क्या है, आप खुद इस बात को जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर हैं, उस पर काम का इतना भार है कि उस भार को अगर आप कल्पना करें तो वह उसमें दब करके ही रह जाय, वह खड़ा हो नहीं सकता। फिर इसका उपाय क्या है? अब इसका डी-सेन्ट्रलाइजेशन कैसे हो। कोई आदमी जिम्मेदार नहीं और सब जिम्मेदार हैं, कोई करने वाला नहीं और सब करने वाले हैं, वाली कहावत हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी चीजों का कुल मिला कर जो असर है वह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारे जो कुछ भी आंकड़े हैं, जो प्रपोजल्स हैं, जो प्लान्स हैं, प्रोग्राम हैं, उनके अन्दर इम्प्लीमेंटेशन की गड़बड़ी होती है, हमारे सारे के सारे कार्यक्रम हैं, वह बिगड़ जाते हैं।

दूसरी तरफ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके पास में रिसोर्सेज की बात है, आप रिसोर्सेज की बात करते हैं लेकिन रिसोर्सेज को टेप करने की हिम्मत है कहां? मैंने पहले भी कहा है और आज

(श्री फूलचन्द जैन)

भी आपको कहता हूं कि राजस्थान की एक सौ से ऊपर म्युनिसिपैलिटीज हैं, एक सौ से ऊपर म्युनिसिपैलिटीज ऐसी होगी जहां पर सैकड़ों, हजारों एनक्रोचमेंट के केसेज वहां पड़े होंगे। आप उनको रेगुलेराईज नहीं कर सकते। लाखों की इन्कम म्युनिसिपैलिटीज की हो सकती है, गवर्नमेंट की हो सकती है लेकिन आप उनको रिएलाईज नहीं कर सकते। अकेले जयपुर के अन्दर ही हजारों ऐसे केसेज हैं। पिछली बार एक नोटिस मेरे पास आया कि आपके फार्म के अन्दर जमीन को आबादी में कन्वर्ट करने की बात है। मैंने कहा बहुत अच्छा, यह हो गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अकेले जयपुर में ही करोड़ों रुपयों की रिकवरी हो सकती है, जो आपके यहां अनधिकृत कब्जे करके लोग बैठे हैं उनसे, लेकिन आप उसको नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको क्या प्रपोजल दिए जावें लेकिन आप जो अपनी धरोहर है उसको नहीं जुटा सकते। जो धरोहर आप की बिखरी पड़ी है उसको आप नहीं बटोर सकते हैं, हम इसमें आपको कन्ट्रीब्यूट करेंगे अगर आप फर्मली डिटरमिंड हो जायं इसके लिए।

इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको टैक्सेशन की पोलिसी में भी बेसिकली चेंज करना पड़ेगा। मैं तो आज भी देखता हूं और आपको कहता हूं कि आपने यह भी देख लिया और आगे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कानून के डंड से कुछ आदमियों को गिरफ्तारी में ले सकते हैं लेकिन कानून के डंडे से। जो आप एस्पेक्ट करते हैं, जो रिएलाईजेशन आप एस्पेक्ट करते हैं, वह नहीं कर सकते। जब कमी होती है तो फरदर टैक्सेज इनक्रीज कर देते हैं लेकिन अपने टार्जेट अचीव नहीं कर सकते हैं। आप डेमोक्रेटिक सेट अप में बैठे हैं, डेमोक्रेसी से ही चलना चाहते हैं तो हर स्टेज पर डेमोक्रेट्रिक वे से ही इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। डेमोक्रेटिक आधार पर जो टैक्स लगाये हैं उसके लिए पाबन्द कीजिए।

You sit with them, discuss with them and decide. You will have to do these things.

उसके बाद मैं एक पोलिसी, एक प्रोग्राम इण्ट्रोड्यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए उसके बाद में देखिए कि वे कैसे नोन-को-ऑपरेशन करते हैं।

जैसे पहले भी निवेदन किया था कि आपके इन पोथों से समझ में नहीं आता कि आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंडीचर के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर डिफरेंट रूप में कितना है और हमारे राज्य के उत्थान और विकास पर और हमारे प्रदेश की इकोनोमी को इम्प्रूव करने के लिए कितना है। हमको यह मालूम नहीं होता, आपके इन पोथों से हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हमारी समझ में नहीं आता है। आपकी समझ में शायद यह चीज अच्छी तरह से आ रही है लेकिन इतना निवेदन मैं यहां करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर को अलग से निकाल करके मोटे तौर पर देखिए कि कितना रुपया आपका बेसिकली इन चीजों के लिए राइट अर्नेस्टली खर्च होता है और रियल डेवलपमेन्ट पर कितना खर्चा हो रहा है। मैंने पहले भी निवेदन

(श्री फूलचन्द जैन)

किया था, मैंने भी एक जगह इंस्पेक्शन किया, एक टाईम था जब मैं यह तय किया करता था। मैं एक सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट को देखने गया। वह प्रोजेक्ट डेढ लाख का था। उसमें से 75 परसेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर था। अब आप 75 परसेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर करके इस बात को कहते हैं कि डेढ लाख रुपया आपके डवलपमेंट के लिए रखा है, क्या मतलब हुआ? यह मुगालता है, धोखा है। इस चीज को हमें साफ करना पड़ेगा कि यह हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर एण्ड दिस इज नेट अमाउन्ट आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए है। यानी हमारा जो बजटिंग सिस्टम है, मैं कहता हूं कि आप डिटेल में ज्यादा जानते हैं, हम तो उतना जानते भी नहीं हैं लेकिन एक साधारण आदमी की तरह जितना समझ सकते हैं उसके आधार पर मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि इसके अन्दर आप जितना साफ नक्शा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आप मेहरबानी करके चलें। उससे आप को भी लाभ मिलेगा और हमको भी लाभ मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टा)

इसके अलावा अन्त में मैं इतना और कहना चाहता हूं कि आज जो अलग-अलग हमारे, जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो स्थिति है, उसके हर लेवल के ऊपर आप मेहरबानी करके कुछ निश्चित तौर पर निश्चित ढंग से रेसपोन्सिबिलिटीज फिक्स अप करें, उनको मजबूर करें निश्चित टार्गेट देकर कि यू हेव टू डू दिस। इसके लिए अगर आपको सर्विस रूल्स चेन्ज करना पड़े तो वह भी करिए, हाउस जो चाहता है उसकी भावना को समझते हुए उसके मुताबिक कानून बनायें। यह नहीं होना चाहिये कि लॉ डिपार्टमेन्ट का जो मत है उसको हम पर थोपें। जो कुछ भी दो पैसा हाउस से आपको लेना हो वह ले लें लेकिन यह रेसपोन्सिबिलिटी फिक्स कीजिये Tell them, You have to do this otherwise you will be punished, and you will be kicked out. तभी आपका रास्ता निकलेगा वरना तो जैसा माननीय सदस्यों ने देखा है आप हमारा गुणगान करेंगे और हम आपका गुणगान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल !

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से निवेदन कर रही हूं लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मेरिट पर नम्बर दे रहा हूं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : कई लोगों को दो-दो बार नम्बर मिल चुका है....

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, उधर से दो तीन-चार बोल चुके अब इधर से भी नम्बर आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है कि आपके दल का समय खत्म हो चुका है।

श्री मूलचन्द सामरिया : स्थगन प्रस्ताव के समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि एक सदस्य बोल सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अध्यक्ष से बात करूंगा। श्री जयकिशनलाल !

श्री जयकिशनलाल (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने 73-74 का बजट प्रस्तुत है।

एक माननीय सदस्य : 74-75 का कहिये।

श्री जयकिशनलाल : 74-75 का बजट हमारे सामने प्रस्तुत है। इस बजट का अध्ययन करने के पश्चात् ऐसी धारणा मन के अन्दर उत्पन्न होती है कि हमारे समाज के ऊपर कर भार नहीं लगाया गया, इसके लिये हम माननीय वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बजट के साथ ऐसी परिस्थितियां जोड़ दी गई हैं। इस बजट में जितने कमजोर तबके के लोग थे उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इस प्रकार के बजट के साथ-साथ कमजोर तबके के लोगों के साथ में अच्छा सलूक किया जाता तो यह बजट अत्यन्त अच्छा होता। मैं निवेदन करूं कि आप कृषि के क्षेत्र को ले लीजिये। हम एक तरफ तो यह आवाज उठाते हैं कि किसानों को हर प्रकार की राहत दी जायेगी क्योंकि यह हमारा देश कृषि प्रधान है। जब तक किसानों को सही तौर पर सभी प्रकार की सुविधायें नहीं देंगे, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि कृषि के उपयोग में आने वाली चीजों, जो कृषि के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, की ओर हमारी सरकार ध्यान नहीं देती है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों को कृषि की उन्नति के लिये हर प्रकार की आवश्यकता होती है। क्रूड ऑयल, डीजल, बिजली और सिंचाई की स्थिति को ले लीजिये। आप कृषि की उन्नति के लिए ध्यान दें। हर चीज मिटती नजर आती है। इस वर्ष में क्रूड ऑयल की भयंकर समस्या थी। आपने देखा होगा कि उसके बिना किसानों की हरी-भरी फसल जल कर राख हो गई है। हम सदन में बैठ कर भाषण दे सकते हैं। अगर गांवों की स्थिति देखें तो वास्तविकता का पता लगेगा। किसानों की स्थिति सही सुधर नहीं रही है। हम जो जनता के अन्दर से चुन कर आये हैं, उनके ऊपर पूर्ण उत्तरदायित्व है। मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले बजट में किसानों की सुविधा को रखा जाता और उन पर कार्य किया जाता तो आज किसान पूर्ण हरे-भरे हो सकते थे। वह किसान जो हमें अन्न देता है, पहनने के लिए कपड़े देता है, सभी प्रकार की सुविधाएं होते हुए देश का किसान अन्न के लिए भटके। उनको जो सुविधाएं प्राप्त हों, वह काटी गई हैं, यह अच्छा नहीं है। आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाते हैं। योजनाओं के अनुसार कार्य किया जाता है, इतना बीज, खाद सरकार उपलब्ध करायेगी। लेकिन वास्तव में वह होता नहीं है। कहां उपलब्ध होता है। कहां ब्लेक मार्केट में जाकर वह बिकता है। वह किसानों तक नहीं पहुंचता है। यदि किसानों के पास पहुँचता है कुछ तो सड़ी-गली खाद, सड़ा गला बीज। सड़ी गली चीज उसको मिलती है। इन कार्य-

(श्री जय किशनलाल)

क्रमों को देखें तो क्या आपकी योजना सही फलीभूत हो सकती है। राजस्थान में 10 साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। कभी बाढ़ आती है। 72 में अकाल पड़ा भयंकर हालत हुई। इस स्थिति को देखते हुये सभी प्रकार की सुविधाएं यदि नहीं दी गई, तो कहां से अनाज पैदा होगा? भुखमरी और बेकारी दिनोंदिन बढ़ती जायेगी। तो हमारा उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि इस प्रकार की स्थिति को लेकर सही रूप से योजना बनावें। बजट बनाने से पहले सारे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से राय लेली जाये। किस क्षेत्र में कौन सी आवश्यकता है? तभी इसकी पूर्ति हो सकती है। किसानों के सामने अभी लेवी की समस्या आई। मैं यह नहीं कहता हूं कि लेवी नहीं ली जाये। मेरा निवेदन है कि अनाज लेकर हम गरीब तबके को दें। लेकिन साथ ही साथ लेवी के बारे में गरीब किसानों के साथ में निर्दयता का व्यवहार हुआ है वह नहीं होना चाहिए। इसको रोकने की कोशिश की जाये तो मैं इस बात को ठीक मानता हूं। किसानों के सामने क्या-क्या स्थिति आई? मूंगफली की जगह बाजरा की फसल, तिल्ली की जगह ज्वार जो खेत खाली पड़े हैं, किसानों के आने वाली फसल के लिए, उस खेत को बो दिया गया। उसके अन्दर गिरदावरी की जाती है कि मक्का बोई गई है। यह वास्तव में बता सकता हूं। मेरे क्षेत्र में फागी, चाकसू तहसील में किसानों के सामने बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई कई किसानों ने बाजार से लाकर बाजरा, ज्वार, मक्की खरीद कर चुकाई। हमारी सरकार की ओर से ऐसे ही आदेश निकले हैं कि जबरदस्ती लेवी वसूल की जाये। इस प्रकार का कानून जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। जनता परेशान है। आप कब तक कानून बनाकर यह कर सकते हैं। यह हालत वह सहन नहीं कर सकते हैं। हालांकि रूलिंग पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं पूर्ण अनुशासन की भावना के साथ अपने विचार प्रकट रहा हूं। लेकिन जनता की भावना को देखते हैं तो आपको ही नहीं बल्कि कोई भी सहृदय व्यक्ति है, उसका दिल कांपने लगता है। जिनके घर नहीं है। कपड़ा नहीं है। वह कब तक सहन करते रहेंगे। मैं उदाहरण स्वरूप कह सकता हूं। कल माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रासिंहजी ने दो हिरनों की बात कही थी। जो कि 'तू पी तू पी' कहते-कहते मर गये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे और आपके सामने यह स्थिति होगी कि "तू वोट दे तू वोट दे" कहते हुये मरेंगे। हमें जनता की भावनाओं की गहराई तक पहुंचना चाहिए। तभी सही स्थिति ला सकते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि राज्य की कई प्रकार की योजनाएं बताते हैं, उनमें खर्चा अधिक और बजट कम दिखाया जाता है। लेकिन वह बजट जाता कहां है? जबकि केन्द्र से हमें पैसा भी मिलता रहा है। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार की मशीनरी कमजोर है। सरकार में बैठे हुये लोग क्यों नहीं ऐसा विचार रखते हैं? यह चीजें कहां से गायब हो जाती हैं? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सारे के सारे विचार रखें तो गरीबों का भला हो सकता है। शिक्षा की बात ले लीजिये। कल मेरा प्रश्न था इस सदन के अन्दर, और मैंने यह प्रश्न पूछा था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो अजमेर के अन्दर है, उसके अन्दर कितने व्यक्ति इस समय

(श्री जय किशनलाल)

नियुक्त हैं और उन व्यक्तियों के अन्दर कितना रिजर्वेशन का कोटा पूरा किया गया है। यदि उस लिस्ट को उठा कर देखें तो हमें एक प्रकार से बड़ी शर्म आती है। जिस बोर्ड के अन्दर 403 व्यक्ति नियुक्त हैं उनके अन्दर केवल हरिजन जाति के केवल 7 लोग हैं और अनुसूचित जाति का नामोनिशान नहीं है, जीरो है, और बैकवर्ड क्लास के 12 हैं। कहां गया हमारा वह रिजर्वेशन ? कहां गई वह नीति कि हम गरीब जाति का पूर्ण रूप से उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं ? हम एक तरफ उनको बहका कर, साधारण जनता को बहका कर उससे वोट लेकर यहां बैठ जाते हैं और पीछे मुंह करके उनकी वास्तविकता को नहीं देखते हैं। जितने दो वर्ष के अन्दर बजट आये हैं, उन पर वाद-विवाद चला, मैंने हमेशा रोस्टर प्रणाली का प्रश्न रखा है। इस सदन में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री स्वर्गीय श्रद्धेय बरकतुल्ला खां साहब ने एक आश्वासन दिया था कि किसी प्रकार से रोस्टर प्रणाली चालू कर दी जायगी। लेकिन यहां पर आश्वासन देने के बावजूद और आदेश होने के बावजूद जो विभागों में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने एक योजना बना कर यह उत्तर दिया कि जिस वर्ष दस व्यक्तियों को एक साथ प्रमोशन दिया जाय, उसमें यह प्रमोशन की धारा जरूर रख दी जाय। तो मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज तक का इतिहास आप उठा कर देखें, बीस, पच्चीस, सत्ताइस वर्ष हो गये, आज तक दस व्यक्ति कहीं एक साथ प्रमोट नहीं हो पाए हैं ऐसी स्थिति के अन्दर इस प्रकार प्रमोशन की योजना रख कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को प्रमोशन दिया जायगा—मैं तो इस चीज को मानता नहीं हूं। यह तो एक प्रकार से स्टे की तरह से है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के प्रमोशन पर स्टे है, रोक है, रुकावट है जिससे उनके आदमियों को सही स्थान नहीं मिल सकता है। साथ-साथ यह भी निवेदन कर दूं कि हम जब इस प्रकार की मांग रखते हैं तो हमारे पास प्रश्न के उत्तर लिखे हुए आते हैं कि यदि इस वर्ग से योग्य व्यक्ति मिल जायेंगे तो फिर उस जगह की पूर्ति कर दी जायगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं, आप अच्छी तरह से विचार करें, कल ही माननीय नाथूरामजी, जो सदस्य हैं। कह रहे थे, लिस्ट भी बता रहे थे, गिनती बता रहे थे कि इतने स्नातक व्यक्ति, इतने स्नातकोत्तर व्यक्ति हैं, इतने हायर सैकेण्डरी हैं, इतने मैट्रिक हैं, इतने एल. एल. बी. हैं। वह स्पष्ट बता रहे थे। तो क्यों नहीं उन व्यक्तियों को स्थान दिया जाए जिससे हमारा रिजर्वेशन पूर्ण हो सके ?

श्री मूलचन्द सामरिया : योग्य नहीं आते हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : साथ-साथ यह भी निवेदन कर दूं, इस बजट में गृह निर्माण समितियों की एक समीक्षा दी हुई है। गत बजट सेशन में भी मैंने निवेदन किया था, माननीय वित्त मन्त्री महोदय को, केवलमात्र कागजों तक यह सीमित हैं। जो समितियां बनी हुई हैं हमारी, उनके अन्दर इस प्रकार की धांधली चल रही है कि बेचारों को दस-दस दफा जयपुर तक चक्कर काटने पड़ते हैं, आज विधायक हैं, लेकिन गत वर्ष के अन्दर माननीय ओंकारलाल चौहान, समाज कल्याण मन्त्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया

(श्री जय किशनलाल)

था; यह आश्वासन दिया था कि हमारे यहां जो गृह निर्माण समितियां बनी हुई हैं, उनके अन्दर सलाहकार अर्थात् वकील नियुक्त कर दिये गये हैं, अब पैसा नहीं लिया जायगा, लेकिन आज भी जो समितियां मौजूद हैं, जो समितियां बनी हुई हैं; उनसे उसी प्रकार वकील का पैसा जमा कराया जाता है। कहां जाता है आपका आश्वासन ? कहां जाती है वास्तविकता ? साथ-साथ गृह निर्माण समितियों के अध्यक्ष और मेम्बर दस-दस दफा चक्कर लगाते हैं, क्योंकि आब्जैक्शन लगाये जाते है, चाहे उल्टे, चाहे सीधे और उनकी दस-दस दफा फाइल रिटर्न होती है। वापिस सही करना पड़ता है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तहसीलदार मना कर देता है, मैं इस प्रकार आब्जेक्शन सही नहीं करता। ऑफिस में आ जाता है तो फिर वे आब्जैक्शन सही नहीं करते। वास्तविकता देखें, तो एक तरफ वित्त मन्त्री कहते हैं कि समितियों को इतना ऋण दे दिया गया है; लेकिन दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि समितियों में क्या-क्या परेशानी हैं ? और उन परेशानियों का कोई हल नहीं किया जा रहा है।

दूसरी बात आपसे और निवेदन कर दूं, बेरोजगारी की समस्या बड़ी भयंकर है, और बेरोजगारी की समस्या हमारे क्षेत्र में ही नही है, मैं मानता हूं कि विश्व में है। लेकिन एक-एक प्रान्त के अन्दर, एक-एक प्रान्त की सरकार जिम्मेदार है, एक-एक देश की सरकार जिम्मेदार है कि हमारे प्रान्त के अन्दर हर प्रकार की चीजें उपलब्ध हों। हमारे यहां किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी बेकारी और भुखमरी क्यों ? आज का युवावर्ग इतना आक्रोशमय है कि उसके आक्रोश को सहन करना बड़ा मुश्किल है। आप सोचें कि युवकवर्ग को किसी प्रकार का आश्वासन दे दें आश्वासन क्या आप पूरा कर देंगे, चाहे विद्यार्थीवर्ग बेकार हों या अन्य श्रेणी के बेकार हों। आप सब बेकार और युवावर्ग को दिये आश्वासन को पूरा नहीं कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि आपको वास्तविकता को पहचानना चाहिए और सही स्थिति को समझ कर उनको सही रास्ते पर लगाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए अन्यथा वह युवावर्ग पहले मां बाप भाई जो बड़े हैं उनसे पूछेगा कि तुमने हमें पैदा किस लिए किया और जब पैदा किया तो हमारी बेकारी भुखमरी को मिटाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसको वहां से जवाब मिलेगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरी तनख्वाह इतनी है, पैदा इतनी होती है। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है तो मान कर चलिये, वह आते ही हमारा गला पकड़ेगा, हम किसको खायें, क्या पहने, कहां रहें, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सारी कि सारी परिस्थितियां जो हैं, वह परिस्थितियां बड़ी भयंकर नहीं हो उससे पहले उन्हें सम्भाल लें तो बड़ा अच्छा हो सकता है अन्यथा यह स्थिति बड़ी भयंकर हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज परिवहन के सम्बन्ध में है, हमने जो सड़क निर्माण या यातायात की बात बजट में रखी है। यह क्या कारण है कि इस प्रकार का खर्च वहां किया जाता है जहां के जन प्रतिनिधि कुछ शक्तिशाली हों, चाहे मन्त्री हों, चाहे कुछ भी हों, लेकिन हम जो साधारण सदस्य हैं, उस क्षेत्र के साथ अवहेलना बरती जाती है। इसके लिए बड़ा दुख है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि योजना बनाने से

(श्री जयकिशनलाल)

पहले राजस्थान के नक्शे को समक्ष रखिये, किस वर्ष में किस क्षेत्र के अन्दर उन्नति और विकास हुआ, उस क्षेत्र को आप एक साल के लिए छोड़ दीजिये। जिस क्षेत्र, जिस तहसील, जिस जिले के अन्दर विकास नहीं हुआ है, उस क्षेत्र को ले लीजिये और इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के सामने लिस्ट बना कर रख दीजिये। इस वर्ष तीन महीने, छः महीने या दो वर्ष इस क्षेत्र या इस जिले का उद्धार होगा, उसके पश्चात् आपके जिले को लेंगे और उसकी उन्नति की जायगी। तब जाकर हर क्षेत्र का उत्थान हो सकता है, अन्यथा इस प्रकार की बुरी हालत हमारी चलती रहेगी और हम भी एक रोज यहां से चले जायेंगे (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) और दूसरे आने वाले व्यक्तियों के गले में फन्दा डाल जायेंगे (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) दो मिनिट।

स्वास्थ्य की स्थिति को ले लीजिये। हम बजट के अन्दर जब देखते हैं कि कहीं ऐसा प्रावधान ही नहीं रखा गया है कि इस वर्ष कहां स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। छोटे-छोटे ग्रामों के अन्दर, जो बीमारी के अन्दर व्यक्ति तड़फड़ाते हुए मर जाते हैं और उनको दवा नहीं मिलती है, समय के ऊपर और कहीं ऐसे पी. एच. सी. खोल रखे हैं लेकिन उनमें दवाई नहीं मिलती है। डाक्टर से कहते हैं, तो वे कहते हैं, जयपुर जाकर खरीद कर लाओ, यहां दवाई नहीं है। कह देते हैं कि बजट है, लेकिन इस प्रकार का बजट में प्रावधान रखा नहीं है। आप जिन व्यक्तियों के खाने-पीने और रहने की सुविधा करने का ढिंढोरा पीटते हैं, आप पहले उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिए, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता, वह क्या कर सकता है, क्या पहन सकता है, क्या घूम सकता है, मोटरगाड़ी या हवाई जहाज में बैठ कर क्या घूम सकता है। मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारी सरकार स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, वह उस क्षेत्र में नहीं तो दूसरे क्षेत्र में जाकर मेहनत मजदूरी करके खा सकता है। लेकिन जब कि दवा नहीं मिलती है तो स्वस्थ कैसे रह सकता है, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथिक दृष्टि से, किसी न किसी प्रकार हर पंचायत मुख्यालय या उस क्षेत्र के अन्दर ऐसी सुविधायें होनी चाहिए तभी जाकर हम जनता को सही रास्ता दे सकते हैं। बजट के अन्दर हम देखेंगे तो स्पष्ट नजर आता है कि कर तो नहीं लगे लेकिन जैसे माननीय ओंकारलाल चौहान बोल रहे थे, शराब पर कर क्यों नहीं लगाया ? मेरी मान्यता है कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है, वह आज शराब नहीं पी सकता, वह पीना छोड़ता जा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, महंगाई भयंकर है, वह अनाज ही पूर्णरूप से नहीं खा सकता तो शराब कैसे पिएगा ? जो धनवान लोग हैं उनके घरों पर आराम से महफिलें होती हैं; वहां शराब का प्रयोग होता है, इसलिये ऐसी जो अंग्रेजी शराब है, व्हिसकी, ब्रांडी उस पर कर लगा दीजिए, चौगुना टैक्स कर दीजिए। इससे जो आमदनी हो वह गरीब जनता को आसानी से बांट सकते हैं और उनको सुख-सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ऐसी चीजों पर कर लग जाता तो बहुत अच्छा होता। ओंकारलालजी ने बताया कि मैं शराबबन्दी के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मैं हूं क्योंकि शराब से समाज की बुराइयां इतनी भयंकर हैं कि आज ब्लड प्रेसर की बीमारी होती हैं, तो शराब से होती है।

(श्री जयकिशनलाल)

आज व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बीमारियां यदि कहीं से घेरती हैं तो शराब के कारण। उस व्यक्ति को बीमारी नहीं घेरती जो एक पौआ पीता है, दूसरी तरफ एक पाव अंगूर खाता है तो उसकी गर्मी दब जाएगी। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसको समय पर सब्जी नहीं मिल पाती और एक पौआ शराब का पी जाता है, तो उसमें कितनी भयंकर गर्मी पैदा हो सकती है। आज हम कहते हैं कि गरीब व्यक्तियों का उद्धार करना चाहते हैं तो ऐसी हालत में आप पूर्णरूप से शराबबन्दी कर दें। हमारे तबके के लोग, जो झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके पास सहारा नहीं हैं। गम भूलाने के लिये शराब का पौआ पीकर रात भर पड़ जाते हैं, न उनको बीबी बच्चों का पता, न धर्म कर्म का पता रहता है तो उनको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा लेकिन यह नहीं होगा, हमारा ध्यान उस तरफ जाता है कि हमें किस प्रकार अच्छा कर मिल पाये, अच्छे धन की प्राप्ति हो सके और वह ध्यान तिजोडियों तक सीमित रहे, साधारण जनता की जैब में नहीं जाए तो यह जनता इसको बरदाश्त करने वाली नहीं है।

एक तरफ हम अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए बड़े-बड़े ढिंढोरे पीटते हैं कि हमने उनका उत्थान किया, उनकी बहुत उन्नति कर दी लेकिन उनके घरों में यदि वित्त मंत्री और हम सब मिल कर जायं, किसी भी कच्ची बस्ती में जायें, तो वहां पानी की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, रहने के लिए स्थान नहीं, एक छोटी सी झोंपड़ी में एक परिवार के 10 व्यक्ति एक दूसरे पर टांग पर टांग डालकर पड़े रहते हैं, यह समाजवाद नहीं है। इसलिए हम स्वयं ही यदि आनन्द लेते हैं, तो यह वास्तविकता नहीं है। अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि गुजरात जैसी हालत यहां भी हो सकती है, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि हमारे यहां पर जनजीवन अस्तव्यस्त हो लेकिन एक भूखा व्यक्ति कौनसा पाप नहीं कर सकता ? आपने थोड़े दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि एक गांव में एक मां ने एक नवजात शिशु को 5 रुपये में बेच दिया, बड़े शर्म की बात है। एक मां जिसका उच्च स्थान माना जाता है हमारे शास्त्र में व संस्कृति के अनुसार, उसके बाद पिता, उसके बाद में गुरु और बाद में भगवान आता है। जब एक भूखी मां अपने बच्चे को 5 रुपये में बेच दे, यह दयनीय स्थिति है....

(लगातार समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप घंटी को समझें।

श्री जयकिशनलाल : मैं जल्दी समाप्त करता हूं। इस प्रकार की स्थिति को लेकर यदि हम चलें तो पूर्णरूप से समाज का भला हो सकता है। हमारे समाज में जो बुराइयां हैं वे तभी मिट सकती हैं जब सामूहिक रूप से योजनायें बनायें और सही रूप में उनको क्रियान्वित करदें तभी जाकर भला हो सकेगा नहीं तो बजट बनाने से, कानून बनाने से, कानूनों को जब तक सही रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाएगा तब तक समाज में ऐसी खींचातानी चलती रहेगी। यदि हम समाजवाद का सही रूप देखना चाहते हैं और युवावर्ग को सही रूप से अग्रसर करना चाहते हैं तो हम समाज के रूप की वास्तविकता को पहचानें कि अधिकार और कर्त्तव्य क्या हैं ? जब तक इसको

(श्री जयकिशनलाल)

नहीं समझेंगे तब तक समाज में इस प्रकार की दुर्भावनायें होती रहेंगी । अनुसूचित जाति व जन-जाति और दूसरे गरीब लोगों का भला तभी हो सकता है जब उनके लिए विशेष रूप से योजना बनाकर उनको सही रूप में लाया जाए नहीं तो केवल बजट बनाने से कोई फायदा नहीं है। बजट के अंदर कर नहीं लगाया है उसके लिए तो मैं सहमत हूं लेकिन साधारण जनता को बजट बनाते समय वित्त मंत्री भूल गए हैं, इसके लिए मैं असहमत हूं।

(लगातार घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी !

श्री गोपाल जोशी : मुझे एक प्रार्थना करना है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : हम लोगों को पहले भी समय नहीं मिला था।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : यह उदयपुर डिवीजन का सवाल है, केवल नाथूभाई पहले बोल चुके हैं, मैं दूसरी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री ने 1974-75 का जो बजट सदन के समक्ष पेश किया वास्तव में वर्तमान स्थिति को देखते हुए इससे अधिक वास्तविकतावादी और संतुलित बजट नहीं हो सकता था। यह वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है और वर्तमान समय में जनता महंगाई से पीड़ित है, उस पर कर भार नहीं पड़ा है यह वास्तव में उनकी सूझबूझ का प्रतीक है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

उपाध्यक्षजी, आज इस बजट से हमें मालूम होता है कि जन कल्याण की ओर हम किस तरह से बढ़ना चाहते हैं। वह अर्थ व्यवस्था जिसमें घाटे की व्यवस्था

(3.48 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

हो, अच्छी नहीं मानी जाती। इस बजट में केवल 9.12 करोड़ का प्रत्यक्ष घाटा दर्शाया है, वह सराहनीय कदम है। मैं आशा करती हूं कि पांचवीं योजना नया स्वरूप, नई आशा और नया उल्लास लेकर आयेगी जिससे कि राजस्थान की जो भयंकर गरीबी की स्थिति है उसको हम कुछ हद तक दूर कर सकें। वास्तव में राजस्थान में गरीबी इतनी अधिक है उतनी भयावह है कि वह एक दो-तीन पंचवर्षीय योजनाओं से दूर नहीं की जा सकती। हमारे विकास का बहुत लंबा रास्ता है और पांचवी योजना उसमें एक पड़ाव मात्र है जिसमें गरीबी दूर करने के प्रयत्न में तीव्रता लाई जाएगी। आज साधारण व्यक्ति का जीवन बड़ी परेशानी का है, उसको आवश्यक वस्तुएं भी पर्याप्त रूप से समय पर नहीं मिल पा रही हैं खास तौर से खाद्यान्न जैसी चीजें। इसका यही कारण है कि हमारे पास बफर स्टाक नहीं है। इसलिए जो लेवी लगाई गई है वह सराहनीय कदम तो है ही एक सुझाव और देना चाहूंगी वह सुझाव यह है कि आज कृषकों से जो भी वसूलियां की जाय वह केश में न को जाकर बल्कि काइन्ड में की जाय तो और

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

भी अच्छा होगा। क्योंकि हम देखते आये हैं कि परम्पराओं से हमारे देश का कृषक अपनी निजी जिन्दगी में आम तौर पर अपनी जरूरतों को अनाज की अदला-बदली से पूरी करता आया है और अगर हम उससे केश के बदले में सभी वसूली अनाज के रूप में लें तो किसान को उससे कोई परेशानी नहीं होगी वह सहर्ष उसे देने को तैयार हो जायगा। इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो यह कि किसान को अनाज को बेचने के लिये इधर-उधर जगह-जगह भटकना नहीं पड़ेगा और दूसरे हमारी राज्य सरकार के पास अनाज का काफी स्टॉक हो जायेगा। इसके लिए आपको एक काम करने की जरूरत है वह यह है कि आप यह वसूली भारतीय खाद्य निगम के जरिये नहीं करावें क्योंकि उनके ध्रू यह सम्भव नहीं होगा। इसके लिये आपको राजस्थान खाद्य निगम बनाना होगा और उसके जरिये अनाज की वसूली करें और अनाज इकट्ठा करें। हम ऐसा करेंगे तभी हम अपनी आवश्यकताओं से छुटकारा पा सकेंगे अन्यथा नहीं। सभापति महोदय, आज के राजस्थान का जो किसान है वह बहुत ही परिश्रमी है, वह तरक्की करना चाहता है, लेकिन उसको आज उचित मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। उसको कोई उचित पथ-प्रदर्शन करने वाला नहीं मिलता है आज हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में जो जनता है उसकी 82 प्रतिशत जनता ऐसी है जो कि खेती करती है और अगर हम सम्पूर्ण भारतवर्ष की जनसंख्या का अनुमान लगायें तो पता लगेगा कि हमारे भारतवर्ष की 70 प्रतिशत जनता कृषि करती है। इसके अतिरिक्त दूसरे विदेशों की तरफ अगर हम देखें तो पता लगेगा कि वहां इतने लोग खेती नहीं करते हैं। आज जापान में सिर्फ 16 प्रतिशत लोग कृषि करते हैं, इंग्लैण्ड के अन्दर सिर्फ 6 प्रतिशत लोग ही कृषि करते हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वहां पर अनाज की कमी नहीं है और हमारे देश में इतने अधिक लोग कृषि करते हैं फिर भी अनाज की कमी है यह एक गम्भीर प्रश्न है हमें सोचने के लिये बाध्य करता है क्योंकि सभापति महोदय, आज हमारे देश की इतनी अधिक जनसंख्या इसमें लगी हुई है फिर भी अनाज की दृष्टि से हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जिनमें कुछ-कुछ मुख्य कारण मैं निवेदन करना चाहती हूं।

सबसे बड़ा कारण तो सभापति महोदय, यह है कि हमारे यहां पर जो कृषि की जाती है वह वैज्ञानिक पद्धति से नहीं की जाती है। हमारे यहां पर कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कुछ अनुसन्धान जरूर हुए हैं लेकिन आज हमारे यहां पर जो कृषि विभाग है उसमें और कृषि विश्वविद्यालय में आपस में कोई तालमेल नहीं है। हजारों रुपये व्यय होने के बाद कृषि अनुसन्धान, जो कृषि विश्वविद्यालयों में, अनुसन्धान केन्द्रों पर हुए हैं, अंग्रेजी की पुस्तकों के रूप में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पड़े हुए हैं। जन साधारण को इसका पता ही नहीं है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि आपका कृषि विभाग क्या कर रहा है वास्तव में देखा जाये तो आप के कृषि विभाग को इसके लिये दफ्तरी कार्य छोड़ कर प्रेक्टीकल के रूप में आना चाहिये। उसे फील्ड में आना चाहिये। उसको आगे

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

आकर अनुसन्धानों के बारे में जो हमारा साधारण कृषक है उसे ज्ञान देना चाहिये। दूसरी कमी जो है वह यह है कि हम बहु फसली कृषि नहीं करते। साधारण कृषक एक खेत में एक फसल ही बोता है जैसा कि विदेशों मे है, वहां पर बहुफसली खेती की जाती है। आज दक्षिणी कोरिया में बहु फसली खेती की जाती है। उससे थोड़ी सी जमीन में वह लोग काफी मात्रा में अनाज पैदा कर लेते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें बहुफसली खेती की तरफ अग्रसर होने के प्रयत्न करने चाहिये। लेकिन जहां एक ओर बहुफसली खेती वरदान है, वहां उसके साथ बंधा हुआ एक अभिशाप भी है वह यह है कि बहुफसली खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन उसके लिये हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे यहां जो जमीन है वह किस किस्म की है। उसके लिये हमें वैज्ञानिक पद्धति से भूमि की किस्म की जांच कराने की आवश्यकता है। परन्तु फिर भी प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हमारे अनुसन्धान संस्थान क्रियाशील नहीं है क्योंकि जो अनुसन्धान करने वाले हैं वह अधिकारी हैं। मैं उन्हें मौन ब्यूरोक्रेट्स की संज्ञा देती हूं। उन्हें इसकी ओर आगे बढ़ना चाहिये आज सभापति महोदय, हमें इस ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके अलावा एक कारण और भी है हमारे यहां पर ड्राई फार्मिंग नहीं होती और फार्मिंग की अनुसंधान नहीं हुए हैं तो हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं वह यह कि हमारे यहां पर जहां भी पानी की सुविधा हो वहां पर हमें फलों की खेती को प्रोत्साहन देना चाहिये। लेकिन मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगी कि फलों की खेती की तरफ हमारे राजस्थान में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि गंगानगर और कुछ स्थानों को छोड़ कर हमारे यहां पर फलों की खेती होती है। पर फिर भी उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा इससे हमको दो लाभ होंगे पहला तो यह कि इससे सामान्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद खाद्य पदार्थ मिलेगा दूसरे हमारी जमीन की जो आर्द्रता है वह बढ़ेगी सुरक्षा तथा अकाल की स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिये। राज्य सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरफ वित्त मन्त्री जी बजट में प्रावधान करें और फलों की खेती को प्रोत्साहन दें, उसके लिये बजट में विशेष प्रावधान करके उसके लिये एक विशेष विभाग कायम किया जाना चाहिये जो कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लोक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, फलों के विकास के लिये कार्य करें।

सभापति महोदय, इसके अलावा सिंचाई के बारे में भी बजट में बहुत कुछ कहा गया है। राजस्थान केनाल का भी वर्णन किया है और कुछ मध्यम सिंचाई योजनाओं का भी वर्णन किया है और लघु सिंचाई योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें मेरे क्षेत्र की दो योजनाओं को हाथ में लेने का जिक्र नहीं है। हालांकि मैंने सदन में कई बार उनको हाथ में लेने लिये निवेदन किया था, जो कि अगर पूरी हो जाये तो हमारे इलाके में लोग जो कि काफी पिछड़े हुए हैं और हमारा

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

चित्तौड़ का इलाका काफी उपेक्षित हमेशा से ही रहा है, अगर आप उन दो योजनाओं को पूरी करादें तो हमारे क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिल सकती है। इसमें एक तो है बेड़च नदी पर सिंचाई योजना बनाने के लिये, दूसरी बागन नदी पर मरदाना के पास सिंचाई योजना के बनाने के लिये। इन योजना को राज्य सरकार को चाहिये कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी आरम्भ करके पूरी करे, लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बजट में उन योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वह अपनी जो पंचम पंचवर्षीय योजना है उसमें इस कार्य को प्रारम्भ करा कर पूरा किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कुछ विद्युत् के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी सभापति महोदय, हमारी सारी अर्थ व्यवस्था जो आज है वह विद्युत पर निर्भर करती है। विद्युत् हमारी प्रगति का केन्द्र बिन्दु है। उसी के आधार पर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकते हैं डेयरी फार्मिग कर सकते हैं, विद्युत् के ही आधार से हम बड़े-बड़े उद्योग चला सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमें सारी बातें छोड़कर विद्युत् की प्रगति की ओर ही ध्यान देना चाहिये आज हम विद्युत् में पीछे हैं इसीलिये हम काफी पीछे हैं। अगर हमें विकास करना है तो हमें विद्युत् को बढ़ाना पड़ेगा। आज विश्व में ऊर्जा का संकट हो गया है। इसलिये ऊर्जा संकट को समाप्त करने के लिये हमारे देश के हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि हम इस ओर कदम उठाये। जैसा कि एक विद्वान लेखक पीथुतनम ने लिखा है अपनी पुस्तक एनर्जी इन दी फ्यूचर में कि विश्व की ऊर्जा शक्ति जो कि पहले 100 क्यू यूनिट थी यह क्यू यूनिट जो है वह साइन्टिफिक टर्म है। एक क्यू यूनिट में 38 लाख टन कोयले की क्षमता होती है वह ऊर्जा दिन दिन कम होती जा रही है उसमें उन्होंने बताया है, कि इसीसे लेकर सन् 1850 तक हमने 9 क्यू यूनिट ऊर्जा समाप्त की है। और 1850 से आज तक 10 क्यू यूनिट ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार काफी ऊर्जा जो हमारी भू-गर्भ की है वह बहुत तेजी से समाप्त हो रही है उसके लिए उन्होंने काफी शोक प्रकट किया है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अब हमें इसके अलावा और विकल्प ढूंढना चाहिये जिससे कि हमें फायदा हो। इसके लिये वैसे 1939 में मिथन्स गैस जिससे गोबर गैस भी बनता है, का प्रयोग किया गया था लेकिन उस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, यह गोबर गैस का उपयोग रसोई के काम में लिया जाना चाहिये। इससे हम डीजल से चलाने वाले इन्जिन चला सकते हैं, इस गैस से हम बिजली भी पैदा कर रोशनी कर सकते है तथा और भी कई काम ले सकते हैं और जो इसका बाई प्रोडक्ट है, वह खाद के काम आता है, उस ओर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है पर अभी तक हमने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है हालांकि काफी स्थानों पर इसका उपयोग होना शुरू हो गया है, आज हमारे भारतवर्ष में, गुजरात में इसके 2816 प्लान्ट हैं, महाराष्ट्र में 1423 प्लान्ट हैं, मध्यप्रदेश में 197 प्लान्ट है और राजस्थान में केवल 43 प्लान्ट ही हैं।

ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, हमें अपने देश की परिस्थितियों और विश्व की

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

परिस्थितियों को देखते हुए इस ओर कुछ प्रावधान रखने पड़ेंगे। जो लोग इस प्रकार के प्लान्ट लगाना चाहते हैं उनके लिये सबसिडी की व्यवस्था करनी होगी। तब ही जाकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जिसको हमने बड़े उल्लास से बनाया है, हम यह आशा कर सकते हैं कि गरीबी को दूर करेंगे। वरना यह कागज मात्र, किताब का पन्ना बन कर रह जावेगी क्योंकि उरजा शक्ति के लिये बाहर से तेल मंगायें तो हमारी क्या स्थिति हो सकती है आप यह समझ सकते हैं कि इसके लिये हमको आयात शक्ति का 80 प्रतिशत धन हमको दे देना होगा। इसलिये हमें इन योजनाओं को कागज का पृष्ठ मात्र नहीं बनाना है परन्तु उनको उपयोगी बनाना है जिसके लिये हमें साधन ढूंढने पड़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैंने तो बहुत कम समय लिया है। आपने पहले ही घंटी बजा दी। पांच मिनिट का समय मुझे और दीजिये।

श्री सभापति : आप पांच मिनिट और बोल लीजिये।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : सभापति महोदय, प्रान्त की अर्थ व्यवस्था को विकृत करने के लिये हड़तालें बहुत बड़ा कारण है। चारों तरफ हड़तालों का साम्राज्य है ? एक मजदूर हड़ताल करता है, डाक्टर हड़ताल करते हैं, इन्जीनियर हड़ताल करते हैं, विद्यार्थी हड़ताल करते हैं यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल में लग गये हैं। इस प्रकार हडतालें होती हैं उनके बारे में यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो यह एक तरह से देशद्रोह कहा जा सकता है। खास तौर से उस समय जब कि हम अकाल और सूखे की भयंकर स्थिति में हों।

सभापति महोदय, यह मैं मानती हूँ कि प्रजातन्त्र में सब को अपने अधिकारों के लिये लड़ने का अधिकार है। खास तौर से सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहना चाहती हूँ कि उनको इस पर सोचना चाहिये कि आज औसत राजस्थानी की आय 600) वार्षिक है। उनको तो 600) रुपये से अधिक मिल रहे हैं। फिर यह सौदेबाजी और जो उनसे भी नीचे के तबके के असंगठित भाई हैं उनके अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं ? सरकार ने उनकी सजायें भी माफ कर दीं। यह ठीक नहीं है। आये दिन हड़तालें करना, देश और प्रान्त की स्थिति को नहीं समझना, एक तरह से हमारे लिये कलंक है और उसे हमें दूर करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारी की समस्या के लिये हमारे बजट में यह कहा गया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में 8 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया और चालू वर्ष में 20 हजार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया परन्तु यदि हम गहराई से देखें तो पता चलेगा कि 32.22 प्रतिशत व्यक्ति काम में लगे हुए हैं बाकी के सब बेकार हैं। बेकारी के भी कई रूप हैं। जैसे पूर्ण बेकार, आंशिक बेकार या ग्रामीण अल्प बेरोजगार। शिक्षितों की बेरोजगारी या उद्योगों की बेकारी। ये सब हमारे सामने चुनौतियां हैं और सब से बड़ी चुनौती है ग्रामीण अल्प बेरोजगारी। ग्रामीण व्यक्ति के

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

काम का सैम्पल सर्वे किया गया है उससे ताप चलता है कि साल में एक कृषक के पास 128 से 196 दिन का काम रहता है बाकी वह बेकार रहता है। उनकी बेकारी की समस्या को कैसे दूर करें ? हमको इसका पंचवर्षीय योजनाओं में ही समाधान ढूंढना पड़ेगा कि बहुत अधिक जनसंख्या का भाग बेकारी में क्यों हैं ?

क्रेश प्रोग्राम बनाये गये। पर उनके बन्द होने से आज ग्रामीण व्यक्तियों की हालत बड़ी दयनीय है और उनसे भी अधिक दयनीय हालत उन शिक्षित बेरोजगारी की है। उनकी दशा बहुत ही करुणाजनक है, बहुत ही हृदयस्पर्शी है, क्योंकि मां-बाप की गाढ़ी कमाई को खर्च करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई आशायें और उम्मीदें लेकर परन्तु पास करके आते हैं और कई प्रार्थना-पत्र भरने के बाद, फीस भरने के बाद, कई साक्षात्कार में आने के बाद भी जब निराश होते हैं और अभाव की भट्टियों में वे जब झुलसने लगते हैं तो ऐसे समय, सभापति महोदय, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी आप अन्दाज लगा सकते हैं। उनके लिये हमको कोई न कोई कार्य करना होगा। बजट में प्रावधान करना होगा। पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधान रखना होगा वरना हमारे सारे के सारे नवयुवक एक तरह से बेकारों की भीड़ इकट्ठी होकर हमारे इस प्रजातन्त्र को ही मिटा देंगे। हम देश की स्वतन्त्रता को समाप्त कर देंगे। सभापति महोदय, इसके लिये सुझाव देना चाहती हूं।

श्री सभापति : आपने पांच मिनिट का समय मांगा और मैंने आपको 5.30 मिनिट दे दिये।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : दो मिनिट और आप दीजिये। उदयपुर डिविजन से नाथूभाई के बाद में ही बोल रही हूं।

श्री रामकिशन : महिला के हिसाब से तो टाइम मांगिये। उदयपुर डिविजन तो राज कर रहा है।

श्री सभापती : मैं आशा करता हूं कि एक मिनिट में आप अपना भाषण समाप्त कर देंगी।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : माननीय सभापति महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि उत्पादन को हमें बढ़ाना होगा तथा लघु उद्योगों को हमें प्रोत्साहन देना होगा। इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों को हम बढ़ा सकते हैं। उस के साथ-साथ वनों के आधार पर हम कई उद्योग स्थापित कर सकते हैं। सभापति महोदय, यह बेकारी की जो समस्या है यह पूर्णरूप से शिक्षा की वजह से है। तो इस शिक्षा के सम्बन्ध में भी हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। आज बेरोजगारी एक तरह से निरन्तर बढ़ रही है उसका कारण जनसंख्या भी है। सारे देश में एक दिन में 50 हजार बच्चे जन्म ले रहे हैं और प्रति दो मिनिट में एक नया मुंह खाने के लिये मांगने को आजाता है। सरकार को इस सम्बन्ध में उचित रूप से निर्देश देने होंगे कि जो अधिक बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकार की ओर से जो कुछ सुविधायें दी जाती हैं वे समाप्त कर दी जावेंगी। इस प्रकार के आदेश देना बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षिप्त में निवेदन करना चाहती हूं शिक्षा के बारे में आज हमने बजट में 100 प्राथमिक

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

शालाओं और 100 माध्यमिक शालाओं के लिये प्रावधान रखा है। परन्तु यह इतना कम प्रावधान है कि यदि हम इसको राजस्थान रूपी रेत के ढेर में एक पानी की बूंद डालने के समान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारी जनसंख्या का बहुत अधिक भाग अशिक्षित है। राजस्थान में केवल 18.79 प्रतिशत व्यक्ति ही शिक्षित हैं। खास तौर से महिलायें तो बहुत ही अशिक्षित हैं और उनका 8.26 प्रतिशत ही आता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में इन लोगों के लिये सोचना है।

खास तौर से महिला शिक्षा के लिये सुझाव देना चाहती हूं।

(व्यवधान)

आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती हूं। तो ऐसी स्थिति में एक अगर पुरुष को शिक्षित करते हैं तो उस अकेले को ही उसका लाभ मिलता है, जब कि एक महिला को शिक्षित करते हैं तो उसका लाभ वह अपने सारे परिवार और बच्चों को देती है। ऐसी स्थिति में इनकी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आपने बजट में इसके लिये कोई नया प्रावधान नहीं रखा, खास तौर से एक हायर सैकण्डरी स्कूल मेरे एरिये में महिलाओं के लिये खोलने के लिये।

आप आदिवासी इलाकों को ले लीजिये। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, परतापपुर का इलाका है। वहां महिला शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। वहां कम से कम हाई स्कूल तो खोली ही जानी चाहिये और जहां हायर सैकण्डरी की आवश्यकता हो तो वहां हायर सेकण्डरी स्कूल खोली जानी चाहिये। आज महिला शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाने के लिये बहुत कुछ करना होगा।

गांव में हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह क्यों होता है? वे कहते हैं कि हमें काम करने के लिये आदमी चाहिये। ये बच्चे काम करने में हमारे उपयोगी अंग हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि ऐसे स्थानों पर कमाओ और पढ़ो की योजना लागू करनी होगी और यह आसानी से किया जा सकता है। इनमें छोटे बच्चे ग्यारह-बारह वर्ष के काम में लगाये जा सकते हैं। जैसे बागवानी का काम है, सिलाई का है, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, बढईगिरी आदि-आदि हैं।

विश्वविद्यालय के बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहती हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज की विश्वविद्यालय की शिक्षा में ग्रामीण जीवन से सम्पर्क नहीं है। इसके लिये राष्ट्रीय सेवा योजना सरोखी योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से 7:5 के रेशों में सहायता भी मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपको अधिक समय दिया गया है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : मैं थोड़ा उदयपुर विश्व विद्यालय के बारे में निवेदन करना चाहूंगी।

श्री सभापति : इसके लिये शिक्षा के पद पर अधिक अवसर आपको मिलेगा।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : ऐसी स्थिति है तो सभापति महोदय, मैं अपना कथन अधूरा हो समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सांवरमल मोर !

श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, जो बजट जिस रूप में यहां रखा गया है उसकी तो मैं सराहना करता हूं। पर साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की भावना हमारे सब के मन में आनी चाहिये कि हम ईमानदारी और मेहनत से अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में जुट जावें।

आज हमारी सरकार ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई है। सिद्धान्ततः अच्छी है। पर इसके क्रियान्वयन में जो वितरण प्रणाली हमने बनाई है वह बड़ी दूषित है। अच्छे आदमी इसमें नहीं हैं। अधिकांश भ्रष्ट व्यक्ति इसमें भर दिये गये हैं। इसको खाद्य मन्त्रीजी ने भी अनुभव किया है। पिछले अर्से में सैंकड़ों की संख्या में गावों में एनफोर्समेन्ट अफसरों को इस काम पर लगाया गया। उनकी तरक्की से किसान आज अत्यन्त दुखी और विक्षुब्ध है। जनता और व्यापारी भी रोष में भरे हुए हैं। अगर यह कहा जाय कि इन सांडों को सरकार ने खेतों में चरने के लिए और उनको बरबाद करने के लिए खुला छोड़ दिया तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। इन्होंने सबको रौंद डाला है। भ्रष्टाचार आज गांव-गांव में खुले तौर पर फैल गया है और सही वितरण किसी चीज का हो सकेगा इसकी कतई आशा इन लोगों से नहीं की जा सकती।

अब जब सरकार स्वयं यह मानती है कि इन इन्सपेक्टरों ने कोई अच्छा रोल अदा नहीं किया तो इनको एकदम हटा देने में क्या दिक्कत है। इनको तत्काल हटा दिया जाना चाहिये। इसमें सभी का भला है। जनता का, व्यापारियों का और सरकार का।

किसान इनसे तबाह है। फिर किसान को आज अपनी उपज बढ़ाने के लिये, कुओं पर बिजली चाहिये। जो मिलती भी है कम मात्रा में और बहुत थोड़े समय के लिए आप एक तरफ उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसान की खेती बिजली के अभाव में पानी से वंचित रह जाती है और सूखने की स्थिति में पहुँच जाती है। इस तरह कैसे उत्पादन बढ़ेगा। आज किसान के सामने सीमेन्ट, डीजल, खाद आदि अत्यन्त उपयोगी साधनों की कमी है। आसानी से नहीं मिलते। सही रेट पर तो मिलना दुर्लभ है। आज जो लोग मार्केटिंग सोसायटियों में, क्रय-विक्रय संघों में सहकारी समितियों में बैठे हैं, वे इस तरह से बिठा दिये गये हैं मानो पुराने जमाने में जिस तरह से मन्दिरों में मठाधीशों को बिठा दिया जाता था। ये सारे के सारे मठाधीश हैं। सारे समाज का और मुख्य रूप से आज ये किसानों के शोषक हो गये हैं। पोषक नहीं रह गए हैं।

प्रधान मंत्रीजी और राज्य के मुख्यमंत्री जी सहकारिता को बढ़ावा देने की बात करते हैं। सहकारिता सिद्धान्ततः अच्छी

(श्री सांवरमल मोर)

चीज है। आप इसे प्रोत्साहन दें। इसमें दो राय नहीं हो सकती। पर गलत आदमी जो आज इनमें मठाधीश की तरह बन कर बैठ गये हैं उनको तो समाप्त करें। उनको प्रोत्साहन न दें।

अकालराहत में सरकार ने साहस से काम लिया और मेरे जिले में 4 हजार कुओं का निर्माण कराया। यह सारे देश में एक मिसाल है कि इनके निर्माण में कलेक्टर ने और जनता ने पूरा उत्साह दिखाया। शायद यह कह सकते हैं कि सृष्टि बनने के बाद इतने कुओं का एक साथ निर्माण यहां कभी नहीं हुआ। किसान को 2½ हजार की सहायता प्रति कुआ मिली इतनी ही उसने अपने पास से तथा बैंक से उधार लेकर लगाया। अब किसान चाहता है कि इन कुओं पर लगातार उसे बिजली भी मिले ताकि उनका वह श्रम सार्थक हो। कुए बनाने का लाभ मिले। आज यहां बिजली देने से बढ़े हुए उत्पादन का लाभ किसान को मिलेगा, वहां सरकार की रेवेन्यू की आय भी बढ़ेगी. देश में आज जो खाद्यान्न का अकाल सा पड़ गया है उसमें राहत मिलेगी।

अब मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा निवेदन कर दूं। गांवों में स्कूलें खोली गई। पर अध्यापकों की व्यवस्था जैसी होनी चाहिये जो नहीं कर पाये। लड़कियों के लिए मिडिल स्कूलों की कमी है। इसके लिये मैंने सरकार को लिखा भी था। फिर जहां आपने स्कूलें अच्छी संख्या में खोली हैं पर अगर उनमें अध्यापकों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो इन स्कूलों के खोलने का महत्त्व नहीं रह जाता है।

इस बजट में भी 100 स्कूलें खोलने का प्रावधान रखा गया है। आप जानते हैं कि इन पिछले आम चुनावों के बाद वहां कोई भी हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं खोली गई। कुछ खोली गई जिनके लिये एक साल का खर्चा वहां के लोगों ने दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता दो-तीन सालों से पूरी प्रतीक्षा में है कि हमारे क्षेत्र में इस साल ये स्कूलें खोली जांय पर इस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि इस बार भी शायद ही कोई हायर सैकेन्डरी स्कूल वहां खुले।

एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों की भी कमी है। इसमें काफी खर्चा हो सकता है। पर हिन्दुस्तान के देहातों में लोग चाहते हैं कि अगर इसमें अधिक खर्चा होता है तो कम से कम आयुर्वेद औषधालय तो आप खोलें। हर पंचायत पर आप खोलेंगे तो जनता को सस्ती दवाइयां और स्वास्थ्य मिल सकेगा। साथ ही एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों की कमी की भी पूर्ति होगी। पर बजट देखने से पता लगता है कि इसका भी आपने अधिक प्रावधान नहीं रखा है। 25 का रखा है। कम से कम आयुर्वेदिक औषधालय तो ज्यादा से ज्यादा खोले जावें ताकि जिसकी मांग गांवों के लोग तीन साल से कर रहे हैं वह तो पूरी हो। टैक्स के बारे में जैसा कि इस बजट में कहा गया है सराहनीय है। आम लोगों की चर्चा है इस साल टैक्स नहीं लगाया गया लेकिन सभापति महोदय, आप जानते हैं काफी टैक्स आज हम पर लगे हुए हैं। आज उनकी अदायगी बहुत मुश्किल से हो रही है। इस महंगाई में टैक्स का भार बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस टैक्स से इतनी आमदनी हो

(श्री सांवरमल मोर)

..रकम वसूल कर लेते हैं। सभापतिजी न्याय की एक सीमा होती है और उस सीमा में आप और हम नहीं ठहरेंगे तो निश्चित रूप से वह गरीब....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

....जैसा जमाना कहता आया है या तो उसकी आह खा जायगी या वह स्वयं समाप्त हो जायगा। मैं निवेदन करूं गृह सेवा सहकारी समिति का निर्माण किया गया, हरिजनों को मकानों की सहायता दी जायगी तीन सौ रुपये सब्सिडी के दिये जायेंगे। हमारे जिले में समिति बनी रुपये भी दिये गये लेकिन मैं निवेदन करूं आपसे कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कोई सही रूप से जांच करने को तैयार हो तो आप जांच करवायें, आपको पता लग जायगा। अगर आप जनता के लिये कुछ करना चाहते हैं तो करिये लेकिन आपके और हमारे नुमाइन्दे जिनके भरोसे हम चलना चाहते हैं वह फेल कर देते हैं और उनकी वास्तविक मदद नहीं करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बहुत बार में तो मौका मिलता है। औरों ने तो टाइम दिया ही नहीं। पता नहीं आपने कैसे दे दिया। टाइम तो दिया। एक निवेदन और करूं आपसे सरकार की तरफ से शहरों में इस तरह के हजारों-हजारों मकान लोगों ने बनाये जिनके पास मकान नहीं थे, रहने की सुविधा नहीं थी, आज भी बड़ी असुविधा है। मध्यम श्रेणी के लोगों ने मकान बनाये लेकिन हमारी सरकार एक निश्चित रेट निर्धारित नहीं करती है। अगर एक वाजिब रेट तय कर दे तो करोड़ों-करोड़ों की आय हो सकती है।

अन्त में माननीय सभापतिजी, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि जो कुछ भी करें वह सबसे पहले कमजोरवर्ग के लिये करें। मैं पुनः वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोई कर नहीं लगाया। यह तो धन्यवाद का काम है कि और ज्यादा कर नहीं लगाये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री माणकचन्द !

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी के द्वारा पेश किये गये बजट का स्वागत करता हूँ। इस मंहगाई के जमाने में राजस्थान सरकार ने कोई कर नहीं लगा कर जनता को जो राहत पहुँचाई है वह अवश्य सराहनीय है। सभापतिजी, आपको ज्ञात है और तमाम सदस्यगण यह जानते हैं कि अभी देहली में हमारे यहां केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्री महोदय ने बजट पेश किया है। उस बजट में इन डाइरेक्ट टैक्स के नाम से जो टैक्स लगाया है वह उन सम्पन्न व्यक्तियों के काम में आने वाली चीजों पर लगाया है। गरीब पर टैक्स नहीं लगाया है। उन्होंने अगर रियायत दी है तो आयकर के उन लोगों को दी है जो छोटे और मध्यम श्रेणी के लोग हैं। वहां सम्पत्ति टैक्स बहुत ज्यादा लगा कर जनता को यह बताया है कि सरकार इस तरफ बहुत ज्यादा सचेत है। टैक्स कहां लगाना

(श्री माणकचन्द सोगानी)

चाहिये और कहां राहत देनी चाहिये यह सरकार ने बता दिया है। पहले ही मंहगाई बहुत अधिक है और वित्त मन्त्रीजी ने मंहगाई की चीजों पर टैक्स न लगा कर उसको बचाया है। यह प्रशंसनीय काम है। इसमें कइयों की कोई राय हो सकती है मगर यह विचारने योग्य बात है यह टैक्स इसलिये लगाये जाते हैं विकास हो। हमें यह देखना होगा कि विकास की तरफ कदम बढ़ाया है या नहीं। सबसे बड़ा विकास करना है तो हमारा अनुभव यह कहता है कि खेती की तरफ विकास होना चाहिये....

मैं इस बजट को पढ़ने के बाद यह देखता हूं कि पिछली पंचवर्षीय योजना में जहां 54 हजार कुओं का निर्माण हुआ इस साल के अन्दर उन्होंने 15000 कुओं का निर्माण करने के लिए प्रावधान किया है। यह उनका कदम खेती की बढ़ोतरी की तरफ है। यह विकास का कार्य है।

दूसरा सवाल आता है कि हमें कहां ठोस कदम उठाने चाहिये जिससे उत्पादन हो। तो हमें बिजली की तरफ ध्यान देना होगा। तो बिजली की तरफ भी इस बजट को पढ़ने से मालूम होता है कि काफी उन्होंने प्रावधान रखा है जिससे जो पहले बिजली मिलती थी उससे ज्यादा मिलेगी। अफसोस तो वहां होता है जहां इतनी अच्छी नीतियां रखी जाती हैं। सचमुच में क्या गांव के ग्रामीणों को वहां बिजली आसानी से मिल सकती है? जो ग्रामीण भाई हम लोगों के सामने अपनी शिकायतें लेकर आते हैं वहां राज्य की प्रशंसा करते हैं तो विभाग की बुराइयां करते हैं। पता नहीं जो आसानी से बिजली मिल जानी चाहिये वह उनको उपलब्ध होती ही नहीं है। अगर एक दफा उनको बिल बना कर दिया गया और उन्होंने रकम भर दी बहुत अच्छा हुआ और अगर नहीं भरी और आपत्ति की तो यह देखने में आया है कि उस बिल की रकम को बढ़ा कर दे देते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह लगता है कि अगर उनकी पेट-पूजा कर दी जाये तो पहले वाले बिल को ठीक करके कम भी किया जा सकता है वरना उनमें इतनी शक्ति है कि उसको बढ़ा करके भी पेश किया जा सकता है। तो हमारे प्रशासन में यह प्रणाली फैल गयी है इसको रोका जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : प्रणाली नहीं है, फैशन है।

श्री माणकचन्द सोगानी : Thank you for the suggestion.

सभापति महोदय, जहां तक जल का सवाल है इस समय हमारे सामने बहुत भारी समस्या है। आज इतने वर्षों के बाद भी हमारी यह समस्या हल नहीं हो पाई है। अन्न और जल की सबसे पहले आवश्यकता होती है तो अन्न के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। प्रकृति का प्रकोप हुआ, अनावृष्टि हुई, शीतलहर आई लेकिन जहां तक पानी का सवाल है, यह बजट पढ़ने से मालूम हुआ कि केन्द्रीय सरकार भी इसके अन्दर अगर भू के अन्दर जल है और उसकी छानबीन करें तो 50 परसेंन्ट आप को मदद देने के लिए तैयार हैं। हमें सचमुच इसका फायदा उठाना ही चाहिए। और इसमें किसी भी प्रकार की ढील होती है तो सरकार को कोसना बहुत आवश्यक अंग होगा। पानी का जहां तक मसला है क्या गांवों में और क्या शहरों में लोग बिल्कुल

(श्री माणकचन्द सोगानी)

असन्तुष्ट पाये जाते हैं। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र की भी बातें करता है और राजस्थान पूरे की बात करता हुआ मैं अजमेर की बात करूं तो अनुचित नहीं होगा। आज से कुछ साल पहले वहां बनास योजना का उद्घाटन किया गया। आज भी वहां यह हालत है जब कि इस समय गर्मी नहीं है, पीने को पानी दो समय छोड़कर एक समय भी नल पूरे नहीं खोलते। जब तीन करोड़ रुपया एल. आई. सी. से लेकर लगाया गया और जिसका ब्याज भरना पड़ता है और साथ ही साथ हमारे इन्जीनियर्स इसका ध्यान रखें कि वहां पर बांध बांध दिया जाता और पानी को रोक दिया जाता तो यह पानी बारहों महीने मिल सकता था। इसके नहीं मिलने से सिर्फ पीने के पानी की ही तकलीफ नहीं है बल्कि हमारे यहां के उद्योग भी कार्य नहीं कर सकते। जो भी उद्योग थोड़े से किशनगढ में हैं वहां के विधायक यहां हैं वहां मैं भी जाता हूं। वहां इस समय पावरलूम और साइजिंग फैक्ट्रीज लगी हुई हैं लेकिन वहां के काम करने वाले कारीगरों को काम नहीं मिल पाता है क्योंकि कारखानों को चलाने के लिए जो पानी की व्यवस्था है वह उचित रूप से अभी तक नहीं की गयी। आखिर कब तक एक आदमी इसका इन्तजार करेगा कि पानी उसको कब मिलेगा ? कलकारखाने में मजदूर काम करने वाला है उसको भी बाधा पानी की पड़ती है, बिजली की पड़ती है। तो हमारे बजट के अन्दर जो कुछ राशि पानी और बिजली के लिए रखी गयी है उसके ऊपर मेरी विनती है कि उसको ठीक तरह से उपयोग करके उन योजनाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जावे।

इसके साथ ही कुछ सराहनीय कार्य जिनका जिक्र करना है वह यह है कि हमारे यह न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं के कार्य को पृथक कर दिया गया है। यह बहुत जरूरी था। कई स्टेट्स में पहले से ही किया जा चुका है और अब यहां यह कदम उठाया गया है इसकी प्रशंसा करनी होगी।

राजस्थान नहर का जिक्र करते हुए 911 करोड़ रुपया हमने इसके लिए निकाला है। सही बात है कि गवर्नमेन्ट के पास अधिक धन नही है लेकिन जैसा कहा गया है कि यह राष्ट्रीय योजना घोषित की जानी चाहिए। इस सदन के मार्फत मैं राज्य सरकार से कहूंगा और सदस्यों से भी कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए दबाव देना चाहिए कि इतनी बड़ी योजना जो कि राष्ट्रीय स्तर की है, उसको वह पूरा करे जिससे खेती की जो कमी मालूम होती है वह नहीं हो और इस एक योजना से बड़ा भारी धान निपज सकता है। यह मांग केन्द्रीय सरकार से करना बहुत जरूरी है।

यहां शिक्षा प्रणाली के बारे में जो कुछ जिक्र हुआ है उसमें बताया गया है कि इस प्रकार का प्रावधान करना चाहते हैं जो कि स्वरोजगारी हो। आज के जमाने में बी. ए. और एम. ए. सड़कों पर घूमते रहें उससे तो अच्छा है कि इतनी पढाई करें कि जिससे वह अपना और घरवालों का जीवन निर्वाह कर सकें। इसलिए यह जिक्र बहुत अच्छा है।

इसमें बताया गया है कि एक हजार बस्तियों का विद्युतिकरण किया जायेगा व 15000 कुओं में बिजली देने का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ मैं थोड़ा सा यह कहना चाहता हूं कि आज

(श्री माणकचन्द सोगानी)

जहां हमारे यातायात में 25 परसेन्ट का नेशनेलाइजेशन हुआ मगर उस 25 परसेन्ट नेशनेलाइज्ड रूट्स पर जो सुगमतायें होनी चाहिए क्या वह उपलब्ध हुई हैं ? वह नहीं हुई। मैं इतना सा जानता हूं कि राजस्थान के कुछ इने-गिने बड़े शहर हैं अजमेर उनमें अपना स्थान रखता है। आप अगर बस से अजमेर उतरेंगे और बरसात होगी तो आपको कीचड़ में ही उतरना पड़ेगा। वहां पर अब तक बस स्टेण्ड नहीं बना। और पीने के पानी की आवश्यकता होगी तो वहां पानी नहीं है और जरूरी तौर से किसी चाय वाले से या लिमका के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अजमेर जैसा शहर जो कि अपना स्थान अलग से रखता है और जहां तीन लाख से ज्यादा की आबादी है इस कार्य को बहुत ही शीघ्र गवर्नमेन्ट को करना चाहिए, बस स्टेण्ड बनाना चाहिए और इसमें विलम्ब करना उचित नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले अजमेर के सम्बन्ध में एक पत्र भी यहां लिख चुका हूं जो कि आज मैं पढना चाहता हूं। वहां तोपदड़ा ऐसा स्थान है कि वहां गवर्नमेन्ट का हायर सैकन्डरी स्कूल है। हजारों विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। वहां जाने के लिए एक रेल मार्ग आता है बस का लेवल क्रासिंग बना हुआ नहीं है और उससे हर साल चार-पांच बच्चों की मौत हो जाती है। इस सिलसिले में मैंने रेल्वे से लिखा पढ़ी की है और रेल्वे ने जवाब दिया है और पत्र लिखा था किशन गोपाल गुप्ता पार्षद ने और डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने लिखा है वह कुछ पंक्तियां पढता हूं मैं:—

"The road over-bridge near Topdhara level crossing referred to by you in your above letter has been included in the Fourth Five Year Plan by the Rajasthan State Government under priority No. 5".

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब फोर्थ फाईव ईयर प्लान खत्म हो रहा है, अभी तक पुलिया का जिक्र नहीं है और जहां तीन-चार मौतें हर साल होती हैं तो राज्य सरकार को अपने बजट में से जिस मद से भी रुपया निकालना है उसको निकाले और उस पुल को बना ही देना चाहिए ताकि बच्चों की मौत न हो। यह काम बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट आपके और लूंगा।

इस समय यह अर्ज करना चाहता हूं कि बंगला देश के वक्त जो कर लगाए गए थे, कुछ तो हमारे यहां के वित्त मंत्री ने यह कहा कि चालू रखना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सूखे की वजह से, अतिवृष्टि से जिनको नुकसान हुआ है उन लोगों को उससे राहत मिल सके। तो इसकी तारीफ करनी पड़ेगी इस चीज की। चाहे यह कर ही हों मगर चालू रखा जाय यह अच्छा है।

नगरपालिकाओं को जो आठ से बढ़ा कर एक रुपया प्रति व्यक्ति ग्राण्ट देने की घोषणा की गई है, यह अच्छा कदम है।

मनोरंजन कर में जो तीन साल की एवरेज रख कर और मनोरंजन कर म्युनिसिपेलिटीज को देंगे यह उचित कदम है।

(श्री माणकचन्द सोगानी)

यहां पर एक बात कहना बड़ा आवश्यक है, वह है ऑक्ट्राई के सम्बन्ध में। राजस्थान-पूरे के अन्दर अलग-अलग नगरपालिकाओं में अलग-अलग रेट लागू है-उससे व्यापारियों को खरीदने वालों को कितनी क्षति पहुँचती है इस पर विचार किया जाय, और पूरे राजस्थान के लिए शीघ्र ही एक कमेटी बना कर पूरे राजस्थान के लिए ऑक्ट्राई का एक लेवल बनाना अति आवश्यक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दवा जयपुर के अन्दर क्विन्टल के हिसाब से कर देती है म्युनिसिपलिटी को, वहां अजमेर में जाकर किलोग्राम यानि सैंकड़े के हिसाब से ड्यूटी लगती है। नतीजा यह होता है कि हर आदमी वहां जाने वाला यहां से दवा खरीद कर टैक्सी के पीछे डिब्बे में रख कर चोरी करेगा और उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध भी नहीं है। इसलिए पूरे राजस्थान के लिए ऑक्ट्राई की दर संतुलित बनाना इस वक्त बहुत आवश्यक है। इसके बगैर खरीददारों को नुकसान होता है, चोरियां होती हैं, उनको समाप्त करना चाहिए।

कई जगह, मैं इस सदन में भी सुन चुका हूं कि राष्ट्रीयकरण इन चीजों का करना है। राष्ट्रीयकरण करना अच्छा है मगर राष्ट्रीयकरण हर चीज की दवा नहीं है। यह भी हमें मानकर चलना पड़ेगा, आज इसमें बहुत कुछ कमियां हैं। हम देखते हैं कि हमारी पब्लिक का इन्टरेस्ट राष्ट्रीयकरण के साथ सहयोग देने का नहीं है बल्कि उससे नाजायज फायदा बहुत उठाने का मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आखिरी बात कह कर एक मिनिट में समाप्त करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेशचन्द्र ! आप सिर्फ पांच मिनिट में अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : दो मिनिट लूंगा।

सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी जब अपना बजट भाषण देने के लिए आए और जब वे सदन में अपनी अटैची खोलने लगे....

श्री चन्दनमल बैद : वह आपको भेंट कर दूं।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : तो मुझे खुशी हुई कि जैसा उनका नाम है बैद, तो उस वैद्य के नाते कुछ ऐसा नुस्खा लाये होंगे कि जिससे हमारे प्रदेश में जो संकट छाया हुआ है, जो हमारी जनता पीड़ित है उसको कुछ राहत मिल सके, संकट का कुछ हल निकल सके। लेकिन जब उन्होंने अपना बजट भाषण पढ़ना प्रारम्भ किया तो अपनी ही बीमारी का रोना रोने लगे। जो आदमी खुद ही बीमार हो वह दूसरे का क्या इलाज कर सकता है। वे अपनी ही बीमारी का उल्लेख करने लगे कि मुद्रा-स्फीति हो गई, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, ऐसी हालत रही, वैसी हालत रही जिससे जो प्रगति करना चाहते थे वह नहीं कर सके। मुझे बड़ा दुःख है कि उनकी खुद की ही बीमारी है वे हमारा क्या इलाज कर सकते हैं। उनका

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

बजट भाषण सुनने के बाद घोर निराशा हुई। उन्होंने अपने बजट भाषण में स्वयं ने माना है कि बीस साल की योजनाओं के बाद भी हमारे देश के गरीब तबके को लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने माना है कि बीस वर्ष के आयोजन के बाद भी लोगों की कठिनाइयां बढ़ी हैं और जितना रुपया खर्च किया गया उसका लाभ उस गरीब तबके तक नहीं पहुँच सका है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी असफलताओं को स्वीकार तो किया।

सभापति महोदय, इसी प्रकार हम बहुत बड़ी उम्मीदें करते थे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनता के लिए बहुत कुछ होगा। हमें यह बताया जाता था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हम जनता की सारी जरूरतें पूरी कर देंगे। मैं नहीं समझ सकता कि कहां तक वे जनता की जरूरतें पूरी कर सकेंगे। जो घोषणायें उन्होंने पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में की हैं उनसे भारी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि हम 15 प्राईमरी हैल्थ सेंटर्स को डिस्पेंसरीज में कन्वर्ट कर देंगे। मैं समझ नहीं सका कि उन्होंने यह 15 का फिगर कैसे लिया। हो सकता है कि हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या क्योंकि 15 है और 15 डिस्पेंसरियां खोल रहे हैं तो हर एक को एक-एक मिल जाएगी।

श्री चन्दनमल बैद : यह बात हमारे दिमाग में तो नहीं थी, अच्छा हुआ आपने बता दिया।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : इस तरह से 25 आयुर्वेद औषधालयों की बात आपने कही है, तो यह 25 भी किस प्रकार से लिये गए हैं। मैं समझता हूं कि 15 तो अभी के मंत्री और 15 भूतपूर्व मंत्रियों को मिला कर यह 25 संख्या की होगी। मेरा निवेदन करना यह है, सभापति महोदय, कि माननीय सदस्यों तक तो यह घोषणा पहुँचने वाली नहीं है। जो कुछ घोषणायें की गई हैं उनसे तो यही लगता है कि इनका लाभ जनता को पहुँचने वाला नहीं है।

यहां पर बहुत बड़ी तारीफ की गई कि नए टैक्स नहीं लगाए। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह बात सही नहीं है कि कोई नये टैक्स नहीं लगाए गए हैं बल्कि यों कहना चाहिए कि बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने अपनी चतुराई से काम लिया है। उन्होंने अपनी चतुराई से हमको यह तसल्ली देने की कोशिश की है कि देखो मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया है। यदि इस बजट भाषण को अच्छी तरह से पढ़ा जाय तो ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने घोषणा की है उसमें थोड़ा शक है। उन्होंने 19 पेज पर कहा है कि उपरोक्त सारे प्रावधान करते समय, आयोग ने कुछ नार्म्स प्राप्त करने की दृष्टि से विद्युतमण्डल की कार्य प्रणाली में संचालन दक्षता में सुधार लाने तथा दरों को बढ़ाने की सिफारिश की है। इसी प्रकार से सिंचाई के लिए भी जिक्र किया है। मुझे आशंका है सभापति महोदय, कि वित्त मंत्री धीरे-धीरे टैरिफ बढ़ायेंगे। ऐसा लगता है कि आगे चलकर सिंचाई की दरें भी बढ़ाई जायेंगी। कहने को तो कह दिया गया है कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है लेकिन धीरे-धीरे हम पर कुछ भार जरूर पड़ने वाला है जिसका संकेत उन्होंने इस रूप में दे दिया है। ठीक है, आप उनको बढ़ायें,

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

उनको भी सहन करेंगे, इसमें भी मुझे विशेष ऐतराज नहीं है लेकिन जो यह तारीफ की जाती है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, यह बात गलत है। वास्तव में टैक्स लगाया जाएगा लेकिन दूसरे तरीके से लगायेंगे। जनता पर भार भी रखेंगे लेकिन आज देश के जैसे हालात हैं; जिस तरह की चारों ओर स्थिति है, जैसा माहोल है, लोग जिस तरह से परेशान हैं, उस हालत में सम्भवतः जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि फिर नया टैक्स उस पर लगाया जाय और इसके अलावा क्योंकि यह नया मंत्रिमण्डल था, नए नेता महोदय थे, नए वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री तो वे पहले भी थे लेकिन नए मंत्रिमण्डल में फिर से वित्त मंत्री बने हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर अभी नए टैक्स लगाए तो हो सकता है कि दूसरा ही माहोल बने, फिर हमारी बदनामी हो, नए मंत्रिमण्डल की बदनामी हो, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं कोई कर प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में उनकी प्रशंसा हो गई। यदि सभापति महोदय, बजट भाषण को पूरा पढ़ा जाय तो जो कुछ घोषणायें की गई हैं, वे कोई मायने नहीं रखती हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जैसा आपने अपने भाषण में कहा है कि उसके अनुसार आप अपनी घोषणाओं को इम्पलीमेंट कर सकेंगे, उस पर कायम रह सकेंगे, मुझे इसमें शक है। यदि इन वादों को आप पूरा कर सकते हैं तो जरूर आपकी तारीफ हो सकती है।

आप कहते हैं कि हमने 26 साल में बहुत बड़ी तरक्की की है। पहले 26 कुओं बिजली नहीं थी अब हजारों कुओं पर पर बिजली पहुंचा दी है, पहले 26 स्कूल नहीं थे आज हजारों स्कूल खोल दिए हैं और हमने बड़ी भारी तरक्की की है। मैं यह कहता हूं, सभापति महोदय, कि जो बच्चा 26 साल पहले जन्मा उसके लिए भी आप कह दें कि हमने उस बच्चे को 26 साल का कर दिया, तो इसमें आपने कौन सी तारीफ का काम कर दिया। कुछ प्रगति तो अपने आप होती है, प्राकृतिक रूप में होती है उसके लिए आप अपने लिए तारीफ लेना चाहें और यह दावा करें कि हमने 26 साल पहले जन्मे बच्चे को 26 साल का बड़ा कर दिया है तो इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। यदि वास्तविक तरक्की को देखें, देश के नक्शे को देखें तो मालूम हो जाएगा कि हमने वास्तव में कितनी तरक्की की है। आप अपने पड़ोस में देखें, पड़ोस के राज्यों की तरक्की को देखें कि उन्होंने कितनी तरक्की की है तो उसके मुकाबले में वास्तव में हमने कुछ भी तरक्की नहीं की है, देश के नक्शे में हमारा कहीं पर भी ऊपर स्थान नहीं है। केवल समय की प्रगति के साथ जो प्रगति हो सकती थी, वही हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

केवल दो मिनिट और।

आपने घोषणा की कि खानों के पट्टे हरिजनों को दिए जायेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मुझे इसमें भी आशंका है। हरिजनों को आप खानों की लीज नहीं देते, खानों के पट्टे नहीं देते, सहकारी समितियों को आप नहीं देते, उनको मिलने वाले भी नहीं हैं क्योंकि उन पर तो बड़े-बड़े पूंजीपति जमे बैठे हैं उनको आप हटा नहीं सकते।

Page No. 113

(104)

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

जैसे कि तत्कालीन विद्युत् मंत्री माथुर साहब ने उन्होंने किसी एक उद्योग का कनेक्शन काट दिया इसलिए कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई होगी। लेकिन हुआ क्या उसका। माथुर साहब का ही कनेक्शन उस डिपार्टमेंट से काट दिया। आप गरीबों को पट्टे देने की बात करते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े पूंजीपति बैठे हैं उनको आप हटा नहीं सकते और अगर आपने हटाने की कोशिश की तो आपको ही हटा देंगे विभाग से। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी घोषणाओं पर कायम रह सकें तो बहुत बड़ी तारीफ की बात हो सकती है।

बेरोजगारी की एक बात कही गई। आपने घोषणा कर दी कि आठ लाख लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में तीस हजार को रोजगार देने की घोषणा की लेकिन वास्तव में बेरोजगार कितने हैं, यह हम बता नहीं सकते। इसलिए कि बेरोजगारों की संख्या लाखों में है और बीस हजार को रोजगार देने की बात करते हैं तो इससे क्या होने वाला है। आज बेरोजगारी की क्या हालत है यह सब के सामने है। अभी हमारे सामने यहां सदन में भूतपूर्व मंत्री महोदय ने भाषण दिया कि देश में बड़ी दरिद्रता है, बड़ा दुख है, सरकार काम नहीं करती है, सरकारी मशीनरी ठीक नहीं है, समाज कल्याण विभाग तरक्की के काम नहीं करता है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब वे मंत्री थे, दो साल तक मंत्री रहे तब वे तरक्की क्यों नहीं कर सके। इधर बैठते ही तरक्की याद आ रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि यह मंत्री पद की कुर्सी भी अजीब है। इसी कुर्सी पर बैठते ही वहां की जिम्मेदारी भूल जाते हैं और अधिकारियों के चक्कर में फंस जाते हैं, फाइलों के चक्कर में फंस जाते हैं और अधिकारियों का संरक्षण करना परम कर्त्तव्य समझते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जब मंत्री पद की शपथ होती है राज भवन में तो शायद उसी के साथ यह शपथ हो जाती है कि वह अधिकारियों को जरूर बचावेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, अभी समाप्त करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी एक मिनिट में, सभापति महोदय : शिक्षा के बारे में घोषणा की गई कि सौ स्कूलें प्राईमरी की और सौ स्कूलें मिडिल की अपग्रेड करेंगे लेकिन वास्तव में होता क्या है। पिछली बार जितनी स्कूलें खोली गई उनमें अध्यापक नहीं हैं। मेरे क्षेत्र के बारे में मैं जानता हूं कि वहां की गर्ल्स स्कूल में बहिनजी नहीं है। मूंछों वाली दो बहिनजी हैं। तो मेहरबानी करके अगर आपको बहिनजी नहीं मिलती हैं तो मूंछों वाली बहिनजी ही भिजवा दें लेकिन स्टाफ तो पूरा भेजें। आप क्वान्टिटी की तरफ जाते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप क्वालिटी को भी अच्छा कीजिए।

अच्छा अब चूंकि समय नहीं है, इसलिए सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके भाषण में निराशा की स्थिति है उसमें कोई तरक्की नजर नहीं आती। आपके भाषण को सुनने से पहले जो आशाएं थी, जो आकांक्षाएं थी वे भाषण सुनने के बाद निराशा में बदल गई।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

अब अधिक समय नहीं लेते हुए यहीं समाप्त करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री झाबरमल सुंडा !

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको जब कहा जाये तब आप बोलें।

श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : सभापति महोदय हमारे वित्तमन्त्रीजी ने जो बजट रखा है, वह शुगर कोटेड नजर आया। यह ऐसा नहीं है कि इससे जो हमारे आधारभूत कार्यक्रम हैं, उनको आगे बढ़ा सकें। मेरे मन से यह देहात के उत्थान के खिलाफ, किसानों के प्रतिकूल, बेरोजगारी अधिक बढ़ाने वाला, नौकरशाही को बढ़ावा देनेवाला और पूंजिपतियों का पोषक मानता हूँ। इसने समाज में और भी ज्यादा सन्तुलन खराब करने का काम किया है। अगर हमारी बजट रोटी इण्टेण्ट होता तो मैं मानता कि सही जायजा लिया गया है। सभापति महोदय, मैं देहात का आदमी हूँ। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, कोटेज इण्डस्ट्री इनका मुख्य भाग होता है। सभापति महोदय, बजट भाषण में वित्त-मंत्री महोदय ने एक लाइन दी है। "विद्युतीकरण का काफी लाभ हमारे ग्रामीण अंचल के निवासी भाइयों तक भी पहुँचाया गया है।" इस लाइन में यह बू नजर आती है कि ग्रामीण लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिक माने गये हैं। जैसे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और कालेज में, पढ़नेवाले बच्चे जैसे देहात के रहने वाले लोग हैं. उनके उत्थान की जरूरत नहीं है।

यह देश कृषि प्रधान देश है और खाने के लिए हम दूसरे देशों के मुहताज रहें। यह हमारी योजना का कारण है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते हैं। हम तीन किलो अनाज बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना चाहिए उसका 20% भी नहीं दे सकते हैं। दिल्ली से अनाज आता है तो वितरण कर दिया जाता है। हमको अनाज के लिए दिल्ली की ओर देखना पड़ता है। जो स्टेट अनाज के लिए दूसरी स्टेट का मुंह देखे तो वह खड़ी नहीं रह सकती है। हमारे माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने भी माना है कि फूड कार्पोरेशन हमें परेशान करता है। क्या कारण है कि हम अपना स्टोक नहीं बना सकते हैं। इसके लिए बजट में कितना अमाउन्ट रखा गया है। इसमें 11% अमाउण्ट है। जबकि आवश्यकता है कहीं अधिक। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ल्ड में खाने का क्राइसिस आने वाला है। मैं यह मानता हूँ कि इस बजट की और मदें हैं। जैसे सड़कों के रखरखाव का है, उसके लिए हमने 13 करोड़ रुपया रखा है। यह कोई बहुत जरूरी नहीं था। हम पैदल भी चल सकते हैं। शिक्षा के मामले में मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा हमारे अनुकूल नहीं है। मान चुके हैं कि यह एजूकेशन सस्पेण्ड कर दी जानी चाहिए। हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह जो समाज-कल्याण का है, यह तो शामिल रहने दिया जाये। जलप्रदाय की 186 करोड़ की योजना है। मैं समझता हूँ कि यह सारा का सारा बजट हमें एग्री करके दे देना चाहिए। सभापति महोदय, एक बात इसमें मुख्य यह है कि आपने इसमें लेवी लगाई है। इस सदन के मुख्यमन्त्री की धर्मपत्नी के ये उद्गार हैं कि खेती घाटे का सौदा है।

(श्री झाबरमल सूंडा)

वह उन्होंने अपनी पड़ोसो महिला को कहे हैं। मेरो समझ में नहीं आता है कि लेवी के लिए जो अनाज लिया जा रहा है, उसका लागत से कम मूल्य क्यों दिया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि जो चीजें आप मिल से लेते हैं, क्या वह भी इसी प्रकार भाव तय करके लेते हैं। आप मिल की शुगर लेते है। कपड़ा लेते हैं। दूसरे प्रोडक्शन्स लेते हैं। क्या आपने घाटे के हिसाब से कोमोडिटी की चीजें ली हैं। हम बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है।

(4.56 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन किसानों के बलबूते पर यह गवर्नमेन्ट बनी है। उनसे इस प्रकार लेवी लेकर क्या उनको घाटा देने के पक्ष में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिए खेती की बात कही गई है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक जवाब नहीं हो जाये तब तक सदन का समय बढ़ाये जाने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जवाब होने तक समय बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

जवाब होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री झाबरमल सूण्डा : ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की मुख्य शर्त को-आपरेटिव है। नेहरू जी ने भी इसको मुख्य स्थान दिया था। इसे जीवन में भी पहुँचाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत ठीक करने का ध्यान नहीं रखा गया है। हमारी दूसरी व्यवस्था भी चल रही है। उनको अपनी गति से चलने दिया जा रहा है। इससे समाज का सन्तुलन बिगड़ने वाला है। अब मैंने यह बात कही। इसमें जितने ज्यादा पैसे वाले हैं। यह बात सवेरे भी उठी। सवेरे भी यह जिक्र आया। उनको जो बेशुमार पैसा है। उनका सरकार ने भी भय माना है। पैसे वालों को कन्ट्रोल वह नहीं कर सकते हैं। उन पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा है। आज बड़े से बड़ा ओहदेदार और मामूली आदमी में 1:20 का रेशो नहीं है, 1:40 का रेशो है।

सुविधाओं को यदि गिना जाय, तो किसी भी समाजवादी देश में 1:40 का रेशो पसन्द किया जा सकता है। क्या उस व्यवस्था को समाजवादी मान सकते हैं। बेतहाशा बढ़ते हुए पूंजीपतियों पर रोक लगाना, और गरीबी की रेखा मानी गई है, उसके नीचे है 60 पर्सेन्ट पापूलेशन को ऊपर लाना है, तो मैं यह मानता हूं कि इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो पे स्केल्स हैं उनको रिवर्स कर दिया जाय तो समाजवाद के आने की स्थिति बन सकती है, अन्यथा मैं इसको ठीक नहीं मानता....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री झाबरमल सूंडा : मैं एक मिनिट में कर देता हूं।

(श्री झाबरमल सूंडा)

परिवहन के लिए कहा गया है कि हमने 25 पर्सेन्ट कर दिया है, आने वाले समय में पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर देंगे। इसमें काफी धन खर्च होगा। इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण यदि सरकार को रखना है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इस धन को प्राडक्शन में लगाना है, लोगों की सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखना है और जो दूसरे प्राइवेट बस आपरेटर्स हैं, उनको बेकार नहीं करना है तो मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीयकरण की गति धीमी की जानी चाहिए और पैसे को प्रोडक्शन के काम में लगाना चाहिए।

बिजली के सम्बन्ध में एक बात कह देना चाहता हूं। बजट में यह रखा गया है कि 15 हजार कुओं को हम बिजली दे देंगे। 15 हजार कुएं एक जिले के एक हिस्से में आते हैं। 26 जिलों को देखा जाय और 15 हजार कुओं को बिजली दी जाय, तो जहां पर नहर नहीं जा सकी है, वहां बिजली नहीं दे सकेंगे तो प्रोडक्शन की कल्पना है, वह तथ्यहीन है।

इसमें एक बात और रखी गई है, छठे वित्त में रेट्स बढ़ाने का जिक्र किया गया है। इसमें विद्युत् है, इसकी रेट्स और भी हाई जायगी। किसानों के ऊपर पहले ही बड़ा भार पड़ रहा है। और बिजली की रेट्स बढ़ाना प्रोडक्शन के विपरीत जायेगा। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस पर उचित ध्यान दे और रेट्स को नहीं बढ़ने दे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए।

वित्त मंत्री !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन से बजट पर जो सामान्य वादविवाद हो रहा है उसमें काफी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और काफी अच्छे सुझाव, चाहे वह सुझाव के रूप में आये हों, चाहे आलोचना के रूप में आये हों वह सारे समक्ष आये हैं। मैं आपकी मार्फत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे ही माननीय सदस्यों, जिन्होंने सामान्य वादविवाद में भाग लिया है, के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी सुझाव चाहे वह सुझाव के रूप में आये, चाहे आलोचनाओं के रूप में आये हैं, को हमने बहुत गम्भीरता से लिया है। हम इस बात की बराबर कोशिश करेंगे कि जो भी सुझाव या आलोचनायें हैं, वह कार्य रूप में परिणित की जा सकें और जिससे राजस्थान राज्य की वित्त व्यवस्था की नींव मजबूत हो सके और उसको ठीक किया जा सकें....

(5.03 म० प०)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

यह सारी बात को निश्चित रूप से अपनायेंगे....

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट 1974-75 का पेश किया गया है, आम तौर पर चार तरह की प्रतिक्रियाएं उस पर हुई हैं। पहली प्रतिक्रिया जो आम तौर पर होनी चाहिये वह यह थी, लोगों ने इस बात पर खुशी जाहिर की, इस बार कोई टैक्स नहीं लगा, और उसके कारण एक

(1·08)

(श्री चन्दनमल बैद)

तरह से लोगों ने राहत महसूस की। यह मैं केवल माननीय सदस्यों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि जो यहां से प्रमुख अखबार निकलते हैं, जयपुर से राजस्थान पत्रिका, नव ज्योति और राष्ट्रदूत, उनके एडीटोरियल भी मैंने देखे हैं. दूसरी तरफ जो आम तौर पर लोग मिलते रहते हैं, उन्होंने भी आम तौर पर खुशी प्रकट की है कि इस बार टैक्स नहीं लगाया गया है, और खुशी के साथ उन्होंने राहत भी महसूस की है। दूसरी प्रतिक्रिया जो हुई, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह थी परम्परा निभाना। खास तौर पर स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य, जो डूंगरपुर से आते हैं, के लिए कहना चाहता हूँ, उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा और इज्जत है। बावजूद इसके कि उनको बजट पसन्द आया, लेकिन क्योंकि परम्परा निभानी थी, इसलिये वह विरोध करने के लिए खड़े हो गये कि कुछ चीजों, कुछ बातों का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि विरोधी दल में बैठते हैं इसलिए परम्परा निभानी है। बजट की तारीफ करेंगे तो लोग क्या समझेंगे, इसलिए परम्परा निभाने के लिए उन्होंने विरोध किया। तीसरी प्रतिक्रिया यह हुई, कुछ लोगों को निराशा हुई। वे लोग सोचते थे, दो तारीख को जयपुर बन्द हुआ। 11 तारीख को बजट पेश होगा तो बारह तारीख से फिर एक आन्दोलन, डिमान्स्ट्रेशन और एजीटेशन का दौर शुरू होगा और जैसा उन्होंने पार्टी मीटिंग में कहा था, कोशिश इस बात की करेंगे कि राजस्थान में गुजरात बने। जब देखा कि इस तरह की बात नहीं हुई तो उन्हें निराशा हुई, क्रोध हुआ, विक्षोभ हुआ। स्वाभाविक है उनका सोचना और करना भी, मैं उनकी निराशा को समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय, चौथी प्रतिक्रिया हुई, वह आश्चर्य की हुई। कुछ लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा है, राजस्थान में आज तक नॉन-टैक्स बजट पेश नहीं हुआ, नॉन-टैक्स बजट पेश होकर भी बजट में घाटा नहीं हुआ। इस बात पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। मैंने सुना है, कई यूनिवर्सिटी के लेक्चरार, कई बहुत पढ़े-लिखे माननीय सदस्य हैं, जो रात-दिन हमारे बजट के पोथे को उलटते रहे हैं कहीं पर इसमें गड़बड़ी की हो, कहीं पुसिंग की हो, कहीं रेंगिग की हो बजट के आंकड़ों के साथ इस बात को देखने की कोशिश की। मैं यह बताना चाहता हूँ कि बजट वास्तविक है। इसमें पुसिंग या इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन इस बात में नहीं है कि कोई आंकड़ा बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताया गया है, कोई आंकड़ा घटा कर नहीं बताया गया है। जो आमदनी बताई गई है वह निश्चित रूप से होने वाली है, जो खर्च बताया गया है, वह सही तरीके से बताया गया है। यह नहीं की आमदनी बढ़ा कर बताई हो या खर्चा घटा कर बताया हो। उसे बैलेन्स किया है और यह नहीं, बराबर यह कोशिश की गई है कि जो आमदनी होने वाली है वह सही बताई जाय, जो खर्चा होने वाला है वह सही बताया जाय। यह भी कोशिश की है कि जो घोषणायें की है, चाहे दवाइयां बढ़ाने के लिए, उसके अन्दर 14 लाख की घोषणा है, या सड़कों के रखरखाव के लिए 1 करोड़, 46 लाख की घोषणा हो चाहे 31 लाख नगर पालिकाओं को देने की घोषणा की हो, यह स्कूल स्पोर्ट्स के लिए 10 लाख की घोषणा की हो, चाहे जुडिसियल और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के लिए 15 लाख की घोषणा हो, चाहे वह खर्च हो, वह बजट के प्रावधानों में इन्क्लूड

(श्री चन्दनमल बैद)

कर लिया गया है और खर्च के साथ शामिल करने के बाद और आमदनी जो वास्तविक रूप से हो सकती थी, उसे जोड़ने के बाद आंकड़े तैयार किये गये हैं। किसी तरह का, जैसा लोग कहते हैं कि जगलरी या बनावटीपन, वह नहीं बरता गया है और रियलिस्टिक रूप से यह बजट बनाया गया है।

अब जैसा कि मुझसे बार-बार कहा जाता रहा है, 14 करोड़ 12 लाख रुपये का घाटा है यह 12 करोड़ 12 लाख का घाटा नहीं है, बल्कि मात्र 5 करोड़ 72 लाख का घाटा है। जैसा शुरू में कहा था और आंकड़े दिये थे, 5 करोड़ के साधन जुटाने के लिए और 3.30 करोड़ कहा था कि नॉन प्लान में घाटा है। कुल मिला कर 14 करोड़ का घाटा बताया है। तो बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जो घाटा है वह पूरा नहीं कर सकेंगे। इसको पूरा करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले चुके हैं। 5.79 करोड़ के लिए मैंने कहा कि हमको जो स्पेशल वेज एण्ड मीन्स एडवान्स इस साल मिलेगा उसका रीशिड्यूलिंग करके 5.62 करोड़ का घाटा पूरा करेंगे। भारत सरकार से हमारा इस बात पर एग्रीमेन्ट हो चुका है कि 31 मार्च को हमें जो देना है वह चुकायेंगे नहीं, 31 मार्च को जो लेना-देना रहेगा वह बुक एडजस्टमेन्ट रिजर्व बैंक के खाते में हो जायेगा। उससे मेरा अन्दाज है कि 36 करोड़ का बुक एडजस्टमेन्ट हमारे और भारत सरकार के बीच रिजर्व बैंक में हमारे अकाउन्ट में होगा। उस बारे में हमारा एग्रीमेन्ट हो चुका है कि जो भी एक्चुएल अमाउन्ट होगा, हम 3 साल में उनको चुकायेंगे। जब उनके साथ एग्रीमेन्ट हुआ था उस समय छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट नहीं आई थी। जब छठे वित्त आयोग ने रिपोर्ट दी कि 31 मार्च तक जितना स्पेशल वेज एण्ड मीन्स स्पेशल एकोमोडेशन, जितना कर्जा राज्यों को दिया हुआ है, उसका एक तरीका तय किया, 15 साल का किया। हमने भारत सरकार को लिखा कि हमारा सारा खर्चा छठे वित्त आयोग के फार्मूला के अनुसार तय करेंगे तो यह कर्जा जो आपने स्पेशल रूप में दिया है उसके लिए अलग मेथड कैसे अपनायेंगे ? वे नहीं मानें। हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है, अभी उन्होंने मान लिया कि तीन साल की जगह 5 साल में हमें दे दो। आप हिसाब लगायें तीन साल में जो कर्जा देना था जिसका प्रावधान मैंने बजट में भी कर रखा है अगले साल 12 करोड़ चुकाना है उसकी जगह 15 साल होने से हमें 5.60 करोड़ का फायदा मिल गया। अब थोड़ा सवाल रहता है, 1 करोड़ 22 लाख का। अभी मैंने खतोकितावत और भारत सरकार से पत्र-व्यवहार किया है वह बन्द नहीं किया है। अभी भी मैं अड़ा हुआ हूँ, नहीं, जो कर्ज का रीशिड्यूलिंग हुआ है, इसमें 31 मार्च तक के कर्ज को लेकर उसका रीशिड्यूलिंग होना चाहिये, पन्द्रह साल का छोड़ देना चाहिये। अगर पन्द्रह साल का मान लेते हैंतो 12 करोड़ की जगह, मैं समझता हूँ, ढाई, पौने तीन करोड़ हमें चुकाना पड़ेगा। अभी उन्होंने पन्द्रह साल नहीं माना है, पांच साल मान लिया है और उनका पत्र भी आ गया है चह्वान साहब के दस्तखतों से चीफ मिनिस्टर के नाम। पांच साल भी मान लेते हैं तो 4 करोड़ 60 लाख का रिलीफ मिल जाता है। इस वास्ते कहना चाहता हूं कि मैंने जो 5 करोड़ 82 लाख में रीशिड्यूलिंग की बात कही है, वह कुछ

Page No. 119

(110)

(श्री चन्दनमल बैद)

आधार पर कही है, यह नहीं कि मैंने हवा में लकड़ी मार दी हो कि अभी किसी तरीके से खुश कर दें, वाहवाही और लोगों से प्रसंशा प्राप्त कर लें, बाद में यह चले जायेंगे तो बैक डोर से फिर टैक्सेशन करके वसूली कर लेंगे। ऐसा नहीं है। सही मायने में बात थी, वह मैं अर्ज करूंगा, 3 करोड़ 30 लाख का जो नॉन-प्लान का गेप है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहली बात है कि अभी भारत सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगाये हैं, उसमें हमारा हिस्सा होगा और अन्दाज यह है कि उसमें हमारा हिस्सा सवा, डेढ़ करोड़ रुपया होगा। अब बाकी रहता है, दो करोड़। तो दो करोड़, मैंने कहा है, अपने टैक्सेज का ज्यादा रियलाइजेशन करके और जो फिजूल काम है या जिस काम की जरूरत कम है, उसे कम करके पूरा करेंगे। अब 300 करोड़ खर्चा और रेवेन्यू 293 करोड़ है, तो 300 करोड़ रेवेन्यू और 300 करोड़ खर्चा, अब 300 करोड़ खर्चा और 300 करोड़ रेवेन्यू मिलायें तो 600 करोड़ होता है, इसमें दो करोड़ की आमदनी और दो करोड़ का खर्च, और 1 करोड़ की आमदनी और 1 करोड़ का खर्च करना क्या मुश्किल काम है। मैं समझता हूं मुश्किल काम नहीं है। इसलिये ये फिगर्स भी रीएलस्टिक हैं। दूसरी बात मैंने 5 करोड़ रुपये के साधन जुटाने की बात कही है, साढ़े चार करोड़ राकफास्फेट की बिक्री से और 50 लाख रुपये लैंड और बिल्डिंग्स टैक्स से। उसमें बिल्कुल वास्तविकता है वह यह है कि कुछ लोगों ने कहा कि राकफास्फेट की कीमत बढ़ा देंगे तो फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो फर्टीलाइजर हमारे देश में इम्पोर्ट हो रहा है उसकी लैण्डेड कास्ट 700 रुपये प्रति टन है और हम जो फर्टीलाइजर बेच रहे हैं वह 400 रु० प्रति टन के हिसाब से बेच रहे हैं। दो बार कीमत बढ़ाने के बाद भी हम उस स्थिति का इन्तजार कर रहे हैं कि एक तो हमारा फर्टीलाइजर जो है वह उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का बाहर से आता है, थोड़ा इन्फीरियर है। दूसरी बात यह स्थिति इन्टरनेशनल मार्केट में है वह कितने दिन टिकने वाली है, अगर बहुत ज्यादा टिकने वाली है तो राजस्थान का फर्टीलाइजर 400रु० प्रति टन में नहीं बिकेगा। महंगा बिकेगा। साढ़े चार करोड़ की मैंने कन्जरवेटिव एस्टीमेट की है, बढ़ भी सकती है और माननीय सदस्य बराबर इस बात के लिये ताकीद करते हैं कि टैक्स रेवेन्यू मत बढ़ाइये, नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइये। जब मैंने नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाई है तो किसी ने भी खड़े होकर यह नहीं कहा कि मैंने अच्छा काम किया है।

एक शासन पक्ष के माननीय सदस्य : कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : आप सब लोगों ने तो बधाई दी है लेकिन जो हमें शिक्षा देते हैं नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइये, वह चीज जब करता हूं तो यह नहीं कहा कि मैंने अच्छा काम किया। खैर हमारी कोशिश यह रही है कि हमारा बजट इन हालात में बैलेन्स्ड हो जाए और कम्पलीटली बैलेन्स्ड हो जाए तो मैंने उचित समझा कि आज की स्थिति में अगर टैक्सेशन नहीं करता हूं तो अच्छा काम है। यह नहीं कि टैक्सेशन नहीं किया है इससे पहले मैं दो बजट पेश कर चुका हूं और है वो टैक्सेशन किया है लेकिन टैक्सेशिन जस्ट फार दी सेक ऑफ

(श्री चन्दनमल बैद)

टैक्सेशन के पक्ष में मैं नहीं हूं। वह तभी करना चाहता हूं जब मुझे महसूस हो कि टैक्सेशन करके अधिक राशि जुटाकर यूज करना है। अगर उसके बगैर काम चलता है तो जबरदस्ती लोगों को तकलीफ देकर उनका भार बढ़ाना पसन्द नहीं करूंगा।

यहां इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की बात कही गई। आपके हाथ में क्या है? आप किस तरह से इन्फ्लेशन को रोकने की बात करते हैं? किसी इन्फ्लेशन में स्टेट के बजट का बड़ा हाथ है। अगर सारे राज्य थोड़ा-थोड़ा डेफिसिट दिखाते हैं तो बढ़कर सैंकड़ों करोड़ तक बढ़ जाता है। अगर स्टेट्स अपने आप डेफिसिट बजट नहीं दिखाते हैं तो निश्चय ही इन्फ्लेशन कम करने में केन्द्रीय सरकार की मदद करते हैं। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मदद की है डेफिसिट बजट नहीं दिखाया गया है बेलेन्स्ड बजट दिखाया गया है जिस से कम से कम इन्फ्लेशन की टेन्डेन्सी जो चल रही थी। हमारी तरफ से उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं? उस बारे में मैं नहीं कहना चाहता लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है, हमारी तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ाने में कभी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा....

श्री केदारनाथ : योजना आयोग की बात आपने मान ली।

श्री चन्दनमल बैद : डेब्ट बर्डिंग के बारे में कहा गया कि बहुत कर्जा है, हम दिवालिया हो गए हैं और हम अपने कर्जे नहीं दे सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि जो हमारे बजट एस्टीमेट्स हैं उसके अनुसार 31 मार्च 1974 को हम पर कुल कर्जा 886.56 करोड़ है। लेकिन मैं लिस्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि 1973 के उसी दिन देश के 20 राज्यों पर कितना कर्जा था....

श्री मूलचन्द सामरिया : प्रोग्रेस भी बतायें उन राज्यों की।

श्री चन्दनमल बैद : मैं मुश्किल से पौन घन्टा लूंगा, आप बीच में न बोलें।

अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी फिजीकल पोलिसी का एक अंग है कि भारत सरकार ने प्लान के लिए जो पैसा देती है उसमें से 70 प्रतिशत लोन और 30 प्रतिशत ग्रांट देती है। आज 45.06 करोड़ रुपये हमने दिखाया है कि भारत सरकार से प्राप्त होगा उसका 70 प्रतिशत लोन के रूप में व 30 प्रतिशत ग्रान्ट के रूप में प्राप्त होगा। बहुत से कामों के लिए जैसे वाटर वर्क्स, जीवन बीमा निगम हमें लोन देती है। जयपुर में व दूसरी जगह कई योजनायें चल रही हैं, सारे के सारे जीवन बीमा निगम से लोन आता है। हम लोन लेकर विकास का काम करते हैं तो करना चाहिए, यह राजस्थान ही नहीं कर रहा है, सारे राज्य कर रहे हैं:—

ये आंकड़े 31 मार्च 1973 तक के हैं:—

आन्ध्र प्रदेश	862	करोड़
असम	368.2	"
बिहार	796.	"
गुजरात	401.	"
हरियाणा	237.	"
हिमाचल प्रदेश	97.	"
जम्मू व काश्मीर	291.	"
केरल	370.	"

(श्री चन्दनमल बैद) करोड़

मध्य प्रदेश	503.	,,
महाराष्ट्र	811.	,,
मनीपुर	33.	,,
मेघालय	1.	,,
मैसूर	522.	,,
नागालैंड	24.	,,
उड़ीसा	541.	,,
पंजाब	187.	,,
राजस्थान	719.	,,
तामिलनाडु	618.	,,
उत्तर प्रदेश	962.	,,
पश्चिम बंगाल	836.	,,

ये फीगर्स मेरे बने हुए नहीं हैं, रिजर्व बैंक पुस्तकों में से ये फिगर्स ली है। तो यह सोचना कि राजस्थान ने कर्जा ले लिया और दिवालियापन की तरफ चलते जा रहे हैं। उसके बाद हमने छटे वित्त आयोग के सामने कहा कि जो राज्य पर कर्जा है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। विधान सभा में भी प्रश्न उठाया गया और हमने भारत सरकार के सामने इस प्रश्न को उठाया। भारत सरकार ने पहली बार वित्त आयोग को अधिकार दिया कि डेब्ट लाइबिलिटी जो राज्यों की है, केपीटल बजट जो राज्यों के हैं उस पर ध्यान दें। मैं समझता हूं कि इस बात के लिए खुशी प्रकट करनी चाहिए और विधान सभा को गौरव करना चाहिए।

कैलेमिटी फन्ड की बात हुई। ठीक है कैलेमिटी फन्ड की बात नहीं मानी गई लेकिन 1.08 करोड़ के बजाय हमें 10.19 करोड़ का प्रोवीजन मिला। तो अध्यक्ष महोदय, यह कोई एचीवमेन्ट नहीं है। यहां सदन में बैठकर यह कहना कि हमने कोई प्रगति नहीं की है, हम कुछ काबिल नहीं। हम बहुत पिछड़े है हम कई गुने गये गुजरे हैं वह बात गलत है। हम गये गुजरे नहीं हैं हमने विकास किया है हमने प्रगति की है और आगे प्रगति करने की भावना रखते हैं। मेरी ऐसी भावना है कि जो लोग सिकुड़े हुए विचार रखते हैं वह सिकुड़ते ही जाते हैं और जो बढ़ने की भावना रखते हैं प्रगति की भावना रखते है वह हमेशा आगे ही बढ़ते जायेंगे। जैसा कि कल रामकिशन जी ने कहा था कि हम तो सिकुड़ते ही जा रहे हैं और सिकुड़ते सिकुड़ते बाहर चले जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिये फैल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन नहीं मिला तो मेरा निवेदन है कि हमने सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन से काफी धनराशि ली है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के प्रति अनग्रेटफुलनेस नहीं होना चाहिये। हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिये। जहां हमें फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन से सिर्फ 221 करोड़ रुपये ही मिले थे वहां हमें सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के द्वारा 822 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। यह कोई मामूली बात नहीं है। हमने काम किया है कोई जगलरी नहीं की है। हमने प्रगति की है; काम किया है। सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन से जो धनराशि हमें मिली है और जिससे हम प्रगति करेंगे उसके लिये हमें उनका आभारी रहना चाहिये।

श्री केदारनाथ : आपको सिर्फ 2 प्रतिशत ही ज्यादा मिला है। कोई खास बात नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, ठीक है कि दो प्रतिशत ही मिला है ज्यादा लेकिन यह दो प्रतिशत ज्यादा किसका है वह कोई एक दो लाख रुपये का ही नहीं है बहुत बड़ी धनराशि की दो परसैन्ट 9 दस हजार करोड़ रुपये की दो परसैन्ट है कोई कम नहीं होती है । नौ-दस करोड़ हजार रुपये की दो प्रतिशत अध्यक्ष महोदय बहुत होता है ।

श्री केदारनाथ : यू. पी. को 13 परसैन्ट ही मिला है ज्यादा, चुनाव जीतना था ।

श्री चन्दनमल बैद : उसकी आबादी भी तो ज्यादा है । और भी स्टेट्स को पहले से ज्यादा मिला है मगर अध्यक्ष महोदय वह दो परसेन्ट उन स्टेट्स को मिला है उससे भी दो परसेन्ट ज्यादा मिला है । और आप कहते है कि यू. पी. को चुनाव जीतना था इसलिये यू. पी. को ज्यादा पैसा दिया यह ठीक है चुनाव हमने लड़ा था और चुनाव हमने जीता । लेकिन जनसंघ वालों की तरह यह घोषणा नहीं करदी कि अटल बिहारी वाजपेयी को मुख्य मन्त्री बना रहे हैं यू. पी. का वह भाषण देने आ रहे है । वह उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री बनाने की बात का क्या हुआ । मेरा यह निवेदन है कि ऐसा गलत भाषण नहीं दिया जाना चाहिये । इससे उस भले आदमी की इज्जत खराब होती है । वह बेचारे भाषण देते ही रह गये....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप चुनाव हार गये थे आपको सिर्फ 30 प्रतिशत वोट मिले और 70 प्रतिशत जनता ने आपको ठुकराया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दिल को बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है ।

एक माननीय सदस्य : बड़े शर्म की बात है । इनको इज्जत अटल बिहारी वाजपेयी की घटानी थी वह घटादी ।

श्री गुमानमल लोढा : आप भी तो कह रहे थे उमाशंकर दीक्षित को लेकर आपके हरिदेव जोशी वहां आये थे, वहां आप की कौनसी इज्जत बढ़ी ?

श्री चन्दनमल बैद : : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि आपकी और मेरी इस सदन में तो इज्जत बराबर ही है सदन के बाहर दूसरी बात है । हम आप दोनों एक ही सदन में बैठे हैं । अगर मेरी इज्जत बढ़ती है तो आपकी भी इज्जत बढ़ती है और मेरी इज्जत घटती है तो आपकी भी इज्जत घटती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब आप बजट पर ही बोलें तो ठीक रहेगा ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यहां पर राजस्थान कैनाल के बारे में भी काफी चर्चा हुई । जहां एक तरफ कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान कैनाल पर बहुत कम खर्च किया गया वहां दूसरी और कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि राजस्थान कैनाल पर अधिक खर्च होजाने से दूसरे क्षेत्रों की योजनायें हमारी शुरू नहीं की जा सकी हैं । इसके बारे में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार का हमेशा से ही ध्येय रहा है कि राजस्थान कैनाल को केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय योजना बनाले और उसके लिये हमने बहुत कोशिश की और मैं आपको

(श्री चन्दनमल बैद.)

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सीमित साधनों में जो कुछ खर्च उसके लिये कर सकते थे वह हमने किया और आगे भी प्रावधान रखा है। वैसे हमें राजस्थान कैनाल के लिये कुछ न कुछ केन्द्रीय मदद मिलती रही है। पिछले चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में हमको 47 करोड़ भारत सरकार से मिले। इसलिये कुछ नहीं मिला यह नहीं कह सकते इसके अलावा आपने कहा कि राजस्थान कैनाल पर इतना खर्चा किया और वहां से कुछ नहीं मिला यह बिल्कुल गलत है क्योंकि जैसे कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि जहां एक करोड़ 64 लाख हैक्टर में सिचाई होती थी वह अब दो करोड़ 80 लाख हैक्टर में खेती सिचाई से होती है।

श्री **रामकिशन** : यह लाखों में है करोड़ों में नहीं कहें तो अच्छा है इतना राजस्थान भी नहीं है।

श्री **चन्दनमल बैद** : हां, ठीक है एक लाख 64 हजार हैक्टर में सिचाई होती थी वह अब 2.80 लाख हैक्टर में सिचाई होती है अगर यह उपलब्धि की हमने तो कम नहीं है।

श्री **रामकिशन** : यह हैक्टर का मतलब आप श्री गिरधारीलाल भार्गव को समझा दें वह कहीं पर गंगानगर वाले हैक्टर नहीं समझ जाये।

श्री **चन्दनमल बैद** : आप फिक्र नहीं करें समय आयेगा तब मैं आपको और उन्हें दोनो को ही समझा दूंगा। एक बात की यहां पर बड़ी चर्चा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने की कि हमने कोई प्रगति नहीं की है तो उसके लिये अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सदन में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसमें दो तरह के आंकड़े पेश करना चाहूंगा एक तो 1951-52 के आंकड़े और दूसरे 1971-72 के आंकड़े बाकी के आंकड़े मैंने बजट स्पीच में दे दिये हैं। यह मैं 51-52 के आंकड़े इसलिये दे रहा हूं कि जब हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और 71-72 के आंकड़ों के आगे से आंकड़े बजट में उपलब्ध है ही तो एक कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट देना चाहता हूं कि हमने इन बीस सालों में विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति की है। यह सही है कि हम हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों से पिछड़े हुए हैं उसका अध्यक्ष महोदय, दो बहुत बड़े कारण है वह यह कि जहां तक प्रगति का सवाल है यह नहीं है कि सिर्फ हम ही प्रगति करना जानते हैं, दूसरे प्रान्त कोई खड़े-खड़े तमाशा नहीं देख रहे हैं। वह भी प्रगति कर रहे हैं यह तो एक दौड़ है आखिर उनके भी प्लान्स होते हैं और भी प्रान्तों में हमारी तरह कांग्रेस की सरकार है उनकी भी योजनायें होती हैं। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि हमारी भौगोलिक और एतिहासिक परिस्थिति दूसरे प्रान्तों से बिलकुल ही भिन्न है। जब अध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तब हमें विरासत में मिला था कर्जा और भुखमरी और दूसरे प्रान्तों को यह नहीं मिला था। हम बहुत ही पिछड़े हुए थे।

श्री **रामकिशन** : कर्जा तो नहीं मिला है।

श्री **चन्दनमल बैद** : यह ठीक है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम भी दौड़ में भाग

(श्री चन्दनमल बैद)

ले रहे हैं प्रगति की तरफ अग्रसर हैं बहुत-बहुत प्रगति की है। लेकिन दूसरे प्रान्तों से हम कुछ पिछड़े हुए हैं लेकिन हम सबसे पीछे हैं वह बात नहीं है हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको इसका इन आंकड़ों से पता लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में सन् 51-52 में टोटल एरिया सौन था वह था 27.17 परसेन्ट और वह बढ़कर 1971-72 में हो गया 44.51 परसेन्ट अब डबल क्रोप जहां होती थी वहां 51-52 में सौन था 1.29 वह बढ़ कर हो गयी 71-72 में 4.41 प्रतिशत। अब इर्रीगेशन हैक्टर में जो हुई है उसके सिचाई हैक्टर के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा सन् 1951-52 में जो लैण्ड इर्रीगेटेड होती थी वह 10 लाख 7 हजार हैक्टर थी वह अब 71-72 में बढ़ कर 24 लाख 40 हजार हैक्टर में हुई।

लैण्ड इर्रीगेटेड बाई केनाल सन् 51-52 में 22.24 प्रतिशत थी वह 71-72 में बढ़कर 37.32 प्रतिशत हो गयी है। इसी तरह हमारे प्रदेश में 51-52 में जो ट्रैक्टर थे वह 61 थे वह 71-72 में बढ़कर 1853 ट्रैक्टर हो गये हैं। और प्रोडक्शन जो हमारा 51-52 में 29 लाख टन था वह 71-72 में बढ़कर 63 लाख 35 हजार टन हो गया। इसी प्रकार आईसीड्स का प्रोडेक्शन सन् 52-53 में हुआ 1.34 लाख टन था वह बढ़कर 71-72 में 3 लाख 93 हजार टन हो गया। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय कोटन प्रोडक्शन के आंकड़े भी देना चाहता हूं कोटा में हैं 52-53 में 1 लाख तीन हजार बेग्ज और 71-72 में बढ़कर हो गई 3 लाख 93 हजार बेग्ज। इसी प्रकार सूगर कैन के अन्दर प्रोडक्शन जो 52-53 में 4 लाख 14 हजार टन था वह बढ़कर 71-72 में 12 लाख टन हो गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पावर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जहां राजस्थान में 51-52 में टोटल इन्स्टाल्ड पावर 13.27 कैपेसिटी थी वह 71-72 में बढ़कर 565.34 इन्स्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी हो गयी फार्म कैपेसिटी जहां 7.48 मेगावाट थी 1951-52 में वह 1972-73 में बढ़ कर 303 मेगावाट हो गयी। 73-74 में 408 मेघावट हो गयी। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आफ पावर 51-52 में 2.9 के. डी. एच. और 71-72 में 57.3 कि० पर कैपिटा कन्जम्प्शन आफ इलेक्ट्रिसिटी 1951-52 में 1.7 कि० और 71-72 में 42.5 कि०। लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड 1951-52 में 42 और 1973-74 में 5850 हो गयी। इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम्ड इन इन्डस्ट्रीज 1951 से 52 में 30.17 परसेन्ट और वह 1971.72 में बढ़ कर 60 परसेन्ट हो गयी। इलेक्ट्रिसिटी फार इर्रीगेशन परपजेज के लिये जहां 51-52 में 3.59 परसेन्ट थी वह 1971-72 में बढ़ कर 17.74 हो गयी। इन्डस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जहां 1952.53 राजस्थान में 168 इन्डस्ट्रीज और फैक्ट्रीज थीं वह 1970-71 में बढ़ कर 2149 हो गयीं। सीमेन्ट का प्रोडक्शन जहां 1951-52 में 2.5 लाख टन हुआ वहां 1972-73 में 15.51 लाख टन हो गया। सूगर प्रोडक्शन के अन्दर भी देखिये जहां 1951-52 में 1.5 हजार टन था वह 1971-72 में बढ़ कर 10.5 हजार टन हो गया। कोटन क्लाथ प्रोडक्शन में जहा राजस्थान में कोटन क्लाथ प्रोडक्शन 1951-52 में 301 लाख मीटर प्रोड्यूस होता था वहां

(श्री चन्दनमल बेद)

1971-72 में 689 लाख मीटर हो गया इसी प्रकार बाल बीयरिंग में 1953-54 में 7 लाख का प्रोडक्शन था वह 1971-72 में बढ़ कर 74 लाख हो गया ।

मिनरल्स के फीगर्स भी देना चाहता हूं । फिगर्स बोरिंग हो सकते हैं कुछ माननीय सदस्यों के लिये लेकिन मैं चाहता हूं कि जो प्रगति की है उसको सही रूप से आंका जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप काफी तेज दौड़ रहे हैं यह काबिले तारीफ है कुछ खा-कर दौड़िये वरना कहीं गश खाकर नहीं गिर जांय ।

श्री चन्दनमल बेद : जिप्सम में 1951 में प्रोडक्शन जहां 3.35 लाख टन था वह बढ़ कर 1971-72 में 9.85 लाख टन हो गया । जहां फेल्सपर में प्रोडक्शन 4.6 हजार टन था वह बढ़ कर 36.5 हजार टन हो गया । एसबसटस में 0.19 1951-52 में था वह बढ़ कर 10.2 हजार टन हो गया । रोकफास्फेट में जहां 1969 में 69.1 थाउजेन्ड था वह बढ़ कर 213.7 हजार टन हो गया है । रोड लैम्प जहां 1951-52 में 18749 किलोमीटर थी वह 1971-72 में बढ़ कर 33427 किलोमीटर हो गयी । सरफेस रोड के नाम में जहां राजस्थान में सरफेस रोड्स 1951-52 में 9450 किलोमीटर थी वह बढ़ 1971-72 में 22,777 किलोमीटर हो गयी ।

ट्रान्सपोर्ट के मामले में भी राजस्थान ने प्रगति की है । जहां 1951-52 में मोटर व्हीकल्स की संख्या 10787 थी वहां 71-72 में वह बढ़ कर 1.12 हजार 803 हो गयी । नेशनेलाइजेशन आफ रूट्स 25 परसेन्ट । कम्युनिकेशन्स पोस्ट आफिसेज 1951-52 में 1383 थे वे अब 1972 73 में 7456 हो गये । टेलीग्राफ आफिसेज 51-52 में 180 थे अब 650. 71-72 में हो गये । पब्लिक काल आफिसेज जहां 36 थे वे अब 363 हो गये । (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : मान गये साहब मान गये ।

श्री केदारनाथ : हम तो मान गये । एक बात आप बता दीजिये ।

श्री चन्दनमल बेद : आप सुन ली-जिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल । May be considered as read.

श्री अध्यक्ष : आप मेज पर रख दी-जिये ।

श्री चन्दनमल बेद : अब मैं एजूकेशन की तरफ आता हूं ।

श्री केदारनाथ : आंकड़ों में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लोहा मान गये साहब आप साइक्लोस्टाईल्ड कापी लेकर आये हैं ।

श्री चन्दनमल बेद : लिट्रेसी में टोटल लिट्रेसी परसेन्टेज 1951-52 में 8.02 परसेन्ट और 1971-72 में 19.07 परसेन्ट । मेल एजूकेशन 13.09 परसेन्ट थी अब 28.74 परसेन्ट । फिमेल एजूकेशन 2.51 परसेन्ट थी वह अब 8.46 परसेन्ट और हो गयी । कालेज फार जनरल एजूकेशन

Page No. 126

(1187)

(श्री चन्दनमल बैद) . . .

27 थे अब 89 हो गये 72-73 में। कालेज फार प्रोफेशनल एजूकेशन 9 थे अब 69 हो गये। हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी 209 थे अब 69-70 में 1019 हो गये। प्राइमरी स्कूल 4494 थे वे अब बढ़ कर 69-70 में 19341 हो गये।

श्री रामकिशन : एक जानकारी दीजिये। सन् 1951-52 में जनसंख्या कितनी थी और अब कितनी हो गयी है ?

एक माननीय सदस्य : 51-52 में रामकिशनजी दुबले थे अब मोटे हो गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप 1951-52 में तो पैदा ही नहीं हुए।

श्री चन्दनमल बैद : मैं 1951-52 में इसी विधान सभा का सदस्य था जनाब।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने आप के लिये नहीं कहा। उनके लिये कहा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पहले कितने बेरोजगार थे और अब कितने को रोजगार दे दिया ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं जिक्र कर रहा था कि माननीय सदस्य हमेशा उल्हाना देते हैं कि राजस्थान में टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है और नोन टैक्स रेवेन्यू कम है। मैंने 16 स्टेट के आंकडे दिये हैं।

श्री रामकिशन : माननीय शिक्षामंत्री बोलते हैं तो ऐसे बोलते रहे हैं शेरगढ़ के ठाकुर बोल रहे हैं।

श्री केदारनाथ : पर कैपिटा कन्जम्पशन लेवल कितना बढ़ा है पूवर लेवल पर यह बता दीजिये तो हम मान लेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जब इतने माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैंने उनको इन्टरप्ट नहीं किया। अब आप मुझे पिन डाउन करना चाहते हैं।

आपने अपने भाषण में चार दिन तक जो मुद्दे उठाये और उन बातों के लिये मैं तैयारी करके आपको सन्तुष्ट करना चाहता हूं तो कसूर नहीं कर रहा हूं। आप अचानक मुद्दे उठाते हैं आप ही सोचिये कि उन मुद्दों पर आगे बहस होगी मैं उनका जवाब फिर दूंगा। लेकिन चार दिन की बहस में जो आपने मुद्दे उठाये हैं उनके लिये मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं आपको सन्तोष दिलाऊं कि राजस्थान ने क्या प्रगति की है। अगर यह प्रगति नहीं है तो फिर प्रगति किस चिड़िया का नाम है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : फाइनेन्स कमीशन के पास में जो पेपर आपने पेश किया है उसमें आपने कहा है कि राजस्थान में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। यह आपका पेपर है, हमारा पेपर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नॉन-रेवेन्यू टैक्स और रेवेन्यू टैक्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। माननीय सदस्य फिर एतराज करेंगे कि मैं आंकड़े पढ़ रहा हूं। लेकिन फाइनेन्स का काम तो आंकड़े ही देने का है। उसके पास तो आंकड़े ही हैं।

श्री अध्यक्ष : आज आप (श्री मूलचन्द सामरिया के इन्टरप्ट करने पर) विशेष रूप से बोल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू में राजस्थान दसवें नम्बर पर आता है 16 स्टेट्स में। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल

(श्री चन्दनमल बैद)

एम. पी., महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यू. पी. और वेस्ट बंगाल। जहां तक नॉन-टैक्स रेवेन्यू का सवाल है राजस्थान का नम्बर इन 16 स्टेट्स में तीसरे नम्बर पर आता है। ये आंकड़े उस समय के हैं जब कि राकफास्फेट प्रोजेक्ट 4½ करोड़ की आमदनी करने वाला, वह इसमें शामिल नहीं है।

श्री रामकिशन : नॉन-टैक्स रेवेन्यू में सेन्टर की आमदनी शामिल कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं। आप देख लीजिये। आंकड़े दे रहा हूं सही दे रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पृष्ठ संख्या 9 पर देखिये। आइटम नम्बर 5 ग्रान्ट-इन-एड। इसके अन्दर इन्क्रीज हुआ है। 6163 था पहले, आज 8005 है जो सेन्टर से मिली है। आपको याद न हो तो हम से पूछ लीजिये, फिर कहिये। आपको ब्रीफ प्रोपरली नहीं किया गया है। जितना सबक याद कराया गया था उतना ही कहा है। आप देखिये ग्रान्ट-इन-एड में। यह है कि नहीं। अगर आप फाइनेन्स मिनिस्टर हैं तो देखिये ग्रान्ट-इन-एड टैक्सों में शामिल है या नहीं। पूछ कर बोलिये भले ही। सदन में भी मिनिस्टरों की अक्ल उधर (अधिकारी दीर्घा) रहती है। वहां से पूछ कर बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद : जब मैं आंकड़े पेश करता हूं तो आप सुनते नहीं शान्ति से। क्योंकि आपको तो फिजा बनानी है राज्य में कि इस राज्य में कोई प्रगति नहीं हुई।

श्री रामकिशन : आप फेक्ट्स डिसटोर्ट कर रहे हैं। प्रगति नहीं हुई यह किसी ने कभी नहीं कहा। पर जहां आपकी नीतियों को ईमानदारी और मिहनत से इम्पलीमेन्ट करने पर यह प्रगति कई गुना होनी थी, आपकी भ्रष्ट नीतियों के कारण और करप्ट कारनामों के कारण उतनी हो नहीं पाई। यह कहना है हमारा तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कोई नहीं कहता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जो अन्धा होगा वही ऐसा कह सकता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कम्पेरीजन में बात कही गई है, उसका उसी तरह से उत्तर दें।

श्री रामकिशन : (श्री खेतसिंह से) ठाकुर साहब, क्या पूछ कर आये हैं (ऑफीशियल गैलरी से) बताइये न ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ठाकुर साहब का तो गढ़ टूट गया।

श्री चन्दनमल बैद : एक बार इस बात की चर्चा सदन में हुई। मैं उस चर्चा के औचित्य-अनौचित्य में नहीं पड़ना चाहता। कुछ लोगों की शिकायत रही कि किसी एक भाग पर ज्यादा खर्च किया जाता है और दूसरे पर कम। यह पक्षपात किया जाता है। मैं इसकी चर्चा में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं। राजस्थान में कहीं भी कुछ भी खर्चा होता है तो उसका फायदा हमारे सारे राजस्थान को मिलता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे

(श्री चन्दनमल वैद)

व्यास प्रोजैक्ट है, भाखरा है, पौंग है। इन पर 103 करोड़ रुपया खर्च किया गया और इनसे प्राप्त होने वाले पावर प्रोजैक्टों पर 62 करोड़। कुल 165 करोड़ का खर्चा हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रुपये की कीमत 36 पैसा रह गई है यह भी आपको याद रखना है।

श्री चन्दनमल वैद : अब जो यह 62 करोड़ बिजली पर खर्च हुआ तो उस बिजली का उपयोग सारे राजस्थान में हो रहा है। अकेले कोटा को तो नहीं हो रहा है। यह अर्ज करना चाहता हूं। इण्डस्ट्रीज राजस्थान में इलेक्ट्रिफाइड हुई हैं, 4380 यानी 74 प्रतिशत। कुए इनर्जाइज हुए हैं, 61755 यानी 84 प्रतिशत। तो ये सारे राजस्थान में हुए हैं। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ।

हम आज जो व्यास प्रोजैक्ट पर खर्च कर रहे हैं या पौंग पर कर रहे हैं या राजस्थान नहर पर कर रहे हैं तो यह मान कर नहीं चलें कि अकेले कोटा पर या कि गंगानगर पर हो रहा है यह हमारा दृष्टिकोण नहीं रहना चाहिये। यह मानकर चलना चाहिये कि सारा राजस्थान एक है और इनका लाभ सभी राजस्थानवासियों को मिल रहा है। सारे प्रदेश की प्रगति और विकास समान रूप से करना हमारा कर्त्तव्य है और यही कारण है कि कर्त्तव्य समझकर जो भी खर्च किया गया उसका लाभ हम सबको मिला है।

श्री मूलचन्द सामरिया : हमारे जिलों में सड़कों पर बिजली पर आपने कितना किया, डिपार्टमेंटवाईज बता दीजिये तो थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले में उदयपुर के मुकाबले में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझना चाहता हूँ कि पहले की चार योजनाओं और पांचवी योजना के प्रथम वर्ष के बारे में आपने खुद ने यह माना है कि ये डिफेक्टिव रहीं। डवलपमेंट तो इनमें हुआ पर रीजनल इम्बेलेन्स कुछ हो गया। एक डिस्पेरिटी वेरियस क्लासेज में हो गई। उसे पांचवीं योजना में दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह आपने स्वयं ने माना है तो जानना चाहूंगा कि राजस्थान में आपका बजट किस तरह से इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसे एक्सप्लेन कर दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : यह तीस पेज का बजट भाषण आपके सामने है। आपने इसे देखा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें हमें इसका कोई उत्तर दिखाई नहीं पड़ा।

श्री चन्दनमल वैद : सारी स्ट्रेटेजी तो इसमें है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बजट भाषण आपने जैसा माना है उस रीजनल एम्बेलेन्स को मिस कर, कम कर रहा है। डेस्पेरिटी, जो गरीब अमीर में आज बढ़ गई है और जिसे आपने साफ माना है वह कम कैसे आप करते जा रहे हैं। यह आप बता दीजिये। इस बारे में कोई सुझाव आपके इस बजट भाषण के 30 पेजों में नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : सारी रामायण पढ़ डालो और अब पूछा जा रहा है कि सीता कौन थी। सारी बातें मैंने बता दी, प्रीप्लान की स्ट्रेटेजी, आगे का प्रोग्राम। सब बता दिया पांचवीं योजना की स्ट्रेटेजी बताई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितना याद करके आये थे वह कह दिया। उससे ज्यादा नहीं कह सकते। यह आपकी मजबूरी है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मन्दिर बना दिया, पर उसमें मूर्ति रखना भूल गये।

श्री चन्दनमल बैद : अगर यही बात है तो फिर क्यों सदन का अधिक समय बर्बाद करूं। जब विधान सभा के वरिष्ठ सदस्यों का यह हाल है। यह कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

संदेश

राज्यपाल महोदय का संदेश

श्री अध्यक्ष : एक सूचना।

मैं, माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:

"आपका पत्र दिनांक 11 मार्च, 74 का प्राप्त हुआ। इस कृतज्ञता के संदेश के लिये मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरा कृतज्ञता ज्ञापन पहुँचाने का कष्ट करें।"

सदन की कार्यवाही कल शनिवार दिनांक 16 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही म० प० 5.48 बजे शनिवार दिनांक 16 मार्च, 1974 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।

(121)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न सं० 213 की सूची)

सीकर खण्ड में निर्माण कार्य चल रही योजनाओं का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	अब तक व्यय की गई रकम	शेष रकम व्यय करनी है
1.	छोई	1,26,000/-	11,000/-
2.	लोहारवाड़ा	1,02,000/-	4,000/-
3.	खुड़	2,05,000/-	17,000/-
4.	रानोली	1,84,000/-	31,000/-
5.	दुजोद	1,16,000/-	38,000/-
6.	भुदोली	1,94,000/-	15,000/-
7.	गुहाला	3,40,000/-	15,000/-
8.	लोसल	1,30,000/-	5,00,000/-
9.	भारली	2,60 000/-	30,000/-
10.	कांवट	1,35,000/-	25,000/-
11.	मण्डोली	86,000/-	34,000/-
12.	मुण्डरू	1,42,000/-	92,000/-
13.	सिरोही	1,50,000/-	30,000/-
14.	कटराथल-दौलतपुरा	2,34,000/-	84,000/-
15.	धोद	1,27,000/-	68,000/-
16.	कोठोर सवाईपुरा	83,000/-	77,000/-

———

(122)

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न सं० 215 की सूची)

किशनगढ़ जल प्रदाय योजना में निम्न श्रेणी के स्थान उनके सामने अंकित तिथि से रिक्त हैं:—

क्र० सं०	पद	रिक्त संख्या	दिनांक जिससे रिक्त हैं
1.	मिस्त्री II	1	1-2-72
2.	पंपचालक III	2	1-4-71
3.	फिटर द्वितीय	2	1- 12-2-72 2- 1-4-71
4.	सहायक I	2	1-7-72
5.	क० लिपिक	2	1-4-72

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न सं० 216 की सूची)

Statement showing the targets fixed for 1973-74.

Name of the District		Targets N	P	K
1.	Ajmer	2149	200	65
2.	Alwar	5133	850	380
3.	Banswara	1466	200	60
4.	Barmer	356	35	10
5.	Jalore	1299	95	45
6.	Bharatpur	7402	800	330
7.	Bhilwara	3891	800	300
8.	Bikaner-Churu	94	10	5
9.	Bundi	4424	1200	400
10.	Chitoregarh	4961	2000	900
11.	Dungarpur	702	80	50
12.	SriGanganagar	20068	2950	1365
13.	Jaipur	6325	880	320
14.	Jhalawar	2532	500	160
15.	Jodhpur-Jaisalmer	1074	150	65
16.	Kota	10083	4400	1300
17.	Nagaur	1067	60	40
18.	Pali	1985	420	125
19.	Sawai-Madhopur	4243	800	80
20.	Sikar-Jhunjhunu	1154	160	60
21.	Sirohi	960	150	80
22.	Tonk	1300	590	110
23.	Udaipur	3264	650	250
	TOTAL....	85950	18000	6500

(124)

केन्द्रीय सरकार (पूल) द्वारा मंगाये गये खाद की सूची

वर्ष	नत्रजनीय	फासफोटिक	(मात्रा मै० टन में)
1970-71	4776	2136	
1971-72	5670	3030	
1972-73	10681	2153	
1973-74	16893	9611	

राजस्थान में स्थापित कारखानों की खाद बनाने की वार्षिक क्षमता का विवरण

1. श्रीराम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज; कोटा — यूरिया खाद बनाती है जिसकी लाइसेन्स्ड क्षमता 3,30,000 मै० टन है ।

2. मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि०, उदयपुर — सुपरफास्फेट बनाती है इसकी क्षमता 72,000 मै. टन सिंगल सुपर फास्फेट बनाने की है ।

परिशिष्ट—4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम सहकारी समिति पिड़ावा में गबन का मामला

220. श्री हाजीजान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सहकारी समिति पिड़ावा में श्री रतनपुरी सचिव वगैराह ने 19,784 रु० 15 पैसे का गबन किया था ? यदि हां, तो क्या श्री रतनपुरी के खिलाफ पुलिस में केस भी दिया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री बापूलाल, अध्यक्ष सहकारी समिति हिम्मतगढ़ के खिलाफ भी तकरीबन 12000 रु० के गबन का मामला पुलिस थाना रामपुर में दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । पुलिसथाना, रामपुर में कार्यवाही चालू है ।

सस्ता अनाज देने की व्यवस्था

221. श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा क्षेत्र में पिछले वर्षों के बजाय इस वर्ष भी अनाज का शत-प्रतिशत अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सस्ता अनाज देने का कोटा निर्धारित किया है ? अगर हां, तो हर व्यक्ति को प्रति माह कितना किलो सस्ता अनाज देने की व्यवस्था की है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार ने यह भी नीति निर्धारित की है कि प्राइवेट व्यापारी से लेवी वसूल की जाए ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

(3) क्या सरकार अकाल के समय में लेवी वसूल करना जायज समझती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि खुले व्यापार में 150 क्विन्टल से अधिक अनाज थोक व्यापारी को नहीं रखने के आदेश के फलस्वरूप अधिक महंगाई बढ़ गयी है ।

उत्तर

खाद्य मंत्री

(1) जी हां,

(क) शहरी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति 3 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलो ग्राम माईलो।

(ख) देहाती क्षेत्र में आवश्यकता तथा उपलब्धि के अनुसार मोटा अनाज।

(2) जी नहीं। वर्तमान में व्यापारियों पर कोई लेवी नहीं लगी है।

(3) जिस इलाके में अतिवृष्टि आदि से फसल को हानि हो गई है उसमें छूट देने के लिए जिलाधीशों को उचित अधिकार हैं।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार इस मत से सहमत नहीं है।

पाईराईट्स की खानें

222. श्री मोठालाल (लालसोट) व श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में जो पाईराईट्स की खानें निकली है वे भारत सरकार को दी गई हैं ? क्या इसके सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई एग्रीमेन्ट हुआ है ? यदि हां, तो उस एग्रीमेन्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर राजस्थान में खाद का कारखाना स्थापित करने के लिये क्या कोई राशि का प्रावधान किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सलादीपुरा (जिला सीकर) में जो पाईराईट्स की खान निकली है वह भारत सरकार के प्रतिष्ठान मैसर्स पाईराईट्स फोस्फेट व केमिकल्स लि० को दिनांक 25-8-69 से खनन् पट्टे पर मंजूर की गई है ? एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खाद कारखाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सीकर जिले में शीतलहर से फसल को क्षति

223, **श्री झाबरमल सुन्डा** (फतेहपुर) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में शीत लहर से रबी की फसल को कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है ? क्या पीड़ित किसान को राज्य सरकार कोई राहत देगी ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिलें की फतेहपुर तहसील का खेजड़ी का लोंग करीब अढ़ाई लाख टन शीत लहर से जल गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किसानों को हुई क्षति पूर्ति के लिए कोई उपाय करेगी ?

(स्थगित किया गया)

आमली बीड़ की जमीन का आवंटन

(241 सह. मं.)

224. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि आमली बीड़ (मावली तहसील) की जमीन को जंगलात विभाग से ली जाकर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा निर्मित सहकारी समिति के नाम पर आवंटित की गई ?

(2) जिस समिति को आमली बीड़ की जमीन सुपुर्द की गई उसके पदाधिकारियों के क्या नाम हैं एवं वह कब निर्मित हुई तथा अब उसकी क्या प्रगति है ?

(3) उक्त आमली बीड़ की जमीन अनुसूचित जाति के किन व्यक्तियों के नाम आवंटित की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बिलों का भुगतान न करने संबंधी आदेश निकाले जाने का कारण

225. **श्री राजेन्द्र भारतीया** (बूंदी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि 25-12-73 से 1-1-74 तक राज्य सरकार ने राजकीय बिलों का भुगतान न करने के आदेश दिए थे ? अगर हां, तो राज्य सरकार की

(128)

(श्री राजेन्द्र भारतीया)

वित्तीय स्थिति ऐसी खराब क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

यह सही है कि राज्य सरकार ने राजकीय बिलों का भुगतान न करने के आदेश किये थे जिस की अवधि 25-12-73 से 1-1-74 नहीं थी अवधि 24-12-73 से 31-12-73 तक ही थी।

उत्तर

राज्य में अकाल व बाढ़ आदि की स्थिति होने के कारण राज सरकार की आय की वसूली समय पर नहीं हो सकी इसके अतिरिक्त भारत सरकार से योजना कार्य के लिये प्राप्त होने वाली ग्रान्ट व कर्जा में 5.96 करोड़ की कमी हुई उससे माहवारी राशि की प्राप्ति में कमी हुई। इस कारण ओवर ड्राफ्ट की स्वीकृत सीमा से राशि बढ़ने के कारण एक सप्ताह के लिये भुगतान बन्द करना पड़ा। इसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेवार नहीं है।

बागात के लिये रिजर्व भूमि का गलत अलाटमेन्ट

226. श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चक 27 एफ. टी. पी. की बागात के लिए रिजर्व भूमि भूमिहीन के रूप में श्री नरेन्द्र कुमार को सन् 1969-70 में आरजी काश्त पर अलॉट कर दी गई ?

(2) क्या श्री नरेन्द्र कुमार इस समय गंगानगर तहसील के चक 22 जी. जी. आर. 15 जी. जी. आर. और हनुमानगढ तहसील के चक 15 एच. एम. एच. में करीब 75 बीघा खातेदारी के मालिक थे ? यदि हां, तो उपरोक्त गैर कानूनी अलॉट, मेंट क्यों किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त 27 एफ. टी. पी. की भूमि जो श्री नरेन्द्र कुमार को आरजी तौर पर अलॉट हुई थी अगले वर्ष ही राज्य सरकार द्वारा नरेन्द्र कुमार की माता इमरती देवी के नाम तबादला कर दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि भूमि के तबादले मंत्रिमण्डल के फैसले के अनुसार उस समय बन्द थे ? यदि हां, तो उपरोक्त तबादला क्यों किया गया ?

(5) राज्य सरकार क्या उपरोक्त समस्त गैर कानूनी कार्यवाही को निरस्त करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1969-70 में 25 बीघा भूमि आरजी काश्त एक साला 240) रु. प्रति बीघा पर नीलाम में बोली पर अलॉट की गई थी।

(उपनिवेशन मंत्री)

(2) जी हां। इस विषय में जांच की जारही है।

(3) दिनांक 11-8-70 को मुरब्बा नं. 136/266 की एवज में, जो नीलाम में खरीदा गया था मुरब्बा नं. 137/266 की एकीकरण हेतु प्रार्थिनी को स्वीकृत किया गया ? मुरब्बा नं. 137/266 इनके खेत से चिपता हुआ था और बराबर के मूल्य का था ?

(4) जी हां। इस मामले में काश्त की सुविधा व भूमि एकीकरण की सूरत होने की वजह से स्वीकृत की गई ?

(5) आरजीकाश्त के आवंटन की वैधता की जांच के बाद आरजी आवंटन के कानूनी या गैर कानूनी होने का निर्णय लिया जावेगा।

जैन मन्दिर, बगरुवालान, जयपुर के भूमि व भवन कर की बकाया राशि की वसूली

227. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर), श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री दिगम्बर जैन मंदिर, बगरुवालान, स्टेशन रोड, जयपुर नगरपालिका हाउस नं. 7 एच. बी. 3/4 हवाली शहर गरबी के भूमि व भवन कर की वर्ष 1973-74 की लगभग पचीस हजार रुपये की राशि बकाया पड़ी है परन्तु अभी तक भी इसकी वसूली नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सार्वजनिक मंदिर के मंत्री द्वारा बारम्बार मूल्यांकन करवाया जाने के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते रहने पर भी अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे कि राज्य कोष को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस मंदिर की ओर से कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया, न इस जायदाद का कोई कर निर्धारण अभी तक हुआ है ऐसी परिस्थिति में इस स्टेज पर टैक्स बकाया होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मंदिर के भूमि एवं भवन पर कर देय है अथवा नहीं व है तो किस हद तक, इस बाबत जांच की जारही हैं। जांच पूरी होने पर आवश्यक हुआ तो धारा 11 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

(2) श्री चिरंजीलाल लुहाड़िया ने अपने आपको मंदिर का मंत्री बतलाकर शिकायत की कि मंदिर के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही देवस्थान विभाग में चल रही है व मंदिर की आमदनी अनाधिकृत आदमियों द्वारा धोकाधड़ी से हड़पी जा रही है

130

(वित्त मंत्री)

अतः मंदिर की जायदाद का मूल्यांकन कराया जाकर किरायेदारों को प्रतिबन्धित करें। श्री लुहाडिया ने जायदाद का कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी परिस्थिति में टैक्स लाइबिलिटी (Tax liability) बाबत आवश्यक जांच की जारही है। जांच के पश्चात आगे कार्यवाही की जावेगी। जांच के दोरान धारा 22 के अधीन श्री चिरंजीलाल पाटनी पुत्र श्री हीरालाल पाटनी को आवश्यक जानकारी देने के लिए नोटिस दिया गया जो एक बार बिना तामिल लोटा। दुबारा रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस दिया गया इस पर पार्टी ने सूचना देने के लिए समय चाहा है जो दे दिया गया। अब तारीख पेशी 16-3-74 नियत की गयी है।

झालरापाटन नगर के सूर्य मन्दिर की देख-रेख

228. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगर के मध्य सूर्य मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है गत वर्ष बिजली गिरने के कारण एवं दो तीन साल पूर्व एक छत्री के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो इसकी आज तक भी कोई मरम्मत आदि क्यों नहीं करायी गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर बहुत पुराना, सुन्दर एवं ऐतिहासिक होने के कारण इसे देखने हेतु बहुत यात्री बाहर से आते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस मंदिर को पुरातत्व विभाग, भारत सरकार को देने का विचार रखती है ताकि देख रेख ठीक हो सके ?

उत्तर

(1) जी हां, मरम्मत के लिए तखमीना तैयार कराया जा रहा है।

(2) जी हां,

(3) इस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

कोटा सहकारी भूमि विकास बेंक द्वारा रशियन ट्रेक्टर के लिये दिया गया ऋण

229. श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा सहकारी भूमि विकास बेंक द्वारा ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा में रशियन ट्रेक्टर के लिये क्या कोई ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कब, कसको व कितना ?

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ट्रैक्टर के भुगतान का कोई बिल नहीं लिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन बीमा बैंक के नियमानुसार नहीं कराया गया तथा यह ट्रैक्टर वर्तमान समय में कहां है ?

(3) क्या उक्त ट्रैक्टर हेतु दिये गये ऋण की वसूली करली गई और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 25-7-68 को श्री रामकिशन पुत्र श्री रामनारायण मीणा को 10,500) रूपये का ऋण ट्रैक्टर के लिये दिया गया है।

(2) जी नहीं। प्रार्थी को ट्रैक्टर ऋण दिया गया उस समय रजिस्ट्रेशन एवं बीमा बैंक के पक्ष में कराने के नियम नहीं थे। प्रार्थी द्वारा ट्रैक्टर बेचा जा चुका है

(3) जी नहीं। वसूली की कार्यवाही चालू है।

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, बीकानेर को लीज पर दी गई सेलेलाइट माइन

230. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम लि. बीकानेर को लूणकरणसर में सेलेलाइट माइन लीज पर दी हुई है.?

(2) क्या यह भी सही है कि लीज कण्डीशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री लगाने की शर्त है ?

(3) क्या यह भी सही है कि लूणकरणसर में अब बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी को उक्त शर्त पूरी करने को बाध्य करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अब बीकानेर जिप्सम लि. गवर्नमेन्ट कम्पनी बन गई है। अगर यह स्कीम आर्थिक व तकनीकी दृष्टि से ठीक पाई गई तो शर्त पूरी की जावेगी। यह प्रश्न अब इस कम्पनी के बोर्ड के विचाराधीन है।

रासायनिक खाद के नियन्त्रित कोटे की दूषित वितरण प्रणाली

231. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि इस वर्ष राजस्थान में रासायनिक खाद की बड़ी भारी कमी रही एवं कमी के कारण जिले वार रासायनिक खाद के कोटे के नियन्त्रित वितरण में भी बड़ी भारी अनियमिताएं की गई ? अगर हां, तो क्यों ? रासायनिक खाद का राजस्थान का कोटा ज्यादा प्राप्त करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि रासायनिक खाद के नियन्त्रित कोटे की मौजूदा जिले-वार वितरण प्रणाली बड़ी दूषित है और इस कारण ही खाद की बड़ी भारी काला-बाजारी होती है ?

(3) उक्त वितरण प्रणाली में समुचित सुधार लाने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है और यह सुधार कब तक कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही नहीं है कि रासायनिक खाद की कमी के कारण विभाग द्वारा जिलेवार रासायनिक खाद के वितरण में कोई अनियमितता की गयी । राज्य के लिए अधिक कोटा प्राप्त करने हेतु समय-समय पर केन्द्रीय अधिकारी एवं मन्त्री से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा बन्दरगाहों पर भी खाद शीघ्र प्राप्त कर निश्चित स्थानों पर पहुँचाने के लिये विभागीय प्रतिनिधि भेजे गए । श्रीराम केमी-कल्स के अधिकारियों से भी अधिक यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये गये ।

(2) जी नहीं ।

(3) किसानों को समय पर सुविधानुसार खाद प्राप्ति के लिए सब जिलों के लिए एक ही वितरण प्रणाली लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

232. श्री **रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री रामचन्द्र, सरपंच ग्राम पंचायत, टांकवास पंचायत समिति, केकड़ी, जिला अजमेर ने ग्राम ओंकारपुरा सावर के समीप 80 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर दिया है ? यदि हां तो कब और उक्त सरपंच को बेदखल

(श्री रामगोपाल)

करने के लिये अब तक राज्य सरकार ने समय-समय पर क्या-क्या कदम उठाये हैं तथा भविष्य में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

श्री रामचन्द्र, सरपंच, ग्राम पंचायत, टांकावास द्वारा ग्राम ओंकारपुरा में चरागाह की भूमि पर खसरा नं० 160 में से 39।।)4 बीघा पर काश्त कर अतिक्रमण सम्वत् 2030 में किया। इस सम्बन्ध में सर्वश्री रामकरण पुत्र छोटू व रामचन्द्र पुत्र नानू (सरपंच) के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

खाद, बीज, तकावी ऋण की बकाया राशि की वसूली

233. श्री जयकिशनलाल (फागी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

फागी तथा चाकसू पंचायत समितियों में खाद, बीज, तकावी ऋण की राशि किन-किन व्यक्तियों में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। इस बकाया राशि के अब तक वसूल न होने के क्या कारण हैं। अब कब तक बकाया राशि को वसूल कर लिया जावेगा ?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। निरन्तर अकाल की स्थिति रहने के कारण वसूली नहीं हो सकी है। वर्ष 1973-74 में (सितम्बर, 73 तक) 1,29,224 रु० पंचायत समिति चाकसू में वसूल हो चुके हैं। बकाया राशि शीघ्र ही वसूल किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पाली जिले में बीज की मांग की पूर्ति

234. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष पाली जिले में रबी की फसल हेतु प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा किस प्रकार के कितने बीज की मांग की गई थी और कृषि विभाग द्वारा उसकी पूर्ति किस सीमा तक किस प्रणाली द्वारा की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीज की मांग की पूरी पूर्ति नहीं की जा सकी और बीज समय पर भी काश्तकारों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

134

उत्तर

(1) वर्ष 73-74 में पाली जिले की मन्तिम रूपेण पंचायत समिति वार रबी के बीजों की मांग संलग्न तालिका (क) में सदन की मेज रख दी गई है। विभाग द्वारा उक्त बीजों की मांग को राजकीय कृषि फार्मों से, केन्द्रीय कृषि फार्म, जैतसर एवं सूरतगढ़ से तथा खाद्य निगम से उपलब्धियों के अनुरूप पूर्ति की गई जिसकी तालिका (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। चने का बीज उधार पर तथा गेहूं का बीज नगद भुगतान पर वितरित किया गया था।

(2) जी हां। बीज काश्तकारों को समय पर उपलब्ध कराया गया था।

पंचायत समितिवार रबी बीजों की मांग तालिका (क) (मात्रा क्विटल में)

क्रम संख्या	पंचायत समिति	गेहूं खारचिया	गेहूं कल्याण सोना	गेहूं मोती	गेहूं आर. एस. 31	लालबहादुर	गेहूं देशी	एम. पी. 718	जौ	चना
1.	पंचायत समिति, सुमेरपुर	—	500	—	6000	—	—	—	1000	1000
2.	पंचायत समिति, बाली	—	375	—	600	50	200	100	500	100
3.	पंचायत समिति, देसूरी	—	200	—	500	1	—	—	300	100
4.	पचायत समिति, रानी	25	200	—	800	—	—	—	600	150
5.	पंचायत समिति, खारची	25	100	—	1000	—	—	—	—	50
6.	पंचायत समिति, सोजत	—	600	50	600	—	—	—	400	1300
7.	पंचायत समिति, रायपुर	—	500	—	2000	—	—	—	200	500
8.	पंचायत समिति, जैतारण	295	520	—	890	—	—	—	420	—
9.	पंचायत समिति, रोहट	—	2000	—	13000	—	5000	—	—	5000
10.	पंचायत समिति, पाली	175	2240	—	4960	—	2000	—	1618	2595
	योग....	520	7235	50	30350	51	7200	100	5038	10695

विभाग द्वारा रबी के बीजों की पूर्ति को उसका विवरण (ख) (मात्रा क्विंटल में) जिला पाली

क्रम संख्या	पंचायत समिति	गेहूं सोनालिका	गेहूं सी० 281	खाद्य निगम से प्राप्त	कुल योग	चना	जो
1.	पंचायत समिति, सुमेरपुर	500	—	2088-83	2588-83	100	
2.	˙चायत समिति, बाली	180	—	1784-82	1964-82	—	
3.	पंचायत समिति, देसूरी	100	—	499-13	599-13	100	
4.	पंचायत समिति, रानी	300	—	716-85	1016-85	200	
5.	पंचायत समिति, खारची	230	—	500-00	730-00	50	
6.	पंचायत समिति, सोजत	200	43	1000-00	1243-00	634-87	
7.	पंचायत समिति, रायपुर	180	—	900-00	1080-00	399-97	
8.	पंचायत समिति, जैतारण	200	—	1000-00	1200-00	300-00	
9.	पंचायत समिति, रोहट	300	100	4836-44	5236-44	1600-00	
10.	पंचायत समिति, पाली	230	60	4900-70	5190-70	1661-00	
	योग....	2420	203	18226-77	20,849-77	5045-84	5038

पंचायत समिति, राशमी के गांवों की जलप्रदाय योजनाएं

235. श्री मनोहरलाल कालिया (गंगरार) : क्या जलप्रदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भीमगढ़, आरनी, रन्द, साडास पंचायत समिति क्षेत्र राशमी (जिला चित्तौड़गढ़) की जलप्रदाय योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों की सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो कब व कितना धन व्यय होने का अनुमान है तथा यह कार्य कब तक शुरू होकर सम्पन्न होने को है और अब तक शुरू नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इनमें सिर्फ ग्राम भीमगढ़ व आरनी की जलप्रदाय योजना लगभग एक वर्ष पूर्व ही बनाई गई है।

(2) जी हां। ग्राम भीमगढ़ व आरनी की योजना का लगभग एक वर्ष पूर्व सर्वे किया गया था व इसकी योजना क्रमशः 1.30 लाख एवं 1.99 लाख रुपये की लागत की बनाई गई। इन योजनाओं की तकनीकी जांच के उपरान्त धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

विस्थापितों को बसाने हेतु तहसील अकलेरा की भूमि

236. श्री भेरूलाल (अकलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मदनपुरिया व काल्याखेड़ी, तहसील अकलेरा की कुछ भूमि विस्थापितों को बसाने हेतु पृथक् रखी गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उनको बसाने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इस जमीन को काश्त के लिये भूमिहीन काश्तकारों को बतला दी गयी जो लगभग 8 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, झालावाड़ ने इन काश्तकारों को बेदखल करने की व इस जमीन को जरिये नीलाम काश्त पर उठाने की कोई कार्यवाही की थी और उस पर राजस्व अपील अधिकारी के यहां से उन्हीं काश्तकारों को काश्त करने देने का निर्णय दिया ?

(4) क्या सरकार इस जमीन को इन भूमिहीनों के हित में नियमन नहीं करके, इस भूमि पर विस्थापितों को बसाने तथा इन 80 परिवारों को वापस भूमिहीन बनाने का विचार रखती है ?

(श्री भैंरूलाल)

(5) क्या सरकार विस्थापितों को ग्राम रूपपुरा तथा अन्य स्थानों पर उपलब्ध हजारों बीघा में बसा कर इन 80 परिवारों को वापस भूमिहीन होने से नहीं बचा सकती ?

(6) इन भूमिहीनों को भूमि का नियमन करने का यदि सरकार विचार रखती है तो वह कब तक हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भीमसागर बांध अपूर्ण रहने से उक्त भूमि के विस्थापितों के लिये तत्काल आवश्यकता न होने के कारण रानीपुरा के काश्तकारों को लीज पर इस शर्त पर भूमि दी गई थी कि विस्थापितों के आने पर भूमि खाली कर दी जावेगी।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न विचाराधीन है।

(5) ग्राम रूपपुरा राजस्व की भूमि नहीं है।

(6) शीघ्र ही मामले में परीक्षण उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

शंकर सेवा सहकारी समिति जूनिया के ट्रैक्टर

237. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री शंकर सेवा सहकारी समिति, जूनिया को सीमान्त कृषक योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से ट्रैक्टर्स मिले हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ट्रैक्टरों का उपयोग सीमान्त कृषकों के हित में नहीं होने से सम्बन्धित विभाग में शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच की क्या रिपोर्ट है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ट्रैक्टरों की अब तक लोग बुक नहीं रखी गई है।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ट्रैक्टरों पर अभी तक नियमित चालक भी नहीं रखे गये हैं जिससे प्रबन्धक इनका दुरुपयोग कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(सहकारिता मंत्री)

(2) शिकायत प्राप्त होने पर जांच हुई जिसमें ट्रैक्टर का उपयोग सीमान्त कृषकों के हित में ही होना पाया गया है।

(3) जी नहीं। लोग बुक 1-1-74 से प्रचलित है।

(4) जी नहीं।

उमर ग्राम की मारबल की खानें

238. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक (गुढ़ा)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उमर ग्राम में मारबल और बेराइट्स की कितनी-कितनी खानों पर इस समय कार्य हो रहा है ?

(2) उमर ग्राम के और मकराना के मारबल पर डेडरेन्ट और सिक्योरिटी की क्या-क्या दरें हैं ? क्या इनमें अन्तर है ? यदि है तो क्यों ? कारणों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उमर ग्राम में मारबल क्षेत्र के एक मील से दो मील तक के भाग को किसी व्यक्ति विशेष को लीज पर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और इसके बदले में कितनी सिक्योरिटी जमा की गई ? यदि नहीं की गई तो शेष राशि कितनी है तथा इसको कब तक लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) उमर ग्राम में इस समय मारबल की 7 खानें व बेराइट्स की एक खान चालू है।

(2) उमर क्षेत्र के मारबल खनन पट्टों का डेडरेन्ट रुपये 27-50 प्रति 100 वर्ग मीटर है और वार्षिक डेडरेन्ट की चौथाई रकम की प्रतिभूति ली जाती है। मकराना मारबल के क्षेत्रों के लिये कोई डेडरेन्ट व प्रतिभूति नहीं ली जाती है क्योंकि ये क्षेत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के अध्याय 3 के अन्तर्गत आर. सी. आर. एल. पर स्वीकृत किये जाते हैं। कारणों की सूची संलग्न है।

(3) हां, एक पार्टी श्री श्रवणकुमार काला के पक्ष में दो वर्ग मील के क्षेत्र के लिये खनन पट्टे की स्वीकृति दी गई थी। पार्टी द्वारा संविदा निष्पादन नहीं किये जाने से स्वीकृति आदेश को शासन के आदेश सं० प० 17 (24) खान/72, दिनांक 17-11-73 से प्रतिसंहृत होने से कोई प्रतिभूति जमा नहीं हुई और क्षेत्र का आधिपत्य देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्रार्थी के एक आवेदन पर यह आदेश दिये गये हैं कि अग्रिम निर्देश तक इस क्षेत्र को किसी को भी स्वीकृत नहीं किया जावे।

(140)

(खनिज मंत्री)

अध्याय 2 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले खनन् पट्टों के मामलों में जैसा कि उमर क्षेत्र या खनन् पट्टों स्वीकृत हुआ, यदि वार्षिक अधिशुल्क वार्षिक डेडरेन्ट के बराबर व उससे अधिक हो जाता है तो वार्षिक डेडरेन्ट देय नहीं होता है। आर० सी० आर० एल० प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकृति खनन् पट्टों में वर्ष भर में निर्गमन किये गये खनिज की मात्रा पर अधिशुल्क वसूल किया जाता है और इस अधिशुल्क राशि के अतिरिक्त निर्धारित दर पर क्वारी रेन्ट भी अनिवार्यतः लिया जाता है। मकराना क्षेत्र में अधिशुल्क के अतिरिक्त वार्षिक क्वारी रेन्ट वसूल करने की प्रथा भूतपूर्व जोधपुर रियासत काल से चली आ रही है और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली लागू करने के पश्चात् ही इसे चालू रखा गया है कारण कि क्वारी होल्डर्स अधिकतर अशिक्षित है और इसी कारण व खनिज उत्पादन, निर्गमन व बिक्री का समुचित रेकर्ड रखने व मासिक सांख्यिकीय आंकड़े प्रेषित करने की स्थिति में नहीं है जो कि लीज होल्डर्स को देना पड़ता है।

SCHEDULE OF ROYALTY

MARBLE

(1) Makrana

(a)	Marble use for Lime burning	Rs. 0.20 p.	per	quintal.
(b)	Marble dressed, curved and rough	Rs. 2.75 p.	,,	,,
(c)	Marble slabs	Rs. 1.40 p.	,,	,,
(d)	Marble chips, Fine Powder, Khandas & Ballast	Rs. 0.35 p.	,,	,,
(e)	Coarse Powder of not more than 20 mesh.	Rs. 0.16 p.	,,	,,
(f)	Marble Tiles—			
[1]	Machine made	Rs. 0.70 p.	,,	,
[2]	Hand made	Rs. 0.37 p.	,,	,,

(2) *Other inferior marble—*

(a)	Marble used lime burning	Rs. 0.20 p.	per quintal
(b)	Marble dressed, carved and rough	Rs. 1.40 p. to 2.75 p.	,, ,,
(c)	marble slabs	Rs. 1.40 p.	,, ,,
(d)	Marble chips, fine powder, Khandas & Ballast	Rs. 0.35 p.	,, ,,
(e)	Course powder of not more than 20 mesh	Rs. 0.16 p.	,, ,,
(f)	Marble Tiles—		
	[1] Machine made	Rs. 0.70 p.	,, ,,
	[2] Hand made	Rs. 0.37 p.	,, ,,

पंचायत समिति, छोटी सादड़ी द्वारा अनुदान व ऋण के रूप में दी गई राशि

'239.' श्री शंकरलाल जाट (कपासन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति, छोटी सादड़ी द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों को शौचालय सार्वजनिक कुइयों एवं एनीकट बनाने के लिए अनुदान व ऋण के रूप में राशि दी गई थी। यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायतों को कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए अनुदान व ऋण के रूप में दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुदान व ऋण की राशि जो ग्राम पंचायतों के सरपंचों को दी गई है उनमें से कुछ सरपंचों ने पैसा खर्च भी नहीं किया है और न कहीं पोस्ट ऑफिस व बैंक में ही जमा है ? यदि हां, तो ऐसे कितने सरपंच पंचायत समिति, छोटी सादड़ी में हैं और उनके पास कितनी राशि पोतें अपनी जैब में है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन सरपंचों को अनुदान ऋण की राशि जिस काम के लिये दी गई उस पर खर्च नहीं किया और न पोस्ट ऑफिस व बैंक में जमा है उनके विरुद्ध पंचायत समिति ने कोई कार्यवाही की है यदि हां, तो क्या, यदि नहीं तो क्यों ?

(142)

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केवल पंचायत कीरतपुरा की ओर से एनीकट पर किये गये व्यय का हिसाब प्रस्तुत नहीं होना बताया गया है। इसी प्रकार पंचायत पीथलवाड़ी एवं गोमाना द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया जाना बताया गया है। अनुदानस्वरूप दी गई उक्त राशि को पंचायतों द्वारा किसी पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक में जमा नहीं कराया गया है बल्कि पंचायत की रोकड़ में उसे जमा किया है।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है।

क्रम सं०	नाम पंचायत	कार्य		राशि जो दी गई	विशेष विवरण
1.	कारूण्डा	एनिकट	कारूण्डा	3375-00	कार्य पूर्ण हो गया है।
2.	अम्बावली	,,	जाखनिया	3375-00	कुल 7698-37 कार्य हुआ।
3.	किरतपुरा	,,	कटाई महादेव	1275-00	सरपंच साहब द्वारा साइड कार्य करवाया गया मगर हिसाब प्राप्त नहीं हुआ है।
		शौचालय			
1.	सेमरथली	शौचालय		562-00	कार्य पूर्ण हो गया।
2.	अम्बावली	,,		425-00	कार्य पूर्ण हो गया।
3.	किरतपुरा	,,		300-00	कार्य पूर्ण हो गया।
4.	अम्बावली	,,		300-00	इस राशि का उपयोग किरतपुरा शौचालय के लिये लिये किया है।
5.	साटोल	,,		300-00	कार्य पूर्ण हो गया है।
6.	गोमाना	,,		900-00	कार्य नहीं किया गया है।
7.	पारसोली	,,		300-00	कार्य पूर्ण हो गया है।
8.	पायलवड़ी	,,		300-00	कार्य नहीं किया गया।
9.	जलोदा जागीर	,,		465-00	कार्य पूर्ण हो गया है।
10.	करजू	,,		465-00	कार्य पूर्ण हो गया है।
11.	कारूण्डा	,,		300-00	कार्य पूर्ण हो गया है।
12.	बानसी	,,		300-00	कार्य पूर्ण हो गया है।

सांडेराव की गोचर भूमि

240. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांव सांडेराव चुनाव क्षेत्र सुमेरपुर में गोचर भूमि के खसरा नम्बर रकबा व किस्म जमीन बताने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि सांडेराव की गोचर भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किस-किस ने ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, सांडेराव अथवा तहसीलदार बाली ने इन अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिये आज तक कोई कदम नहीं उठाया ?

(4) क्या यह सही है कि यह अतिक्रमणकारी इस भूमि का लगान किसी को अदा नहीं करते हैं ? यदि हां, तो लगान माफ किस कानून के अन्तर्गत किया गया ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(2) ग्राम सांडेराव की गोचर भूमि में किसी व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा नहीं है।

(3) चूंकि अनाधिकृत कब्जा नहीं है अतः बेदखली की कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

ग्राम सांडेराव, तहसील बाली की गोचर भूमि का विवरण

खसरा नं० 1	रकबा 2	किस्म 3	विशेष विवरण 4
६	११)१	अै० १	यह गोचर भूमि उप-जिलाधीश, बाली के आदेश संख्या/राज/४४४ दि० ८-५-७२ के द्वारा घोषित की गई है।
८	१।।।)२	अै० १	
९	२।।)	अै० १	
५२	५०।।)	बाली	
५३	१५)१	ज० १	
५५	१८४।।।)२	ज० १	
५६	३८।)३	ज० १	

1	2	3	4
४२८	१४६)४	ज० २	
४३१	५२॥)१	नागोर	
८६७	९।)	बी० २	
८७४	७।)३	बी० २	
१२७२	१॥)२	बाली	
१२८०	२५२।)३	बी० २	
१२७४	२।)२	बाली	
१२८०।१	५३)	बी० ३	
१२८०।२	६)	बी० ३	
१२८२	१)१	बाली	
१२८३	८॥।)१	बी० २	
१२८४	१॥।)	बाली	
१२९०	८॥)३	बाली	
१२९१	२७॥)	बी० २	
१२९३	१॥।)	बाली	
१२९४	३२)२	बी० ३	
१२९५	१॥)२	बाली	
१२९६	१)१	बाली	
१२९७	९१।)	बी० ३	
१२९७।२	२९।)४	ओरण	
मिजान २७	१०३७॥।)३		

तहसील, प्रतापगढ़ के गांवों की रीजनल योजना

241. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम अमलावद, चनियाखेड़ी और बसाड़ की रीजनल योजना बन चुकी है ? यदि हां तो, कब ? तथा इसका कार्य कब प्रारम्भ कराने की योजना है ?

उत्तर

जी हां। अप्रेल, 1972 इसकी स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

नाथद्वारा तहसील द्वारा लगान की वसूली

242. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा तहसील के कोठारिया व आसपास के गांवों में नाथद्वारा तहसील द्वारा बीड़ व मगरी की चालू सेटलमेंट के पूर्व लगान की दर भूतपूर्व ठिकानेदार ने अपने अधिकार के समय दो आना प्रति बीघा निश्चित की थी और उसी दर से लगान वसूल हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किस्म की भूमि का लगान वर्तमान सेटलमेंट में दो आना प्रति बीघा की बजाय बीस पैसा प्रति बीघा कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि कोठारिया ग्राम और उसके आसपास के गांवों के काश्तकारों से जिनमें अधिकांश लोग आदिवासी और अनुसूचित जाति के हैं, तहसील ने बीड़ और मगरी का लगान 12 आना प्रति बीघा निश्चित कर सम्वत् 2011 से 2030 तक का लगान जमा कराने के मांगपत्र जारी किये हैं और उनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ? यदि हां, तो सेटलमेन्ट द्वारा निश्चित दर से अधिक लगान वसूल करने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार तहसील द्वारा की जारही इस प्रकार की धांधली की जांच करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या जांच मुकम्मिल होने के पूर्व इस प्रकार की अनधिकृत वसूली को स्थगित करेगी ?

उत्तर

(1) तहसील नाथद्वारा में कोठारियों के आसपास के ग्रामों में बीड़ व मगरी की भूमि पर चालू सेटलमेन्ट से पूर्व दरों का विवरण संलग्न सूची में अंकित है। सूची में अंकित दरों के अनुसार ही लगान वसूल किया जाता था।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह सही है कि कोठारिया ग्राम व उसके आसपास के ग्रामों के काश्तकार जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, उनसे लगान न्यूनतम बारानी दर से वसूल करने की कार्यवाही चल रही है। इसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई। यह कार्यवाही निरीक्षक, राजस्व लेखा, राजस्व मण्डल द्वारा दर्शाये गये परिपत्र के अनुसार की जा रही है।

(4) इस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा जांच कराई गई और परिणामस्वरूप जिलाधीश बारानी लगान वसूली की कार्यवाही रोक कर सं० 2011 से दो आने बीघा का ही लगान वसूली के करने के आदेश जारी कर रहे हैं।

(146)

सूची

भूमि दर :—	रु० पैसे	
1.	1.18	
2.	0.88	
3.	0.73	
4.	0.59	
5.	0.52	
6.	0.44	
7.	0.37	
8.	0.29	
9.	0.22	
10.	0.14	
11.	0.12	
12.	0.07	सबसे कम भूमि दर थी।

गांव आकोली के कुए के जल का वितरण

243. श्री बिरधाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर क्षेत्र के गांव आकोली में आकोली नदी पर एक कुआ खोदा गया था ? यदि हां, तो इस कुए का पानी कैसा है और उसे गांव वालों को कब तक देना चालू कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कुए की खुदाई के समय आकोली नदी में आई बाढ़ के कारण काफी सामान बह गया था ? यदि हां, तो कितना तथा क्या-क्या ?

(3) क्या उक्त कुए की पाइप लाइन का पाइप भी वहीं पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुए का पानी पीने योग्य है। कुए पर विद्युत् कनेक्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ है यह आशा है कि कनेक्शन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा जिसके उपरान्त टेस्टिंग कर जल वितरण शुरू कर दिया जायेगा।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग का कोई सामान उक्त कुए पर नहीं पड़ा हुआ है।

छबड़ा कस्बे में कृषि उपज मंडी कायम करने की मांग

244. श्री जग मोहनसिंह (छबड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

छबड़ा कस्बे में छबड़ा तहसील के लिये कृषि उपज मंडी कायम किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? तथा अब कृषि उपज मंडी कब तक कायम कर दी जावेगी ?

उत्तर

छबड़ा कस्बे में नियमित मंडी समिति स्थापित करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य चालू है, सर्वेक्षण के पश्चात् ही निर्णय लिया जा सकता है ।

(148)

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 175 की सूची)

(अ)

2. तहसील:— लूणकरनसर

(1) हजारीराम मेघराज

(2) महावीरप्रसाद मूंदड़ा

(3) सम्पतराय हंसराज

तहसील:— नोखा

(1) नोखा तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति, नोखा

(1) मैसर्स चुन्नीलाल रामचन्द्र

तहसील:— कोलायत

(1) मोहन खां सोहन खां, कोलायत

तहसील:— बीकानेर

(1) मोहन खां सोहन खां

(2) बीरबल पंवार

(ब)

(1)	मैसर्स सम्पतराय हंसराज, लूणकरनसर	59138.00
(2)	मैसर्स हजारीराम मेघराज, लूणकरनसर	49522.00
(3)	मैसर्स बीरबल पंवार, बीकानेर	145719.00
(4)	मैसर्स मोहन खां सोहन खां, कोलायत	224702.00
(5)	मैसर्स नोखा तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०, नोखा।	80861.00
(6)	मैसर्स चुन्नीलाल रामचन्द्र, नोखा	83034.00
	कुल योग:—	3643096.00

————

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूची)

क्र० सं०	गांव का नाम	धनराशि जो स्वीकृत की गई
1.	नोखा	40,000
2.	सूरपुरा	3,500
3.	देसतसर	9,000
4.	पांचू	21,000
5.	बीकासर	6,300
6.	गेडा	14,000
7.	जसरासर	35,960
8.	झाड़ेली	20,000
9.	रासीसर	10,000
10.	जांगलू	19,000
11.	भटसर	3,500
12.	काकड़ा	9,000
13.	बैरासर	9,000
14.	कुदसू	12,000
15.	बादनू	20,000
16.	सादासर	20,000
	योग....	2,52,260

(150)

परिशिष्ट–7

(प्र. ता. प्र० सं० 179 की सूची)

S. No.	Service No.	Name of the consumer	Date of Connection	Date of receipt connection file with fees
1	2	3	4	5
1.	3678	Angoori Davi Om-Prakash	20-6-70	31-3-71
2.	79	Kalayan Singh Ram-Gopal	18-7-70	-do-
3.	80	Gita W/o Khethu Lal Saini	8-8-70	-do-
4.	81	Ratan Lal Bhanwar-Lal	20-8-70	30-3-71
5.	82	Ram Nath Ladu Ram	27-3-70	-do-
6.	83	Suresh Kumar Durga-Datt	30-9-70	-do-
7.	85	Nemi Chand Dwarka-Prasad	20-10-70	31-3-71
8.	86	Tahaman Khan Hazi-Khan	23-10-70	-do-
9.	87	Hazi Badruddin	-do-	-do-
10.	88	Yasin Ali Vyapariyan	29-10-70	-do-
11.	89	Kanta S/o Chaju Lal	3-11-70	-do-
12.	90	Gyarsi Lal Narsi Lal	-do-	30-3-71
13.	91	Omprakeh Shri Lal	3-11-70	31-3-71
14.	97	Nasir S/o Yasin	18-11-70	-do-
15.	98	Ram Pratap Bhanwar-Lal	-do-	30-3-71

1	2	3	4	5
16.	99	Khethu Ram Bodu-Ram	20-11-70	30-3-71
17.	3700	Jodh Raj Nand Lal	-do-	31-3-71
18.	1	Jodh Raj Nand Lal	-do-	30-3-71
19.	2	Usman Gani Abdul-Rahaman	-do-	31-3-71
20.	4	Nasir Aladdin	-do-	30-10-70
21.	5	Monir Seth Dena Seth	22-11-70	31-3-71
22.	7	Har Dev Shankar-Lal	-do-	-do-
23.	17	Kedar Nath Jag-nath	20-12-70	31-3-71
24.	18	Nath Mal Sedu Ram	-do-	30-3-71
25.	19	Ram Sawroop Kishan Lal	22-12-70	-do-
26.	20	Abdul Rahim Kamroo Din	-do-	31-3-71
27.	21	Moli Devi Mool-Chand	23-12-70	-do-
28.	24	Sita Ram Jai	3-1-71	30-3-71
29.	46	Gori Shankar Lal Chand	15-12-71	31-3-71
30.	54	Mohan Lal Bhora-Mal	20-2-71	-do-
31.	61	Phool Ram Danchu-Ram	10-3-71	31-3-71
32.	68	Satya Narain Mano-har Lal	30-3-71	-do-

(152)

परिशिष्ट–8

(अ ता. प्र. सं. 187 की सूची)

चुरु जिले में श्री डूंगरगढ़ तहसील में भवन निर्माण सहकारी समितियों की सूची

क्र. सं०	नाम सहकारी समिति	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	रजिस्ट्रेशन दिनांक	नाम ग्राम	हिस्सा राशि जो रजिस्ट्रेशन के वक्त जमा हुई
1	2	3	4	5	6
1.	सिन्धी भवन निर्माण स. स. लि.	556/आई	28–4–72	श्री डूंगरगढ़	1350.00
2.	भीमासर ,, ,,	562/आई	2–8–72	भीमासर	1500.00
3.	बिग्गा ,, ,,	580/आई	23–10–72	बिग्गा	4100.00
4.	तोलियासर ,, ,,	588/आई	13–12–72	तोलियासर	1500.00
5.	श्री डूंगरगढ़ ,, ,,	589/आई	13–12–72	श्री डूंगरगढ़	1300.00
6.	कितासर ,, ,,	590/आई	13–12–72	कितासर	6700.00
7.	लाखनसर ,, ,,	596/आई	3–2–73	लाखनसर	1400.00
8.	पुनरासर ,, ,,	597/आई	3–2–73	पुनरासर	2700.00
9.	सोनियासर ,, ,,	598/आई	3–2–73	सोनियासर	3600.00
10.	धीरदेसर पुरोहितान भवन निर्माण सहकारी समिति लि.	606/आई	21–2–73	धीरदेसर	2100.00
11.	उपनी भवन निर्माण स. स. लि.	610/आई	22–3–73	उपनी	3850.00
	कुल योग:—				30100.00

———

परिशिष्ट–9

(अ ता. प्र. सं. 188 की सूची)

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	नाम ग्राम	पट्टों की संख्या
1.	जसरासर	जसरासर	3
2.	उड़सर	उड़सर	1
3.	"	साजनवासी	7
4.	"	सिनियाली	9
		योगः—	20

(154)

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 194 की सूची)

राजस्थान में अप्रधान खनिज के खनन पट्टों का खनिजानुसार वर्गीकरण

क्रम संख्या	खनिज	खनन पट्टों की संख्या
1.	बिल्डिंग स्टोन	1220
2.	लाइम स्टोन (लाइम बर्निंग)	122
3.	बेन्टोनाइट	12
4.	पुलर्सअर्थ	9
5.	मार्बल	66
6.	ब्रिक्स अर्थ व ओरडीनरी क्ले	41
7.	स्लेट पत्थर	8
	योग....	1478

राजस्थान में अप्रधान खनिज के खनन पट्टों का खनिजानुसार वर्गीकरण 31-3-72 तक

क्रम संख्या 1	खनिज 2	खनन पट्टों की संख्या 3
1.	एसबेस्टोस	66
2.	एमेथिस्ट	—
3.	बेरियल	2
4.	बेराइट्स	42
5.	बोक्साइड	—
6.	केलसाइट	46
7.	चायना क्ले	43
8.	कोपर ओर	3
9.	डोलोमाइट	18
10.	एमरल्ड	3
11.	फेल्सफार	22

1	2	3
12.	फायरक्ले	12
13.	फ्लोराइट	84
14.	गारनेट	21
15.	ग्रेफाइट	83
16.	ग्रोसुलाइट	83
17.	जिप्सम	17
18.	आयरन ओर	12
19.	कायनाईट	3
20.	लेड जिंक सिल्वर	22
21.	लाईम स्टोन	9
22.	मेगनीज ओर	88
23.	माइका	233
24.	मैगनेसाइट	3
25.	नेचुरल वाइटिंग	—
26.	पायरोफ्लाइट	2
27.	क्वार्टज्	15
28.	रॉक फास्फेट	1
29.	रेड एण्ड फ्लो ओकर	18
30.	सोप स्टोन	181
31.	स्लेटस्टोन	2
32.	सैलेनाइट	3
33.	सिलीकासैन्ड	48
34.	सलफर ओर	1
35.	वुलोस्टोनाइट	2
36.	अन्य	—
37.	लेटराइट	1
38.	जसफार	1
	योग....	850

156

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्धि	शुद्धि
1	2		3	4
18	नीचे से	3	इस खाद का नहीं	इस खाद का डिस्ट्री-ब्यूशन नहीं
26	नीचे से	4	बैका ग्राउन्ड	बेकग्राउन्ड
33	ऊपर से	8	कार	प्रकार
33	ऊपर से	9	या	क्या
69	नीचे से	14	तहसीलदार	तहसीलवार
74	ऊपर से	3	में	मैं
77	ऊपर से	2	में	से
89	नीचे से	6	1995	1955
131	नीचे से	8	में	मैं
139	नीचे से	7	के ।	केस
146	ऊपर से	16	जीवनपयोगी	जीवनोपयोगी
150	नीचे से	7	महो देय	महोदय
166	अन्तिम		इन्पेक्ट	इम्पैक्ट
196	नीचे से	15	तही	कहे
218	ऊपर से	3	कार्यपालिकाओं	कार्यपालिका
223	नीचे से	12	डिम्पेंसरीज	डिस्पेंसरीज
225	नीचे से	1	कुओं बिजली	कुओं में बिजली
236	नीचे से	17	की	कि
240	नीचे से	15	शासन।पक्ष	शासन पक्ष

———